

# 54वाँ वार्षिक विवरण 2023-24



भारत डायनामिक्स लिमिटेड  
BHARAT DYNAMICS LIMITED



• समर्पण • प्रतिबद्धता • दृढ़ता

# शांति का आधार अस्त्र-बल

भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपनी स्थापना से ही आंतरिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क माध्यम से विभिन्न प्रकार क संचलित प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध उपकरणों का विनिर्माण करते हुए सशस्त्र सेनाओं को सेवा प्रदान करता आ रहा ह। आज बी डी एल, भारतीय सशस्त्र सेनाओं सहित मित्र दशों को नवीनतम टक्रोलेंजी युक्त मिसाइल व संबद्ध उपकरण उपलब्ध करान वाले अग्रणी विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ताओं में से एक ह।

## अनुक्रमणिका

### निगमित परिदृश्य

हमारा परिचय	01
निगम संबंधी सूचना	02
निदेशक मंडल क सदस्य	03
वित्तीय विशेषताएं	04
दस वर्षों पर दृष्टिपात	05
अध्यक्ष की कलम से	06

### वित्तीय विवरणिकाएँ

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	81
तुलन-पत्र	106
लाभ-हानि लेखा	107
ईक्यूटी में परिवर्तन का विवरण	108
नकद प्रवाह विवरण	109
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों से संबंधित जानकारी	110
वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ	123

### निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	12
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	37
प्रबंधन चर्चा एवं विक्षेपण	42
नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट	50

**भारत डायनामिक्स लिमिटेड, 54वाँ वार्षिक विवरण 2023-24**  
**लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र**

**अधिप्रमाणित**

**रक्षा राज्य मंत्री**

**BHARAT DYNAMICS LIMITED, 54<sup>TH</sup> ANNUAL REPORT 2023-24**  
**PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF LOK SABHA / RAJYA**  
**SABHA**

**AUTHENTICATED**

**RAKSHA RAJYA MANTRI**

## हमारा परिचय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) की स्थापना वर्ष 1970 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के एक उद्यम के रूप में की गई थी। यहाँ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), हवा से हवा में मार करने वाली (ए ए एम) मिसाइल, टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), टॉरपीडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण बनाये जाते हैं। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ – तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद और संगारेड्डी के भानूर गाँव और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित हैं। बी डी एल, महाराष्ट्र के अमरावती, इब्राहीमपट्टणम, तेलंगाना और झाँसी, उत्तर प्रदेश में अपनी अतिरिक्त सुविधाओं के विनिर्माण की योजना बना रहा है। कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2024 तक कुल 2401 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 2369 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ। हमारे उत्पादों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट <https://bdl-india.in/products> देखें।



### उद्देश्य

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।



### भविष्य-दृष्टि

रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता उत्पाद बनाने वाला विश्वस्तरीय उद्यम बनना।



### मिशन

वांतरिक्ष तथा अंतर्जल अस्त्र प्रणाली उद्योग में अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित कर देश की रक्षा प्रणाली की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व उत्कृष्ट उद्यम बनकर उभरना।



# निगम संबंधी सूचना

## निगम कार्यालय

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग  
आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास  
गच्छी बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद-500032.  
दूरभाष : 040-23456173, फैक्स : 040-23456107  
ई-मेल : [investors@bdl-india.in](mailto:investors@bdl-india.in)  
वेबसाइट : [www.bdl-india.in](http://www.bdl-india.in)

## पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग डाक  
हैदराबाद-500058  
तेलंगाना, भारत  
ई पी ए वी एक्स : 040-24587466 &  
040-24587777  
फैक्स : 040-24340464  
ई-मेल : [bdltd@bdl-india.in](mailto:bdltd@bdl-india.in)  
वेबसाइट : [www.bdl-india.in](http://www.bdl-india.in)

## मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. उपेंद्र बेन्म, आई पी ओ एस

## कंपनी सचिव

श्री एन नागराज

## वरिष्ठ प्रबंधन

### श्री पी वी राजाराम

अधिकासी निदेशक (कंचनबाग इकाई)  
(दि. 30.08.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में पदोन्नत)

### कमोडोर गिरीश रघुनाथ प्रधान (से.नि.)

अधिकासी निदेशक (विपणन, सं.वि., नि.से. तथा डी अण्ड ई)

### श्री एल किशन

अधिकासी निदेशक (इकाई प्रधान – भानूर इकाई)  
(दि. 01.09.2023 से पदोन्नत)

### श्री एम रवि

अधिकासी निदेशक (इकाई प्रधान – केबीयू, आईबीयू तथा पी एस जी)  
(दि. 01.09.2023 से पदोन्नत)

### श्री जी गायत्री प्रसाद

मुख्य वित्तीय अधिकारी  
(दि. 21.03.2024 से नियुक्त)

### श्रीमती वी लता

महाप्रबंधक (कंचनबाग इकाई)  
(दि. 31.03.2023 को सेवानिवृत्त)

### श्री एस वी कामेश्वर

महाप्रबंधक (विशाखापट्टणम इकाई)  
(दि. 30.04.2023 को सेवानिवृत्त)

### श्री एस मुरली मोहन

महाप्रबंधक (एम, आर अण्ड टी एस डी)  
(दि. 30.04.2023 को सेवानिवृत्त)

### श्री एम श्रीधर राव

महाप्रबंधक (एन पी, ओ पी एवं डी अण्ड ई)  
(दि. 31.01.2024 को सेवानिवृत्त)

### श्री डी वी श्रीनिवास राव

महाप्रबंधक (डी अण्ड ई एवं ई डी)

### श्री पी वीरभद्र राव

महाप्रबंधक (वित्त)  
(दि. 01.09.2023 से पदोन्नत)

### श्री एम विनोद कुमार

महाप्रबंधक (एन पी एवं ओ पी)  
(दि. 01.09.2023 से पदोन्नत)

## श्री एम दयाकर रेड्डी

महाप्रबंधक (एम, आर, टी अण्ड सी)  
(दि. 01.09.2023 से पदोन्नत)

## कर्नल बी हरि प्रसाद

महाप्रबंधक (सैम एवं पी एस जी)  
(दि. 01.09.2023 से पदोन्नत)

## श्री आर सिम्हाचलम

महाप्रबंधक (इकाई प्रधान – वि.इ.)  
(दि. 01.09.2023 से पदोन्नत)

## श्री एन सत्यनारायण

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)  
(दि. 01.09.2023 से पदोन्नत)

## सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स तेज राज अण्ड पॉल  
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

## लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स नरसिम्ह मूर्ति अण्ड अण्ड कंपनी  
लागत लेखाकार

## सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स  
कंपनी सचिव

## आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स शरत अण्ड असोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स आर एस एम अण्ड असोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स आर के दोशी अण्ड कंपनी एल एल पी  
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

मेसर्स कोमांडूर अण्ड कंपनी एल एल पी  
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

## कर परामर्शदाता

बंसल अण्ड दवे  
आयकर परामर्शदाता

मेसर्स प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स  
जी एस टी परामर्शदाता

## विधि सलाहकार

श्रीमती वी उमा देवी  
श्री डी रवि शंकर राव  
श्रीमती डी राधिका

## बैंकर्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
भारतीय स्टेट बैंक  
यूको बैंक  
पंजाब नेशनल बैंक  
आई सी आई सी आई बैंक

## रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

सेबी पंजीकरण संख्या : INR000002532

4ई/2 अंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

टेलीफोन : +91 11 42541234, फेसिमाइल : +91 11 415 43474

ई-मेल : [rta@alankit.com](mailto:rta@alankit.com); वेबसाइट : [www.alankit.com](http://www.alankit.com)

# निदेशक मंडल के सदस्य

(दि. 30 मई, 2024 तक)

## अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
सी एम डी तथा अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त)

## सरकारी निदेशक



श्री यू राजा बाबू  
महानिदेशक (एम एस एस)



श्री अनराग बाजपेयी  
अपर संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग,  
रक्षा मंत्रालय

## पूर्णकालिक निदेशक



श्री पी वी राजा राम  
निदेशक (उत्पादन) तथा अतिरिक्त प्रभार,  
निदेशक (तकनीकी)  
(दि. 30.08.2023 स नियुक्त)

3

## स्वतंत्र निदेशक



श्री सनील चिंतामन मोन



प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा



श्री राजेंद्र सिंह शेखावत



श्री नंदकमार सुब्बुरामन



डॉ. पवन स्थापक



श्री जशवंत लाल


## कंपनी सचिव




श्री एन नागराजा

# वित्तीय विशेषताएँ


परिचालनों से प्राप्त राजस्व (रुपये करोड़ में)




ई बी आई टी डी ए (रुपये करोड़ में) एवं ई बी आई टी डी ए मार्जिन




कर पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)




निवल मालियत (रुपये करोड़ में)




ईक्विटी से प्राप्त वापसी (% में)




कुल लाभांश (रुपये करोड़ में) और लाभांश भुगतान अनुपात



ट्रेड प्राप्य (रुपये करोड़ में) एवं टर्नओवर अनुपात (दिन)



सामग्री-सूची (रुपये करोड़ में) एवं टर्नओवर अनुपात (दिन)



## दस वर्षों पर दृष्टिपात

विवरण	यूनिट	2023-24*	2022-23*	2021-22*	2020-21*	2019-20*	2018-19*	2017-18*	2016-17*	2015-16*	2014-15
बिक्री (सकल)	₹ Cr.	2369.28	2489.39	2817.40	1913.76	3104.87~	3069.35 <sup>8</sup>	4587.60	4886.62	4159.97	2799.68
निर्माणाधीन कार्य	₹ Cr.	222.63	19.04	84.36	128.91	(503.66)	165.87	53.70	124.38	137.86	(29.63)
उत्पादन मूल्य	₹ Cr.	2591.91	2508.43	2901.76	2042.67	2601.21~	3235.22	4641.30	5011.00	4297.83	2770.05
सामग्री की खपत	₹ Cr.	1119.96	1210.33	1263.37	970.08	1014.09~	1818.97	2907.59	3125.23	2620.30	1855.10
परिवर्द्धित मूल्य	₹ Cr.	1471.95	1298.10	1638.39	1072.59	1587.12~	1416.25	1733.71	1885.77	1677.53	914.95
कर पूर्व लाभ	₹ Cr.	828.23	481.80	709.91	340.88	742.45	671.36	773.82	802.81	847.31	614.19
कराधान के बाद लाभ	₹ Cr.	612.72	352.17	499.92	257.77	534.90	422.59	528.15	524.06	564.88	418.57
ईक्विटी	₹ Cr.	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	183.28	122.19	97.75	115.00
प्रारंभित एवं अधिशिष्ट निधि	₹ Cr.	3453.54	3028.22	2847.28	2501.47	2423.55	2085.26	1773.10	2072.79	1702.27	1418.58
सकल निरुद्ध (पूँजीगत नि. का. छोड़ कर)	₹ Cr.	1496.52	1415.67	1451.08	1368.51	1291.36	1219.61	1048.62	869.66	746.38	940.04
सामग्री-सूची	₹ Cr.	1982.47	1822.44	1654.45	1397.01	856.52	1664.53	1925.87	2240.42	2057.66	1480.12
ग्राह्य व्यापार	₹ Cr.	1185.01	1446.23	1495.36	1475.20	2676.19~	1844.53	2208.13	1735.36	1478.22	865.72
कार्यगत पूँजी	₹ Cr.	6233.25	5394.18	2942.18	2378.03	2259.40	1390.38	1085.68	1569.75	2052.30	2740.34 <sup>^</sup>
नियोजित पूँजी	₹ Cr.	3566.10	3155.08	2973.45	2637.01 <sup>@</sup>	3191.76	2347.34	1954.05	2326.87	2745.18	3134.20 <sup>^</sup>
निवल मालियत	₹ Cr.	3636.82	3211.49	3030.56	2684.75	2606.83	2268.55	1956.38	2194.98	1800.02	1533.37
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	2401	2560	2674	2812	2950	3034	3095	3182	3132	3183
कर्मचारियों पर लागत	₹ Cr.	600.01	532.46	570.66	501.09	534.03	534.21	529.34	448.39	326.23	313.07
पारिश्रमिक प्रति रु. पर परिवर्द्धित मूल्य	₹	2.45	2.44	2.87	2.14	2.97~	2.65	3.28	4.21	5.14	2.92
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी	₹ Lakh	61.31	50.71	61.27	38.14	53.80~	46.68	56.02	59.26	53.56	28.74
प्रत्येक 5 रुपये के अंकित मूल्य के लिए प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस)	₹	16.72 <sup>!</sup>	9.61 <sup>!</sup>	13.64 <sup>!</sup>	7.03 <sup>!</sup>	14.59 <sup>!</sup>	11.53 <sup>!</sup>	13.33 <sup>!</sup>	12.26 <sup>!</sup>	21.37 <sup>!</sup>	18.20 <sup>!</sup>

! मई, 2024 रु. 10/- मूल्य के शेयर को रु. 5/- में विभाजित करना और तदनु रूप ई पी एस को रु. 5/- के अंकित मूल्य के लिए पिछले वर्ष में पुनःसमायोजित करना।

~ वर्ष 2019-20 की कुछ मदों के वर्ष 2020-21 में पुनःसमूहन के कारण पुनःसमायोजित।

& भारतीय लेखा-मानक 115 के अनुसार वर्ष 2018-19 से बिक्री की गणना परिसमापन क्षतियों की कटौती के बाद की जाती है।

\* वर्ष 2015-16 की राशियाँ भारतीय लेखा-मानक के अनुरूप दर्शायी गईं।

@ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नियोजित पूँजी की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III पर आई सी ए आई द्वारा जारी गाइडेंस नोट के अनुसार की गई है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी नियोजित पूँजी रु. 3239.01 से रु. 2637.01 हुई। लेकिन इससे कोई कमी नहीं आती है।

\$ वर्ष 2013-14 की चालू अस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2014-15 में पुनःसमायोजन किया गया।

^ वर्ष 2014-15 की चालू अस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2015-16 में पुनःसमायोजन किया गया।

! वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 1000/- मूल्य के शेयर को रु. 10/- में विभाजित करना और तदनु रूप ई पी एस को रु. 10/- के अंकित मूल्य के लिए पिछले वर्ष में पुनःसमायोजित।

## अध्यक्ष की कलम से



6

### प्रिय शेयरधारक,

सबसे पहले, मैं आपके निरंतर समर्थन और बी डी एल में निवेश के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपका अटूट समर्थन और हम पर विश्वास, हमें सफलता के नए मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करता है।

मुझे आपके साथ बी डी एल की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट साझा करते हुए खुशी हो रही है जिसे पाँच दशकों से भी अधिक समय से अत्यंत ही कौशलयुक्त निपुण साथियों के अविरल उत्साह और निरंतर प्रयासों ने खड़ा किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बीडीएल का कार्य-निष्पादन प्रभावशाली रहा है और कंपनी से जुड़े सभी हितधारकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत का यह प्रमाण है। यह कार्य-निष्पादन वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से प्रभावित परिचालनीय वातावरण और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद संभव हो पाया है।

भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ प्रदान करने में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ देशों (एफ एफ सी) को निर्यात की मंजूरी देने की भारत सरकार की पहल ने बी डी एल के विकास और विस्तार के लिए बहुत सारे अवसर खोल दिए हैं। बी डी एल ने इन उभरते अवसरों की दिशा में काम करते हुए निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का मार्ग चुना है।

मैं इस अवसर पर आपके साथ पिछले वित्तीय वर्ष के कार्य-निष्पादन पर प्रकाश डालते हुए कंपनी के भविष्य-दृष्टि को साझा करना चाहता हूँ।

**वर्ष की वित्तीय और कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य बातें :**

बीडीएल ने इस वित्तीय वर्ष (FY) में ₹ 613 करोड़ का कर पश्चात लाभ (PAT) हासिल किया है जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 352 करोड़ का था। बीडीएल ने कई परिचालन और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छा कार्यनिष्पादन किया। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बीडीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 2508 करोड़ की तुलना में ₹ 2592 करोड़ का उत्पादन हासिल किया और पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 2489 करोड़ की तुलना में ₹ 2369 करोड़ का बिक्री कारोबार किया।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि बीडीएल स्थायी तौर पर लाभांश का भुगतान कर रहा है। आपके निदेशक मंडल ने ₹ 5 के प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर ₹ 0.85 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसकी कुल राशि ₹ 31.16 करोड़ है। मुझे आपको यह बताते हुए भी बहुत खुशी है कि बीडीएल ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्रति ईक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के साथ) ₹ 8.85 का अंतरिम लाभांश पहले ही दे दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी द्वारा घोषित कुल लाभांश ₹ 5.275 प्रति शेयर (प्रत्येक ₹ 5 के अंकित मूल्य पर) है।

**एम ओ यू के मुकाबले कार्य-निष्पादन :**

भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) के साथ हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार, बी डी एल को वर्ष 2022-23 के लिए 'अच्छा' दर्जा दिया गया है। जबकि वर्ष 2023-24 के लिए इसका मूल्यांकन कार्य जारी है।

**महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :**

वर्ष के दौरान बीडीएल को एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम), एकीकृत लॉचर, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (लेजर बीम राइडिंग), विश्रॉड्स (एलबीआर), मानव रहित हवाई वाहन प्रमोचित प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल (यूएलपीजीएम), आकाश मिसाइलों के उन्नत संस्करण आदि की आपूर्ति के लिए ₹ 2076.28 करोड़ (सकल) के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

इनके अलावा, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM), इन्वार ए टी जी एम, हेलिना, नाग, स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW), ग्रैंड रॉकेट, रिफरबिशमेंट आर्डर्स जैसे कई ऑर्डर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है।

**प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रयास में नये भागीदार :**

बीडीएल हमेशा वैश्विक रक्षा उद्योग की वर्तमान माँग के अनुरूप बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्राथमिकता दी है। इसके अनुसरण में बीडीएल ने निम्नलिखित संस्थाओं के साथ एमओयू या टीमिंग व्यवस्था की है:

- मेसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ घरेलू और निर्यात कारोबार के लिए वर्तमान और भविष्य के हथियार कार्यक्रमों पर मिलकर काम करने के लिए समझौता ज्ञापन।
- मेसर्स वीईएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ घटकों के देशीकरण के कार्यक्रमों पर एक दल के रूप में मिलकर कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन।
- बीडीएल, भारत में विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए मेसर्स अंडरसी सेंसर सिस्टम्स इंक (अल्ट्रा) के साथ समझौता ज्ञापन।
- विभिन्न आरएफ घटकों के डिजाइन और विकास के लिए मेसर्स टेट्रा रेडियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन।
- अनुसंधान एवं विकास, निर्यात और देशीकरण सहित पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक-दूसरे के साथ तालमेल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता स्वरूप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन ताकि रक्षा क्षेत्र में भारत 'आत्मनिर्भर' की दिशा में योगदान और बढ़ सके।
- भारतीय सीमा क्षेत्र में हथियारबंद यूएवी की एकीकृत पेशकश के डिजाइन और विकास के लिए मेसर्स आइडिया फोर्ज के साथ समझौता ज्ञापन।
- टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला (टीबीआरएल), चंडीगढ़ के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंसिंग करार (एल ए टी ओ टी)।



बी डी एल ने टी-हब के साथ भविष्य की अख्य प्रणाली बनाने की दिशा में स्वदेशी गहन तकनीकी क्षमता का दोहन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर श्री गिरिधर अरमने, रक्षा सचिव, श्री जयेश रंजन, विशेष मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य तथा आई टी, कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.), सी एम डी, बी डी एल, श्री एम एस राव, सी ई ओ, टी-हब तथा अन्य उपस्थित रहे।

#### वैविध्यीकरण योजना:

बीडीएल की वैविध्यीकरण योजना के अंतर्गत हमने संचलित बम, ड्रोन से छोड़े जाने वाले पे-लोड, वारहेड विनिर्माण, कूज़ मिसाइलों के लिए इंजन, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद और प्रणोदक, रॉकेट जैसे नये कार्य-क्षेत्रों की पहचान की है। इन प्रयासों से व्यवसाय के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

#### उल्लेखनीय उपलब्धियाँ :

बीडीएल ने वर्ष के दौरान डीआरडीओ के साथ मिलकर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं जिससे विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रगतिगामी ऊर्जा मिली है।

- माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने जनवरी 2024 में बीडीएल, कंचनबाग इकाई, हैदराबाद में भारतीय वायु सेना को आपूर्ति के लिए स्वदेशी रूप से विकसित और बीडीएल में तैयार 'अख्य' मिसाइल को झंडी दिखाई।
- भारतीय नौसेना के वर्तमान आदेश के अंतिम वरुणाख्य को बीडीएल विशाखापट्टणम इकाई में डॉ वाई श्रीनिवास राव, डीएस और डीजी (एनएस एंड एम) ने आईएचक्यू, ईएनसी, एनएसटीएल, एनएडी और एनएआई व अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में झंडी दिखाई।



### गुणता प्रणालियाँ :

एक मिसाइल निर्माता और सिंगल-शॉट डिवाइस बनाने वाली कंपनी होने के नाते हमारे लिए उत्पाद की गुणता सर्वोपरि होती है और हमारे उत्पादों को पहली बार और हर बार सटीकता से काम करना होता है। इसलिए इन उत्पादों में कड़े गुणता मानक और उच्च स्तर की विश्वसनीयता आवश्यक होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बी डी एल हमेशा अंतर्राष्ट्रीय गुणता मानकों के हिसाब से उन्नयन कर रहा है। आपको यह जानकारी है कि कंचनबाग और भानूर की उत्पादान इकाइयाँ पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस गुणता प्रबंधन मानक AS9100D से प्रमाणित हैं।

- प्रमाणन निकाय मेसर्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तीन उत्पादन इकाइयों (कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम) को अप्रैल 2023 से आईएसओ 14001:2015 के साथ फिर से प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन तीन साल के लिए वैध है।
- नवाचार और गुणता के लिए रजत पुरस्कार कोलकाता में नवंबर 2023 में GRSE-SODET द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की QCC प्रतियोगिता में बी डी एल और डी जी ए क्यू ए द्वारा संयुक्त रूप से जीता गया।

### अनुसंधान और विकास (आर अण्ड डी) :

बी डी एल, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए उत्पाद विकास और मौजूदा उत्पादों के उन्नयन में लगातार लगा हुआ है। इसी क्रम में, बी डी एल का डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रभाग विभिन्न परियोजनाओं के विकास पर काम कर रहा है।

## नैगमिक अभिशासन :

बी डी एल में कंपनी के प्रबंधन, इसके निदेशक मंडल तथा इसके शेयरधारक सहित अन्य हितधारकों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हैं। अपनी सुव्यवस्थित सिद्धांत, नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही के साथ बी डी एल के पास कामकाजी प्रदर्शन की निगरानी के लिए प्रणाली व अपने उद्देश्यों की प्राप्त करने सही साधन मौजूद हैं।

बी डी एल उच्चतम नैतिक मानकों के साथ कारोबार करता है और संगठन की सभी इकाइयों में किसी भी प्रकार की रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिश्तखोरी या भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया।

बी डी एल की गतिविधियों की निगरानी कई बाहरी एजेंसियाँ करती हैं। इनमें सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, मुख्य सतर्कता आयुक्त, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि शामिल हैं।

## नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) और सातत्यता विकास :

बी डी एल समाज के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बी डी एल सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च कर रहा है। सी एस आर के तहत मुख्य क्षेत्र हैं – स्वास्थ्य संरक्षण, पोषण, शिक्षा और साक्षरता, कौशल विकास और स्वच्छता, प्रधानमंत्री टी बी मुक्त अभियान, वीर नारियों के लिए सहारा छात्रावास आदि। बी डी एल ने डी पी ई दिशा-निर्देशों के अनुसार नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिले और अविकसित क्षेत्रों में भी कदम रखा है। वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं :

- जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, विजयनगरम के माध्यम से आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में महिलाओं को 250 लाख रुपये के बजट से वस्त्र उद्योग में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- 500 लाख रुपये के बजट के साथ 'सर्व शिक्षा अभियान' के माध्यम से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम और विजयनगरम जिलों में 115 सरकारी स्कूलों में क्लास रूम का डिजिटलीकरण किया गया।
- ₹ 75 लाख के बजट के साथ एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर, रेड हिल्स, हैदराबाद में आण्विक ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए योगदान दिया।
- सिकंदराबाद में 100 लाख रुपये के बजट से मेगा चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए एक गैर-सरकारी संगठन 'सेवा भारती' को आर्थिक सहायता प्रदान की।
- सैन्य अस्पताल, सिकंदराबाद को 25 लाख रु के बजट से 10 आईसीयू बिस्तर प्रदान करके उनके आईसीयू के माध्यम से अत्यावश्यक गहन परिचर्या सुविधाएँ प्रदान करने में सहायता प्रदान की।

## आगे का रास्ता और भविष्य परिदृश्य :

वर्ष 2023-24 एक रिकॉर्ड पीएटी के साथ समाप्त हुआ जबकि राजस्व में मामूली गिरावट के साथ उत्पादन में वृद्धि हुई। आपकी कंपनी की ऑर्डर बुक की स्थिति मजबूत है और जो 31 मार्च 2024 तक ₹ 19,434 करोड़ के आँकड़े तक पहुँच गई है। भविष्य में, ऑर्डर बुक की स्थिति में और विस्तार होने की उम्मीद है क्योंकि कई ऑर्डर अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं जबकि वर्तमान ऑर्डर अगले 4-5 वर्षों में निष्पादित किए जाएँगे।

यूरोप और मध्य पूर्व में चल रही वर्तमान भू-राजनैतिक स्थिति कंपनी के लिए प्रमुख चिंता का कारक है जिससे विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (एफ ओ ई एम) से इनपुट सामग्री प्राप्त होने में देरी हो रही है और इसने वर्ष के दौरान कामकाज को प्रभावित किया है। आपकी कंपनी इन आयातों के स्वदेशीकरण को लेकर और निष्पादन योग्य आदेशों को उत्पादन में परिवर्तित करके इन आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों का मुकाबला करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी एफओईएम के साथ निरंतर बातचीत कर रही है और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को सुलझाने और सुचारू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनयिक माध्यमों का उपयोग कर रही है।

सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदम और देश में व्यापारिक सरलता से संभावित ऑर्डरों की प्राप्ति को लेकर हम आश्वस्त हैं।

बी डी एल, विकास एवं विनिर्माण की दृष्टि से खुद के तौर पर और डी आर डी ओ के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में भी निवेश कर रहा है। बी डी एल भारत में विनिर्माण के साथ-साथ संयुक्त विकास कार्यक्रमों के लिए विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (एफ ओ ई एम) के साथ भी विभिन्न समझौते कर रहा है।

निर्यात बाजार में बीडीएल के उत्पाद जैसे आकाश हथियार प्रणाली में संभावित खरीदारों ने बहुत रुचि दिखायी है। बी डी एल, इन प्राप्त लीड को आदेशों में बदलने की प्रक्रिया में है। कंपनी की ऑर्डर बुक को और मजबूत करने के लिए बीडीएल द्वारा निर्यात आदेशों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है और कंपनी आक्रामक रूप से इसका पीछा कर रही है। हालाँकि हमारे मुख्य ग्राहक भारतीय सशस्त्र बल हैं, कंपनी तत्काल विकास के लिए नए बाजारों की तलाश कर रही है। हमें मित्र देशों से कई लीड प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें ठोस आदेशों में बदलने पर काम किया जा रहा है। व्यापार और विकास को बनाए रखने के लिए बीडीएल ने प्रतिस्पर्धी मूल्य पर गुणतापूर्ण उत्पाद समय-सारणी अनुसार सुपुर्द करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

बीडीएल उप-प्रणालियों, प्रणालियों और सेवाओं के स्वदेशी निर्माण में सुधार लाने पर भी ध्यान दे रहा है जिससे हमारी क्षमताओं और दक्षता में वृद्धि होगी। इसमें बुनियादी ढाँचे के विकास और आधुनिकीकरण, कौशल प्रशिक्षण और भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई को आउटसोर्सिंग में निवेश करना शामिल है। हम उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नए उत्पादों और समाधान को विकसित करने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, अनुसंधान और शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों और विशिष्ट प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ मिलकर सहयोग करना जारी रखेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में होती वृद्धि को देखते हुए हम दीर्घकालिक संबंधों के निर्माण और भारतीय रक्षा उद्योग के तालमेल की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग के साथ सक्रिय रूप से काम करते रहेंगे।

अनुसंधान और विकास में, हमने व्यय में वृद्धि की है और सभी प्रकार की सहायता प्रदान की है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए समय-सीमा पर जोर दिया जा रहा है। तदनुसार, सफल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं से राजस्व सृजित करने के लिए विपणन के प्रयास किए जा रहे हैं।

#### आभार :

मैं पूरे बी डी एल परिवार की ओर से उन निवेशक और शेयरधारकों के प्रति हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कंपनी पर भरोसा जताया है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे सभी प्रयासों में हमारा समर्थन किया है। मैं आने वाले वर्षों में भी निवेशकों से इसी तरह के समर्थन की आशा करता हूँ।

मेरा विशेष धन्यवाद है रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डी आई पी ई एम ('डीपम'), विभिन्न राज्य सरकार, ग्राहक, निरीक्षण एजेंसियाँ, रक्षा उपक्रम, हमारे विक्रेता, बी डी एल के कर्मचारियों के प्रति और इस कंपनी की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी एजेंसियों के प्रति।

मैं कंपनी के कामकाज में बहुमूल्य मार्गदर्शन और उत्साहवर्द्धक सहयोग के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं आपको आश्चस्त करता हूँ कि बी डी एल विकास की और ऊँचाई तक जाने के लिए तत्पर व तैयार है। बी डी एल परिवार वांछित परिणाम प्राप्त करने और निवेशकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने हरसंभव प्रयत्नशील रहेगा।

पिछले कुछ वर्षों में हमने साथ मिलकर जो हासिल किया है उस पर मुझे गर्व है और इससे भी अधिक आगे के अवसरों को लेकर मैं और भी अधिक आशान्वित हूँ।

जय हिन्द!!!



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)  
डी आई एन नं. 09808949

तारीख : 30 मई, 2024

स्थान : हैदराबाद

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकगण की ओर से प्रस्तुत है 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ 54वीं वार्षिक रिपोर्ट।

## 1. संचालित कार्यकलाप की मुख्य बातें :

- आपकी कंपनी ने चुनौतीपूर्ण तकनीकी परिस्थितियों का सामना करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के रु. 2508 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 2592 करोड़ का उत्पादन किया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के रु. 2489 करोड़ की तुलना में रु. 2369 करोड़ का बिक्री कारोबार।
- बीडीएल में स्थापित नये 'सीकर निर्मिति केंद्र' में तैयार किये गये आकाश-एन जी अख्र प्रणाली का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी (आर एफ) सीकर दि. 02 अगस्त, 2023 को सचिव, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग और अध्यक्ष, डीआरडीओ को सौंपा गया।



- माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित 'अख्र' मिसाइल को झंडी दिखाकर खाना किया। इस अवसर पर महानिदेशक – एम एस एस श्री यू राजा बाबू सहित डी आर डी ओ, भारतीय वायु सेना तथा बी डी एल के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।



- आपकी कंपनी द्वारा निर्मित 'आकाश' वायु रक्षा प्रणाली ने दि. 12 दिसंबर 2023 को किए गए परिचालन क्षेत्र परीक्षणों में एक साथ चार मानव रहित लक्ष्यों को नष्ट किया है। इस सफलता से भारत, कमांड गाइडेड मिसाइल द्वारा एक साथ चार (04) लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला पहला देश बन गया है।
- आपकी कंपनी ने दि. 17 फरवरी 2024 को पोखरण में आयोजित वायु शक्ति अभ्यास 2024 में भाग लिया है और सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के सफल परीक्षण का साक्ष्य बना है।

## 2. वित्तीय परिणाम और प्रदर्शन की मुख्य बातें:

### 2.1 वित्तीय दृष्टि से कंपनी का प्रदर्शन संक्षेप में नीचे दिया गया है :

विवरण	रु. करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2023-24	2022-23	
परिचालन से विक्री / राजस्व	2369	2489	(5%)
उत्पादन मूल्य	2592	2508	3%
(i) आयातित सामग्री की खपत	148	345	(57%)
(ii) देशी सामग्री की खपत	972	865	12%
<b>खपत की गई कुल सामग्री</b>	<b>1120</b>	<b>1210</b>	<b>(7%)</b>
परिवर्द्धित मूल्य	1472	1298	13%
कर पूर्व लाभ	828	482	72%
कराधान बाद लाभ	613	352	74%
प्रति शेयर अर्जन# (रुपये में)	16.72	9.61	74%

# ई पी एस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की गई है। वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या को 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले 1 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर को उप-विभाजित कर समायोजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 5 रुपये है।

### 2.2 निम्नलिखित डाटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	रु. करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2023-24	2022-23	
सकल ब्लॉक (निर्माणाधीन कार्य में परिवर्तन को छोड़ कर)	1497	1416	6%
संचित मूल्यहास	673	607	11%
निवल ब्लॉक	824	809	2%
कार्यगत पूंजी (निवल)	6233	5394	16%
नियोजित पूंजी	3566	3155	13%
निवल मालियत	3637	3211	13%

\* ऑकड़ों का पुनःवर्गीकरण और पुनर्समूहन किया गया है।

### 2.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने परिचालन से पिछले वर्ष के राजस्व रु. 2489 करोड़ के मुकाबले 2369 करोड़ का राजस्व हासिल किया। राजस्व में कमी का मुख्य कारण वर्तमान में जारी यूरोप तथा मिडिल ईस्ट की वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई के चलते आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई।

राजस्व में कमी के बावजूद आपकी कंपनी पिछले वर्ष के रु. 482 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में 72% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 828 करोड़ का उल्लेखनीय कर पूर्व लाभ कर पायी। इसी तरह पिछले वर्ष के रु. 352 करोड़ के कराधान लाभ के बदले 74% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 613 करोड़ का कराधान बाद लाभ प्राप्त किया। ई बी आई टी डी ए मार्जिन में भी वृद्धि दर्ज हुई, पिछले वित्तीय वर्ष की 16.39% की तुलना में 22.64% तक पहुँचा। मार्जिन में इस वृद्धि का मुख्य कारण बड़ी हुई विनिर्माण गतिविधियाँ, बदला हुआ उत्पाद मिश्र और ग्राहकों से प्राप्त कुछ धनराशि है।

वर्ष के दौरान निष्पादित प्रमुख उत्पाद एटीजीएम, आकाश-एसएएम, वरुणाख और एमआर-एसएएम हैं। दि. 01 अप्रैल 2024 को कंपनी की ऑर्डर बुक की स्थिति लगभग 19434 करोड़ है।

## 2.4 भविष्य परिदृश्य :

मार्च 31, 2024 तक आपकी कंपनी की ऑर्डर बुक की स्थिति मजबूत है और यह रु. 19,434 करोड़ तक पहुँच गई है। इस आँकड़े के और भी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कई आने वाले ऑर्डर अंतिम चरण में हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया जा रहा सक्रिय प्रचार भी फलदायी है जिसके फलस्वरूप कुछ मित्र देशों ने निर्यात लीड की पुष्टि की और इनका निष्पादन कार्य प्रगति पर है।

यूरोप और मध्य पूर्व का वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल कई चुनौतियाँ पेश कर रहा है जिसके चलते विशेष रूप से विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (एफओईएम) से इनपुट सामग्री समय पर प्राप्त होने में देरी हो रही है। इसने पिछले कुछ सालों से हमारी कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर रखा है। हम विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता (एफ ओ ई एम) के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सुचारू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध राजनयिक माध्यमों का भी लाभ उठाकर इस आपूर्ति शृंखला मुद्दे का समाधान निकालने में लगे हैं।

एफओईएम पर निर्भरता कम करने के लिए हमने सभी परियोजनाओं में देशीकरण पर जोर दिया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप पूर्व में आयात किए गए 98 महत्वपूर्ण घटकों का स्वदेशीकरण किया गया जिससे महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। 80-90% के औसत स्वदेशीकरण प्रतिशत से हमने आयात लागत को कम करने का काम सफलतापूर्वक करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को प्रतिस्पर्धी दाम पर उत्पाद आपूर्ति करने की अपनी क्षमता में वृद्धि की।

हमारी विविधीकरण नीति के अंतर्गत हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र जिसका कामकाज वर्ष 2020 में लगभग 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर आँका गया, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2-3% का योगदान देता है। वर्ष 2025 तक इसके बढ़कर 13 बिलियन डॉलर होने की संभावना है और वर्ष 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लगभग 10% तक की हिस्सेदारी हासिल करना है। हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त दीर्घकालिक व्यापारिक संभावना है।

भारत सरकार 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को निरंतर बढ़ावा दे रही है। इसके तहत, सरकार द्वारा समय-समय पर घटकों की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की जा रही है। महत्वपूर्ण घटकों के आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित ऐसी पाँचवीं सूची हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद जारी की गई। इस पहल से इनके अगले पाँच से दस वर्षों में ठोस आदेशों में तब्दील होने की उम्मीद है।

एक समृद्ध ऑर्डर बुक और व्यापक अनुभव के साथ हमारी कंपनी आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे देशीकरण प्रयासों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रणनीति के तहत प्रवेश से मजबूती प्राप्त करता भविष्य आकांक्षाओं से भरा प्रतीत होता है।


14

### 3. जनता से सावधि जमा:

कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है और न ही वर्ष के शुरुआत / अंत में कोई सावधि जमा बकाया रहा। तदनुसार, जमा / उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई।

### 4. लाभांश और सामान्य प्रारक्षण में अंतरण :

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए रु. 5/- के प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर रु. 0.85/- के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसकी कुल राशि रु. 31.16 करोड़ बनती है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रु. 10 के अंकित मूल्य के प्रति शेयर रु. 8.85/- के हिसाब से रु. 162.20 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि जनरल रिजर्व में अंतरित की जा रही है।



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीडीएल ने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी से संबंधित अंतरिम लाभांश के रूप में 121.53 करोड़ का चेक भेंट किया। इस अवसर पर श्री गिरिधर अरमाने, सचिव (रक्षा उत्पादन), श्री. टी. नटराजन, अपर सचिव (रक्षा उत्पादन), श्री शलभ त्यागी, संयुक्त सचिव (पी अण्ड सी) और बीडीएल के सी एफ ओ श्री जी गायत्री प्रसाद उपस्थित रहे।

## 5. पूँजी संरचना :

दि. 31 मार्च, 2024 को कंपनी की प्रदत्त पूँजी 183.28 करोड़ (प्रत्येक 10/- के 18,32,81,250 ईक्विटी शेयर) थी। 31 मार्च 2024 को कंपनी की अधिकृत पूँजी रु.200 करोड़ (प्रत्येक रु.10/- के 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर) है। कंपनी ने वर्ष के दौरान डिफरेंशियल राइट्स के साथ न ईक्विटी शेयर जारी किया है और न ही स्वेट ईक्विटी शेयर।

कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 74.93% है (प्रत्येक 10/- के 137,325,527 ईक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है)।

### शेयरों का उप-विभाजन

वर्ष के दौरान, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM), भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने 25 अप्रैल, 2024 को डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में कंपनी के मौजूदा रु. 10/- के अंकित मूल्य के एक ईक्विटी शेयर को रु. 5/- के अंकित मूल्य के पूर्ण प्रदत्त दो ईक्विटी शेयरों में उप-विभाजित कर दिया है। दि. 24 मई, 2024 इसकी रिकॉर्ड तिथि है। तदनुसार INE171Z01018 की जगह नया आईएसआईएन INE171Z01026 सक्रिय कर दिया गया है।

दि. 24 मई, 2024 से कंपनी की संशोधित अधिकृत और चुकता पूँजी निम्नानुसार है:

ए) प्राधिकृत शेयर पूँजी रु. 200,00,00,000/- (दो सौ करोड़ रुपए मात्र) है जो प्रत्येक रु. 5/- (रुपए पाँच मात्र) के अंकित मूल्य के 40,00,00,000 (चालीस करोड़) ईक्विटी शेयरों में विभाजित है।

बी) निर्गम, प्रदत्त और अभिदत्त अंश पूँजी रु. 1832812500 (एक सौ तिरासी करोड़ अट्ठाईस लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) है जो रु. 5/- अंकित मूल्य के 366562500 (छत्तीस करोड़ पैंसठ लाख बासठ हजार पाँच सौ) में विभाजित है।

इसके अलावा, उपरोक्त बँटवारे / उप विभाजन के परिणामस्वरूप, 24 मई, 2024 को कंपनी के सभी शेयरधारक यानी रिकॉर्ड तिथि को रु. 5 के अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त चुकता ईक्विटी शेयर जारी करते हुए उस तारीख को उनकी पात्रता के अनुसार इसका भुगतान कर दिया गया है।

## 6. सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियाँ :

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस) के अंतर्गत निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास सहित पाँच (5) कंपनियाँ यथा - नामत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि), हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड और पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सह-संघ के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी को निगमित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस सह-संघ का नेतृत्व मिधानि कर रहा है। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (ओटीआईएस) के तहत यांत्रिक और सामग्री परीक्षणों के रक्षा परीक्षण बुनियादी ढाँचे (डीटीआई) का विकास, संचालन और प्रबंधन है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने पाँच अन्य सदस्यों यथा - भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ एक अन्य संयुक्त उद्यम (अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी) लगान का भी अनुमोदन दिया है। इस सह-संघ का नेतृत्व मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त उद्यम का उद्देश्य रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (ओटीआईएस) के तहत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-प्रणाली के लिए रक्षा परीक्षण बुनियादी ढाँचे का विकास, संचालन और प्रबंधन है।

## 7. एम ओ यू के मुकाबले प्रदर्शन :

आपकी कंपनी हर साल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के प्रदर्शन को "अच्छा" दर्जा प्राप्त हुआ और वर्ष 2023-24 के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

## 8. आधुनिकीकरण एवं उन्नयन :

वर्ष के दौरान, सयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण तथा अन्य अवसंरचना विकास के लिए पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) कार्यक्रम के तहत 81.93 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस राशि का अधिकांश हिस्सा झाँसी में प्रणोदक सयंत्र की स्थापना संबंधी बुनियादी ढाँचे के काम, इब्राहीमपट्टणम में चरण- II के लिए बुनियादी ढाँचे के काम, विशाखापट्टणम में एकीकरण सुविधा और वारहेड सुविधा प्रवर्तित करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न कैपेक्स कार्यक्रमों पर लगभग रु. 100 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है जिसमें झाँसी इकाई का निर्माण और इब्राहीमपट्टणम में चरण- II बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।

आपकी कंपनी एटीजीएम, एसएएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और टॉरपीडो के निर्माण में देशीकृत सामग्री को बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।

## 9. अनुसंधान एवं विकास :

आपकी कंपनी का मानना है कि अनुसंधान एवं विकास (आर अण्ड डी) संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास के लिए कई उत्पादों की पहचान की है।

निम्नलिखित तालिका आंतरिक स्तर पर आर अण्ड डी व्यय की हालिया प्रवृत्ति दर्शाती है :

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
बिक्री कारोबार (सकल) (रुपये करोड़ में)	2369.28	2489.39	2817.40
अनुसंधान एवं विकास व्यय (रुपये करोड़ में)	75.37	152.03	48.14
बिक्री कारोबार के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	3.18%	6.11%	1.71%
कर पूर्व लाभ	828.24	481.80	709.91
कर पूर्व लाभ के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	9.10%	31.55%	6.78%

## 10. एम एस एम ई से खरीद :

भारत सरकार की खरीद नीति के अनुपालन में आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से 25% की अनिवार्य खरीद आवश्यकता को पार कर लिया है। वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी ने 1625.92 करोड़ की कुल खरीद में से 27.70% का सामान और सेवाएँ मिलाकर लगभग 450.38 करोड़ की राशि की खरीदी एमएसएमई से की। एमएसएमई से 25% का अनिवार्य लक्ष्य प्राप्त करके आपकी कंपनी ने इन उद्यमों के विकास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है।

### विक्रेता विकास :

आपकी कंपनी विशेष अभियानों के माध्यम से और कुछ मामलों में तथा विशिष्ट अवसरों पर निःशुल्क पंजीकरण की पेशकश करके अपने विक्रेता आधार का विस्तार करने का प्रयास करती है। पूरे वर्ष में आपकी कंपनी ने 9 विक्रेता बैठकें (2 अ.जा./अ.ज.जा. और 1 महिला उद्यमी सहित) आयोजित कीं जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। इसके अलावा, आपकी कंपनी में 25 जनवरी 2022 को जारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के नवीनतम परिपत्र के निर्देशानुसार एक अद्यतन सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है जिसके तहत इसमें उल्लिखित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आपकी कंपनी ने कुल खरीद में से 3.22% की सामग्री व सेवाएँ महिला उद्यमियों से ली है जो 3 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। इसी प्रकार, कुल खरीद में से 1.71 प्रतिशत की खरीद अ.जा./अ.ज.जा उद्यमियों से की गई।

### गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) :

आपकी कंपनी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ क्रेता और विक्रेता दोनों के रूप में पंजीकृत है। GeM का उपयोग सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। वर्ष भर में आपकी कंपनी ने GeM के माध्यम से लगभग 5841.7 करोड़ रुपये (सकल व्यापारिक मूल्य) की सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की सफलतापूर्वक खरीद की हैं जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान लंबित आपूर्तियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित रु. 1602 करोड़ का GeM लक्ष्य भी पार कर लिया। यह आपकी कंपनी की सुव्यवस्थित खरीद प्रक्रियाओं के लिए GeM के सक्रिय जुड़ाव और उपयोग को दर्शाता है।

## 11. प्रदर्शनियाँ:

वर्ष के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। कुछ प्रदर्शनियों का विवरण छायाचित्रों सहित इस प्रकार है :



भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नवंबर, 2023 में एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान वी डी एल पेवेलियन पर वी डी एल के उत्पादों की जानकारी देते हुए वी डी एल के सी एम डी कमोडोर ए माधवारव (से.नि.)



ईजिप्ट डिफेंस एक्सपो-2023 के दौरान दि. 5 दिसंबर, 2023 को जनरल अर्थारिटी ऑफ मिलिटरी इंडस्ट्रीज़, साउदी अरेबिया ने वी डी एल स्टॉल का दौरा किया। प्रदर्शनी में रखे गये वी डी एल उत्पादों की जानकारी देते हुए कमोडोर ए माधवारव (से.नि.), सी एम डी, वी डी एल



दि. 14 सितंबर, 2023 को लंदन में आयोजित डी एस ई आई-2023 में माननीय रक्षा खरीद राज्यमंत्री, यू के को वी डी एल के उत्पादों की जानकारी देते हुए कमोडोर गिरीश आर प्रधान (से.नि.), अधिशासी निदेशक, वी डी एल



ईजिप्ट के रक्षा मंत्री व उनके अधिकारियों ने कायरो में आयोजित ईजिप्ट डिफेंस एक्सपो के दौरान वी डी एल स्टॉल का दौरा किया। इस अवसर पर वी डी एल के उत्पादों की जानकारी देते हुए कमोडोर ए माधवारव (से.नि.), सी एम डी, वी डी एल



## 12. निर्यात :

आपकी कंपनी ने अस्त्र प्रणालियों के निर्यात पर जोर बनाए रखा है। अपने उत्पादों की निर्यात क्षमता का पता लगाने, संभावित बाजार की पहचान करने और निर्यात अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए संव्यवहार विकास प्रभाग के अंतर्गत ही एक निर्यात सेल की स्थापना की गई है। आपकी कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पाद अत्याधुनिक हैं, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं, प्रतिस्पर्धी कीमत वाले हैं और किसी भी विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हैं। आपकी कंपनी मौजूदा सुविधाओं के साथ घरेलू और निर्यात दोनों मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। आकाश अस्त्र प्रणाली, एटीजीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल (अस्त्र), स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन, हेलिना (हवा से सतह पर मार करने वाले हथियार), कम वजन वाले टॉरपीडो, भारी टॉरपीडो (अंतर्जलास्त्र), काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम और एंटी-सबमरीन वारफेयर सूट (काउंटर मेजर सिस्टम) जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए कई लीड विभिन्न मित्र देशों से प्राप्त हुई हैं। इन देशों से प्राप्त लीड पर निर्यात सेल द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए निर्यात लक्ष्य प्राप्ति के लिए विदेशी ग्राहकों के साथ बातचीत की जा रही है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी ने मित्र देशों से कम वजन वाले टॉरपीडो, काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम, एटीजीएम और आकाश अस्त्र प्रणाली के निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। आपकी कंपनी के निर्यात योग्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई देशों में चैनल पार्टनर/एजेंट नियुक्त किए गए हैं। आपकी कंपनी ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और अन्य देशों के सशस्त्र बलों / रक्षा मंत्रालयों के प्रतिभागियों के साथ सीधी बैठकें और बातचीत करने की दृष्टि से विभिन्न विदेशी रक्षा प्रदर्शनियों में भी भाग लिया है। विदेशी देशों के हितधारकों के साथ बैठकें और दौरे की व्यवस्था करने के लिए भारतीय दूतावासों / रक्षा अताशे (डिफेंस अटैची) के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा, विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की योजना पर भी काम चल रहा है। 31 मार्च, 2024 तक बीडीएल की कुल निर्यात ऑर्डर बुक स्थिति ₹ 2420 करोड़ है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती सफलता को दर्शाती है।

## 13. आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशीकरण:

आपकी कंपनी 'आत्मनिर्भर भारत पहल' के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आपकी कंपनी किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद से ही प्रौद्योगिकी के देशीकरण पर काम शुरू कर देती है। आपकी कंपनी विशेषकर डी आर डी ओ और विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओ ई एम) के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) समझौते के तहत बनने वाली मिसाइलों की प्रौद्योगिकी के देशीकरण पर ध्यान देती है। विदेशी ओईएम द्वारा डिजाइन किए गए उत्पादों के लिए टीओटी केवल 60% तक होता है जबकि आपकी कंपनी ने अपनी स्वदेशीकरण पहल के तहत कई उत्पादों में 80% से 90% से अधिक का देशीकरण हासिल किया गया है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए उत्पादों में देशीकरण 90% से अधिक होता है जो आत्मनिर्भरता बढ़ाने के आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

इन प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए आपकी कंपनी रक्षा मंत्रालय के स्वदेशीकरण पोर्टल 'सृजन' का उपयोग भी कर रही है। बीडीएल ने पोर्टल पर 1197 आइटम अपलोड किए हैं जिसमें कंपनी द्वारा आयातित सभी आइटम शामिल हैं। इन वस्तुओं में से विक्रेताओं ने 440 वस्तुओं में रुचि दिखाई है और 98 के देशीकरण की घोषणा की जा चुकी है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनियों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा दे रही है, उनकी समस्याओं को परिभाषित किया जा रहा है ताकि वे काम कर सकें और समाधान विकसित कर सकें। इन कंपनियों के विकास को समर्थन देने और व्यावसायिक अवसर पैदा करने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर अभियान' के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रयास के उद्देश्य से चौथी सकारात्मक सूची जारी की है। आज की तारीख तक जारी इस सकारात्मक सूची में से 56 वस्तुएँ बी डी एल से संबंधित हैं जिन्हें निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा। कुल 56 वस्तुओं में से आपकी कंपनी ने 44 वस्तुओं का देशीकरण कर दिया है। शेष वस्तुओं का देशीकरण विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त दि. 04 अक्टूबर, 2023 को माननीय रक्षा मंत्री ने रक्षा उपक्रमों के लिए बहुत ही जटिल प्रणालियाँ, सेंसर, अस्त्र और आयुध सहित 98 रक्षा उत्पादों के देशीकरण से संबंधित पाँचवीं सकारात्मक सूची जारी की है जिसमें निर्दिष्ट समयसीमा से परे आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। इन 98 वस्तुओं में से 3 वस्तुएँ बी डी एल की हैं जो आपकी कंपनी के लिए अपने परिचालन का विस्तार करने का एक और अवसर प्रदान करती हैं।

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) कार्यक्रम में आपकी कंपनी की भागीदारी ने सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" दृष्टिकोण के अनुरूप एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है। इस साझेदारी के परिणामस्वरूप एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ जिसमें आपकी कंपनी, कंपनी के नवाचार और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक उद्यमियों और एमएसएमई के साथ काम कर रही है। आपकी कंपनी जैसे ओपन चैलेंज (OC) और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC) जैसी कई IDEX पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। आपकी कंपनी वर्तमान में अटॉनामस मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए 'स्केलेबल वायरलेस कम्यूनिकेशन नेटवर्क मॉड्यूल, 'विजुअल इमेज-वेड सीकर' जैसी परियोजनाओं के लिए स्टार्टअप के साथ काम कर रही है जो पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

इन पहलों के माध्यम से आपकी कंपनी औद्योगिक अनुभव और 'होम-ग्रोन स्टार्टअप' की सरलता का उपयोग करना जारी रखती है, अभूतपूर्व नवाचारों को आगे बढ़ाती है और आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

#### 14. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए जनशक्ति और पदों का आरक्षण :

14.1 कंपनी अनुसूचित भर्तियों में अ.जा./अज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस पदों के आरक्षण के संबंध में जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन कर रही है।

14.2 दि. 31 मार्च 2024 को कुल जनशक्ति संख्या 2401 (दो कार्यकारी निदेशकों सहित) है। कुल संख्या में से 80 पूर्व सैनिक हैं, 483 अनुसूचित जाति के हैं, 206 अनुसूचित जनजाति के, 801 ओबीसी श्रेणी और 07 ई डब्ल्यू एस श्रेणी के हैं। कर्मचारियों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 20.12% और 8.58% है।

14.3 दि. 31 मार्च 2024 तक विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की संख्या नीचे दी गई है:

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या									
	कुल मानव शक्ति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अ.पि.व.		ई डब्ल्यू एस	
	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
ग्रुप-ए'	768	805	147	149	84	86	201	187	7	4
ग्रुप-बी'	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0
ग्रुप-सी'	1472	1571	291	304	111	109	539	525	0	0
ग्रुप-डी'	149	171	41	46	11	14	58	66	0	0
अस्थायी	11	11	4	4	0	0	2	2	0	0
कुल	2401	2560	483	503	206	209	801	781	7	4

14.4 वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की भर्ती का विवरण इस प्रकार है :

पदों का वर्गीकरण	कुल जारी रिक्तियाँ	कुल भर्ती	पदों का आरक्षण				वर्ष 2023-24 के दौरान की गई भर्ती			
			(1)		(2)		(3)		(4)	
			अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
ग्रुप-ए'	68	34	10	6	15	6	6	3	9	3
ग्रुप-बी'	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ग्रुप-सी'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप-डी'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	71	34	10	6	16	6	6	3	9	3

#### 14.5 महिला नियोजन :

वर्ष 1995-96 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की सिफारिश संख्या 51, पैरा (ii) (ए) के अनुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पत्र क्रमांक 39(6)/99/डी(बी&सी), दिनांक 27 अगस्त 1999 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में 31 मार्च 2024 तक महिलाओं की रोजगार स्थिति नीचे दी गई है।

##### I. कार्यपालक

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
I	1	-	-
II	135	29	21.48
III	65	6	9.23
IV	231	36	15.58
V	134	20	14.93
VI	137	15	10.95
VII	53	3	5.66
VIII	8	-	-
IX	3	-	-
कार्यकारी निदेशक	1	-	-
सी एम डी	1	-	-
कुल	769	109	14.17

## II. कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
वेज ग्रुप-0	-	-	-
वेज ग्रुप-1	3	-	-
वेज ग्रुप-2	16	2	12.50
वेज ग्रुप-3	90	13	14.44
वेज ग्रुप-4	104	18	17.31
वेज ग्रुप-5	163	15	9.20
वेज ग्रुप-6	280	27	9.64
वेज ग्रुप-7	130	27	20.77
वेज ग्रुप-8	205	27	13.17
वेज ग्रुप-9	31	4	12.90
वेज ग्रुप-10	97	5	5.15
वेज ग्रुप-11	18	-	-
वेज ग्रुप-12	484	44	9.09
<b>कुल</b>	<b>1621</b>	<b>182</b>	<b>11.23</b>

### 14.6 दि. 31 मार्च 2024 तक दिव्यांग कर्मचारी (पीडब्ल्यूडी) :

दि. 31 मार्च 2024 तक दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 98 है और कुल कर्मचारियों में इसका प्रतिशत है 4.08% है।

	एच आई	एल डी	वी आई	कुल	Total
ग्रुप-‘ए’	7	7	12	1	27
ग्रुप-‘बी’	0	0	0	0	0
ग्रुप-‘सी’	8	18	37	0	63
ग्रुप-‘डी’	3	2	3	0	8
<b>कुल</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>98</b>

एच आई - श्रवण बाधित, एल डी - लोकोमोटिव विकलांगता, वी आई - दृष्टिबाधित, एम डी - मल्टी डिजेबिलिटी

## 15. मानव संसाधन विकास :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने कार्यपालक और कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारी विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दर्शायी है। इन कार्यक्रमों में लगभग 1,692 प्रतिभागियों ने भाग लिया और कुल मिलाकर 4,370 मानव दिवस प्रशिक्षण के लिए आबंटित किए गए। सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अधिकारी-कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आंतरिक और बाहरी एजेंसियों के परिसर में आयोजित किये गये।

### प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम व पहल :

#### 1. मिड-कैरियर डेवलपमेंट कार्यक्रम (एमसीडीपी) :

- कालावधि : दो सप्ताह (31.05.2023 से 14.06.2023)
- लक्ष्य ग्रुप / लाभार्थी ग्रुप : कंपनी में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके और न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष माध्यमिक स्तर के अधिकारी (प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, उप महाप्रबंधक)।
- फोकस : परिचालन प्रबंधकों को प्रबंधकीय प्रबंधकों में बदलना और साथ ही, मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशानुसार निदानात्मक सतर्कता।

#### 2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह :

- अक्तूबर और नवंबर माह के दौरान आयोजित।
- संरचना : दो चरणों में प्रशिक्षण। पहले चरण में बी डी एल के मुख्य सतर्कता अधिकारी और विषय विशेषज्ञों द्वारा (प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण) प्रशिक्षण कार्यक्रम। दूसरे चरण में इन प्रशिक्षित अधिकारियों ने दूसरों को प्रशिक्षण दिया।
- विषय : विभागीय जाँच, सार्वजनिक खरीद, प्रणालियाँ और क्रियाविधि, साइबर हाईजीन, नैतिक मूल्य और अभिशासन संबंधी विषयों में जाँच अधिकारी / प्रिंसाइडिंग अधिकारियों की भूमिका।

### 3. प्रभावी कार्य-स्थल संप्रेषण पर कार्यशाला :

- कालावधि : उद्यम की सभी इकाइयों में कुल 11 बैच में दो दिवसीय कार्यशालाएँ
- प्रतिभागी : आरंभिक से लेकर माध्यमिक स्तर के प्रबंधक (सहायक प्रबंधक, उप प्रबंधक, प्रबंधकगण)
- फोकस : संप्रेषण तथा प्रस्तुतीकरण कौशल जिससे इस कार्यशाला के बाद प्रतिभागी प्रभावी प्रस्तुतियाँ तैयार करने में और सक्षम हो सकें।
- आउटकम : ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों का जुड़ाव अच्छी प्रतिपुष्टि के साथ।

### 4. वित्तीय कल्याण और विविधता समावेशन पर आंतरिक कार्यशालाएँ :

- महिला दिवस समारोह के अंतर्गत दि. 11.03.2024 को आयोजित।
- बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (PwBDs) के लिए विशेष कार्यशाला : अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दि. 03.12.2023 को आयोजित।
- फोकस: वित्तीय कल्याण संबंधी ज्ञान में वृद्धि, विविधता को बढ़ावा देना और समावेशन।

इन पहलों का उद्देश्य है आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में अधिकारियों की समझ बढ़ाना, परस्पर संप्रेषण और प्रस्तुति कौशल में सुधार करना और अंततः उन्हें कंपनी की सफलता में योगदान देते हुए अपनी भूमिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से निर्वाह करने में सक्षम बनाना।

### 16. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं रहा जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार दिनांक 05 जून 2015, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

### 17. विदेश यात्राएँ :

आपकी कंपनी ने व्यवसायिक यात्राओं के लिए विदेश यात्रा पर रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान लगभग 2.76 करोड़ रुपये का व्यय किया।

### 18. औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण:

आपकी कंपनी, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन, एससी, एसटी, ओबीसी, पूर्व सैनिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों सहित सभी कर्मचारी वर्गों के सहयोग और समर्थन से सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखती है। कार्य समिति, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति और कल्याण समिति जैसी वैधानिक और गैर-वैधानिक समितियाँ कार्यस्थल में अनुशासन बनाए रखने में योगदान देती हैं।

आपकी कंपनी वैधानिक कल्याण प्रावधानों के अनुपालन का बड़ी बारीकी से पालन करती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना लागू है। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन, सभी संघों के साथ संगठन के सुचारू कामकाज के लिए प्रबंधन को पूर्ण समर्थन देता है।

### 19. सुरक्षा :

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कंचनबाग और भानूर स्थित दोनों इकाइयों में सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियुक्त है। पूरे वर्ष के दौरान सी आई एस एफ ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सी आई एस एफ टीम ने अत्यधिक संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए भौतिक उपायों और उन्नत प्रौद्योगिकी के संयोजन से मजबूत सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, सयंत्र सुरक्षा परिषद मौजूद है। सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए प्रबंधन और सी आई एस एफ दोनों की ओर से नियमित सुरक्षा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कंप्यूटरीकृत फोटो पहचान पत्र के अलावा, अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू किया गया है। सी सी टी वी निगरानी का दायरा बढ़ाने के लिए पूरे फैक्ट्री कारखाने परिसर में सी सी टी वी कैमरे लगाए गए हैं। डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और एक्स-रे बैगेज मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। भौतिकतः सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए बैरिकेड्स, बूम बैरियर और मोर्चा प्रदान किए गए हैं।

सुरक्षा सप्ताह और अग्निशमन सप्ताह मनाने के साथ-साथ नियमित सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है और आपात स्थिति और आग दुर्घटनाओं के दौरान की जाने वाली उचित कार्यवाहियों के बारे में सचेत किया जाता है।

## 20. संरक्षा :

आपकी कंपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एस एच ई) मानकों को बनाए रखने पर जोर देती है। कंपनी के भीतर 'SHE' प्रथाओं की निगरानी के लिए औद्योगिक सुरक्षा समिति और विस्फोटक सुरक्षा समिति नियमित रूप से बैठक करती हैं। औद्योगिक कार्य फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अनुपालन में किया जाता है, जबकि विस्फोटक सुरक्षा अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस) के तहत विस्फोटक भंडारण और परिवहन समिति (एस टी ई सी - 2017) रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करती है।

अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संरक्षा समिति की बैठकें आवधिक रूप से की जाती हैं और किसी भी सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा और इसके अनुपालन के लिए महाप्रबंधक / इकाई प्रधान द्वारा की जाती है।

औद्योगिक सुरक्षा ऑडिट तेलंगाना राज्य के फैक्ट्रियों के संयुक्त मुख्य निरीक्षक द्वारा आयोजित किए जाते हैं और किसी भी ध्यान में लायी गयी बात पर विधिवत अमल किया जाता है। नई दिल्ली में अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस) द्वारा वार्षिक विस्फोटक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किए जाते हैं और उनकी टिप्पणियों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। कंपनी ने मार्च, 2023 में बिना किसी गैर-अनुरूपता या टिप्पणियों के बाहरी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) प्रमाणन ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया।

53वाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अभियान दि. 4 से 11 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया। इस पूरे सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं जिनमें कार्यस्थलों पर संरक्षा प्रतिज्ञा दिलाना, संरक्षा बैज का वितरण, संरक्षा दिवस बैनरों का प्रदर्शन और संरक्षा पर हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में ब्लोगन लेखन, निबंध और भाषण जैसी प्रतियोगिताएँ शामिल थीं। सुरक्षा प्रचार गतिविधियों के हिस्से के रूप में बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन पर सुरक्षा प्रश्नोत्तरी और प्रदर्शन भी आयोजित किए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में औद्योगिक और विस्फोटक सुरक्षा पर कर्मचारियों के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों प्रशिक्षण सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

## 21. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण:

कंपनी की पर्यावरण नीति के अनुसार, आपकी कंपनी पर्यावरण के अनुकूल तरीके से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इन प्रमुख पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं:

- पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्रकार के प्रदूषण रोकना।
- अनुपालन उत्तरदायित्वों को पूरा करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए लगातार सुधार करते रहना।

आपकी कंपनी विभिन्न पहल व प्रमाणन को लागू करके पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती है। बी डी एल की तीनों इकाइयाँ – कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम में लागू प्रमुख पर्यावरणीय प्रबंधन उपाय इस प्रकार हैं :

### पर्यावरणीय प्रबंधन संबंधी प्रमुख प्रथाएँ :

#### 1. आई एस ओ 14001:2015 प्रमाणन :

- प्रदूषण स्तर का आकलन करने और आवश्यक कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाइयों को आईएसओ 14001: 2015 (ईएमएस) पुनः प्रमाणित किया गया है।

#### 2. अपशिष्ट प्रबंधन:

- प्लास्टिक उपयोग में कमी : प्लास्टिक उपयोग को रोकने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया।
- ई-अपशिष्ट और हानिकारक अपशिष्ट : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से इसका निपटारा किया जाता है।
- ठोस अपशिष्ट : लौह और अलौह धातुओं जैसे ठोस अपशिष्ट का निपटारा भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स एम एस टी सी के माध्यम से किया जाता है।
- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट : इसका भी निपटारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।
- हाउसकीपिंग: स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रथाओं को बनाए रखा जाता है।

#### 3. शून्य तरल निसरण प्रणाली :

- अपशिष्ट उपचार : अपशिष्ट उपचार संयंत्र से उपचारित पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस (आर ओ) के माध्यम से अतिरिक्त उपचार से गुजरना पड़ता है।
- उपचारित पानी का उपयोग :
  - आर ओ उपचारित पानी का उपयोग डी एम वाटर के उत्पादन के लिए डिमिनेरलाइज्ड वाटर (डीएम) संयंत्र में किया जाता है।
  - डी एम वाटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप, सीएनसी मशीन और वर्कशॉप में प्रवाह बनाने वाली मशीनों में किया जाता है।
- बागवानी : सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित पानी का उपयोग परिसर के भीतर बागवानी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

#### 4. ऑडिट और निगरानी :

- आंतरिक और निगरानी ऑडिट : उद्यम की सभी इकाइयों में प्रमाणन निकाय द्वारा नियमित अंतराल पर ऑडिट किये जाते हैं।
- पर्यावरणीय मापदंडों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है :
  - परिवेशी वायु गुणता, डी जी सेट / वेंचुरी स्क्रबर्स की स्टैक गुणता, सीवेज उपचार संयंत्र, अपशिष्ट उपचार संयंत्र
  - निर्दिष्ट आवृत्तियों के अनुसार शोर स्तर का परीक्षण
- संसाधनों की निगरानी : अलग-अलग जल मीटरों का उपयोग कर पानी की मात्रा की निगरानी की जाती है। साथ ही, सहमत शर्तों के अनुपालन के लिए बिजली की खपत की भी निगरानी की जाती है।

#### विश्व पर्यावरण दिवस - 2023 का उत्सव :

आपकी कंपनी में पर्यावरण संबंधी जागरूकता व उचित प्रथाओं पर बल देते हुए इसकी सभी इकाइयों में विश्व पर्यावरण दिवस 2023 बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

##### 1. उत्सव और प्रतियोगिताएँ :

तारीख : दि. 6 जून, 2023

विषय : प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम

गतिविधियाँ :

उचित जगहों पर बैनर प्रदर्शन

पौधारोपण

केंद्रीय विषय पर श्लोगन लेखन, निबंध लेखन व प्रश्न-मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन

समापन समारोह के दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार-वितरण

##### 2. मिशन LiFE (लाइफ फॉर एनवायरनमेंट) जागरूकता कार्यक्रम :

- जन जागरूकता कार्यक्रम : रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित।
- सभी इकाइयों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम :
  - **LiFE सेंटर सेटअप:** पुराने कपड़े, किताबें और बर्तन एकत्रित करने के लिए केंद्र स्थापित। इस तरह एकत्रित सामग्री गरीब व अनाथालयों को वितरित की गई।
  - **साइकिल रैलियाँ :** LiFE मिशन को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया।
  - **वर्षा जल संचयन:** जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन स्ट्रक्चर्स का निर्माण।
  - **प्लास्टिक संग्रह अभियान:** प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर सही तरीके से उसके निपटाने की पहल।
  - **LiFE जागरूकता मॉड्यूल:** पर्यावरणीय स्थिरता पर कर्मचारियों को जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्यतः LiFE जागरूकता मॉड्यूल को शामिल करना।

इन व्यापक गतिविधियों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर, आपकी कंपनी ने पर्यावरणीय स्थिरता, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और मिशन LiFE पहल को बढ़ावा देने के लिए अपनी सशक्त प्रतिबद्धता दिखाई है। ये प्रयास जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों और व्यापक समुदाय के बीच स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में योगदान देते हैं।



24

पर्यावरण दिवस-2023 के अवसर पर कंचनबाग इकाई, भानूर इकाई और विशाखापट्टणम इकाइयों में केंद्रीय विषय पर आधारित श्लोगन लेखन, निबंध लेखन और प्रश्न-मंच प्रतियोगिताएँ आयोजित। सभी इकाइयों में कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।



LiFE पहल के तहत भू-जल स्तर में वृद्धि लाने के उद्देश्य से कंचनबाग इकाई और भानूर इकाइयों में वर्षा जल संचयन 'पिट' का निर्माण किया गया।



विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित श्री डी नरेंद्र, वरिष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर, टी एस पी सी बी ने वर्ष के केंद्रीय विषय 'प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण' पर एक व्याख्यान दिया। इस अवसर पर उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग कम करने का सुझाव देते हुए एकल प्रयुक्त प्लास्टिक के संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।



25

विश्व पर्यावरण दिवस-2023 के अवसर पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से भानूर इकाई तथा आवास-समुदाय के उचित स्थानों पर पोस्टर व बैनर प्रदर्शित।



वर्ष के केंद्रीय विषय 'प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण' के अनुरूप भानूर इकाई में प्लास्टिक संग्रह अभियान चलाया गया।



भानूर इकाई में गंडिपेट कल्याण समाज, हैदराबाद की ओर से टोस अपशिष्ट के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम के दौरान 'जन जागरूकता कार्यक्रम' के अंतर्गत वर्ष का केंद्रीय विषय 'प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण' के अनुरूप कपडे की थैलियाँ वितरित की गईं।



भानूर इकाई में कमोडोर गिरीश रघुनाथ प्रधान (से.नि.), अधिशासी निदेशक (इकाई प्रधान – भानूर इकाई) ने अन्य कोर-टीम सदस्यों के साथ मिलकर 'पौधारोपण' कार्यक्रम का उद्घाटन किया।



श्री आर सिम्हाचलम, इकाई प्रधान – विशाखापट्टणम इकाई ने विशाखापट्टणम इकाई में पौधारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यपालक, यूनियन के प्रतिनिधि व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

## 22. गुणता :

आकाश, सीपी-आईजीएमपी, डिजाइन और इंजीनियरिंग, कंचनबाग इकाई, भानूर और विशाखापट्टणम इकाइयों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग सहित सभी उत्पादन प्रभागों/इकाइयों को एस 9100डी - एयरोस्पेस गुणता प्रबंधन प्रणाली मानक से प्रमाणित किया गया है। कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम की इकाइयाँ ISO 14001: 2015 (EMS) से भी प्रमाणित हैं जो एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक है। निगम कार्यालय ISO 9001:2015 (QMS) से प्रमाणित है जो गुणता प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित है। मेटैरियल टेस्टिंग लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और स्टैंडर्ड लैब्स ISO/IEC 17025:2017 से प्रमाणित हैं, यह परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की क्षमता से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग एएफक्यूएमएस (वायु सेना गुणता प्रबंधन प्रणाली) से प्रमाणित है। इसके अलावा, बीडीएल के पास सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आई एस एम एस) के लिए आईएसओ / आईईसी 27001:2013 प्रमाणन भी है।

सभी आईएसओ / एएस प्रमाणित प्रभागों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा आयोजित किए जाते हैं जबकि निगरानी ऑडिट प्रमाणन निकायों द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार। कंचनबाग इकाई के आकाश प्रभाग को हाल ही में मेसर्स नोवो स्टार मैनेजमेंट सिस्टम्स सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु द्वारा एयरोस्पेस मानक (AS 9100:2016) के साथ फिर से प्रमाणित किया गया है।

इन प्रमाण-पत्रों के अलावा, आपकी कंपनी ग्राहक बैठक और उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि में लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रक्रियाओं में सुधार लाने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ लागू की जाती हैं।

## 23. राजभाषा कार्यान्वयन :

- 23.1** कंपनी में राजभाषा अधिनियम-1963 (संशोधित 1967) का कार्यान्वयन और इसके अंतर्गत बने नियमों का अनुपालन सुनिश्चित रखा गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें सीएमडी और निदेशकों की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा के प्रयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत की जाती है।
- 23.2** राजभाषा अधिनियम, 1963 और राष्ट्रपति आदेशों के अनुपालन में संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी कागजात, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन और विभिन्न संसदीय समितियों और प्रतिनिधि मंडलों के लिए संक्षिप्त जानकारी द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत की गई। संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने 11 जुलाई, 2023 को वीडिओ-विशाखापट्टणम इकाई के राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण और समीक्षा की।
- 23.3** संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के क्रम में उद्यम के उच्चाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान दि. 12 जून, 2023; दि. 05 सितंबर, 2023; दि. 22 नवंबर, 2023; दि. 05 दिसंबर, 2023; दि. 06 फरवरी, 2024 और 05 मार्च, 2024 को 'हिंदी कार्यशालाओं की शृंखला' का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं के दौरान संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के लिए कार्य-योजना तैयार कर इस पर विस्तार से चर्चा की गई और बाद में यह कार्य-योजना लागू की गई। साथ ही, दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रभावी बनाने में उपयोगी और राजभाषा विभाग, भारत सरकार की ओर से विकसित स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ' की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों से इसका अभ्यास भी कराया गया।
- 23.4** उद्यम के नव नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए दि. 01 नवंबर, 2023 को राजभाषा हिंदी से संबंधित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक (मा.सं.-रा.भा.) ने अपने व्याख्यान में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कार्यपालकों की भूमिका समझायी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की अपील की।
- 23.5** तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ उद्यम में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों को शामिल करते हुए तैयार उद्यम की हिंदी ई-पत्रिका 'बी डी एल भारती' का सी एम डी के करकमलों से विमोचन कर दि. 26 मार्च, 2024 को सभी को जारी किया गया।
- 23.6** वर्ष के दौरान निगम कार्यालय और उसकी सभी इकाइयों में 14 से 27 सितंबर 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान निगम कार्यालय, कंचनबाग इकाई, भानूर इकाई और विशाखापट्टणम इकाई के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इसके अलावा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दि. 14 से 15 सितंबर, 2023 तक पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित 'हिंदी दिवस एवं तृतीय राजभाषा सम्मेलन' में बी डी एल की ओर से प्रतिभाग लिया गया। हिंदी पखवाड़े का समापन कार्यक्रम 27 सितंबर 2023 को सीएमडी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर निदेशकगण, इकाई प्रधान सहित सभी उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ-साथ पूरे वर्ष हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

- 23.7** हैदराबाद स्थित उपक्रमों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 'ग' क्षेत्र में 'दक्षिण क्षेत्रीय नराकास राजभाषा सम्मान' से सम्मानित किया गया। इस समिति में कुल 36 सदस्य कार्यालय शामिल हैं। "राजभाषा शील्ड" युक्त यह पुरस्कार सीएमडी, वीडिएल और अध्यक्ष, नराकास (उ) की उपस्थिति में श्री एन श्रीनिवासूलू, सेवानिवृत्त निदेशक (वित्त) ने श्री अजय कुमार मिश्र, माननीय गृह राज्य मंत्री के करकमलों से एच ए एल, बेंगलूरु में आयोजित एक भव्य समारोह में ग्रहण किया। श्री होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन-राजभाषा) और सदस्य सचिव, नराकास (उ) को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वी डी एल की ओर से संचालित नराकास गतिविधियों के लिए यह सातवां अवसर है जब इसे दक्षिण क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 23.8** वीडिएल को 36 उपक्रम सदस्य कार्यालयों की सदस्यता वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उ) के कामकाज का काम सौंपा गया है। इसकी मई और अक्तूबर में नियमित अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। पहली छमाही बैठक दि. 29 मई, 2023 को आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान समिति की गृह पत्रिका 'पथिक' का 20 वां अंक जारी किया गया। दूसरी छमाही बैठक दि. 27 अक्तूबर, 2023 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए नराकास शील्ड / ट्राँफी / कप और उत्तम पत्र-पत्रिका पुरस्कार प्रदान किए गए। इन बैठकों की अध्यक्षता वीडिएल के सीएमडी और इस समिति के अध्यक्ष ने की।
- 23.9** न रा का स (उ) के तत्वावधान में समिति के छोटे सदस्य कार्यालयों के लिए एक '**संयुक्त हिंदी कार्यशाला**' का आयोजन दि. 23 जनवरी, 2024 को किया गया। इसी प्रकार दि. 30 जनवरी, 2024 को कार्यालय प्रमुख, प्रशासनिक प्रधान, हिंदी अधिकारी और सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए एक '**राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम**' आयोजित किया गया।
- 23.10** गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस समारोह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा और संविधान दिवस कार्यक्रम हिंदी-अंग्रेजी में आयोजित किये गये। कंपनी की हिंदी वेबसाइट नियमित रूप से अपडेट की जाती है। संगठन के अधिकारी और कर्मचारियों ने नराकास (उ) द्वारा आयोजित अंतर उपक्रम प्रतियोगिताओं में भाग लिया और चार पुरस्कार भी जीते।
- 23.11** हिंदी को बढ़ावा देते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकारी और कर्मचारियों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में हिंदी मिलाप, स्वतंत्र वार्ता, डेली शुभ-लाभ समाचार-पत्र और अनुवाद, साहित्य अमृत, आविष्कार, योजना, हिंदी रोजगारा समाचार, प्रतियोगिता दर्पण, मेरी सहेली, हंस जैसी हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ नियमित रूप से मँगाई जाती हैं। इसी उद्देश्य से सालाना सभी विषयों पर लोकप्रिय हिंदी किताबें भी खरीदी जाती हैं।

#### 24. सतर्कता :

- 24.1** निवारक/सक्रिय सतर्कता कंपनी के सतर्कता विभाग का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। अपने सक्रिय सतर्कता उपाय के एक भाग के रूप में, विभाग ने ई-रिवर्स नीलामी, भर्ती, विभागीय पदोन्नति, आरक्षण, संवेदनशील क्षेत्र रोटेशन, सिविल कार्य और सेवा अनुबंध आदि क्षेत्रों में 14 प्रणालीगत सुधार सुझाव जारी किए जिनमें से रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कई सुझाव कार्यान्वित किए गए हैं। इन सभी प्रणालीगत सुधारों का संक्षिप्त विवरण वीडिएल वेबसाइट <https://bdl-india.in> पर दिया गया है।
- 24.2** अपने निवारक सतर्कता दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मुख्य सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के आरंभ के तौर पर तीन माह के अभियान के रूप में दि. 16.08.2023 से 15.11.2023 के दौरान वी डी एल की सभी इकाइयों में निम्नलिखित सतर्कता निवारक गतिविधियाँ आयोजित की गईं :
- सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पिडपी) संकल्प के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम
  - दक्षता निर्माण कार्यक्रम
  - प्रणालीगत सुधार सुझावों की पहचान और इनका कार्यान्वयन
  - शिकायत निपटान के लिए आई टी का उपयोग
  - परिपत्र / दिशा-निर्देश / मैनुअल का अद्यतन
  - दि. 30.06.2023 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान
- 24.3** केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), नई दिल्ली की एक विस्तारित शाखा होने के नाते विभाग ने आयोग, रक्षा मंत्रालय और कंपनी के निदेशक मंडल को विभिन्न रिपोर्टें (जैसे मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक और सीटीई प्रकार) प्रस्तुत की हैं। विभाग ने भर्ती, पदोन्नति, आमेलन, स्थायीकरण, विदेशी दौरे, संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती आदि मामलों में कर्मचारियों को सतर्कता मंजूरी भी दी है। विभाग ने सीवीसी की शिकायत प्रबंधन नीति के अनुसार शिकायतों के निपटारे को भी प्राथमिकता दी है।



दि. 18.10.2023 को बी डी एल कंचनबाग दौरे के दौरान 'मुख्य सतर्कता आयोग के परिपत्र-2023' का सार-संग्रह, सतर्कता विभाग द्वारा सुझाये गये प्रणालीपरक सुधार और इन पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित पुस्तिका का विमोचन करते हुए श्री पी डैनियल, आई डी ई एस, सचिव, मुख्य सतर्कता आयोग

- 24.4** अभियान अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के अंतर्गत बी डी एल से प्राप्त निमंत्रण स्वीकार करते हुए श्री पी डैनियल, आई डी ई एस, सचिव, मुख्य सतर्कता आयोग ने दि. 18.10.2023 को बी डी एल कंचनबाग इकाई का दौरा किया। कंपनी के इस पहले दौरे के अवसर पर श्री पी डैनियल को बी डी एल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.) ने बी डी एल के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. उपेंद्र वेन्नम, आई पी ओ एस ने बी डी एल में हो रही सतर्कता गतिविधियों और अभियान अवधि के दौरान की जा रही निवारक सतर्कता गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति दी। उच्चाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक में सभी को संबोधित करते हुए सचिव, मुख्य सतर्कता आयोग ने बी डी एल में की जा रही सतर्कता संबंधी पहलों की सराहना की। उन्होंने सभी गतिविधियों में पारदर्शिता की आवश्यकता और कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सचिव ने सभी को अनियमितताओं के बारे में सतर्क रहने और सचेत करने का आह्वान किया।
- 24.5** सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सतर्कता विभाग की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें' थीम के साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड की सभी इकाइयों में दि. 30.10.2023 से 05.11.2023 तक मनाया गया। इसकी शुरुआत दि. 30.10.2023 को बी डी एल – कंचनबाग इकाई में कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 'नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' दिलाने के साथ हुई। निगम कार्यालय, भानूर इकाई, विशाखापट्टणम इकाई और इब्राहीमपट्टणम इकाई के अधिकारी-कर्मचारियों ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समारोह में भाग लिया और अखण्डता की शपथ ली। इसके बाद निदेशकों द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय उप राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधान मंत्री के संदेशों का पाठ किया गया और मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सभी को सी वी सी का संदेश सुनाया गया। यह कार्यक्रम वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कंपनी की सभी इकाइयों में लाइव मोड पर आयोजित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान बी डी एल के कुल 2727 कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली।
- 24.6** सतर्कता और दैनिक जीवन में इसके महत्व के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के दौरान कर्मचारी, उनके पति/पत्नी और कर्मचारियों के बच्चों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर निबंध लेखन, भाषण, श्लोक लेखन, पोस्टर/कोलॉज बनाने जैसी विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विद्यार्थियों के लिए अखण्डता की प्रतिज्ञा दिलाई गई। विभिन्न कार्यक्रमों में और इसके वाद-विवाद कार्यक्रमों में युवा पीढ़ी को शामिल करने पर विशेष बल दिया गया।
- 24.7** सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के आयोजन के क्रम में आई ओ तथा पी ओ की भूमिका, नैतिक मूल्य और अभिशासन, सार्वजनिक खरीद, साइबर हाईजीन तथा सुरक्षा, संगठन की प्रणालियाँ व पद्धतियाँ, मुख्य सतर्कता आयोग की शिकायत नीति और अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया से संबंधित मामलों पर कर्मचारियों के लिए जागरूकतापरक कार्यक्रम कंपनी की सभी इकाइयों में आयोजित किये गये।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें' - की थीम पर बी डी एल के कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर जनता को जागरूक करने के लिए कंपनी की सभी इकाइयों में प्रमुख स्थानों पर इस थीम पर बैनर प्रदर्शित किये गये। सार्वजनिक स्थानों पर भी नागरिकों को सी वी सी 'ई-अखण्डता प्रतिज्ञा' लेने के लिए प्रोत्साहित करने सी वी सी वेबसाइट का एक लिंक बी डी एल वेबसाइट पर होस्ट किया गया था। सभी कर्मचारियों को 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023' का हिस्सा बनने और <http://pledge.cvc.nic.in> लिंक पर क्लिक करके सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संक्षिप्त टेलीफोन संदेश भी भेजे गए।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के अवसर पर जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) के प्रावधान से संबंधित पोस्टर सहित बैनर प्रदर्शित

- 24.8 समाज पर भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव और जीवन में आत्मनिर्भरता और अखण्डता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दि. 31.10.2023 को बी डी एल भानूर इकाई द्वारा शंकरपल्ली गाँव में 'वाँकथॉन' का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता अभियान में छात्र और युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से शंकरपल्ली नगर पालिका के अनुसूचित जाति छात्रावास के छात्रों ने वाँकथॉन में भाग लिया। श्री एल किशन, महाप्रबंधक (इकाई प्रधान – भानूर इकाई) और श्री एस गोविंद राजुलू, अपर महाप्रबंधक (सतर्कता) ने नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ वाँकथॉन को झंडी दिखाई। इस अवसर पर जनता को अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को 'न' कहकर राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता से अवगत कराया गया। साथ ही, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को दर्शाने वाले प्लकार्ड व बैनर प्रदर्शित किये गये।
- 24.9 बी डी एल के निगम वाणिज्यिक विभाग द्वारा 06.11.2023 को कंचनबाग इकाई में एक विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पूरे भारत के विक्रेताओं को बी डी एल की व्यावसायिक संभावनाओं का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था और इसमें 160 से अधिक विक्रेताओं ने भाग लिया। कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.) ने इसका उद्घाटन करते हुए बी डी एल की सफलता में विक्रेताओं के योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला। कंपनी के स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक श्री जे के खन्ना, आई पी एस (से.नि.) और श्री ए शेषगिरी राव, आई आर एस एस ई (से.नि.) ने बैठक में भाग लिया और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. उपेंद्र वेन्म, आई पी ओ एस ने विक्रेताओं को 'नागरिकों के लिए अखण्डता प्रतिज्ञा' दिलायी और निर्भरता कम करने, प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एकाधिक विक्रेता विकास पर जोर दिया। विक्रेता मिलाप के दौरान माननीय सी वी सी की ओर से शेर किये गये वीडियो और जिंगल-2023 प्रदर्शित किये गये।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के समापन समारोह के दौरान दि. 07.11.2023 को वार्षिक सतर्कता न्यूज़लेटर 'चेतना' के चौथे अंक का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि श्री रवि गुप्ता, आई पी एस, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तेलंगाना।

**24.10** सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 का समापन समारोह दि. 07.11.2023 को कंपनी की कंचनबाग इकाई में आयोजित किया गया। श्री रवि गुप्ता, आई पी एस, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तेलंगाना इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कर्मचारियों को संबोधित किया। श्री रवि गुप्ता ने उपस्थितों के साथ अपना अनुभव साझा किया और इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत जीवन में भ्रष्टाचार को 'न' कहने से देश का विकास संभव हो पाता है। कार्यक्रम में सी एम डी, निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गणमान्य व्यक्तियों ने कर्मचारियों को हर समय नैतिक व्यवहार करने और संगठन और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

## 25. रिश्वत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति :

आपकी कंपनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति 'शून्य' सहनशीलता का दृष्टिकोण रखती है। आपकी कंपनी सभी प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या निजी क्षेत्र के व्यक्ति या कोई कंपनी ही क्यों न हो अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। इस दिशा में निदेशक मंडल ने रिश्वत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति को मंजूरी दे रखी है और इसे कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/sites/default/files/2024-04/BDL%20ACAB%20Policy.pdf> पर भी दिया गया है।

## 26. निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कर्मी :

**26.1** कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक (यानी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक) शामिल हैं जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड / खोज समिति के माध्यम से तय किया जाता है। सरकार की ओर से किये जाने वाले इस कार्य में कंपनी के प्रासंगिक नियमों की प्रयोज्यता के प्रावधान सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत नियम और शर्तों की भी जानकारी रहती है।

**26.2** सरकार द्वारा नामित निदेशक किसी पारिश्रमिक / आसीन शुल्क के हकदार नहीं होते हैं। स्वतंत्र निदेशक (यानी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक) सरकारी निर्देश, वैधानिक कृत्य और विनियमों पर विचार करते हुए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आसीन शुल्क के हकदार होते हैं।

### 26.3 स्वतंत्र निदेशक (अर्थात गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक)

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दि. 03 जनवरी, 2022 की अपनी पत्र सं. DDP-M0001(II)/1/2018-D (BDL) और दि. 24.02.2023 की पत्र सं. DDP-M0001(11)/1/2018-D (BDL) के माध्यम से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

#### स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर वक्तव्य :

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत घोषणा की है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 149 (6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

**26.4** वर्ष के दौरान श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन) और श्री एन श्रीनिवासुलू, निदेशक (वित्त) क्रमशः दि. 30 जून, 2023 और दि. 31 जनवरी, 2024 को सेवानिवृत्त हुए। इसके परिणामस्वरूप बीडीएल के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त हुआ। निदेशक मंडल ने उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

**26.5** रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार कमोडोर ए माधवाराव, (से.नि.), सी एम डी को और निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त कार्यभार श्री पी वी राजाराम, निदेशक (उत्पादन) को सौंपा।

**26.6** श्री एन श्रीनिवासुलू, निदेशक (वित्त) के दि. 31 जनवरी, 2024 को निदेशक (वित्त) तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्ति के क्रम में कंपनी के वित्त विभाग की अध्यक्षता करने वाले श्री जी गायत्री प्रसाद, महाप्रबंधक (वित्त) को दि. 21 मार्च, 2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी (के एम पी) के रूप में नियुक्त किया गया।

**26.7** कंपनी अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, श्री पी वी राजाराम, निदेशक (उत्पादन) रोटेशन के आधार पर आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और वे पात्र हैं अतः खुद की पुनर्नियुक्ति के लिए माँग कर सकते हैं।

### 26.8 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल की कुल पाँच (5) बैठकें – दि. 25 मई 2023; दि. 04 अगस्त 2023; दि. 03 नवंबर, 2023; दि. 24 जनवरी, 2024 और दि. 21 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं।

### 26.9 प्रदर्शन मूल्यांकन :

निदेशक मंडल के मूल्यांकन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को इससे आवश्यक छूट प्राप्त है। इसके अलावा, आपकी कंपनी को भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा SEBI (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ {LODR}) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत इसकी पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DIL1/OW/P/2018/1679/ 1 दि. 17 जनवरी 2018 के तहत भी इसी तरह की छूट दी गई है।

## 26.10 निदेशक मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल की ओर से निम्नलिखित सांविधिक समितियों का गठन किया गया है और ये समितियाँ अपनी-अपनी भूमिकाओं व कार्य-क्षेत्र के अनुरूप काम करती हैं :

- लेखापरीक्षा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- हितधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति

इन समितियों की संरचना, विचारार्थ विषय, वर्ष के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या आदि से संबंधित विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का अंग नैगमिक सामाजिक अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

## 27. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य :

संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134 (5) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि :

- वार्षिक लेखाओं की तैयारी में सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखा-नीतियों का चयन कर इसे इस प्रकार लगातार लागू किया कि किए गए निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण रहे ताकि दि. 31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति और कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष रूप सामने आ सके।
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
- निदेशकों ने चलायमान पद्धति के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।
- निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं जिनका कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ये प्रणालियाँ पर्याप्त रहीं और प्रभावी ढंग से काम कर सकीं।

## 28. महत्वपूर्ण एवं सामग्री आदेश :

नियमकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की मौजूदा स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

## 29. वित्तीय विवरण की तिथि के बाद की घटनाएँ :

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ जो दि. 31 मार्च 2024 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुई हैं - शून्य।

## 30. लेखापरीक्षा समिति:

वर्ष 2023-24 के दौरान, ऑडिट कार्यों के कवरेज सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और उनकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। संरचना, संदर्भ की शर्तों आदि का विवरण नैगमिक अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आगे, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार की गई हैं।

## 31. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता विकास :

**31.1** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, निगम मामले मंत्रालय और डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा जारी विभिन्न स्पष्टीकरण / संशोधनों के साथ, कंपनी ने विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की हैं। सीएसआर नीति, कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम-2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप संचालित की जाती हैं जो सीएसआर नीति में विधिवत शामिल हैं और हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुरूप नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) (कृपया नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट देखें) पर बोर्ड स्तरीय समिति है। इस समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं/गतिविधियों को दर्शाते हुए निदेशक मंडल को सीएसआर नीति की सिफारिश की है।

- 31.2** आपकी कंपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सचेत है। आपकी कंपनी ने विभिन्न योजनाओं को प्रायोजित करके नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछड़े/अल्प विकसित क्षेत्रों में भी कदम रखा है।
- 31.3** सीएसआर के तहत फोकस के मुख्य क्षेत्र स्वास्थ्य संरक्षण, पोषण, शिक्षा और साक्षरता, कौशल विकास और सतत आजीविका, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल आदि हैं। आपकी कंपनी ने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल और फोकस के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में गाँवों को भी अपनाया है जहाँ मानव जीवन की आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, पानी और अन्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- 31.4** सीएसआर और एसडी गतिविधियों की समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सीएसआर और एसडी पर एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट के रूप में वर्ष 2023-24 के दौरान की गई गतिविधियाँ **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।
- 31.5** वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर एवं एसडी के तहत दायित्व 936.94 लाख रुपये का था। इस लक्ष्य के मुकाबले कंपनी ने इस विषय में 1017.73 लाख रुपये का व्यय किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक 100% सीएसआर लक्ष्य हासिल किया है। संचालित सीएसआर गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/sites/default/files/2023-07/Board%20approved%20CSR%20Projects%20for%20the%20FY%202023-24.pdf> पर दिया गया है।



बी डी एल की सभी इकाई/ कार्यालयों में महात्मा गाँधी की स्मृति में एक महीने का स्वच्छता अभियान 3.0 चलाया गया। गाँधी जयंती के अवसर पर आयोजित 'श्रमदान' कार्यक्रम में कमोडोर ए माधवारव (से.नि.), निदेशकगण, उच्चाधिकारी व कर्मचारीगण सहित भाग लिया।

### 32. जोखिम प्रबंधन :

कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के जोखिमों की पहचान और विश्लेषण के माध्यम से जोखिम को समाप्त करना या कम करना है और जोखिम शमन उपाय करने के लिए समय पर कार्रवाई की सुविधा प्रदान करना है। नीति में परिकल्पना की गई है कि सभी कार्यक्रम, परियोजना समीक्षाएँ समापन और शमन योजनाओं पर हस्ताक्षर करने तक जोखिम शमन योजनाओं की प्रगति को उजागर करेंगी।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार, कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति और उसके संदर्भ की शर्तों, जोखिम प्रबंधन नीति आदि का विवरण नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

### 33. वार्षिक रिटर्न :

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/annual-reports> पर उपलब्ध है।

### 34. संबंधित पार्टी लेनदेन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इस प्रकार, फॉर्म एओसी-2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। सदस्यगण, संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण के लिए खातों की टिप्पणियाँ देख सकता है। संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए नीति कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/sites/default/files/2023-06/Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions.pdf> पर अपलोड कर दी गई है।

### 35. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिया गया है।

### 36. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च :

सार्वजनिक रक्षा उपक्रम होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के तहत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च संबंधी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। निगम मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी एस आर सं. 680 ई दि. 04 सितंबर, 2015 के तहत सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को इनसे छूट प्राप्त है।

### 37. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली:

आपकी कंपनी ने वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ स्थापित की हैं। उनकी पर्याप्तता सुनिश्चित करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए बाहरी ऑडिट फर्मों को नियुक्त किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा फर्मों की रिपोर्टों के साथ-साथ आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण, समीक्षा और सलाह के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा और रिपोर्ट सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की जाती है। वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक खुलासे किए गए हैं। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण सरकारी लेखापरीक्षा के अधीन भी है।

### 38. लेखापरीक्षक :

#### वैधानिक लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स तेज राज अण्ड पॉल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हैदराबाद को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षकों ने खातों की लेखापरीक्षा की और इसमें कोई कमी, अपवाद या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) की टिप्पणियाँ वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न हैं।

#### लागत लेखा परीक्षक :

आपकी कंपनी ने मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, लागत लेखाकार, हैदराबाद को कंपनी के लागत रिकॉर्ड के ऑडिट के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागतलेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया। कंपनी अपनी विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखती है।

#### सचिवीय लेखापरीक्षक :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स नरेंद्र एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस पंजीकरण नंबर 5024) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

### 39. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन :

सेबी लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और इसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया।

### 40. लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग :

वर्ष के दौरान न तो सांविधिक लेखापरीक्षक और न ही सचिवीय लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (2) के तहत लेखापरीक्षा समिति / निदेशक मंडल को अपने अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ किए गए धोखाधड़ी के किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है जिसका विवरण और उल्लेख निदेशक मंडल की रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है।

### 41. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए नैगमिक अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

### 42. नैगमिक अभिशासन :

**42.1** नैगमिक अभिशासन सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं के अनुप्रयोग, कानूनों के अनुपालन और नैतिकता के पालन से संबंधित है जो हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन से कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानक है। कंपनी के पास व्यावसायिकता प्रदान करने के लिए एक सुस्थापित, पारदर्शी और निष्पक्ष जवाबदेही प्रशासनिक व्यवस्था है।

- 42.2** डीपीई की कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005-जीएम, दिनांक 14 मई 2010 के तहत सीपीएसई के लिए नैगमिक अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संदर्भ में, नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट के साथ एक पेशेवर कंपनी सचिव से नैगमिक अभिशासन संबंधी शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।
- 42.3** नैगमिक अभिशासन पर त्रैमासिक और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंज और रक्षा मंत्रालय को भेजी जा रही है।
- 42.4** आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकें तथा आम सभाओं के आयोजन के संबंध में भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
- 42.5** दिवालिया कोड, 2016 के तहत न कोई कार्यवाही की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है। साथ ही, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान की घटना नहीं पाई गई है।
- 42.6** कंपनी के कार्य-व्यापार की प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है।

#### 43. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाई की जाती है। अधिकारियों पर लागू बीडीएल सीडीए नियमावली और कर्मचारियों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियाँ स्थापित की गई हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न संबंधी एक शिकायत प्राप्त हुई है। तदनुसार आंतरिक शिकायत समिति ने इस पर जाँच की और इसका निपटान कर दिया। प्रबंधन को तत्संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

#### 44. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अनुपालन :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/sites/default/files/2023-05/Information%20on%20BDL%20Mandatory%20disclosures%20in%20Accordance%20with%20RTI%20May%202023.pdf> पर उपलब्ध है। इसमें कंपनी की सामान्य जानकारी, कर्मचारी/ अधिकारियों के कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम, विनियम, मैन्युअल और कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड, कंपनी के अधिकारियों की निर्देशिका, अधिकारी/ कर्मचारियों के वेतनमान और अभिलेखों को माँगने की प्रक्रिया और निरीक्षण की जानकारी शामिल है। कंपनी ने प्रश्नों और अपीलों पर ध्यान देने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को 171 अभ्यावेदन / प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 160 अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया। 01 आवेदन दूसरे सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजा गया। 10 आर टी आई प्रश्न प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा प्राप्त 14 अपीलों में से 13 का अंतिम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटान किया गया है और दि. 31 मार्च, 2024 तक एक अपील प्रक्रियाधीन है।

#### 45. सतर्कता तंत्र / विजिल ब्लोअर नीति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक बैठक और इसकी शक्ति) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम (7) और सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशकों ने विजिल ब्लोअर / विजिल मैकेनिज्म पर नीति को मंजूरी दे रखी है और इसे कंपनी की वेबसाइट [https://bdl-india.in/sites/default/files/2020-01/Whistle%20blower%20Policy%20%26%20Vigil%20Mechanism\\_0.pdf](https://bdl-india.in/sites/default/files/2020-01/Whistle%20blower%20Policy%20%26%20Vigil%20Mechanism_0.pdf) पर दिया गया था। यह नीति अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच प्रदान करती है।

कर्मचारियों को विजिल ब्लोअर के माध्यम से अपनी किसी भी चिंता को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

#### 46. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सातत्यता रिपोर्ट :

'सेबी' ने बाजार पूँजीकरण के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संव्यवहार उत्तरदायित्व एवं सातत्यता रिपोर्ट ("बीआरएसआर रिपोर्ट") को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। दि. 05 मई, 2021 की गजट अधिसूचना सं. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/22 के तहत एलओडीआर विनियमों के विनियम 34 (2) (एफ) में संशोधन के संदर्भ में 'सेबी' ने ESG मापदंडों पर नई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पेश किया है जिन्हें संव्यवहार उत्तरदायित्व एवं सातत्यता रिपोर्ट (बी आर एस आर) कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से उच्चतम 1000 कंपनियों (बाजार पूँजीकरण के आधार पर) के लिए यह बी आर एस आर रिपोर्ट अनिवार्य है।

आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अध्ययन करने और व्यवसाय और शासन के माहौल को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बीडीएल एक रक्षा उपक्रम के रूप में संचालित होता है, बी आर एस आर रिपोर्ट के लिए एक व्यापक नीति ढांचा तैयार किया है। कंपनी की बीआरएसआर रिपोर्ट बी डी एल की वेबसाइट <https://bdl-india.in/site/default/files/BRSR-2023-24.pdf> पर दी गई है।

#### 47. लाभांश वितरण नीति:

‘सेबी’ विनियम, 2015 (संशोधित) के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा लाभांश वितरण नीति को उन मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए अपनाया गया है जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण का निर्धारण करने में और / या लाभ को व्यवसाय में लगाने के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा। तत्संबंधी नीति बीडीएल की वेबसाइट [https://bdl-india.in/sites/default/files/2020-01/Dividend%20Distribution%20Policy\\_0.pdf](https://bdl-india.in/sites/default/files/2020-01/Dividend%20Distribution%20Policy_0.pdf) पर उपलब्ध है।

#### 48. आभार-प्रदर्शन :

- 48.1** आपके निदेशकगण सभी सरकारी एजेंसी, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, रक्षा उत्पादन विभाग, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, केंद्र सरकार के विभाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारें, गुणता आश्वासन एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। उनका समर्थन कंपनी के लिए अमूल्य रहा है और आपके निदेशक विभिन्न अवसरों पर उनसे प्राप्त सहायता के लिए आभारी हैं।
- 48.2** कंपनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, वैधानिक लेखापरीक्षकों, बैंकों और आपूर्तिकर्ताओं को उनके सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक सराहना करना चाहती है। उनका योगदान कंपनी की सुचारू कार्यप्रणाली और वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है।
- 48.3** निदेशकगण इस अवसर पर सभी स्तरों पर कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान और सहयोग के लिए सराहना व्यक्त करता है। उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और उसके विकास पथ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निदेशकगण कर्मचारियों के प्रयासों को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं तथा भविष्य में उनके निरंतर समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)  
डी आई एन नं. 09808949

स्थान : हैदराबाद  
तिथि : 30 मई, 2024

# सी एस आर गतिविधियों से संबंधित वार्षिक विवरण

## 1. कंपनी की सी एस आर नीति का संक्षिप्त परिचय

बीडीएल समाज के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति चिंतनशील और सचेत है। कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है और यह सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च कर रही है। बीडीएल अपनी मूल क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने और सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन में अपनी संसाधन क्षमताओं को जुटाने का प्रयास करेगा, साथ ही संभावित रणनीतियों का विस्तार करने के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व को संरेखित करेगा और ऐसी सीएसआर गतिविधियों का चयन करेगा जिनकी आंतरिक विशेषज्ञता के माध्यम से बेहतर निगरानी की जा सकती है। कंपनी समुदाय, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को अपनाकर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करेगी, जिसे यथासंभव केंद्रित तरीके से परियोजनाबद्ध रूप से रणनीतिक रूप से शुरू किया जाएगा। सीएसआर के तहत फोकस के मुख्य क्षेत्र हैं - स्वास्थ्य संरक्षण, पोषण, शिक्षा और साक्षरता, कौशल विकास और स्वच्छता आदि। बीडीएल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिले / अविकसित क्षेत्रों में भी कदम रखा है। इन सीएसआर गतिविधियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है और हम समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।

कुछ प्रमुख सी एस आर परियोजनाओं से संबंधित विवरण इस प्रकार है :

- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन।
- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के श्रवण बाधित बच्चों के लिए ए एल आई एम सी ओ के माध्यम कॉकलीयर इंफ्लान्ट की स्थापना।
- आंध्र प्रदेश के विजयानगरम तथा विशाखापट्टणम जिलों के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम।
- तेलंगाना के सिकंदराबाद प्रांत में मेगा स्वास्थ्य शिविर।
- एम एन जे अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद में मॉलिक्यूलर ऑकालोजी लैब की स्थापना।
- आंध्रप्रदेश के विजयानगरम जिले की महिलाओं के लिए कपड़ा उद्योग में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण।

बीडीएल को "शिक्षा की गुणवत्ता" और "स्वास्थ्य के लिए चिंता" की मान्यता में "वैश्विक सीएसआर उत्कृष्टता और नेतृत्व पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

## 2. सी एस आर समिति की संरचना

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान संपन्न सी एस आर बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान कुल सी एस आर बैठकों में प्रतिभाग
1	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत	समिति के अध्यक्ष / स्वतंत्र निदेशक	3	3
2	श्री सुनील चिंतामन मोने	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	3	3
3	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	3	3
4	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	3	3
5	डॉ. पवन स्थापक	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	3	3
6	श्री जशवंत लाल	समिति के सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	3	3
7	श्री पी राधाकृष्ण (दि. 01 जुलाई, 2023 से सेवाएँ समाप्त)	समिति के सदस्य / निदेशक (उत्पादन)	1	0
8	श्री पी वी राजा राम (दि. 03 नवंबर, 2023 से नियुक्त)	समिति के सदस्य / निदेशक (उत्पादन)	1	1

3. वेब लिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सी एस आर समिति की संरचना, सी एस आर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सी एस आर परियोजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई है : <https://bdl-india.in/sites/default/files/2023-07/Board%20approved%20CSR%20Projects%20for%20the%20FY%202023-24.pdf>

4. कंपनी (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में की गई सी एस आर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें।)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सी एस आर का प्रावधान रु. 936.94 लाख है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	बजट	व्यय
1	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित सरकारी स्कूली बच्चों के लिए 'दि अक्षयपात्र फाउण्डेशन' के माध्यम से मध्याह्न भोजन	150.00	143.66
2	तेलंगाना राज्य के चेवेल्ला अस्पताल तथा विकाराबाद सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट की कमिशनिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ	99.5	4.77
3	आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिले विजयानगरम के सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम	300.00	150.00
4	आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिले विशाखापट्टणम के सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम	200.00	98.79
5	मॉलिक्यूलर ऑकालोजी डिपार्टमेंट की स्थापना – एम एन जे आई ओ अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद के लिए उपकरणों की खरीद	75.00	5.00
6	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के श्रवण बाधित बच्चों के लिए ए एल आई एम सी ओ के माध्यम कॉक्लीयर इंप्लांट की स्थापना	335.00	83.75
7	आंध्रप्रदेश के विजयानगरम जिले की ग्रामीण महिलाओं के लिए कपड़ा उद्योग क्षेत्र में रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	240.00	100.00
8	सेवाभारती, काचीगुडा, हैदराबाद के माध्यम से सिकंदराबाद, तेलंगाना प्रांत में तीन स्वास्थ्य शिविर	100.50	100.50
9	यूनीग्लोबल फाउण्डेशन के माध्यम से एम सी ई एम ई, सिकंदराबाद में वृक्षों के प्रतिस्थापन के लिए सहयोग	2.75	2.75
10	तेलंगाना के आकांक्षी जिले आसिफ़ाबाद में डोक़ा क्राफ़्ट विकास परियोजना	47.65	16.62
11	तेलंगाना के आकांक्षी जिले आसिफ़ाबाद में टेराकोटा विकास परियोजना	28.70	12.45
12	तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थिति मिलिटरी अस्पताल के लिए क्रिटिकल केयर बेड उपलब्ध कराना	25.00	24.65
13	आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टणम में 'दि अक्षयपात्र फाउण्डेशन' के लिए आहार वितरण वाहन	17.50	11.95
14	शिक्षुओं को दी गई वृत्तिका (अर्थात् शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत अनिवार्य न्यूनतम 2.5% से ऊपरी राशि)		228.63
15	प्रशासनिक व्यय (प्रभाव मूल्यांकन खर्च सहित)		34.21
	<b>कुल</b>	<b>1621.6</b>	<b>1017.73</b>

सी एस आर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/reports> पर उपलब्ध है।

5. (ए) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : रु. 52206 लाख  
(बी) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% : रु. 1044.12 लाख  
(सी) पिछले वित्तीय वर्षों की सी एस आर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य  
(डी) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन राशि, यदि हो तो : रु. 107.18 लाख  
(ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सी एस आर देयता (बी+सी-डी) : रु. 936.94 लाख
6. (ए) सी एस आर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाएँ तथा इनसे इतर परियोजनाओं पर) रु. 983.52 लाख  
(बी) प्रशासनिक कार्यों पर खर्च की गई राशि : रु. 32.01 लाख  
(सी) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि हो तो : रु. 2.20 लाख  
(डी) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ए+बी+सी) : रु. 1017.73 लाख

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई / नहीं की गई सी एस आर राशि

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	खर्च नहीं की गई राशि (रुपये में)						
	धारा 135 की उप धारा 6 के अनुसार सीएसआर लेखा में अंतरित कुल ऐसी राशि जो खर्च नहीं की गई	धारा 135 की उप-धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत किसी निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि
रु. 1017.73 लाख	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

(एफ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि हो तो सी एस आर राशि

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135 की उप-धारा 5 के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	936.94 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1017.73 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii)-(i)	80.79 लाख
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सी एस आर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष यदि कोई हो तो	शून्य
(v)	आने वाले वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	80.79 लाख

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च न की गई सी एस आर राशि :

1	2	3	4	5	6	7	8	
क्र. सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप धारा 6 के तहत सी एस आर लेखा में अंतरित ऐसी राशि जो खर्च नहीं की गई (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा 6 के तहत खर्च नहीं की गई सी एस आर राशि में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा 5 के अनुसार अनुसूची-VII में उल्लिखित किसी निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो तो राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	आने वाले वित्तीय वर्षों में खर्च करने के लिए शेष राशि (रुपये में)	कमी यदि कोई हो तो
1	2022-23	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
2	2021-22	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
3	2020-21	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

8. वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सी एस आर राशि से क्या कोई पूँजीगत संपत्ति का निर्माण या अधिग्रहण किया गया है? : हाँ  
यदि हाँ तो निर्मित / अधिगृहीत पूँजीगत संपत्तियों की संख्या दें :  
पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सी एस आर राशि से बनाई या अर्जित संपत्ति का विवरण दें :

क्र. सं.	संपत्ति या आस्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या आस्ति का पिनकोड	निर्माण की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत मालिक इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी के विवरण
1	क्रिटिकल केयर बेड	500015	दि. 29 फरवरी, 2024	24.65 लाख	मिलिटरी अस्पताल, मिलिटरी अस्पताल रोड, तिरुमलागिरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना
2	भोजन वितरण वाहन	531163	दि. 28 मार्च, 2024	11.95 लाख	दि अक्षयपात्र फाउण्डेशन, 8-13, गंभीराम विलेज, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टणम
3	एम एन जे आई ओ अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद के लिए उपकरण	500004	दि. 15 सितंबर, 2023	5.00 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70 लाख रुपये का भुगतान किया गया)	11-5, 399 रेड हिल्स, लकड़ी- का-पुल, हैदराबाद-500004. (तेलंगाना)
4	चेवेल्ला में ऑक्सीजन प्लांट के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	501 503	दि. 11 जनवरी, 2024	4.77 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 75 लाख रुपये का भुगतान किया गया)	सी एच सी, चेवेल्ला, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग, तेलंगाना
5.	आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्मार्ट क्लास रूम (सरकारी स्कूलों के लिए डिजिटल उपकरण)	530020	दि. 20 अक्टूबर, 2023	98.79 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 100 लाख रुपये का भुगतान किया गया)	विशाखापट्टणम के विभिन्न सरकारी स्कूल
6	आंध्र प्रदेश के विजयानगरम में स्मार्ट क्लास रूम (सरकारी स्कूलों के लिए डिजिटल उपकरण)	535003	दि. 07 फरवरी, 2024	150 लाख	विजयानगरम के विभिन्न सरकारी स्कूल

9. धारा 135 की उप-धारा 5 के अनुसार यदि कंपनी औसत निवल लाभ की दो प्रतिशत राशि खर्च करने में विफल रही है, तो इसके कारण बताएं : लागू नहीं।



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त)  
डी आई एन : 09808949

तारीख : 30 मई, 2024  
स्थान : हैदराबाद



राजेंद्र कुमार शेखावत  
(अध्यक्ष, सी एस आर समिति)  
डी आई एन : 09449860



विश्व सी एस आर दिवस के अवसर पर 'ग्लोबल सी एस आर एक्सलेंस अण्ड लीडरशिप अवार्ड'



एम एन जे अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद में मॉलिक्यूलर ऑकालोजी लैब का उद्घाटन



विजयानगरम में महिलाओं के लिए कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम



मिलिटरी अस्पताल, सिकंदराबाद में 'क्रिटिकल केयर बेड' प्रदान करते हुए

# प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

## दूरदर्शी कथन :

इस प्रबंधन चर्चा में, कंपनी की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण और प्रचालन परिणामों के संबंध में कही गई बातें कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षाएँ या भविष्यदर्शी, प्रतिभूति कानून और विनियमों के अर्थ के तहत दूरदर्शी होंगी। दूरदर्शी कथन कुछ पूर्वानुमान और संभावित भावी घटनाओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं। कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि ये पूर्वानुमान और संभावनाएँ सटीक और वास्तविकता में बदलेंगे। साथ ही, कंपनी इन दूरदर्शी कथनों की जानकारी, घटनाओं और किसी आधार पर इनमें होने वाले परिवर्तन में सार्वजनिक रूप से संशोधन, आशोधन या परिशोधन का उत्तरदायित्व नहीं रखती। वास्तविक परिणाम वस्तुगत रूप से इन कथनों में व्यक्त परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालन को प्रभावित करने वाले कारकों में सरकार की रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण संबंधी नीति, सरकारी विनियमों में बदलाव, कर-कानून, देश के भीतर होने वाले आर्थिक विकास और कुछ ऐसे वैश्विक परिवर्तनकारी कारक शामिल हैं।

## 1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड : एक परिदृश्य

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) की स्थापना दि. 16 जुलाई, 1970 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गयी थी। बी डी एल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

समय के साथ-साथ बीडीएल ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जलास्त्र, वायुवाहित उपकरण और संबद्ध रक्षा उपकरण बनाकर सुपुर्द करने वाले विश्व के कुछ चुनिंदा उद्यमों में अपनी जगह बनायी है। साथ ही, बी डी एल अपने द्वारा सुपुर्द उपकरणों के कार्य-काल विस्तार के साथ-साथ सशस्त्र सेनाओं के पास उपलब्ध पुरानी मिसाइलों के पुनर्सज्जीकरण / कार्य-काल विस्तार का कार्य भी करता है। संचलित अस्त्र-प्रणाली विनिर्माता की अपनी मूलभूत भूमिका अदा करते हुए ही बी डी एल ने आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्षमताएँ भी विकसित की हैं जिनमें प्रमुखतः डिजाइन और इंजीनियरिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

बी डी एल रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी भूमिका के तहत निरंतर प्रयत्नशील है। कंपनी 'मेक इन इंडिया' अभियान को और आगे ले जाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ गठबंधन के लिए प्रयासरत है। नयी मिसाइलें और अंतर्जलास्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी के सक्षम हस्तांतरण के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओ ई एम) के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर बल दिया जा रहा है। बी डी एल ने मित्र देशों को अपने कुछ उत्पादों का निर्यात कर विश्व बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।

### 1.1 भारतीय रक्षा उद्योग

भारतीय दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य बलों में से एक है और भारत सरकार के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है, जिसने खुद को वैश्विक रक्षा उद्योग में एक प्रमुख उद्यमी के रूप में स्थापित किया है। भारतीय रक्षा विनिर्माण उद्योग देश की अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और वर्तमान भू-राजनीतिक हालात के मद्देनजर इसमें और तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है।

भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रक्षा और वांतरिक्ष क्षेत्र की पहचान प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में की है। इस पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण बुनियादी ढाँचे की स्थापना पर ध्यान दिया जा रहा है जिसे मजबूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा हासिल किया है। आज भारत, धीरे-धीरे विभिन्न वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम) के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनता रहा है। सरकार देश को एक रणनीतिक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए घरेलू रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक मजबूत आधार विकसित कर रही है। नतीजतन, भारत वांतरिक्ष और रक्षा घटकों और पुर्जों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन रहा है। इस आपूर्ति श्रृंखला के लिए बढ़ते केंद्र के पीछे मुख्य कारक मौजूदा तकनीकी जानकारी, प्रतिभा पुंज और कम लागत पर सर्वोत्तम गुणतायुक्त उत्पाद निर्माण है। इसके अलावा भारत की भौगोलिक स्थिति वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माताओं और इसके आपूर्तिकर्ताओं को आसानी से स्वदेशी रूप से निर्माण करने और उसके बाद इसके निर्यात करने में सक्षम बनाती है। विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के आकर्षण में योगदान देने वाला एक और प्रमुख कारक इसका कुशल और युवा मानव-शक्ति है। यह जनसांख्यिकीय वांतरिक्ष और रक्षा (ए अण्ड डी) बाजार में विकास को गतिमान रखने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और भारत को इस क्षेत्र में एक विशुद्ध निर्यातक बनाने के लक्ष्य के साथ रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं।

भारत ने पहली बार अस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए रक्षा मंत्रालय ने पाँच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। इसके अंतर्गत 509 ऐसे रक्षा उपकरणों की पहचान की गई है जिनका निर्माण अब स्वदेशी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों की 4 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ भी जारी की गईं, जिनमें 4,666 वस्तुओं की पहचान की गई है जिनका निर्माण अब भारत में ही किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार ₹1 लाख करोड़ के आँकड़े को पार कर गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 95,000 करोड़ रुपये था। सरकार रक्षा उद्योग और उनके भागीदारों की चुनौतियों को दूर करने और देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ लगातार काम कर रही है। 'व्यापार में सुगमता' की लक्ष्य-प्राप्ति के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए हैं जिसमें एमएसएमई

और स्टार्ट-अप को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना भी शामिल है। इन नीतियों के चलते, एम एस एम ई और स्टार्ट-अप सहित उद्योग, रक्षा डिजाइन, विकास और विनिर्माण में आगे आ रहे हैं और सरकार द्वारा पिछले 7-8 वर्षों में उद्योगों को जारी किए गए रक्षा लाइसेंसों की संख्या में लगभग 200% की वृद्धि हुई है।

सरकार की लगातार नीतिगत पहल और रक्षा उद्योग के महत्वपूर्ण योगदान के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है और वर्ष 2016-17 से दस गुना वृद्धि दर्शाता है। भारत अब 85 से अधिक देशों को अपने रक्षा उत्पादों का निर्यात करता है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र सेनाओं की कार्रवाई युक्त तैयारियों को और बढ़ाने के लिए लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ावा देने के दोनों उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6,21,540.85 करोड़ रुपये रखा गया है। यह कुल केंद्रीय बजट का 13.04% है जिसे 01 फरवरी, 2024 को संसद में पेश किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग एक लाख करोड़ (18.35%) अधिक है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के आवंटन से 4.72% अधिक। इसमें से 27.67% का एक बड़ा हिस्सा पूँजीगत व्यय के लिए 14.82% सातत्यता और कार्रवाई युक्त तैयारियों पर राजस्व व्यय के लिए, वेतन और भत्ते के लिए 30.68%, रक्षा पेंशन के लिए 22.72% और रक्षा मंत्रालय के तहत गैर-रक्षा संगठनों के लिए 4.11% रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा में पूँजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.72 लाख करोड़ रुपये है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय से 20.33% अधिक है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 9.40% अधिक है। यह आवंटन तीनों सेनाओं की दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेष्य योजना (एलटीआईपीपी) के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुछ बड़े अधिग्रहणों को मूर्त रूप देकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरना है। ये बड़े हुए आवंटन आधुनिकीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास में सतत वृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जो 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों के साथ जुड़ा हुआ है।

(स्रोत: www.mod.gov.in; प्रेस सूचना ब्यूरो; और अन्य दस्तावेज)

## 1.2 देशीकरण

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये कई कदम उठाए हैं और सकारात्मक देशीकरण सूची देशीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सुधारों में से एक है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र को बदलने के लिए सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के प्रमुख कदमों में से एक है। सैन्य मामले विभाग (डीएमए) ने पहले 411 सैन्य वस्तुओं वाली चार सकारात्मक देशीकरण सूची जारी की थी। रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) ने इससे अलग और चार सकारात्मक देशीकरण सूचियाँ भी अधिसूचित की हैं जिसमें कुल 4,666 वस्तुएँ शामिल हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (DPSUs) के लिए लाइन प्रतिस्थापन इकाइयाँ / उप-प्रणालियाँ / पुर्जे और घटक शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए रक्षा उत्पादन विभाग ने देशीकरण की चौथी सकारात्मक देशीकृत सूची (पीआईएल) जारी की है। अब तक जारी की गई 4 सकारात्मक देशीकरण सूचियों में से 56 वस्तुएँ बीडीएल से संबंधित हैं जिन्हें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा।

इन 56 वस्तुओं में से आपकी कंपनी ने 44 वस्तुओं का देशीकरण कर लिया है और शेष वस्तुएं देशीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त दि. 04 अक्तूबर, 2023 को माननीय रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) से संबंधित देशीकरण के लिए अत्यधिक जटिल प्रणालियाँ, सेंसर, हथियार और गोला-बारूद जैसे 98 रक्षा उत्पादों की 5वीं सकारात्मक देशीकरण सूची जारी की जिसमें निर्धारित समय सीमा से परे आयात पर प्रतिबंध है। इन 98 उत्पादों में से 3 (तीन) आपकी कंपनी से संबंधित हैं जो आपकी कंपनी को अपने संचालन को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, बीडीएल और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) कार्यक्रम ने सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" की भविष्य-दृष्टि के साथ अपने को आमेलित करते हुए एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है। इस साझेदारी के परिणामस्वरूप एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है जिसमें आपकी कंपनी अपने नवाचार और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक उद्यमियों और एम एस एम ई के साथ काम करती है।

आपकी कंपनी ओपेन चैलेंज (ओ सी), डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (डी आई एस सी) जैसी कई IDEX पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। आपकी कंपनी वर्तमान में 'स्केलेबल वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क मॉड्यूल फॉर अटॉनमस मोबाइल प्लेटफॉर्म' और 'विजुअल इमेज-बेस्ड सीकर' जैसी परियोजनाओं के लिए स्टार्ट-अप का हाथ थामे चल रही है जो कार्यपूर्णता के विभिन्न चरणों में है।

इस प्रकार, औद्योगिक अनुभव को विशालता देते हुए घरेलू स्टार्ट-अप की संभावित विदग्धता के जरिये अभिनव नवाचारों को प्रकाश में लाने के लिए बीडीएल-आईडीईएक्स साझेदारी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक सक्षम वातावरण बनाने में लगी है।

## 2. बी डी एल के कारोबार की समीक्षा :

कंपनी एक ऐसे वातावरण में काम कर रही है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में बढ़ती जटिलता और भारत व विश्व स्तर पर जारी आर्थिक चुनौतियाँ दोनों शामिल हैं। इस वातावरण में बीडीएल के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण आयाम है कार्य संपादन, स्तर और बेहतर गुणता के साथ भारतीय सेना को उत्पाद की सुपुर्दगी की पूर्वानुमेयता पर ध्यान केंद्रित करना। बीडीएल ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखा है और अपने कर्मचारियों पर भी ताकि कंपनी के पास अपनी क्षमता को सीमित किए बिना सफल होने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल हो।

### 2.1 बी डी एल के उत्पाद

सतह से हवा में मार करने वाली / हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें	ए टी जी एम	टॉरपीडो	लॉचर	प्रतिमारक	परीक्षण उपकरण
आकाश अस्त्र प्रणाली	मिलान-2टी,	हल्के भार वाले	कॉर्कर्स-एम और	प्रतिमारक अवसर्जन	ए टी जी एम और
मध्यम दूरी के एस ए एम - सैम	कॉर्कर्स-एम इनवार	टॉरपीडो भारी टॉरपीडो	मिलान-2टी ए टी जी एम के लिए लॉचर	प्रणालियाँ और अंतर्जलास्त्र डिक्वॉय	सैम की कार्यशीलता के परीक्षण के लिए उपकरण
‘अस्त्र’ हथियार प्रणाली					

### 2.2 विनिर्माण सुविधाएँ

कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयाँ हैदराबाद, भानूर और विशाखपट्टणम में स्थित हैं। सभी विनिर्माण सुविधाएँ आई एस ओ 14001 : 2005 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) प्रमाणन प्राप्त हैं। सभी उत्पादन प्रभाग वांतरिक्ष गुणता प्रबंधन प्रणाली के लिए ए एस 9100 डी प्रमाणन प्राप्त हैं। हैदराबाद स्थित निगम कार्यालय आई एस ओ 9011: 2015 (गुणता प्रबंधन प्रणाली) से अधिप्रमाणित है। मिलान प्रभाग की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाएँ और भानूर इकाई इलेक्ट्रॉनिक मापन उपकरणों के इलेक्ट्रो-टेक्निकल कैलिब्रेशन के क्षेत्र में आई एस ओ / आई ई सी 17025 : 2005 (एन ए वी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त हैं। साथ ही, भानूर इकाई की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला भी आई एस ओ / आई ई सी 17025 / 2005 (एन ए वी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त है।

बी डी एल की कंचनबाग इकाई और भानूर इकाइयों के सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को प्रमाणन निकाय मेसर्स ए क्यू सी मिडिल ईस्ट एल एल सी, नोएडा द्वारा आई एस ओ / आई ई सी 27001:2013 से पुनःप्रमाणन प्राप्त है।

कंपनी इब्राहीमपट्टणम (हैदराबाद के पास); महाराष्ट्र के अमरावती में और उत्तर प्रदेश के झाँसी में अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने जा रही है। इन नई इकाइयों में नई पीढ़ी की मिसाइल सहित सैम, विश्राड तथा विभिन्न ए टी जी एम के लिए रॉकेट व प्रणोदक तैयार किये जाएंगे।

### 2.3 कार्य आदेश

दि. 01 अप्रैल, 2024 तक हमारे पास रु. 19434 करोड़ के कार्य-आदेश हैं।

### 2.4 वित्तीय निष्पादन

i) वित्तीय रूप में कंपनी के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2023-24	2022-23	
बिक्री / परिचालन से प्राप्त राजस्व	2369	2489	(5%)
उत्पादन मूल्य	2592	2508	3%
i) निर्यात सामग्री की खपत	148	345	(57%)
ii) देशी सामग्री की खपत	972	865	12%
<b>खपत की गई कुल सामग्री</b>	<b>1120</b>	<b>1210</b>	<b>(7%)</b>
मूल्यवर्द्धन	1472	1298	13%
कर पूर्व लाभ	828	482	72%
कराधान के बाद लाभ	613	352	74%
प्रति शेयर अर्जन # (रुपये में)	16.72	9.61	74%
# ई पी एस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है और वर्ष के अंत तक उपलब्ध कुल शेयरों को रु. 10/- के अंकित मूल्य के पूर्ण प्रदत्त शेयर को रु.5/- के अंकित मूल्य के दो पूर्ण प्रदत्त शेयर में विभाजित किया गया है।			

## ii) निम्नलिखित डॉटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है:

विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2023-24	2022-23	
सकल निरुद्ध (पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य को छोड़कर)	1497	1416	6%
संचित मूल्यहास	673	607	11%
निवल निरुद्ध	824	809	2%
कार्यगत पूँजी (निवल)	6233	5394	16%
नियोजित पूँजी	3566	3155	13%
निवल मालियत	3637	3211	13%

\* आवश्यकतानुसार आँकड़ों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्समूहन किया गया है।

## iii) प्रमुख वित्तीय अनुपात:

एस ई बी आई (LODR) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी को विस्तृत विवरण के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक परिवर्तन) का विवरण देना भी आवश्यक है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	परिवर्तन (%में)	25% या उससे अधिक के परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण
देनदार टर्नओवर अनुपात (गुना)	9.57	10.19	(6%)	
सामग्री-सूची टर्नओवर अनुपात (गुना)	1.25	1.43	(13%)	
व्याज कवरेज अनुपात (गुना)	शून्य	शून्य	-	-
चालू अनुपात (गुना)	3.07	3.45	(11%)	
ऋण ईक्विटी अनुपात (गुना)	शून्य	शून्य	-	-
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	20%	13%	54%	दर्शाया गई वृद्धि मुख्यतः उत्पाद विविधता में परिवर्तन, अधिक ब्याज आय तथा वर्ष के दौरान निवल लाभ मार्जिन (%)
निवल लाभ मार्जिन (%)	26%	14%	86%	ग्राहकों से पुनःप्राप्तियों के कारण है।

iv) संव्यवहार की प्रकृति और प्रकटीकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सेगमेंट रिपोर्टिंग से संबंधित भारतीय लेखा मानक 108 को छोड़कर सभी लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है। चूंकि कंपनी रक्षा उत्पादन कार्य से जुड़ी हुई है, अतः निगम मामले मंत्रालय की दि. 23.02.2018 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के तहत सिगमेंट रिपोर्टिंग की प्रयोज्यता से छूट है। साथ ही, दि. 03 अगस्त, 2017 की पत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/डी आई एल 1 /ओ डब्ल्यू/पी/2017/18400/1 के तहत सेबी प्रकटीकरण का भी छूट प्राप्त है।

## 2.5 कंपनी के उद्देश्य :

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल संचलित अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।
- विश्व बाजार में एक मुख्य प्रतिस्पर्धी बनना और मित्र देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करना।

## 2.6 अवसर और खतरे

## अवसर

- रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के क्षेत्र में कई वर्षों की बीडीएल की विशेषज्ञता और प्रोन्नत सुविधाएँ इसे भारत और विदेशी बाजार में कंपनी के विस्तार की संभावना प्रदान करती है।
- बीडीएल में अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारी वर्ग है जिसे रक्षा उपकरण विनिर्माण में कई वर्षों का विस्तृत अनुभव प्राप्त है।
- 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत रक्षा देशीकरण के बढ़ावे से बीडीएल को और अधिक अवसर प्राप्ति की संभावना बढ़ी।
- बी डी एल के पास तकनीकी रूप से योग्य विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता उपलब्ध हैं जो समय पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
- प्राथमिकतः रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बी डी एल का ग्राहक है। भारत सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए और अधिक बजट आबंटित कर रही है।
- निर्यात बाजार के खुल जाने और 'व्यावसायिक सुगमता' से कंपनी ने हाल ही में निर्यात आदेशों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है और अन्य देशों से और भी अधिक माँग की पूछताछ की जा रही है।

## खतरे

- आर्थिक गतिविधियों में मंदी और भारत सरकार के रक्षा बजट में कमी बीडीएल के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय पर अधिक निर्भरता।
- आदेश रद्द किये जाने से कार्य आदेश एवं भविष्य के राजस्व में कमी आ सकती है।
- रक्षा क्षेत्र का खुलता जाना।

## 2.7 प्रमुख कार्य-नीतियाँ :

बीडीएल की कार्यनीति के तहत क्षमताओं का विस्तार कर कंपनी की बाजार में स्थिति दृढ़ करना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसरों का लाभ उठाना और देशीकरण पर अधिक बल देते हुए कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि करना है।

अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित पर ध्यान दिया जा रहा है :

**2.7.1 इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार:** कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी रखा है। इब्राहीमपट्टणम, झाँसी और अमरावती में बन रही हमारी विनिर्माण सुविधाएँ हमारे ग्राहकों की बढ़ती माँग को पूरा करने में कंपनी को सक्षम बनाएँगी। इन विनिर्माण सुविधाओं में क्रमशः सैम (नई पीढ़ी के सैम सहित) और विश्रॉड (वी एस एच ओ आर ए डी एस) का विनिर्माण किया जाएगा। साथ ही, बी डी एल ने हैदराबाद की अपनी इकाई में सीकर निर्मिति केंद्र, वारहेड उत्पादन सुविधा, सतहधारी प्रतिष्ठापन टेक्नोलॉजी और उच्च निष्पदन संगठन सुविधाएँ स्थापित की हैं। बी डी एल ने अपनी विशाखापट्टणम इकाई में उत्कृष्ट पर्यावरण परीक्षण सुविधा स्थापित की है।

**2.7.2 स्वचालीकरण (ऑटोमेशन):** बीडीएल, इंडस्ट्री 4.0, रोबोटिक्स संचालित कार्यशालाएँ, नवीनतम सतहधारी प्रतिष्ठापन उपकरण संयोजन लाइनें जैसी उत्कृष्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकी व प्रक्रियाओं का लगातार उन्नयन करता आ रहा है और ए एस 9100, 'जीरो डिफेक्ट' जैसी उच्चतम गुणता आशवासन पद्धतियाँ अपनाकर अपने उत्पादों में उच्च गुणता मानक बनाये रखे गए हैं। इन प्रयासों के चलते उत्पादन लागत में कमी, उत्पादकता मानदंडों की बेंचमार्किंग और प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण और आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में कमी जैसे परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रयास यही है कि जहाँ भी उत्पादकता बढ़ाने की संभावना हो, अपनी उत्पादन प्रणालियों को स्वचालित किया जाए।

**2.7.3 अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना :** कंपनी का मानना है कि सरकारी नीति के हालिया बदलावों के तहत रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति देने से हमें अच्छी-खासी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बी डी एल अपने ग्राहकों के लिए नवोन्मेषी उत्पाद विकसित करने के लिए अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों से बी डी एल के अनुसंधान एवं विकास व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कंपनी का यह भी मानना है कि नए उत्पादों के विकास से हम विविध प्रकार के उत्पाद दे पायेंगे जिससे उत्पाद निर्भरता में कमी आएगी। इस दिशा में काम करते हुए बी डी एल ने बेंगलूरु में आयोजित एयरो इंडिया-2022 एवं 2023 में अपनी वर्तमान उत्पाद श्रृंखला में नये उत्पादों को शामिल करते हुए इनका प्रदर्शन किया था।

कंपनी ने मिसाइल विकास समूह (एम डी जी) की भी स्थापना की है ताकि मिसाइल का अभिकल्पन और विकास किया जा सके। बी डी एल कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। साथ ही, आंतरिक रूप से नवोन्मेषी उत्पाद के विकास पर जोर दिया जा रहा है। अनुभव और उद्योग संबंधी ज्ञान के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए उद्योग तथा अकादमिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य भी बनाये रखा जा रहा है।

**2.7.4 प्रक्रियाओं में सुधार :** कंपनी अपने परिचालन की उत्पादकता और क्षमता में सुधार करते हुए मितव्ययता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियागत सुधार पर भी ध्यान दे रही है।

**2.7.5 नई पीढ़ी के अस्त्र :** बी डी एल अपने अनुभव का इस्तेमाल नई पीढ़ी के सैम, एटीजीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, भारी टॉरपीडो और ड्रोन से छोड़े जाने वाले बम जैसे नए उत्पाद बनाने में करने का इच्छुक है ताकि हमारे राजस्व में और वृद्धि हो। बी डी एल, डी आर डी ओ के साथ अगली पीढ़ी के एटीजीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और 'सैम' विकसित करने में संयुक्त विकास भागीदार-सह-उत्पादन एजेंसी भी है। बी डी एल ने नये उत्पादों के विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ कई अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और गैर-प्रकटीकरण समझौते भी किये हैं।

**2.7.6 निर्यात :** बीडीएल प्रमुखतः भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत सरकार के प्रोत्साहन से बीडीएल सक्रिय रूप से निर्यात की संभावनाएँ तलाशने में लगा है। आगे, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा दी गई अनापत्ति से बीडीएल नौ देशों को आकाश अस्त्र प्रणाली के निर्यात के लिए तैयार है। बीडीएल को पहले ही कुछ मित्र देशों से 'आकाश' के लिए निर्यात आदेश प्राप्त हो चुके हैं। दि. 01 अप्रैल, 2024 तक बी डी एल के पास रु. 2420 करोड़ के निर्यात आदेश हैं। बीडीएल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार है। बीडीएल के पास अपने उत्पादों की घरेलू और निर्यात माँग दोनों पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन सुविधाएँ मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कारोबार के विस्तार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बीडीएल अपने उत्पादों के निर्यात के लिए संभावित विदेशी ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।

### 3. जोखिम और चिंताएँ :

विभिन्न किस्म के जोखिम की पहचान इनके निपटान के साथ की गई है जिसमें शामिल है उद्योग से संबंधित जोखिम, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विपणन में लगने वाला समय, इस बाजार क्षेत्र में गिरावट या मंदी और उत्पाद एवं उत्पाद आगत कीमत, लागत नियंत्रण की निवेश कीमत, लागत नियंत्रण और परिवर्तित माँग का जोखिम। साथ ही, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आईटी, आर अण्ड डी, बौद्धिक संपदा और डिजिटलीकरण / स्मार्ट उद्योग जैसी नई तकनीकी माँगों से संबंधित जोखिमों पर ध्यान देते हुए उचित सुधार के साथ सक्रिय रूप से इनका निपटान और प्रबंधन तथा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

**3.1 संव्यवहार जोखिम:** कंपनी एक ऐसे वातावरण में काम करती है जहाँ देशी और अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी शामिल हैं। प्रभावी प्रतिस्पर्धा का प्रभावी ढंग से सामना करना, नवोन्मेषी और उच्च गुणतायुक्त मानकों का पालन करना इसके भविष्य की सफलता को निर्धारित करता है। इन सबके अलावा, कंपनी मुख्य रूप से एक ही ग्राहक अर्थात् रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बल पर निर्भर है। भारतीय रक्षा बजट में गिरावट या पुनर्वितरण, उनके आदेश में घटाव, संविदाओं की समाप्ति या निविदा परियोजनाओं में विफलता और भविष्य में रक्षा मंत्रालय या भारतीय सशस्त्र बलों की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतियों में विचलन से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, विकास संभावनाओं और नकदी प्रवाह पर दृष्ट्य प्रतिफल प्रभाव डाल सकता है। हमारा मुकाबला समस्तरीय प्राप्त उभरते निजी क्षेत्र के भी साथ है जिससे हमारे व्यापार और भविष्य की संभावनाओं का आकलन मुश्किल हो जाता है।

यद्यपि अपनी व्यवसाय अर्जित समृद्ध विशेषज्ञता के आधार पर कंपनी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक बढ़ाने के लिए भारत सरकार के प्रोत्साहन से बी डी एल सक्रिय रूप से निर्यात के अवसर तलाश रहा है। इसके अलावा कंपनी ने उत्पाद श्रृंखला में विविधता लाने की योजनाएँ भी हैं जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व इससे संबद्ध उपकरण व सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

**3.2 नीतिगत जोखिम:** रक्षा उद्योग में विनियामक आवश्यकताओं व गुणता मानकों का अनुपालन महत्वपूर्ण होता है। ग्राहकों की क्रेडिबिलिटी व विश्वास को बनाये रखने के लिए कंपनी को विनियम व प्रमाणन का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। कंपनी रक्षा मंत्रालय के कई खरीदी नियम एवं विनियम तथा सरकारी नियम और अन्य नियम एवं विनियमों से आबद्ध है। लागू नियमों में आकस्मिक परिवर्तन या अप्रत्याशित परिवर्तन से हमारे व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे उत्पादों के वर्तमान और भविष्य के निर्यात पर प्रतिबंध हमारे व्यापार, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

हालाँकि, कंपनी, भारत सरकार की नीतियों के अनुसार सभी नियमों और विनियमों का पालन कर रही है साथ ही नियमावली में होने वाले संभावित परिवर्तनों के बारे में भी समय रहते हुए आवश्यक सावधानियाँ बरत रही है।

**3.3 प्रचालन और श्रम जोखिम:** कंपनी का प्रचालन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित तीन इकाइयों पर आधारित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हमारी किसी भी इकाई में प्रचालन में हानि या बंद होने से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर दृष्ट्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कुछ कार्य-बल का प्रतिनिधित्व श्रमिक यूनियन करती है अतः लंबे समय तक कार्य रुकने की स्थिति में इससे हमारे व्यापार को नुकसान पहुँच सकता है।

वैसे, कंपनी हमेशा सभी कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखती है और इस तरह से इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं है।

**3.4 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संबंधी जोखिम :** समय पर सुपुर्दगी और लागत नियंत्रण में प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बी डी एल को अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को इष्टतम रखते हुए प्रचालन को और प्रभावी करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ सशक्त भागीदारी स्थापित की जानी चाहिए। कंपनी उप संयोजन / घटक, एकल स्रोत आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के लिए कई प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माताओं पर निर्भर है। इनमें से किसी के कार्यनिष्पादन की विफलता से हमारा प्रचालन दृष्ट्य रूप से प्रभावित हो सकता है।

कंपनी लगातार अपने विक्रेता आधार का विस्तार कर रही है और किसी के विफल कार्यनिष्पादन पर परिसमापन क्षति (एल डी) उपबंध के तहत पर्याप्त सुरक्षा बरत रही है। बी डी एल अपने सभी परियोजनाओं में शामिल एकल विक्रेताओं के बदले बहु-विक्रेता आधार विकसित कर रही है ताकि विक्रेताओं पर निर्भरता कम हो और परियोजनाओं में निरंतरता बनी रह सके।

**3.5 प्रौद्योगिकी जोखिम:** तेजी से बदलते वातावरण में सफल और फलने-फूलने के लिए बी डी एल को नवोन्मेषी, चपलता और स्वीकार्यता की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उभरती टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को भी अपनाना दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए अनिवार्य है। बी डी एल में बनने वाले उत्पाद में उक्त प्रौद्योगिकी शामिल होती है। नये उत्पाद और प्रौद्योगिकी अपनाने में जोखिम शामिल होता है जिससे प्राथमिक रूप से अनुमानित लाभ का स्तर या इसकी समय पर वसूली संभव नहीं हो पाती।

कंपनी ने अपने खुद के अनुसंधान एवं विकास विभाग को इन प्रौद्योगिकी जोखिमों का सामना करने के लिए और अधिक सक्रिय करते हुए आर अण्ड डी में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी कई परियोजनाओं के विकास में डी आर डी ओ के साथ मिलकर समांतर रूप से काम कर रही है।

#### 4. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता :

आपकी कंपनी ने अपने आकार व संव्यवहार-प्रकृति को देखते हुए वित्तीय औचित्य के सभी मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रण तथा प्रणालियों की व्यवस्था की है। इनमें विभिन्न विषय और कार्यों के लिए प्रलेखित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ आती हैं जिनमें खरीद सहित उप-अनुबंध, कार्य अनुबंध, लेखा, मानव संसाधन, आईटी और सुरक्षा जैसे शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन भी शामिल है। इन नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उन्हें उभरते कारोबारी माहौल के साथ बनाए रखने के लिए अद्यतन भी किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग कार्यरत है जिसमें योग्य पेशेवर अधिकारी काम देखते हैं। यह आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग संगठन के जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्य के दायरे को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाहरी लेखापरीक्षा फर्म को भी नियुक्त किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग और बाहरी लेखापरीक्षा फर्म दोनों की रिपोर्टों का उनकी सिफारिशों और मार्गदर्शन अपनाने के लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा की जाती है।

कंपनी नैगमिक अभिशासन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों में विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आंतरिक नियंत्रण को बेहतर बनाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

#### 5. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, नियोजित कर्मचारियों का साक्षी विकास :

##### 5.1 दि. 31 मार्च, 2024 तक बी डी एल की मानव-शक्ति निम्नवत है :

विवरण	कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी	कार्यपालक	अस्थायी	कुल
पुरुष	1439	660	7	2106
स्त्री	182	109	4	295
<b>कुल</b>	<b>1621</b>	<b>769</b>	<b>11</b>	<b>2401</b>
पिछले वर्ष	1742	807	11	2560

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी ने कार्यपालक और कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारी विकास के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दर्शायी है। इन कार्यक्रमों में कुल 1,692 कर्मचारियों ने भाग लिया जिस पर 4,370 प्रशिक्षण कार्य-दिवस के बराबर समय खर्च हुआ। आंतरिक और बाहरी एजेंसियों के द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिकारी और कर्मचारियों का कौशल और ज्ञान बढ़ाना है और सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम और पहल में शामिल हैं – माध्यमिक स्तर कैरियर विकास कार्यक्रम, सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रशिक्षण, प्रभावी कार्यस्थल संप्रेषण संबंधी कार्यशाला, वित्तीय कल्याण और विविधता समावेशन पर आंतरिक कार्यशालाएँ। इन पहलों का उद्देश्य आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में अधिकारियों की समझ बढ़ाना, आपसी संप्रेषण और प्रस्तुति कौशल में सुधार करना और अंततः उन्हें कंपनी की सफलता में योगदान देते हुए अपनी भूमिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाना है।

##### 5.2 औद्योगिक संबंध

कंपनी, प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच सकारात्मक कामकाजी संबंध बनाए रखने पर बहुत महत्व देती है, संगठन के भीतर एक अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करती है।

प्रबंधन, मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन के सहयोग से, रोजगार के नियम और शर्तों के संबंध में बातचीत, परामर्श और संप्रेषण के लिए प्रभावी प्रक्रियाओं की स्थापना और रखरखाव करता है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है। मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन प्रबंधन के साथ परामर्श और बातचीत में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में, विशेषकर औद्योगिक संबंधों और रोजगार से संबंधित मामलों में कार्य करता है।

इन सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, कंपनी खुली बातचीत, आपसी समझ और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मुद्दों के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करती है। ट्रेड यूनियनों के साथ मजबूत कामकाजी संबंधों को बढ़ावा देकर, कंपनी का लक्ष्य अपने कर्मचारियों के लिए एक आचरणशील और उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है।

#### 6. पर्यावरणीय उपाय:

कंपनी स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करके स्वच्छ और हरित वातावरण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को लागू करने और पुनःचक्रण, पुनःउपयोग और कम करने के सिद्धांतों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी अपशिष्ट उपचार संयंत्र और मल-जल शुद्धीकरण संयंत्र संचालित करती है। ये सुविधाएँ कंपनी के संचालन से उत्पन्न अपशिष्ट जल और मल-जल के उपचार और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी

विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण, हानिकारक अपशिष्ट और धातु स्क्रेप का उचित निपटान और भूनिर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न है। ये पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कंपनी की गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में योगदान करती हैं।

कंपनी अपने परिचालन में उपचारित अपशिष्ट जल और घरेलू जल का उपयोग करके संसाधनों के कुशल उपयोग पर जोर देती है। यह दृष्टिकोण पानी के संरक्षण और मीठे पानी के स्रोतों पर तनाव को कम करने में मदद करता है। आईएसओ 14001 कोर टीम मीटिंग, आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रदूषण स्तर और पर्यावरणीय प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। ये गतिविधियाँ कंपनी की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की निरंतर निगरानी और सुधार सुनिश्चित करती हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तीनों इकाइयों में वार्षिक निगरानी ऑडिट आयोजित किए जाते हैं। यह व्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है और पर्यावरणीय नियमों व मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

इन ठोस प्रयासों के माध्यम से, कंपनी का लक्ष्य अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करना, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण में योगदान करना है।

## 7. विदेशी मुद्रा संरक्षण:

आपकी कंपनी अंतिम रूपी उत्पादों के संयोजन में देशी सामग्री को बढ़ाकर मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम) से घटक और उप-प्रणालियों के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

## 8. भविष्य दृष्टि :

आगे की ओर देखें तो आपकी कंपनी की भविष्य-दृष्टि आशाओं से भरी है। हम रक्षा उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए नवाचार और तकनीकी प्रगति के प्रति अपने समर्पण के प्रति दृढ़ हैं। रणनीतिक साझेदारी, विविधीकरण पहल और निरंतर सुधार प्रयासों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य नए अवसरों को स्वीकारना और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है।

बीडीएल दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी उत्पादन लाइनों को अनुकूल बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता से अवगत है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करके, बीडीएल गुणता मानकों से समझौता किए बिना समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने प्रयासरत है।

नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध, बीडीएल नई परियोजनाओं को सह-विकसित करने के लिए डिजाइन एजेंसियों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों में संलग्न है। तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहकर, बीडीएल अगली पीढ़ी के रक्षा समाधान प्रदान करने प्रयासरत है जो आधुनिक युद्ध की उभरती जरूरतों को पूरा करता है।

बीडीएल भारत के रक्षा परिदृश्य में विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को सामने लाने के लिए ऑफसेट परियोजनाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान में देश में अनुपलब्ध नई तकनीकों को शामिल करके और निरंतर आंतरिक आर अण्ड डी पहलों के माध्यम से बीडीएल, भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है।

अप्रचलन प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए बीडीएल अपने उत्पादों के लिए व्यापक जीवन चक्र सहायता प्रदान करता है। सक्रिय रखरखाव और उन्नयन के माध्यम से, बीडीएल अपनी रक्षा प्रणालियों की लंबी अवधि तक कार्यशीलता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा होती है।

हमें वैश्विक आर्थिक स्थितियों या भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं से जनित चुनौतियों का अनुमान है जिन्हें हमें लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ दूर करने की अपनी क्षमता में विश्वास है। हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति, अच्छी ऑर्डर बुक, प्रक्रियाधीन प्रत्याशित कार्य-आदेश और समर्पण तथा प्रतिभा से संपन्न हमारे साथी कर्मचारी बी डी एल के समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं जिससे हमारे हितधारकों को स्थायी रूप से फल-प्राप्ति होती रहेगी।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)  
डी आई एन नं. 09808949

स्थान : हैदराबाद  
तिथि : 30 मई, 2024

# नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

## 1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है कि अपने सभी कार्यों में ईमानदारी सुनिश्चित की जाए, उचित बातों का प्रकटीकरण किया जाए, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वाधिकारों के हितों का ध्यान रखा जाए। कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत् पालन कर रही है।

कंपनी की गतिविधियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा नज़र रखी जाती है।

आपकी कंपनी एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (आगे से 'लिस्टिंग विनियम' के रूप में संदर्भित) तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (आगे से 'डी पी ई दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन मानदंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

## 2. निदेशक मंडल :

### ए) निदेशकों का गठन और श्रेणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है। दि. 31 मार्च, 2024 तक इसकी कुल प्रदत्त पूंजी का 74.93% भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में निदेशक मंडल सर्वोच्च निकाय है जो कंपनी के कामकाज की देखरेख करता है। शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निदेशक मंडल दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक सोच प्रदान करता है।

दि. 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) और छः अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति / कार्यकाल निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निदेशक एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं हैं।

### बी) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नवत है -

ए)	कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)	पदनाम
1)	कमोडोर ए माधवाराव (से.ति.) *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2)	श्री पी राधाकृष्ण <sup>§</sup>	निदेशक (उत्पादन)
3)	श्री एन श्रीनिवासूलू <sup>@</sup>	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
4)	श्री पी वी राजाराम #	निदेशक (उत्पादन)
बी)	अंशकालिक सरकारी निदेशक (कार्यपालकेतर अस्वतंत्र)	
1)	श्री अनुराग बाजपेयी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2)	श्री यू राजा बाबू <sup>^</sup>	सरकार द्वारा नामित निदेशक

सी)	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र)	
1)	श्री सुनील चिंतामन मोने	स्वतंत्र निदेशक
2)	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन	स्वतंत्र निदेशक
3)	डॉ. पवन स्थापक	स्वतंत्र निदेशक
4)	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा	स्वतंत्र निदेशक
5)	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत	स्वतंत्र निदेशक
6)	श्री जशवंत लाल	स्वतंत्र निदेशक

**टिप्पणी:**

\* कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.), निदेशक (तकनीकी) ने दि. 19 जुलाई, 2023 की रक्षा मंत्रालय की कार्यालय जापन संख्या डीडीपी.एम-0001 (24)/01/2022-डी (बीडीएल)-पार्ट-II के तहत दि. 19 जुलाई, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की दि. 31.03.2023 की कार्यालय आदेश संख्याएँ एम-0001 (24)/01/2022-डी (बीडीएल) और दि. 07 जुलाई, 2023 की कार्यालय आदेश संख्याएँ एम-0001 (24)/01/2022-डी (बीडीएल) के तहत क्रमशः श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन) को दि. 01 अप्रैल, 2023 से दि. 30 जून, 2023 तक और श्री एन श्रीनिवासुलू, निदेशक (वित्त) को दि. 01 जुलाई से दि. 18 जुलाई, 2023 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

\$ श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का दि. 01 जुलाई, 2023 से कार्यकाल समाप्त।

@ श्री एन एन श्रीनिवासुलू, निदेशक (वित्त) तथा सी एफ ओ का दि. 01 फरवरी, 2024 से कार्यकाल समाप्त।

# श्री पी वी राजाराम ने दि. 30 अगस्त, 2023 से निदेशक (उत्पादन) का कार्यभार ग्रहण किया।

^ रक्षा मंत्रालय की दि. 21 जुलाई, 2023 की कार्यालय जापन सं. एम0001 (11)/3/2018/(डी)बीडीएल के तहत श्री वी एच वी एस नारायण मूर्ति के स्थान पर सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त।

### सी) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल का गठन, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति सहित पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की कुल पाँच (05) बैठकें हुईं। इन बैठकों के दौरान सेबी विनियम और कंपनी अधिनियम के अनुसार किन्हीं दो बैठकों के बीच समय-सीमा के अधिकतम अंतर का अनुपालन किया गया है। निदेशक मंडल की बैठकें – दि. 25 मई, 2023; दि. 04 अगस्त, 2023; दि. 03 नवंबर, 2023; दि. 24 जनवरी, 2024 और दि. 21 मार्च, 2024 को संपन्न हुईं। निदेशक मंडल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें, वार्षिक आम-सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक सदस्यता / समिति सदस्यता का विवरण इस प्रकार है –

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक		दि. 28 सितंबर, 2023 को हुई विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशकत्व में हुई बैठकें (2)	ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों के नाम जहाँ निदेशक बोर्ड-सदस्य हैं	सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता (3)		
	निदेशकों के कार्यकाल में हुई निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग				सूचीबद्ध कंपनी का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी	अध्यक्ष के रूप में
<b>कार्यकारी निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)</b>								
कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष	-	-
श्री पी राधा कृष्ण निदेशक (उत्पादन) (दि. 01 जुलाई, 2023 से कार्यकाल समाप्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	-
श्री एन श्रीनिवासुलू निदेशक (वित्त) और सीएफओ (दि. 01 फरवरी, 2024 से कार्यकाल समाप्त)	4	4	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ	-	1
श्री पी वी राजाराम निदेशक (उत्पादन) (दि. 30 अगस्त, 2023 से नियुक्त)	3	3	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	-

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक		दि. 28 सितंबर, 2023 को हुई विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशकत्व में हुई बैठकें (2)	ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों के नाम जहाँ निदेशक बोर्ड-सदस्य हैं		सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता (3)	
	निदेशकों के कार्यकाल में हुई निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			सूचीबद्ध कंपनी का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी	अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
<b>अंशकालिक सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र)</b>								
श्री अनुराग बाजपेयी	5	4	नहीं	2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
					मझगाँव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
डॉ. बी एच बी एस नारायण मूर्ति (दि. 21 जुलाई, 2023 से कार्यकाल समाप्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
श्री यू राजा बाबू (दि. 21 जुलाई, 2023 से नियुक्त)	4	3	नहीं	1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
<b>अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक)</b>								
श्री सुनील चिंतामन मोने	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा	5	4	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	-	2
श्री राजेंद्र सिंह शेखावत	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	-	2
श्री नंदकुमार सुब्बुरामन	5	4	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
डॉ. पवन स्थापक	5	5			भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	-	2
श्री जशवंत लाल	5	5			भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	-	2

#### टिप्पणी :

- (1) कंपनी के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का वर्ष के दौरान कंपनी के साथ किसी प्रकार के आर्थिक लेन-देन का संबंध नहीं रहा। निदेशक मंडल के सदस्य न एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का रिश्ता रखते हैं और न ही एक दूसरे से संबंधित हैं।
- (2) अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्यता, निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत आने वाली कंपनियों के निदेशक के रूप में सदस्यता को छोड़कर।
- (3) एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 26 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता / सदस्यता और शेयरधारकों के संबंध में समिति की सभी कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या की गणना के लिए माना जाता है। कोई भी निदेशक कार्यरत सभी कंपनियों को मिलाकर दस से अधिक समितियों के सदस्य या पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है और कंपनी का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है। कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंध निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
- (4) श्री पी वी राजाराम दि. 31 मार्च, 2024 तक बी डी एल के प्रति शेयर रु. 10/- के अंकित मूल्य के 105 शेयर रखते हैं। कंपनी के कोई भी निदेशक, कंपनी में शेयर और / या कन्वर्टिबल इंस्ट्रुमेंट (परिवर्तनीय साधन) नहीं रखते हैं।
- (5) आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) तथा लिस्टिंग विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के अनुसार दि. 31 मार्च, 2023 तक स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता के संबंध में घोषणाएँ प्राप्त की हैं और स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) नियमों में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र नहीं दिया है।

**डी) निदेशक मंडल कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता :**

केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, दक्षताएँ, कार्य-काल और पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। कंपनी से संबंधित व्यवसाय (व्यवसायों) और क्षेत्र (क्षेत्रों) के संदर्भ में आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन सरकार की अपनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। पदाधिकारियों की वांछनीय योग्यता और अनुभव कार्यात्मक क्षेत्रों यानी वित्त, परिचालन, तकनीकी, मानव संसाधन और विपणन की आवश्यकता के अनुसार हैं। कार्यकारी निदेशकों की भर्ती के समय, उम्मीदवारों का जॉब डिस्क्रिप्शन, वांछित योग्यताएँ और अनुभव, रिक्तियों की घोषणा और उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम चयन बोर्ड को भेजा जाता है।

वैसे निदेशक मंडल में संव्यवहार क्षेत्र में प्रभावी कार्य के लिए आवश्यक पर्याप्त कौशल / विशेषज्ञताएँ / दक्षताएँ निदेशक मंडल में उपलब्ध हैं।

**ई) कानून के अनुपालन की समीक्षा :** कंपनी में सभी उचित प्रणालियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा बनायी गयी और साथ ही गैर-अनुपालन संबंधी घटनाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम पर कंपनी में लागू सभी कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समयवार समीक्षा की जा सके। निदेशक मंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी पर लागू कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की। वर्ष के दौरान किसी भी नियामक या अदालत या ट्रिब्यूनल ने कंपनी की वर्तमान स्थिति या भविष्य के परिचालन चिंतनीय किसी प्रकार का प्रमुख या भौतिक आदेश पारित नहीं किया।

**एफ) निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

स्वतंत्र निदेशक/(निदेशकों)को निदेशक मंडल में शामिल करते समय, कंपनी अधिनियम के तहत उनसे अपेक्षित अनुपालनों के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियम और अन्य लागू विनियम के तहत निदेशक के रूप में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों के विवरण के साथ एक स्वागत पत्र निदेशक(ओं) को संबोधित किया जाता है। कंपनी का प्रबंधन नवनि्युक्त निदेशक (निदेशकों) को कंपनी, उसके संचालन, कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं, कंपनी के विभिन्न प्रभाग और उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और कंपनी के बारे में अन्य प्रासंगिक महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित कराता है। साथ ही, निदेशकों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल से संबंधित प्रथाओं और अभिविन्यास कार्यक्रम आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित और प्रायोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट [www.bdl-india.in/sites/default/files/Familirisation%20Programme%20for%](http://www.bdl-india.in/sites/default/files/Familirisation%20Programme%20for%20) पर देख सकते हैं।

**जी) पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र**

मेसर्स नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव ने लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें पुष्टि की गई है कि दि. 31 मार्च, 2024 तक सेबी / निगम मामले मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

**एच) निदेशक तथा अधिकारी बीमा**

लिस्टिंग विनियम की विनियम सं. 25 (10) के अनुसरण में कंपनी में निदेशक और अधिकारी देयता बीमा नीति लागू है।

**3. निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियाँ :****ए) लेखापरीक्षा समिति**

लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 177, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वर्ष के दौरान दि. 25 मई, 2023; दि. 04 अगस्त, 2023; दि. 03 नवंबर, 2023; दि. 24 जनवरी, 2024 और दि. 21 मार्च, 2024 को लेखापरीक्षा समिति की कुल पाँच (05) बैठकें हुईं। उक्त बैठकों में सदस्यों की संरचना, इनमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निदेशकों की श्रेणी	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री सुनील चिंतामन मोने, अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	5	5
2	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	5	4
3	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	5	5
4	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	5	3
5	डॉ. पवन स्थापक, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	5	5
6	श्री जशवंत लाल, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	5	5

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

कार्यकारी निदेशकों (सी एम डी के अलावा) को स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाता है और सांविधिक लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य करने वाली बाहरी सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि नियंत्रण प्राप्त होने पर भाग लेंगे। लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने कंपनी की 53वीं वार्षिक आम सभा में भाग लिया।

#### विचारार्थ विषय :

लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्ध विनियम, डीपीई दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के तहत उल्लिखित विचारार्थ विषय का अनुपालन करती है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होने वाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन।
- लेखापरीक्षकों के मानदेय के निर्धारण के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम 2015 की अनुसूची II भाग 'सी' में उल्लिखित विशेष संदर्भ के साथ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्यनिष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावधर्मिता की समीक्षा और अनुवीक्षण करना।
- अनुमोदन या संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन के बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन।
- अंतर-निगमिय ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहाँ आवश्यकता हो, कंपनी की वचनबद्धताओं या परिसंपत्तियों का मूल्य-निर्धारण करना।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति / निष्कासन और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ परामर्श कर लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभागीय प्रमुख की वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों और / अथवा लेखापरीक्षकों से प्राप्त किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा कर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या वस्तुगत प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के संबंध में आंतरिक जाँच की समीक्षा कर तत्संबंधी जानकारी निदेशक मंडल को देना।
- सांविधिक, आंतरिक और सरकारी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की समीक्षा कर उनके आधार पर सिफारिशें प्रदान करना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

- लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना अथवा लेखापरीक्षा उपरांत किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा करना।
- जमाकर्ता, डिबेंचर धारक, शेयरधारकों (घोषित लाभांश और लेनदारों के भुगतान के मामले में) के भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की पड़ताल करना।
- विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म के काम-काज की समीक्षा करना।
- संसद के सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- एकल स्रोत से खरीद के मामलों की समीक्षा करना।
- रु. 100 करोड़ की सबसिडरी या संपत्ति के आकार के 10% से अधिक के कंपनी निवेश पर / से प्राप्त ऋण / अग्रिम की उपयोगिता की समीक्षा करना।

#### बी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 178(1), लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वर्ष के दौरान दि. 25 मई, 2023 और दि. 03 नवंबर, 2023 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो (02) बैठकें हुईं। उक्त बैठकों में सदस्यों की संरचना, इनमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निदेशकों की श्रेणी	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	1
2	श्री सुनील चिंतामन मोने सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
3	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
4	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	1
5	डॉ. पवन स्थापक सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
6	श्री जशवंत लाल, सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

#### विचारार्थ विषय

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :

- उपलब्ध मानदंडों के अनुसार जिन व्यक्तियों को उच्च प्रबंधक (अर्थात् अधिशासी निदेशक) पद पर नियुक्त किया जा सकता है, उनकी पहचान कर निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति या निष्कासन की सिफारिश करना।
- प्रबंधन को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना।
- वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल के सदस्य न होने की स्थिति में सी ई ओ / प्रबंधक सहित सी ई ओ / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक से एक स्तर नीचे के प्रबंधन सदस्य) को देय सभी प्रकार के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- वार्षिक बोनस / कार्यनिष्पादन वेतन / परवर्ती वेतन पूल का निर्धारण कर, सभी कार्यपालकों में इसके वितरण संबंधी नीति निर्धारित करना।
- कार्यपालकों के लिए अनुलाभ और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाएँ बनाना और इनका संशोधन।
- कार्यपालक अथवा कार्यपालकेतर वर्ग संबंधी जिनके लिए भी हो, प्रतिपूर्ति संबंधी नई योजना बनाना।
- सेक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किसी भी अन्य कानून और उनके संशोधन के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपी गई भूमिका अदा करना।

**पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :**

- ए) केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इन्हें देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा जारी पत्र में उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी।
- बी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या इनमें से पहले आने वाली अवधि तक की जाती है।
- सी) अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी निदेशक) सामान्यतः प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मंडल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक होता है। इनको किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक / शुल्क देय नहीं होगा।
- डी) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आरंभतः 3 वर्ष तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक होता है। सरकारी निदेश / सांविधिक नियम-विनियम के अनुपालन में निर्धारित अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है। निदेशक मंडल ने दि. 03 नवंबर, 2023 को संपन्न अपनी 278वीं बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए देय प्रति बैठक का प्रतिभागिता शुल्क बढ़ाकर रु. 30,000/- और बोर्ड स्तर की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए देय प्रतिभागिता शुल्क बढ़ाकर रु. 20,000/- कर दिया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को देय प्रतिभागिता शुल्क की समीक्षा की है और यह दि. 16 दिसंबर, 2019 की डी पी ई कार्यालय ज्ञापन सं. 9 (23)/2014-एम जी एम टी के अनुपालन में है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है :

स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि (₹)
श्री सुनील चिंतामन मोने	3,75,000
श्री नंदकुमार सुब्बुरामन	2,40,000
प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा	3,05,000
श्री राजेंद्र सिंह शेखावत	3,75,000
डॉ. पवन स्थापक	3,75,000
श्री जशवंत लाल	3,75,000

- ई) वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यकारी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण इस प्रकार है :

								(रुपय में)
निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम	वेतन	अनुलाभ	प्रावकाश नकदीकरण	भविष्य निधि और इंक्रिमेंटल ग्रैच्युटी / अवकाश/ पेंशन - कार्यपालक योजना / पी एस एम बी -II में कंपनी का योगदान	प्रोत्साहन	कुल	31 मार्च 2024 को कंपनी में मौजूद ₹ 10 अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या (लाभप्रद आधार पर सहित)
कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)*	सी एम डी	47,87,084	9,31,889	-	11,61,933	16,62,463	85,43,369	0
श्री पी राधाकृष्ण <sup>§</sup>	निदेशक (उत्पादन)	8,94,732	1,79,272	-	49,08,098	16,10,900	75,93,003	0
श्री एन श्रीनिवासूलू <sup>#</sup>	निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ	29,04,941	5,71,961	-	53,90,355	15,21,480	1,03,88,737	0
श्री पी वी राजाराम <sup>^</sup>	निदेशक (उत्पादन)	35,29,966	6,92,833	1,69,761	10,74,892	11,17,661	65,85,113	105
श्री जी गायत्री प्रसाद <sup>&amp;</sup>	सी एफ ओ	85,564	16,541	-	24,860	22,558	1,49,523	652
श्री एन नागराज	कंपनी सचिव	18,78,936	3,68,814	1,27,290	6,33,293	4,08,154	34,16,487	0

\* दि. 19 जुलाई, 2023 से निदेशक (तकनीकी) के पद से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत।

<sup>§</sup> दि. 01 जुलाई, 2023 से कार्य-काल समाप्त।

<sup>#</sup> दि. 01 फरवरी, 2024 से कार्य-काल समाप्त।

<sup>^</sup> दि. 30 अगस्त, 2023 से नियुक्त।

<sup>&</sup> दि. 21 मार्च, 2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त।

एफ) स्टॉक विकल्प :- कंपनी में निदेशक मंडल / शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार की स्टॉक विकल्प योजनाएँ / स्कीम मौजूद नहीं हैं।

जी) कंपनी अपने निदेशकों को किसी भी प्रकार के कमीशन का भुगतान नहीं करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों में भाग लेने का पारिश्रमिक और अपने काम-काज के निर्वहन के दौरान हुए खर्च के पुनर्भुगतान के अतिरिक्त किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक ने किसी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखा और लेन-देन नहीं की थी।

एच) निदेशक मंडल के सदस्यों के मूल्यांकन संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) और लिस्टिंग विनियम 17 एवं 19 के प्रावधान आपके कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि इस संबंध में सभी सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है। आगे, दि. 17 जनवरी, 2018 की पत्र सं. एस ई बी आई/एच ओ/ सी एफ डी / डी आई एल 1/ ओ डब्ल्यू / पी/2018/1679/1 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एल ओ डी आर)] के प्रावधानों के तहत आपकी कंपनी को इसी प्रकार की छूट मंजूर की गई है। निगम मामले मंत्रालय ने भी सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति तैयार करने से छूट दी है।

आई) पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से लेकर हुए परिवर्तन सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण : विवरण के लिए निगम संबंधी सूचना की पृष्ठ संख्या 2 देखें।

### सी) हितधारक संबंध समिति :

हितधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और लिस्टिंग विनियम 20 तथा डी पी ई दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

वर्ष के दौरान दि. 21 मार्च, 2024 को हितधारक संबंध समिति की एक बैठक हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान इस समिति की संरचना, समिति की बैठकों में इनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निदेशक की श्रेणी	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री सुनील चिंतामन मोने सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
3	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
5	डॉ. पवन स्थापक सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
6	श्री जशवंत लाल सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
7	श्री. एन श्रीनिवासुलु सदस्य (01 फरवरी 2024 से कार्यकाल समाप्त)	कार्यकारी निदेशक	0	लागू नहीं

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

### विचारार्थ विषय

- कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार कर इनका समाधान करना। इनमें शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना और घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नये / प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र जारी करना, आम सभा आदि शामिल है।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
- दावा न किये गये लाभांश को कम करने के लिए कंपनी द्वारा की गई पहल की समीक्षा करना और कंपनी की ओर से शेयरधारकों को लाभांश वारंट / वार्षिक विवरण / सूचनाएँ समय पर प्राप्त हों, इसका सुनिश्चयन कर इसकी समीक्षा करना।

कंपनी ने कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इनका संपर्क-सूत्र इस प्रकार है :

**श्री एन नागराजा**

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग

आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट

गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032.

दूरभाष : 040-23456145

ई-मेल : [investors@bdl-india.in](mailto:investors@bdl-india.in)

कंपनी तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर शिकायतों का जवाब देने का प्रयास करती है। लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46 (2) (जे अण्ड के) के अनुसार अनुपालन अधिकारी के नाम और पदनाम सहित अन्य संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट [www.bdl-india.in](http://www.bdl-india.in) पर दिया गया है। आगे, एस ई वी आई शिकायत निवारण प्रणाली (एस सी ओ आर ई एस) पर दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी के लिए कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट (एस ए टी) मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लि. प्राधिकृत है।

सूचीबद्ध विनियम के विनियम 13 (4) के अनुसार, वी एस ई और एन एस ई को दिये गये निवेशक शिकायतों पर त्रैमासिक विवरण निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निवेशक शिकायतें और उनके निवारण की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष के आरंभ में लंबित कुल शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	7
वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतों की संख्या	7
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0

**डी) सी एस आर एवं सतत् विकास समिति :**

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। वर्ष के दौरान दि. 25 मई, 2023; दि. 03 नवंबर, 2023 और दि. 24 जनवरी, 2024 को सी एस आर एवं सतत् विकास समिति की तीन (03) बैठकें हुईं।

वर्ष 2023-24 के दौरान इस समिति की संरचना, समिति की बैठकों में इनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निदेशक की श्रेणी	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
2	श्री सुनील चिंतामन मोने सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
3	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	2
4	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	1
5	डॉ. पवन स्थापक सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
6	श्री जशवंत लाल सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
7	श्री पी राधाकृष्ण सदस्य (दि. 01 जुलाई, 2023 से कार्य- काल समाप्त)	कार्यपालक निदेशक	1	-
8	श्री पी वी राजाराम सदस्य (दि. 03 नवंबर, 2023 से नियुक्त)	कार्यपालक निदेशक	1	1

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

**विचारार्थ विषय**

- निदेशक मंडल को नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास संबंधी नीति की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास के लिए कार्य-योजना की सिफारिश करना तथा शीघ्र, मध्यम और दीर्घावधि में आरंभ की जाने वाली परियोजनाएँ तय करना।
- वार्षिक सी एस आर एवं सतत् विकास योजना तथा बजट की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास नीति, योजना तथा बजट की आवधिक समीक्षा करना।

**ई) जोखिम प्रबंधन समिति :**

सेबी (एल ओ डी आर) विनियमों में संशोधनों के आधार पर निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और सूची विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

वर्ष के दौरान दि. 04 अगस्त, 2023 और दि. 24 जनवरी, 2024 को जोखिम प्रबंधन समिति की दो (02) बैठकें हुईं।

वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त समिति की की संरचना, समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	निदेशक की श्रेणी	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. पवन स्थापक अध्यक्ष	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
2	श्री सुनील चिंतामन मोने सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
3	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
4	श्री राजेंद्र सिंह शेखावत सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
5	श्री नंदकुमार सुब्बुरामन सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	1
6	श्री जशवंत लाल सदस्य	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
7	श्री पी वी राजाराम* सदस्य (दि. 03 नवंबर, 2023 से नियुक्त)	कार्यपालक निदेशक	1	1
8	कमोडोर ए माधवराव (से.नि.) सदस्य (03 नवंबर 2023 से कार्यकाल समाप्त)	कार्यपालक निदेशक	1	0

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

**विचारार्थ विषय**

- जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ विशेषकर वित्तीय, परिचालनीय, सचिवीय, सातत्यता (विशेषकर ई एस जी से संबंधित जोखिम), सूचना व साइबर सुरक्षा जोखिम सहित समिति द्वारा पहचानी गयी अन्य जोखिम की गुणवत्ता, अखंडता और प्रभावशीलता की समीक्षा और आकलन करना और यह सुनिश्चित करना कि जोखिम नीतियों और रणनीतियों को प्रभावी रूप से लागू करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी चालू और नई व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम और रिवाइड के बीच विवेकपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उचित उपाय करना।
- जोखिम रणनीतियों, नीतियों, रूपरेखा, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में निदेशक मंडल की सहायता करना।
- कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति, भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार की समीक्षा व मूल्यांकन करना और जोखिम प्रबंधन कार्य के क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी ने जोखिम की पहचान करने के लिए तथा मान्यताओं के एक बोर्ड सेट के खिलाफ संभावित प्रभाव को मापने के लिए एक प्रभावी चालू प्रक्रिया को लागू किया है और फिर इन जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए व इन जोखिमों का सामना करने की कंपनी की क्षमता व सहिष्णुता का निर्धारण करना।
- अतिरिक्त जोखिमों की पहचान करने के लिए, यदि कोई हो और जोखिम स्वीकृति सहित जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ तय करें।

#### 4) निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ :

निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ इस प्रकार हैं :

##### ए) खरीद समिति

खरीद समिति निम्नलिखित सीमाओं के भीतर क्रय आदेश देने / संविदा करने की मंजूरी / समीक्षा का अधिकार रखती है-

आधार	पूँजी की प्रकृति	राजस्व की प्रकृति
एकल निविदा / नामांकन एवं उचित संदर्भ	रु. 30 करोड़ तक	रु. 30 करोड़ तक
एकल निविदा मामलों से अलग	रु. 60 करोड़ तक	रु. 60 करोड़ तक
एकल निविदा से अलग (वर्कर्स)	रु. 100 करोड़ तक	रु. 100 करोड़ तक

कंपनी ने इस समिति का पुनर्गठन किया जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं। वर्ष के दौरान दि. 27 अप्रैल, 2023; दि. 07 जून, 2023; दि. 17 जुलाई, 2023; दि. 08 अगस्त, 2023; दि. 29 सितंबर, 2023; दि. 13 अक्टूबर, 2023; दि. 01 दिसंबर, 2023 और दि. 07 मार्च, 2024 को इस समिति की आठ (08) बैठकें हुईं।

##### बी) शेयर प्रमाण पत्र समिति

प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करने, रीमैटरियाइजेशन और डीमैट अनुरोधों पर शेयर प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार कर अनुमोदन देने के लिए पदेन सदस्यों के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; निदेशक (वित्त); निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (उत्पादन) को शामिल करते हुए शेयर प्रमाण-पत्र समिति का गठन किया गया है। किसी प्रकार के डी-मैट / रीमैट अनुरोध प्राप्त न होने की वजह से वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक संपन्न नहीं हुई।

##### सी) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और लिस्टिंग विनियम के विनियम 25 के अनुसार दि. 21 मार्च, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना के आदान-प्रदान की गुणता, मात्रा और समय-सीमाओं की समीक्षा की जो अपने काम-काज के निर्वहन के लिए निदेशक मंडल के लिए आवश्यक है। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहे। इस बैठक का कार्यवृत्त निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

60

#### 5. आम सभाएँ :

i) कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुईं। पिछले तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार है -

वा.आ.स. की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	लिये गये कुल मुख्य संकल्प
53	2022-23	28 सितंबर, 2023	15:00 बजे	निगम कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से	1
52	2021-22	26 सितंबर, 2022	15:00 बजे	निगम कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से	5
51	2020-21	27 सितंबर, 2021	15:00 बजे	निगम कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से	शून्य

##### ii) डाक मतपत्र के माध्यम से पारित संकल्प :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के सदस्यों ने डाक मतदान परची के माध्यम से प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्पों को अनुमोदित किया है :

- ए) **विशेष संकल्प** : 'अंतरिक्ष से संबंधित उत्पादों के विनिर्माण और सेवाएं प्रदान करने' से संबंधित नई उद्देश्य उप-खण्ड को शामिल करते हुए कंपनी के संगम ज्ञापन (एमओए) में परिवर्तन।
- ख) **साधारण संकल्प** : ₹ 10/- के अंकित मूल्य के पूर्ण-प्रदत्त 1 इक्विटी शेयर का ₹ 5/- के अंकित मूल्य के पूर्णप्रदत्त 2 इक्विटी शेयर में उप-विभाजन/विभाजन।
- ग) **साधारण संकल्प** : शेयर के उप-विभाजन/विभाजन के परिणामस्वरूप संगम ज्ञापन के पूँजी खण्ड में परिवर्तन।

##### iii) डाक मतदान पत्र के लिए अपनाई गई प्रक्रिया :

सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 03/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023

(सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र'), प्रस्तावों को केवल दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया ("ई-वोटिंग") के माध्यम से पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव किया गया था। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली थीं। पेशेवर कंपनी सचिव श्री जी नरेंद्र (सदस्यता संख्या: एफसीएस 4898), प्रोपराइटर, मेसर्स नरेंद्र एंड एसोसिएट्स, ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतदान के लिए संवीक्षक के रूप में काम किया। निगम मामले मंत्रालय के परिपत्रों के अनुसरण में, दि. 21 मार्च, 2024 को डाक मतदान पत्र नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया था, जिनके नाम शुक्रवार, 22 मार्च, 2024 ("अंतिम तिथि") को डिपॉजिटरी से प्राप्त सदस्यों/हितलाभधारियों की सूची में दर्शाए गए थे और जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत थे। पोस्टल बैलट सूचना में मतदान के निर्देशों के बारे में बताया गया था। सदस्यों ने बुधवार दि. 27 मार्च, 2024 को 09.00 से गुरुवार, दि. 05 अप्रैल, 2024 शाम 5.00 बजे की अवधि के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग किया। संवीक्षक ने जॉच उपरांत दि. 29 अप्रैल, 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी दिन ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए गए। ई-वोटिंग के परिणाम का सारांश इस प्रकार है :

**मद सं. 1 : 'अंतरिक्ष से संबंधित उत्पादों के विनिर्माण और सेवाएँ प्रदान करने' से संबंधित नई उद्देश्य उप-खण्ड को शामिल करते हुए कंपनी के अनुबंध ज्ञापन (एमओए) में परिवर्तन - विशेष संकल्प**

विवरण	कुल वोट का %	परिणाम
संकल्प के पक्ष में प्राप्त वोट	99.997	आवश्यक बहुमत से पारित
संकल्प के विरोध में प्राप्त वोट	0.003	

**मद सं. 2 : ₹ 10/- के अंकित मूल्य के पूर्ण-प्रदत्त 1 इक्विटी शेयर का ₹ 5/- के अंकित मूल्य के पूर्णप्रदत्त 2 इक्विटी शेयर में उप-विभाजन/विभाजन - साधारण संकल्प**

विवरण	कुल वोट का %	परिणाम
संकल्प के पक्ष में प्राप्त वोट	99.997	आवश्यक बहुमत से पारित
संकल्प के विरोध में प्राप्त वोट	0.003	

**मद सं. 3 : शेयर के उप-विभाजन/विभाजन के परिणामस्वरूप अनुबंध ज्ञापन के पूँजी खण्ड में परिवर्तन - साधारण संकल्प**

विवरण	कुल वोट का %	परिणाम
संकल्प के पक्ष में प्राप्त वोट	99.997	आवश्यक बहुमत से पारित
संकल्प के विरोध में प्राप्त वोट	0.003	

- iv) उक्त प्रस्ताव 25 अप्रैल, 2024 को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था। डाक मतपत्र का मतदान परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- v) डाक मतपत्र के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव को पारित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, यदि आवश्यक हुआ, तो इसे कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमों या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में पारित किया जाएगा।

## 6) संप्रेषण के माध्यम :

अपने शेयरधारक, निदेशक तथा अन्य भागीदारों के साथ कंपनी संप्रेषण के सभी माध्यम अपनाती है जिसमें पत्राचार और कंपनी की वेबसाइट ([www.bdl-india.in](http://www.bdl-india.in)) के साथ-साथ अन्य माध्यम शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। इसमें कंपनी के उत्पाद, प्रबंधन की भविष्य-दृष्टि, मिशन, मानव संसाधन, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता, निविदाओं का विवरण, ई-खरीद, सतर्कता, आरटीआई और अन्य अद्यतन जानकारी सहित समाचार शामिल रहे हैं। 'निवेशक' शीर्षक के अंतर्गत, शेयरधारक / निवेशकों की निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली, निवेशक / विश्लेषक को दी गई प्रस्तुतियाँ, कंपनी के कोड एवं नीतियाँ, वित्तीय परिणाम, शेयर ट्रांसफर एजेंट के संपर्क विवरण सहित शेयरहोल्डिंग पैटर्न और कंपनी से संबंधित अन्य गतिविधियाँ व सूचनाएँ दी जाती हैं। कंपनी, सूचीकरण विनियमों की अनुसूची III के भाग 'ए' के साथ पठित विनियम 30 के तहत प्रकटन करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटित करती है। इसमें कंपनी के प्रदर्शन / संचालन या अन्य मूल्य संवेदनशील जानकारी को प्रभावित करने वाली सामग्री संबंधी जानकारी शामिल है। आधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियाँ और संस्थागत निवेशकों / विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियाँ कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/investors-meeting-presentation> पर पोस्ट की जाती हैं।

सूचीयन विनियम के अनुसार, कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद एन एस ई और बी एस ई को ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। साथ ही, कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/index.php/financial-results> पर भी दे दिये जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम पूरे भारत में या लगभग पूरे भारत से प्रकाशित राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी समाचार-पत्र और क्षेत्रीय भाषा के रूप में तेलुगु समाचार पत्र और राजभाषा के नाते हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं। कंपनी के प्रदर्शन संबंधी जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है।

## 7) सामान्य शेयरधारक संबंधी जानकारी

ए. वर्ष 2023-24 के लिए 54वीं आम सभा 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 15.00 बजे होगी।

बी. कंपनी का वित्तीय वर्ष दि. 01 अप्रैल से आरंभ होता है और दि. 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 संबंधी परिणाम की घोषणा का अस्थाई कैलेंडर इस प्रकार है :

30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए	14.08.2024 या उससे पहले
30.09.2024 को समाप्त तिमाही के लिए	14.11.2024 या उससे पहले
31.12.2024 को समाप्त तिमाही के लिए	14.02.2025 या उससे पहले
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	30.05.2025 या उससे पहले
55वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2025 या उससे पहले

सी. सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका शुक्रवार दि. 20 सितंबर, 2024 से शुक्रवार, दि. 27 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

डी. लाभांश का भुगतान, घोषणा के 30 दिन के भीतर किया जाएगा।

ई. कंपनी के ईक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

<b>दि बी एस ई लिमिटेड ('बीएसई')</b> पी जे टावर्स, 26वाँ तल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	<b>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई')</b> एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051
---	--

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को सूची शुल्क का भुगतान कर दिया है।

एफ. संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के ईक्विटी शेयरों का आबंटित स्टॉक कोड और कंपनी के ईक्विटी शेयर व्यापार के लिए जमाकर्ताओं द्वारा दी गई आई एस आई एन नंबर का विवरण इस प्रकार है :

शेयर एक्सचेंज	स्टॉक कोड
बी एस ई	541143
एन एस ई	बीडीएल
आई एस आई एन	INE171Z01018
एम सी ए सी आई एन	L24292TG1970GOI001353

## जी. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान

कंपनी नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सी डी एस एल) के साथ निवेशित पूंजी, कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी का समाधान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान प्राप्त करती है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट पृष्टि करती है कि कुल जारी / भुगतान पूंजी भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध डी-मटेरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट बीएसई और एनएसई को अग्रेषित की जाती है जहाँ ये शेयर सूचीबद्ध हैं। कंपनी वर्ष में एक बार पेशेवर कंपनी सचिव से एक अनुपालन प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करती है जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि हस्तांतरण संबंधी अनुरोध हर तरह से संसाधित किये गये हैं और हस्तांतरण पृष्ठांकन सहित शेयर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर कंपनी द्वारा जारी कर दिये गये हैं। अनुपालन संबंधी यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को अग्रेषित किया जाता है जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दोनों जमाकर्ता यथा – एन एस डी एल और सी डी एस एल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

**एच. बाजार मूल्य डॉटा**


बी एस ई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) में कंपनी के शेयर के उच्च / न्यून बाजार मूल्य इस प्रकार हैं :


- 1) वर्ष 2023-24 के दौरान के दौरान बी एस ई सेंसेक्स और एस अण्ड पी बी एस ई 500 इंडेक्स की तुलना में बी एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

महीना	बीएसई सेंसेक्स बंद	एस अण्ड पी बी एस ई पूँजीगत माल (सेक्टरल इंडेक्स)	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (₹ लाख में)
			उच्च ₹	न्यूनतम ₹	बंद ₹		
अप्रैल, 2023	61112.44	24209.37	1029.60	952.50	1004.55	672428	6653.48
मई, 2023	62622.24	25059.67	1115.55	971.10	1099.90	818046	8544.84
जून, 2023	64718.56	26078.65	1247.00	1062.55	1120.15	1158652	13292.48
जुलाई, 2023	66527.67	27069.01	1278.00	1078.05	1227.65	736112	8798.76
अगस्त, 2023	64831.41	26848.76	1236.90	1095.10	1126.60	488058	5597.03
सितंबर, 2023	65828.41	27407.75	1225.00	955.30	1031.85	1240906	13815.62
अक्टूबर, 2023	63874.93	26605.19	1043.05	901.00	973.65	650475	6417.33
नवंबर, 2023	66988.44	28442.43	1184.00	975.00	1161.85	681878	7529.81
दिसंबर, 2023	72240.26	30720.28	1810.00	1185.10	1713.15	2069546	31215.41
जनवरी, 2024	71752.11	31303.35	1839.60	1625.50	1707.45	1033545	17730.87
फरवरी, 2024	72500.30	31777.02	1984.40	1553.80	1807.70	1623982	28777.26
मार्च, 2024	73651.35	32043.20	1882.20	1552.15	1751.30	726965	12549.15

दि. 31 मार्च, 2024 तक कंपनी का बाजार पूँजीकरण रु. 32098.04 करोड़ है।

वर्ष 2023-24 के दौरान बी एस ई सेंसेक्स बंद होने की स्थिति के साथ बी एस ई सेंसेक्स अण्ड एस अण्ड पी बी एस ई पूँजी की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत की गयी है :







2) वर्ष 2023-24 के दौरान के दौरान एन एस ई सेंसेक्स की तुलना में एन एस ई निफ्टी इन्फ्रा पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

महीना	एन एस ई निफ्टी बंद	निफ्टी इन्फ्रा बंद (सेक्टरल इंडेक्स)	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (₹ लाख में)
			उच्च ₹	उच्च ₹	उच्च ₹		
अप्रैल, 2023	18065.00	5356.20	1030.00	951.75	1005.30	9742791	96717.31
मई, 2023	18534.40	5459.80	1114.90	975.30	1101.75	13424372	140276.29
जून, 2023	19189.05	5738.70	1247.00	1062.95	1120.25	17596835	203890.95
जुलाई, 2023	19753.80	6115.35	1278.00	1077.50	1227.55	20881040	249613.80
अगस्त, 2023	19253.80	5947.00	1237.35	1093.10	1126.40	8318549	95403.74
सितंबर, 2023	19638.30	6242.85	1224.40	956.00	1031.30	17550960	197699.92
अक्टूबर, 2023	19079.60	6095.40	1043.00	900.00	974.15	10039739	103089.72
नवंबर, 2023	20133.15	6585.60	1184.00	973.00	1162.75	14754397	162231.64
दिसंबर, 2023	21731.40	7303.40	1810.95	1185.05	1712.35	41094646	621975.68
जनवरी, 2024	21725.70	7859.90	1838.80	1630.00	1707.05	16763761	288693.42
फरवरी, 2024	21982.80	8085.75	1984.80	1556.35	1809.10	29674810	530049.44
मार्च, 2024	22326.90	8336.00	1880.00	1552.10	1751.90	15203023	302708.09

दि. 31 मार्च, 2024 तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण रु. 32109.04 करोड़ है।

वर्ष 2023-24 के दौरान एन एस ई निफ्टी बंद होने की स्थिति के साथ एन एस ई निफ्टी और निफ्टी-इन्फ्रा पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है :



#### आई. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

एस ई बी आई के साथ पंजीकृत श्रेणी 1 के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, दिल्ली हमारी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट हैं। लाभांश संबंधी सभी समस्याएँ, शिकायत सहित डी-मेटेरियलाइजेशन / री-मेटेरियलाइजेशन अनुरोध और तत्संबंधी मामलों सहित शेयर हस्तांतरण / ट्रांसमिशन / स्प्लिट / समेकन / प्रमाण-पत्र की अनुलिपि जारी करने / पते में परिवर्तन संबंधी अनुरोध भेजने के लिए आर टी ए का पता इस प्रकार है :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड  
सेबी पंजीकरण सं. INR000002532  
4ई/2 झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055  
दूरभाष : +91 11 42541234; फेकस्माइल : +91 11 41543474  
ई-मेल : [rta@alankit.com](mailto:rta@alankit.com) वेबसाइट : [www.alankit.com](http://www.alankit.com)

## जे. शेयर ट्रांसफर प्रणाली

कंपनी के शेयर का व्यापार डी-मेट्रीरियालाइज्ड रूप में किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में, ब्रोकर द्वारा खरीद / बिक्री के लेन-देन की पुष्टि के बाद, शेयरधारक को इस लेन-देन संबंधी लेखा के विकलन / जमा का अनुरोध करते हुए अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (डी पी) से संपर्क करना चाहिए। डिपाजिटरी प्रतिभागी द्वारा लेखा का अद्यतन कर तुरंत लेन-देन पूरा करने की व्यवस्था की जाती है। कंपनी या एस टी ए के साथ अलग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

'सेबी' ने दि. 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है कि सभी प्रतिभूतियों के संचरण या अंतरण के लिए प्राप्त अनुरोध न होने तक केवल अभौतिकीकृत रूप में ही अंतरित किया जाए। इस संबंध में किसी प्रकार के सहयोग के लिए सदस्य कंपनी या आर टी ए से संपर्क कर सकते हैं।

'सेबी' द्वारा क्रमशः दि. 03 नवंबर, 2021 की परिपत्र सं. एस ई बी आई / एच ओ / एम आई आर एस डी / एम आई आर एस डी आर टी ए एम बी / पी / सी आई आर / 2021/655 और दि. 14 दिसंबर, 2021 की परिपत्र सं. एस ई बी आई / एच ओ / एम आई आर एस डी / एम आई आर एस डी आर टी ए एम बी / पी / सी आई आर / 2021/687 का अधिक्रमण करते हुए जारी 'सेबी' की दि. 16 मार्च, 2023 की परिपत्र सं. एस ई बी आई / एच ओ / एम आई आर एस डी / एम आई आर एस डी पी ओ डी-1/पी/ सी आई आर / 2023/37 के अनुसरण में 'सेबी' ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने भौतिक रूप से प्रतिभूतियाँ रखने वाले धारकों का 'पैन', नामांकन, संपर्क-सूत्र, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर संबंधी रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। दि. 01 अक्टूबर, 2023 के बाद उक्त में से कोई भी दस्तावेज / विवरण उपलब्ध न होने पर आर टी ए द्वारा उस फोलियो को बंद कर दिया जाता है। निम्न अनुसार बंद फोलियो प्रतिभूतियों के लिए अर्ह्य होंगे :

- ऊपर उल्लिखित अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज / विवरण उपलब्ध कराने के उपरांत कोई शिकायत दर्ज करने या किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करने के लिए।
- केवल ऊपर उल्लिखित आवश्यकताएँ पूरी करने के उपरांत ही लाभांश, ब्याज, पुनःप्राप्त राशि (जो केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा) प्राप्त करने के लिए।

'पैन', के वाई सी बैंक विवरण और नामांकन आदि से संबंधित फॉर्म यथा – आई एस आर-1, आई एस आर-3 सहित उक्त संदर्भित 'सेबी' परिपत्र हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## के. दि. 31 मार्च, 2024 तक शेयरधारण पद्धति

क्र.सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयर	शेयरधारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1	137325527	74.93
2	म्युचुअल फण्ड / यू टी आई	20	14538089	7.93
3	बीमा कंपनियाँ	16	7248744	3.95
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	67	5411094	2.95
5	निगम निकाय	882	1278757	0.70
6	व्यक्ति	238080	14791761	8.07
7	न्यास	10	85622	0.05
8	एन आर आई	4532	934700	0.51
9	क्लियरिंग सदस्य	47	110708	0.06
10	कर्मचारी	127	13819	0.01
11	एच यू एफ	4356	585092	0.32
12	वैकल्पिक निवेश फण्ड	12	932868	0.51
13	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एन बी एफ सी पंजी	6	2719	-
14	बैंक	1	1500	-
15	योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीदार	1	20250	0.01
	<b>कुल</b>	<b>248158</b>	<b>183281250</b>	<b>100</b>

## (एल)दि. 31 मार्च, 2024 तक सर्वोच्च 10 शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	कुल धारित शेयर	%
1	भारत के राष्ट्रपति	137325527	74.9261
2	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लि. अकाउण्ड एच डी एफ सी वैलेंसड एडवांटेज फण्ड	3488097	1.9031
3	भारतीय जीवन बीमा निगम	2626403	1.433
4	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1048747	0.5722
5	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अकाउण्ड ग्रोथ सूपर फण्ड	957601	0.5225
6	कोटक महीन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	787791	0.4298
7	निप्पोन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि. - अकाउण्ड - निप्पोन इंडिया स्माल कैप फण्ड	763249	0.4164
8	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लि. - एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फण्ड	749084	0.4087
9	केनरा रोबेको म्युचुअल फण्ड अकाउण्ड - केनरा रोबेको स्माल कैप फण्ड	663673	0.3621
10	एक्सेस म्युचुअल फण्ड ट्रस्टी लिमिटेड - अकाउण्ड - एक्सेस म्युचुअल फण्ड अकाउण्ड एक्सेस मिडकैप फण्ड	576454	0.3145

## एम. दि. 31 मार्च, 2024 तक शेयरधारण का वितरण

श्रेणी	कुल		भौतिक रूप में		डीमैट			
	कुल शेयरधारक	%	कुल शेयर	%	कुल शेयरधारक	कुल शेयर		
1 - 500	244503	98.53	10042166	5.48	0	0	244503	10042166
501-1000	2119	0.85	1587974	0.87	0	0	2119	1587974
1001-2000	823	0.33	1197750	0.65	0	0	823	1197750
2001-3000	246	0.10	627908	0.34	0	0	246	627908
3001-4000	90	0.04	321875	0.18	0	0	90	321875
4001-5000	72	0.03	338311	0.18	0	0	72	338311
5001-10000	146	0.06	1064208	0.58	0	0	146	1064208
10001 और उससे अधिक	159	0.06	168101058	91.72	0	0	159	168101058
<b>कुल</b>	<b>248158</b>	<b>100.00</b>	<b>183281250</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248158</b>	<b>183281250</b>

## एन. शेयर का डीमैटीरियलाइजेशन और परिसमापन

कंपनी के शेयर दोनों ही डिपाजिटरियों यथा - नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) में दिये गये हैं। दि. 31 मार्च, 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	कुल शेयर	%
1	एन एस डी एल	174773555	95.36
2	सी डी एस एल	8507695	4.64
3	भौतिक रूप में	-	-
	<b>कुल</b>	<b>183281250</b>	<b>100.00</b>

कंपनी के शेयर बहुत चलनिधि गत हैं और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सक्रिय रूप से इसका कारोबार हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टर्नओवर का डाटा इस प्रकार है:

विवरण	बी एस ई	एन एस ई	कुल
कारोबार किये गये शेयर	11900593	215044923	226945516
मूल्य (रुपये लाख में)	160922.04	2992350	3153272.04

**ओ. बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंट**

कोई भी बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंटी या अन्य परिवर्तनीय लिखत नहीं हैं।

**पी. पण्य मूल्य / विदेशी विनिमय जोखिम तथा हेडिजिंग गतिविधियाँ :**

इस संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रकटन वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में किया गया है।

**क्यू. सयंत्र के स्थान**

<b>भारत डायनामिक्स लिमिटेड</b>	
कंचनबाग, हैदराबाद-500058	
दूरभाष : (040)-24587002; फैक्स : (040)-24347513	
<b>भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भानूर</b>	<b>भारत डायनामिक्स लिमिटेड</b>
पटानचेरु मंडल	“जी” ब्लॉक, ए पी आई आई सी – आई ए एल ए
संगारेडुडी जिला	वी एस ई जेड पोस्ट, विशाखापट्टणम-530049
हैदराबाद-502305	दूरभाष : (0891)- 2821500
दूरभाष: (040)-23469551; फैक्स : (040)-23469552	फैक्स : (0891)- 2821502

**आर. पत्राचार का पता / निगम कार्यालय**

**भारत डायनामिक्स लिमिटेड**

सी आई एन : L24292TG1970GOI001353

निगम कार्यालय, प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्छी बाउली, हैदराबाद-500 032

दूरभाष : (040) 23456145 फैक्स : (040) 23456110

ई-मेल : [investors@bdl-india.in](mailto:investors@bdl-india.in)

वेबसाइट : [www.bdl-india.in](http://www.bdl-india.in)

**एस. क्रेडिट रेटिंग**

कंपनी ने रु. 600 करोड़ की राशि के लिए लघु अवधि बैंक सुविधाओं के लिए मेसर्स सी आर आई एस आई एल से ‘A1+’ (पुनःअभिपुष्ट) रेटिंग प्राप्त की है।

**8. अन्य प्रकटीकरण :**

ए. दि. 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त या सहयोगी कंपनी नहीं है।

बी. वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जिससे मोटे तौर पर कंपनी के हित से टकराव की आशंका हो। निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तु, धन संबंध या लेन-देन नहीं रखते हैं जिससे निदेशक मंडल में निदेशकों द्वारा फैसला लेने की स्वतंत्रता प्रभावित हो।

सी. कंपनी ने किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है जिससे बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है। यद्यपि, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में लेखे की टिप्पणी संख्या 38 (8) में किया गया है। कंपनी ने लिस्टिंग की विनियम सं. 46 (2) (जी) के अनुसार कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच होने वाले लेन-देन को नियमित करने के लिए ‘पार्टी संबंधी लेन-देन नीति’ तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/sites/default/files/2023-06/Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions.pdf> पर उपलब्ध करायी गयी है।

डी. वर्ष के दौरान कंपनी ने सेबी के सभी विनियमों का अनुपालन किया है और इस संबंध में किसी प्रकार का गैर-अनुपालन नहीं हुआ है।

**ई. विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म / विज़िल मेकानिज़्म**

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 का अनुपालन किया गया है। कंपनी की विज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी कार्मिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य या अध्यक्ष से मिल सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया। यह नीति कंपनी की वेबसाइट [https://bdl-india.in/sites/default/files/2020-01/Whistle%20blower%20Policy%20%26%20Vigil%20Mechanism\\_0.pdf](https://bdl-india.in/sites/default/files/2020-01/Whistle%20blower%20Policy%20%26%20Vigil%20Mechanism_0.pdf) पर उपलब्ध है।

एफ. संव्यवहार की प्रकृति एवं प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध भारतीय लेखा मानक 108 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है। चूँकि कंपनी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अतः दि. 23 फरवरी, 2018 की निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के तहत भारतीय लेखा मानक 108 की प्रयोज्यता के संबंध में झूट प्राप्त है। तथापि ऐसी अनुप्रयोज्यता का प्रकटीकरण न करने पर कंपनी के लेखाओं पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटन किया जा रहा है।

जी. वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल ने अपनी अनिवार्यतागत बनायी गयी समितियों की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है।

एच. व्यय की ऐसी कोई भी मद लेखा-बही के खर्चों में नहीं दिखायी गयी जो संव्यवहार संबंधी नहीं थी।

आई. निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया है।

जे. प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण वित्तीय व्यय के सदृश्य कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाए गए हैं:

₹ (रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	560.28	971.70
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	14.93	15.83
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	2.66%	1.63%

#### के. राष्ट्रपति के आदेश और दिशानिर्देश

कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जारी राष्ट्रपति के निर्देश तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन करती आ रही है। इस विषय से जुड़े अधिकारियों को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी गयी। बी डी एल ने दि. 01 जनवरी, 2017 से अधिकारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में जारी राष्ट्रपति निर्देश लागू किये हैं।

एल. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर सभी सेवाओं के लिए भुगतान की गई कुल शुल्क का विवरण इस प्रकार है :

राशि (रुपये लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
लेखापरीक्षा शुल्क	12.50	15.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.25	1.25
अन्य सेवाएँ	3.50	5.05
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.28	0.50
<b>कुल</b>	<b>17.53</b>	<b>21.80*</b>

\* वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुल्क में वित्तीय वर्ष 2021-22 के शुल्क से संबंधित रु. 2.50 लाख की राशि शामिल है।

एम. इसके व्यवसाय से संबंधित प्रत्यक्षतः किये गये उसके आनुषंगिक व्यय, जो कर्मचारी / पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत किये गये खर्च के अलावा अन्य कोई मद खाते की पुस्तकों में डेबिट नहीं किए गए।

एन. भुगतान नहीं किये गये और दावा नहीं किए गए लाभांश विवरण : कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पढा गया विवरण, भुगतान नहीं किये गये और दावा नहीं किये गये लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का पिछले सात साल की जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/unclaimed-dividend> पर उपलब्ध है। इसके अलावा, पिछले वर्षों से कोई दावा न किया गया लाभांश दि. 31 मार्च, 2024 तक IEPF में अंतरित नहीं किया जाना है। दि. 31 मार्च 2024 को दावा न किए गए लाभांश का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	शेयरधारकों की कुल संख्या	राशि (रुपये में)
अंतिम लाभांश 2017-18	919	330798.33
अंतरिम लाभांश 2018-19	845	220263.75
अंतिम लाभांश 2018-19	837	75662.69
अंतरिम लाभांश 2019-20	1321	414781.25
अंतिम लाभांश 2019-20	950	123706.70
अंतरिम लाभांश 2020-21	876	283229.80
अंतिम लाभांश 2020-21	899	30108.65
अंतरिम लाभांश 2021-22	726	243757.80
अंतिम लाभांश 2021-22	721	38370.00
<b>अंतरिम लाभांश 2022-23</b>	<b>635</b>	<b>294110.80</b>
<b>अंतिम लाभांश 2022-23</b>	<b>252</b>	<b>19247.20</b>
<b>कुल</b>	<b>8981</b>	<b>2074036.97</b>

ओ. डीमैट उचंत खाते / दावा न किए गए उचंत खाते संबंधी विवरण : दि. 31 मार्च, 2024 तक डीमैट उचंत खाते/दावा न किए गए उचंत खाते में कोई शेयर बकाया नहीं है।

पी. कंपनी ने सूचीकरण विनियमों के विनियम 32 (7ए) में निर्दिष्ट अनुसार अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

क्यू. उन फर्मों/कंपनियों को, जिनमें निदेशकों की रुचि है, ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम-शून्य।

आर. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामग्री सबसिडरी सहित किसी प्रकार की सबसिडरी को शामिल नहीं किया गया।

एस. संस्थापन की तारीख व स्थान सहित सूचीबद्ध इकाई की सामग्री सबसिडरी के विवरण और ऐसी सबसिडरी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के नाम व नियुक्ति तिथि के विवरण : लागू नहीं।

टी. सूचीबद्ध इकाइयों के कुछ निश्चित अनिवार्य प्रकार के करार की घोषणा : शून्य

#### 9. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

वर्ष के आरंभ में कुल शिकायतें	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	1
वर्ष के दौरान निपटान की गयी शिकायतों की संख्या	1
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

#### 10. अन-अनुपालन का विवरण :

वर्ष के दौरान किसी प्रकार का अन-अनुपालन नहीं हुआ है।

#### 11. अधिदेशी प्रावधानों का अनुपालन :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 में गैर-अनिवार्य सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

- कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) का पद है और कोई कार्यपालकैतर अध्यक्ष नहीं हैं।
- कंपनी के वित्तीय विवरण का प्रकटन, लेखा राय में बिना किसी परिवर्तन के किया गया है।
- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण की प्रभावी प्रक्रिया मौजूद है। इसकी पद्धति 'संप्रेषण के माध्यम' शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट की गयी है।
- अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) प्रशासनिक तौर पर निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ को रिपोर्ट करते हैं और ये लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किये जाते हैं।

## 12. इनसाइडर ट्रेडिंग (अंदरूनी कारोबार) रोकने तथा उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता :

एस ई बी आई (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी ने कंपनी सुरक्षा संबंधी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा पारदर्शी / योजनाबद्ध प्रकटीकरण / निवेशक / जनता को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए आचरण संहिता तथा प्रकटीकरण पद्धति अपनायी है। इस संहिता के अंतर्गत परिभाषित संबंधित व्यक्ति को ट्रेडिंग विंडो के दौरान निर्धारित सीमाओं से आगे सुरक्षा संबंधी डील करते समय सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होती है। इस संहिता के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आवधिक प्रकटीकरण भी ज़रूरी है। आचरण संहिता और उचित प्रकटीकरण पद्धति कंपनी की वेबसाइट <https://bdl-india.in/sites/default/files/2022-12/Insider%20Trading%20Policy%20Amended.pdf> पर दी गई है। नीति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि अंदरूनी सूत्र कंपनी की ऐसी मूल्य संवेदनशील जानकारी जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, प्रकट कर कोई लाभ प्राप्त न करें या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य की सहायता न करें।

## 13. अनुपालन

कंपनी ने लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (बी) से (i) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है। कंपनी नैगमिक अभिशासन पर स्टॉक एक्सचेंजों और सरकार को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती रही है। जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक है, कंपनी द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन में लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 14. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 (8) के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 15. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के सुझाव तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (5) के अधीन कंपनी ने अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संब्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपना रखी है। यह आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2024-25 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत है :

## 16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए,



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा

निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार

डी आई एन : 09808949

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 30 मई, 2024

## निदेशकों की गैर-निरह्यता संबंधी प्रमाण-पत्र\*

एस ई वी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और  
अनुसूची V पैरा 'सी' उपबंध (10) (i) के अनुसरण में

सेवा में,  
सदस्य  
भारत डायनामिक्स लिमिटेड  
पंजीकृत कार्यालय, कंचनबाग, हैदराबाद  
तेलंगाना-500032

हमने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के सूची V के पैरा C के उप खण्ड 10 (i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुपालन में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, CIN L24292TG1970GOI001353, और जिसका पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है (आगे से 'कंपनी' के नाम से अभिहित किया जाएगा) के निदेशकों से यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिये गये संबंधित पंजियाँ, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और रजिस्टर, रिकॉर्ड और प्रकटीकरण की जाँच की है।

हमारी राय और कंपनी इसके अधिकारियों द्वारा और हमें प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा यथावश्यक कंपनी रिकॉर्ड [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) पोर्टल में दिये गये डायरेक्टर्स आईडेंटिफिकेशन नंबर (डी आई एन) सहित की जाँच और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2024 तक नीचे दिये गये निदेशकों में से कंपनी के निदेशक मंडल के किसी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड /निगम मामले मंत्रालय या किसी प्राधिकरण द्वारा अपनी नियुक्ति या कंपनी के निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या निरह्य नहीं किया गया है :

72

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डी आई एन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	संघमित्रा मिश्रा	09448680	27/12/2021
2	पवन स्थापक	03605320	24/12/2021
3	राजेंद्र सिंह शेखावत	09449860	28/12/2021
4	नंदकुमार सुब्बुरामन	00611401	24/12/2021
5	सुनील चिंतामन मोने	09223235	24/12/2021
6	अनुराग बाजपेयी	08948155	14/09/2022
7	माधवाराव आत्मकूरी	09808949	02/01/2023
8	जशवंत लाल	10055098	24/02/2023
9	राजाराम वेंकट रमणा प्रभला	10271259	30/08/2023
10	राजाबाबू उम्मलानेनी	10212986	21/07/2023



निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / इनके बने रहने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जाँच के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही कंपनी मामलों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कृते – नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स  
कंपनी सचिवगण



नरेंद्र जी  
प्रोप्राइटर

एफ सी एस नं. 4898, सी पी : 5024

स्थान : हैदराबाद

तारीख : 05.06.2024

यू डी आई एन : F004898F000535175

\* अनूदित पाठ



## नैगमिक अभिशासन संबंधी प्रमाण-पत्र \*

[सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अध्याय IV के अनुसरण में]

सेवा में,  
सदस्य  
भारत डायनामिक्स लिमिटेड  
पंजीकृत कार्यालय : कंचनबाग, हैदराबाद  
तेलंगाना-500058.

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) द्वारा दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नैगमिक अभिशासन के अनुपालन का परीक्षण भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्ध विनियम) के अध्याय IV के अनुसरण में किया है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा यह परीक्षण उक्त उपबंधों में उल्लिखित अनुसार नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो कंपनी की लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी विचाराभिव्यक्ति।

कंपनी के रिपोर्टों के अनुसार किसी भी निवेशक की शिकायत एक महीने से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं रही।

हमारी राय व हमें प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्ध विनियम) के अध्याय IV में निर्धारित नैगमिक अभिशासन संबंधी सभी नियमों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी की गतिविधियाँ इसकी भावी व्यवहार्यता न ही किसी दक्षता या प्रभावधर्मिता के प्रति कोई आश्वासन देती है।

कृते – नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स  
कंपनी सचिवगण





नरेंद्र जी  
प्रोप्राइटर

एफ सी एस नं. 4898, सी पी : 5024

स्थान : हैदराबाद  
तारीख : 05.06.2024  
यू डी आई एन : F004898F000535175

\* अनूदित पाठ

## अनुपालना प्रमाण पत्र \*

- ए. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- इन कथनों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।
  - ये विवरण कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानक, लागू कानून और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- बी. हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कोई भी लेनदेन कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।
- सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, संचालन में कमियों का खुलासा किया है और यदि कोई हो, जिसके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है।
- डी. हमने कंपनी के लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को संकेत दिया है कि :
- इस अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
  - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए।
  - वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी प्रबंधन या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में मुझे पता चला है और उसमें शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं है।



**कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी



**जी गायत्री प्रसाद**  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

\* अनूदित पाठ

यू डी आई एन : F004898F000410919

## फॉर्म संख्या एमआर -3

### सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट \*

दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियमावली  
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक), 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्य

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

हैदराबाद।

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और मेसर्स **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** (आगे कंपनी नाम से अभिहित) द्वारा अच्छे नैगमिक परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई कि हमें नैगमिक परिपाटियाँ / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

76

कंपनी की बहियाँ, कागजात, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाएँ, फार्म, फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों की मेरे द्वारा की गई जाँच और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हम अभिलिखित करते हैं कि हमारी राय में **दि. 31 मार्च, 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्यतः नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में आवश्यकतानुरूप निदेशक मंडल की उचित प्रक्रियाएँ और अनुपालन पद्धति उचित तरीके से तथा रिपोर्टिंग के अधीन किए गए अनुसार मौजूद है :

हमने, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **दि. 31 मार्च, 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बही, कागजात, कार्यवृत्त-पुस्तिकाओं, फाइल किये गये रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की परीक्षा की है :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बने नियम;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बने नियम;





- (iii) निक्षेपागार (डिपॉजिटरीज) अधिनियम, 1996 और विनियमन और इसके अंतर्गत बने उप-नियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत बने नियम और विनियम;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सिक्क्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1992 (एस ई बी आई अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश :-
- (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का बड़ी मात्रा में अधिग्रहण और टेकओवर);
- (बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
- (सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2009 (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना); समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।
- (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015;
- (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999 [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]
- (एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ जारी कर सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008; [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]
- (जी) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से चर्चा से संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जारी करने रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993.
- (एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2009 (ईक्विटी शेयर की डी-लिस्टिंग);
- [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]
- (आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूतियों की वापस-खरीद);
- [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]



*Prasad*

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 में जारी नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :

- (i) निदेशक मंडल और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंड।
- (ii) कंपनी द्वारा बी एस ई लिमिटेड (बी एस ई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) के साथ किये गये और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2015 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के साथ पढ़े जाने वाले लिस्टिंग करार।
- (iii) हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के संबंध में कंपनी के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन आता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधान, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानकों इत्यादि का अनुपालन किया है।

**हम, आगे अभिलिखित करते हैं कि**

- i. कंपनी ने उक्त अधिनियमों के सभी प्रावधान, विनियम और इसके तहत जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।
- ii. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों के लिए उचित सूचनाएँ अग्रिम रूप से दी गई थीं; ऐसी सूचनाएँ कार्य-सूची की मदों पर विस्तृत नोट्स और संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त के मसौदा के साथ थीं; कंपनी ने एक योजनाबद्ध प्रणाली अपना रखी है कि बैठक से पूर्व निदेशकगण कार्य-सूची की मदों से संबंधी आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें और बैठक में उनकी प्रतिभागिता सार्थक हो सके।
- iii. निर्णय अधिकतर बहुमत से लिये जाते हैं और किसी सदस्य की कोई असहमति हो तो कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है।



हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चयन के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

कृते – नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स  
कंपनी सचिव



जी नरेंद्र  
प्रोप्राइटर

एफ सी एस नं. 4898; सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद  
तारीख : 21.05.2024

यह रिपोर्ट 'अनुलग्नक-ए' के रूप में संलग्न किये गये इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

79

**अनुलग्नक-‘ए’**

सेवा में,

सदस्य

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

इस पत्र को इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड व अनुपालन पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए यह जाँच परीक्षा आधार पर सत्यापन किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और प्रथाओं ने अपनी राय देने के लिए हमें उचित आधार प्रदान किया।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा-बहियों की सटीकता व उचितता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमने कानून, नियम और विनियम तथा घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व माँगा है।
5. नैगमिक एवं अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानदंडों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी यह जाँच परीक्षा आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।
6. पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानून, श्रम कानून तथा अन्य कानून संबंधी प्रावधान, नियम, विनियम तथा मानकों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्रबंधन ने उपर्युक्त सभी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है।
7. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी के मामलों के प्रति प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के प्रति कोई आश्वासन है।

कृते – नरेंद्र अण्ड असोसिएट्स  
कंपनी सचिव



जी नरेंद्र  
प्रोप्राइटर

एफ सी एस नं. 4898; सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद  
तारीख : 21.05.2024

\* अनूदित पाठ

**TEJ RAJ & PAL**

Chartered Accountants

**स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट\***

सेवा में,  
सदस्य-गण,  
भारत डायनामिक्स लिमिटेड

**एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट****राय**

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत दि. 31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र, लाभ हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित), इसी तारीख को समाप्त वर्षके लिए ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नक़द-प्राप्ति विवरण तथा विवरणात्मक सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों (आगे से एकमेव भारतीय वित्तीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिका कही जाएगी) के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ 31 मार्च, 2024 तक की कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन, उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति के विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत आवश्यक सूचना कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक तथा भारत में स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट दिखाई देती हैं।

**राय का आधार**

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (ऑडिट) के अनुसार लेखापरीक्षा की। इन लेखापरीक्षा मानदण्डों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का विवरण इस रिपोर्ट की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व वाले खण्ड में दिया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत एकमेव वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**ध्यानाकर्षण संबंधी विषय :**

हम एकमेव वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित नोट संख्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

ए. हम, टिप्पणी सं. 38 (25) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो चालू रशिया-यूक्रेन युद्ध के चलते दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आपूर्ति श्रृंखला सहित कंपनी के प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में स्पष्ट करता है।

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 (Telangana)

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

बी. हम, टिप्पणी सं. 32 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो पूर्व में खरीदी गई सामग्री और भण्डार के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण ग्राहकों से वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त धनवापसी के कारण 16491.29 लाख रुपये की सामग्री की लागत में किए गए समायोजन के बारे में स्पष्ट करता है, जिसके परिणामस्वरूप देयता उलट जाती है।

सी. हम, टिप्पणी सं. 38 (7) की ओर से ध्यान आकर्षित करते हैं जो पाँच साल से अधिक समय तक स्थानांतरित नहीं की गई रु. 8338.85 लाख मूल्य (दि. 31 मार्च, 2023 को रु. 8350.75 लाख) की सामग्री के बारे में जिसके अतिरिक्त के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जैसा कि कंपनी की लेखा नीति द्वारा आवश्यक है।

उक्त मामलों के संबंध में हमारे निष्कर्ष में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है।

### लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मद्दे

- हमारे पेशेवर नज़रिये से लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मद्दे ऐसी मद्दे हैं जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारी लेखापरीक्षा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थीं। इन मद्दों को एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) की लेखापरीक्षा में संबोधित किया गया था जिस आधार पर हमारी राय भी बनी थी। साथ ही, हमने, इन मद्दों पर अलग से राय प्रदान नहीं की है। नीचे दिये गए प्रत्येक से संबंध में प्रत्येक मद को किस तरह संबोधित किया गया इसका विवरण दिया गया है :
- हमने निर्धारित किया है कि नीचे दिये गये मद हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मद्दे होंगी। हमने इन मद्दों के संबंध में हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित कार्य पूरा किया है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के गंभीर अकथन संबंधी विवरण के जोखिमों के हमारे मूल्यांकन का जवाब देने के लिए तैयार की गई प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल था। नीचे दिए गए मद्दों के समाधान के लिए की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, साथ के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मद्दे	लेखापरीक्षा से निकाला गया हल
(ए)	ट्रेड प्राप्यताओं पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	
	<p>कंपनी के पास दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः 31,044.72 लाख और 87,456.12 लाख की ट्रेड प्राप्यताएँ व अनुबंध संपत्ति है।</p> <p>कंपनी अपने एक मात्र ग्राहक रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को मिसाइलों की आपूर्ति करती है। कंपनी के पास इसका पिछला अनुभव है और</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ट्रेड प्राप्तियों (यानी रक्षा मंत्रालय) के तहत ईसीएल भत्ते पर विचार न करने के लिए प्रबंधन के मूल्यांकन से जुड़ी कंपनी की प्रक्रिया और परीक्षण तथा आंतरिक नियंत्रणों को समझ गया।।</li> </ul>

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



# TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

<p>आवश्यक होता है कि अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते ले सकती है।</p> <p>कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ पिछले व्यावसायिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्राप्यताओं पर अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) भत्ता प्रदान नहीं किया है।</p> <p>उपरोक्त अनुभव के आधार पर और अपने उत्कृष्ट अनुमान का उपयोग करते हुए, कंपनी ने तुलन-पत्र की तारीख तक किसी भी ईसीएल प्रावधान का हिसाब नहीं दिया है।</p> <p>ट्रेड प्राप्यताओं से संबंधित प्रबंधन के निर्णय के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मद माना जाता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अतिदेय / लंबित प्राप्तियों सहित सभी प्राप्तियों को एकत्र करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाई गई कदम के संबंध में प्रबंधन की योजना की समझ प्राप्त।</li> <li>• प्रबंधन के साथ जांच के माध्यम से अतिदेय / लंबित प्राप्तियों की वसूली सहित रक्षा मंत्रालय से बकाया प्राप्तियों की वसूली का मूल्यांकन, और प्राप्य विशेष रूप से बहुत समय से लंबित प्राप्तियों के संबंध में हाल के संग्रह रुझानों का विश्लेषण किया गया।</li> <li>• व्यवसाय के माहौल पर विचार करते हुए संग्रहण से संबंधित प्रबंधन की धारणा और निर्णय का मूल्यांकन किया गया जिसमें कंपनी संचालित होती है और ग्राहक (यानी रक्षा मंत्रालय) से देय राशि की वसूली के लिए कंपनी के पास उपलब्ध अधिकार हैं।</li> <li>• अतिदेय / अधिक समय से लंबित प्राप्तियों के तहत संग्रहण पर विचार करते हुए प्रबंधन के निरंतर मूल्यांकन की समीक्षा की गई। इन विचारों में ग्राहक और कंपनी के पिछले संग्रह इतिहास से नियमित रसीदों की प्राप्ति शामिल है।</li> <li>• इस संबंध में प्रबंधन से आवश्यक अभ्यावेदन प्राप्त किए गए।</li> </ul>
<p>(बी)</p>	<p>चल रहे मुकदमों के लिए प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ</p>
<p>कंपनी कई कानूनी, नियामक और कर मदों से संबंधित केसों से गुज़र रही है जिनके लिए अंतिम परिणाम का आसानी से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से महत्वपूर्ण देयताएँ बना सकती हैं।</p> <p>चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देयताओं के बारे में प्रबंधन का</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित मदें शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कंपनी के कानूनी और वित्त अधिकारियों के साथ की गई विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रबंधन द्वारा लागू चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों की पहचान और माप की प्रक्रिया को समझा गया।</li> </ul>

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad – 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

<p>प्रकटीकरण एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी सं. 38 (6) में दिया गया है।</p> <p>यह मूल्यांकन कि क्या एक देयता को एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किए गए प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है – यह महत्वपूर्ण होता है। साथ ही, संव्यवहार से नक़द का बहिर्गमन, लागू कानून और विनियमों की व्याख्या और विभिन्न प्राधिकारणों के स्तर पर लंबित मूल्यांकन की सावधानी पूर्वक जाँच के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय का महत्व होता है।</p> <p>चूँकि इसमें एक बड़ी और महत्वपूर्ण राशि शामिल है और संभावित परिणामों की सीमा के कारण अनुमान अनिश्चितता के स्तर के कारण महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखापरीक्षक निर्णय की आवश्यकता होती है। अतः इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मद माना जाता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लंबित मुकद्दमों के परिणाम के मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण की रूपरेखा और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया।</li> <li>• मुकद्दमों के मद्दों के सारांश का निरीक्षण किया गया और कंपनी के कानूनी और वित्त अधिकारियों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं पर चर्चा की गई।</li> <li>• जहाँ भी लागू हो, कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञ से ली गई कानूनी सलाह का निरीक्षण व मूल्यांकन किया गया। कुछ वित्तीय मुकद्दमों से निपटने वाले वकीलों से प्रत्यक्षतः पुष्टि प्राप्त की गई।</li> <li>• पीपीआर विश्लेषण के आधार पर कुछ भौतिक मद्दों में उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के प्रबंधन के मूल्यांकन पर चर्चा की गई और चुनौती दी। तदनुसार, हमने एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकट की गई आकस्मिक देयता राशि की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए, ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया गया।</li> <li>• लागू लेखांकन मानकों के अनुसार एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया।</li> </ul>
<p>(सी) वारंटी के लिए प्रावधान</p>	
<p>संविदात्मक अवधि के एक भाग के रूप में, कंपनी का प्रबंधन वारंटी का अनुमान लगाता है जो वारंटी दावों की प्रकृति, आवृत्ति और औसत लागत पर ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग कर स्थापित किया जाता है और उत्पाद</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• व्यावसायिक वातावरण जिसमें कंपनी परिचालित होती है, इस पर विचार करते हुए वारंटी प्रावधान के अनुमान से संबंधित प्रबंधन की धारणा और निर्णय का मूल्यांकन किया गया।</li> </ul>

# TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

<p>विफलता के संबंध में किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ग्राहकों को सेवा देने पर संभावित भविष्य के बहिर्वाह के संबंध में प्रबंधन का अनुमान भी लगाया जाता है जो आमतौर पर आपूर्ति की तारीख से 1 से 2 वर्ष की अवधि के भीतर तय होने की उम्मीद रहती है।</p> <p>मानक वारंटी शर्तों के तहत दोष पूर्ण वस्तुओं को बदलने या उनकी मरम्मत करने के लिए कंपनी का दायित्व एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है और लेन-देन मूल्य के तहत समायोजित नहीं किया जाता है क्योंकि ग्राहक के पास वारंटी अलग से खरीदने का विकल्प नहीं होता है।</p> <p>उच्च अनुमान के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रावधान के उलटने की पिछली प्रवृत्ति के कारण अनिश्चित रूप से जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखापरीक्षक के निर्णय की आवश्यकता होती है, इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मद माना जाता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रबंधन द्वारा अनुमानित प्रावधान की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए अनुबंध की शर्तें समझी गईं।</li> <li>• वारंटी प्रावधानों की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के लिए वारंटी दावों के पिछले इतिहास की समीक्षा की गई।</li> </ul>
---	--

## एकमेव वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी के वार्षिक विवरण में दी गई जानकारी शामिल है लेकिन इसमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं और इस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद की जाती है कि इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति हमें भी उपलब्ध करायी जाए।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि उपलब्ध कराये जाने पर अन्य जानकारी पढ़ें और जानें कि क्या यह अन्य जानकारी एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान अथवा लेखांकन गलत किया गया है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हमें निष्कर्ष देना पड़े तो हम यह तथ्य रूप में कहेंगे कि इस अन्य जानकारी राशि प्रभाव की दृष्टि से गलत विवरण है। इस संबंध में और कुछ नहीं कहा जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट के अध्ययन के क्रम में निष्कर्ष रूप में राशि प्रभाव की दृष्टि से गलत विवरण है तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रबंधन को देना आवश्यक होता है।

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad – 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

### एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के विषयों के अनुपालन में भारत में स्वीकार्य लेखा मानदंड तथा यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के तहत संबद्ध नियमावली के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखा मानदंड (भा.ले.मा.) के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और अन्य व्यापक आय सहित, कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाए। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों का परिरक्षण, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान कर उनका निवारण करने, उचित लेखा-नीतियों का चयन व अनुप्रयोग, उचित व विवेकशील निर्णय, वास्तविक एवं पारदर्शी तथा धोखाधड़ी से या गलती के कारण होने वाले वास्तविक अकथनों से मुक्त तथा सही एवं पारदर्शी एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी शामिल होता है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करने में निदेशक मंडल कारोबार जारी रखने में कंपनी के चलने की क्षमता का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान स्थितियों में कंपनी के आगे बढ़ने से संबंधित लागू प्रकटीकरण करने और जब तक कंपनी को परिसमाप्त कर देने या परिचालन बंद कर देने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो, तब तक लेखांकन की यह चलायमान अपनाएँ।

निदेशक मंडल की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर ध्यान दें।

### एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकमेव वित्तीय विवरण सर्वांगीण रूप में वास्तविकतः धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण राशि प्रभावी गलत विवरण से मुक्त है और इस पर एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च दर्जे का आश्वासन होता है लेकिन यह गारंटी नहीं होती कि लेखा मानक के अनुसार की गयी लेखापरीक्षा हमेशा किसी राशि प्रभावी गलत विवरण की मौजूदगी का पता लगाएगा। अकथन, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और माना जाता है कि ऐसा विवरण यदि एकल रूप से या कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। लेखा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवराना संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी स्पष्ट कहते हैं कि :

- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की सामग्री में गंभीर अकथन के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुई हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad – 500 035 (Telangana)

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले अकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण के ताक पर रखना शामिल हो सकता है।

- परिस्थिति अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के नियंत्रणों की संचालनीय प्रभावशीलता है।
- इस्तेमाल की गई लेखा-नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन की चालू व्यवसाय अवधारणा आधार पर निदेशक मंडल की प्रयुक्ति की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई सामग्री अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है जो चालू व्यवसाय अवधारणा के रूप में जारी रहता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इनकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें राय भी संशोधित करनी पड़ती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की चालू व्यवसाय की अवधारणा बनी रह सकती है।
- घोषणा सहित एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणिकाएँ अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं पर दृष्टिपात करना जिन्हें साफ-सुथरे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

87

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान सामने आते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ अभिशासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हों।

अभिशासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा के मद हैं। हम अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मदों का वर्णन करते

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मद के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणामों की अपेक्षा की जाएगी।

### अन्य विधि एवं विनियमन संबंधी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), 2020 (आदेश) की आवश्यकतानुसार, जहाँ तक लागू हो, परिच्छेद 3 तथा 4 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।
2. **अनुलग्नक-1** में हमारी टिप्पणियों के क्रम में अधिनियम की धारा 143 (3) के अपेक्षानुरूप हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर यथा लागू टिप्पणी इस प्रकार है कि –
  - ए) हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास अनुसार संलग्न एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ माँगी और प्राप्त की गई हैं।
  - बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं।
  - सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली एकमेव वित्तीय विवरणिकाएँ लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।
  - डी) हमारी राय में इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पढ़ी जाने वाली अधिनियम की धारा 133 के लेखा मानक तथा इनके तहत बने नियमों के अनुरूप रखे गये हैं।
  - ई) अधिनियम की धारा 2 (45) में परिभाषित अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी है और निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दि. 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी एसआर 463(ई) के क्रम में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
  - एफ) दि. 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों पर परिचालनीय प्रभाविता के संबंध में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न **अनुलग्नक-2** का अवलोकन करें।
  - जी) अधिनियम की धारा 2 (45) में परिभाषित अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी है और निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दि. 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी एसआर 463(ई) के क्रम में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

# TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

एच) कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 11 के अनुपालन में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य विषय के संबंध में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार –

- (i) कंपनी के पास कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी मुकद्दमा लंबित नहीं है।
- (ii) कंपनी के ऐसे कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके लिए सामग्री नुकसान के लेखा मानक प्रावधान की आवश्यकता हो।
- (iii) कंपनी द्वारा 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' में किसी भी प्रकार की राशि के अंतरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी।
- iv) (ए) प्रबंधन ने अपनी अन्यतम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह बताया है कि विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कोई धन राशि नहीं दी गयी है कि मध्यस्थ, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश (ऋण लिये गये फण्ड या सेक्यूरिटी प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या अन्य प्रकार के फण्ड) करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।
- (बी) प्रबंधन ने अपनी अन्यतम जानकारी और विश्वास के अनुसार बताया है कि कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्थाएँ ('फंडिंग पार्टियाँ') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।
- (सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के तहत प्रबंधन का अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad – 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

- v) ए. कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के घोषित और इस वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार है।
- बी. वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी सं. 38 (9) में उल्लिखित अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जो लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।
- सी. वर्ष के लिए घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।
- vi. हमारी परीक्षा के आधार पर जिसमें परीक्षण जाँच शामिल है, कंपनी ने अपने खाता पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष इसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल के किसी भी उदाहरण का पता नहीं चला, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने के कोई भी उदाहरण नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143(5) की आवश्यकता के अनुसार, हम **अनुलग्नक-3** में कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में निर्दिष्ट मदों पर एक विवरण देते हैं।

90

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30 मई, 2024

कृते – तेज राज अण्ड पाल  
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स  
एफ आर एन 304124 ई


(सी ए बीरका विजय)

भागीदार

सदस्यता सं. 214678

यू डी आई एन : 24214678BKCLQO3278

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30 मई, 2024

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 (Telangana)

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org

\* अनूदित पाठ

**TEJ RAJ & PAL**

Chartered Accountants

**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समिति की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं' पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक-1 \***

हमारे द्वारा माँगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के संदर्भ में और लेखापरीक्षा के सामान्य रूप में हमारे द्वारा जाँचे गए खाते और रिकॉर्ड की पुस्तकों और सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- i) (ए) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, आस्ति के उपयोग का अधिकार और निवेश संपत्ति के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (B) कंपनी, अमूर्त आस्तियों संबंधी संपूर्ण विवरण सहित उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया है।
- (बी) कंपनी में नियमित रूप से परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और आस्ति के उपयोग का अधिकार तथा निवेश संपत्ति के वास्तविक सत्यापन की विधि क्रायम है जिससे पाँच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। हमारे विचार से यह आवधिक सत्यापन कंपनी के विस्तार एवं संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान कुछ परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिकतः सत्यापन किया गया। हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई।
- (सी) सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं, सिवाय इसके कि संपत्ति नीचे बताई गई है जिसके लिए कंपनी का प्रबंधन कंपनी के नाम पर पंजीकृत होने और राजस्व रिकॉर्ड में शामिल करने की प्रक्रिया में है।

संपत्ति का विवरण	निवल बहन मूल्य (भारत रूपय लाखों में)	मालिक का नाम	प्रचारक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	अवधि – जब से	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
इब्राहीमपट्टणम स्थित जमीन (632 एकड़ 16.50 गुण्टा)	7965.16	टी एस आई आई सी	नहीं	16.02.2017	पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।
कंचनबाग स्थित जमीन (146 एकड़ 32 गुण्टा)	28.42	डी एम आर एल	नहीं	19.10.1972	राजस्व के रिकॉर्ड में शामिल करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।
कंचनबाग स्थित जमीन (5 एकड़ 1 गुण्टा)	0.97	डी एम आर एल	नहीं	19.10.1972	

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad – 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

उन संपत्तियों के लिए जहाँ कंपनी पट्टेदार है, पट्टेदार व्यवस्था को विधिवत निष्पादित किया गया है, लेकिन कंपनी के पक्ष में पंजीकृत होना बाकी है, जिनका विवरण इस प्रकार है :

आस्ति का विवरण	आस्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्य	स्थान	पट्टाकर्ता का विवरण	अवधि – जब से	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
विशाखापट्टणम स्थित ज़मीन (3 एकड़ 25 गुण्टा)	-	विशाखापट्टणम	भारत के राष्ट्रपति	2.3.2011	पट्टा निष्पादन किया गया। लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया शेष।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, सयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ई) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित) और इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) (ए) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा तीसरी पार्टी एवं अन्य के पास उपलब्ध सामग्री सहित सामग्री सूची का उचित अंतराल में वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में ये सत्यापन पर्याप्त अंतराल में किये गये हैं। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा की गई व्याप्ति और जाँच के लिए अपनाई गई पद्धति उचित है। ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान लेखा-बहियों की तुलना में प्रत्येक श्रेणी की सामग्री-सूची के औसत में 10% या इससे अधिक की विसंगति नहीं पाई गई।

(बी) कंपनी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मियादी जमा के तहत रु. 15.00 करोड़ की कार्यगत पूँजी ओवरड्राफ्ट और गैर-निधि आधारित कार्यगत पूँजी सीमा रु. 400 करोड़ तथा वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी सं. 38 (12) में उल्लिखित अनुसार पंजीकृत फ्लोटिंग प्रभार के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक से रु. 200 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इन सुविधाओं के संबंध में कंपनी द्वारा इन बैंकों के साथ कोई तिमाही विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार आदेश के पैरा 3 के खंड (ii) (बी) लागू नहीं हैं।

iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, लिमिटेड देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत / अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है और न ही निवेश किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के पैरा (iii) उप-खण्ड (a), (b) (c),(d), (e) और (f) कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

iv) अधिनियम की धारा 2 (45) में परिभाषित अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी है और निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दि. 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी एसआर 463(ई) के क्रम में अधिनियम की धाराएँ 185 और 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

v) कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या ये कोई राशि नहीं है जिसे जमा माना गया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 और 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अनुसार जमा माना गया है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad – 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

- vi) केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि कंपनी के उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण निर्दिष्ट किया है। हमने लागत रिकॉर्ड के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों के क्रम में कंपनी द्वारा रखे गये लेखा-बहियों की विस्तृत समीक्षा की है तथा हमारी राय में प्रथम दृष्ट्या मूलतः कंपनी ने तत्संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है। यद्यपि लागत रिकॉर्ड की सटीकता व पूर्णता निर्धारित करने के संबंध में हमने इनकी विस्तृत जाँच नहीं की है।
- vii) ए) कंपनी द्वारा वस्तु एव सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा-कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर, सेस' एवं अन्य सांविधिक समाग्री शुल्क सहित अविवादित सांविधिक शुल्क उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किये जा रहे हैं। आगे, वर्ष की समाप्ति पर, कोई भी अविवादित राशि का भुगतान, देयता की तारीख से अधिकतम छः माह तक लंबित नहीं है।
- बी) उप खण्ड (ए) में संदर्भित अनुसार किसी भी विवाद के मद्देनजर निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी प्रकार की सांविधिक राशि उचित प्राधिकार को भुगतान करने बकाया नहीं है :

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	संविधि का प्रकार	शुल्क की प्रकृति	निवल राशि	भुगतान की गई राशि	देय राशि की समयवधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,550.83	693.85	2011-12	रिट उच्च न्यायालय, हैदराबाद में लंबित है।
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,024.27	-	2012-13	रिट उच्च न्यायालय, हैदराबाद में लंबित है।
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4,266.81		2013-14	रिट उच्च न्यायालय, हैदराबाद में लंबित है।
4	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	6,468.12		2014-15	रिट उच्च न्यायालय, हैदराबाद में लंबित है।
5	सीमा शुल्क अधिनियम	ब्याज	5,306.33		2015-16 से 2017-18	अपील सी ई टी एस टी ए टी, हैदराबाद में लंबित है।
6	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1,883.80	128.43	2015-16 से 2017-18	अपील सी ई टी एस टी ए टी, हैदराबाद में लंबित है।
7	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	94.37	94.37	मूल्यांकन वर्ष 2018-19	अपील, साक्ष्य की जाँच तथा विस्तृत मौखिक आदेश जारी करने के लिए न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी को वापस कर दी गई।

## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

क्र. सं.	संविधि का प्रकार	शुल्क की प्रकृति	निवल राशि	भुगतान की गई राशि	देय राशि की समयावधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
8	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	732.80	732.80	मूल्यांकन वर्ष 2021-22	नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर तथा न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी के पास परिशोधन / संधान के लिए अनुरोध भेजा गया।
9	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	3925.09		मूल्यांकन वर्ष 2022-23	नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर तथा न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी के पास परिशोधन / संधान के लिए अनुरोध भेजा गया।
<b>कुल</b>			<b>33,252.42</b>	<b>1,649.45</b>		

क्र.सं. 1 एवं 5 में अपील फाइल करने के लिए पहले से जमा किया गया रु. 693.85 लाख का केंद्रीय बिक्री कर और रु. 128.43 लाख का सेवा कर शामिल हैं।

क्र. सं. 6 एवं 7 में अन्य मूल्यांकन वर्ष से वापस प्राप्त वसूली राशि शामिल है।

94

- viii) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत वही खाते में नहीं दर्शाए गए लेन-देन को वर्ष के दौरान मूल्यांकन में आय के रूप में प्रकट नहीं किया है। अतः आदेश के खण्ड 3 (iii) की रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।
- ix (ए) कंपनी ने किसी ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।  
बी) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया।  
सी) कंपनी ने मियादी ऋण नहीं लिए हैं।  
डी) अल्पावधि के लिए जुटाई गई निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया।  
ई) कंपनी की कोई सहायक, संबद्ध या संयुक्त परियोजनाएँ नहीं हैं। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ix) (ई) कंपनी पर लागू नहीं होगा।  
एफ) कंपनी की कोई सहायक, संबद्ध या संयुक्त परियोजनाएँ नहीं हैं। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ix) (एफ) कंपनी पर लागू नहीं होगा।
- x (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से (ऋण इंस्ट्रुमेंट सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (x)(ए) के अनुसार रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।  
(बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयर का अधिमानीय आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णतः व अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (x)(बी) के अनुसार रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।
- xi (ए) हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पाई गई है।  
बी) कंपनी नियमावली (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फार्म एडीटी - 4 में लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के साथ किसी प्रकार की रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है।  
सी) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी विजिल ब्लोवर शिकायत प्राप्त नहीं की गई।

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

- xii कंपनी, अधिनियम की धारा 406 में निर्धारित अनुसार 'निधि' (एन आई डी एच आई) कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) (ए) (बी) एवं (सी) कंपनी पर लागू नहीं होगा।
- xiii जहाँ लागू हो, संबंधित पार्टियों से हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं। आगे, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित अनुसार कंपनी नियमावली (भारतीय लेखा मानक), 2015 में विनिर्दिष्ट अनुसार संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण भारतीय लेखा मानक 24 के तहत वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकटीकरण किया गया है।
- xiv ए) कंपनी की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उपलब्ध है जो संव्यवहार की प्रकृति के अनुसार है।  
बी) हमने लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट स्वीकार की है।
- xv कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशक या संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर-नक़द लेन-देन नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधान से संबंधित आदेश का खण्ड 3 (xvi) (ए) लागू नहीं होता है।
- xvi भारतीय रिजर्व बैंक के अनुच्छेद 45-1ए के तहत कंपनी द्वारा पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है। अतः आदेश के खण्ड 3 (xvi) (ए), (बी), (सी) तथा (डी) के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- xvii कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी प्रकार की नक़द हानि नहीं उठाई है।
- xviii वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्याग पत्र नहीं दिया है। अतः आदेश के खण्ड 3 (xviii) के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- xix एकमेव वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 39 (21) (एफ) में किये गये प्रकटीकरण के आधार पर वित्तीय अनुपात, वित्तीय संपत्तियों के संग्रहण की अनुमानित तिथि और वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणिकाओं से संबंधित अन्य सूचना, निदेशक मंडल के बारे में हमारे ज्ञान और प्रबंधन की योजना के आधार पर हमारी राय है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक किसी भी प्रकार की स्थूल अनिश्चितता नहीं है और कंपनी तुलन पत्र की तिथि तक मौजूद देयताओं की पूर्ति कर सकती है। तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर जब कभी भी देय हो, कंपनी इसकी पूर्ति में सक्षम है। हालाँकि, यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को जब भी वे देय होंगे कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org



## TEJ RAJ & PAL


Chartered Accountants

xx (ए) कंपनी के पास वर्ष के अंत में चालू परियोजनाओं के अलावा इतर परियोजनाओं के संबंध में कोई भी अव्ययित नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) राशि शेष नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि के लिए चालू परियोजनाओं से इतर परियोजनाओं के संबंध में अव्ययित राशियों के अंतरण के संबंध में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के संबंध में रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है।

(बी) वर्ष के अंत में चालू परियोजनाओं के संबंध में कंपनी के पास अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत निर्दिष्ट कोई भी अव्ययित नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) राशि शेष नहीं है। अतः अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट चालू परियोजनाओं के संबंध में अव्ययित नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) राशि के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के उपबंध के अनुपालन में विशेष लेखे को सूचित करने का सवाल ही नहीं उठता है

(xxi) कंपनी का कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इस प्रकार आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते – तेज राज अण्ड पाल  
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स  
एफ आर एन 304124 ई


(सी ए बीरका विजय)  
भागीदार

सदस्यता सं. 214678

यू डी आई एन : 24214678BKCLQO3278

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30 मई, 2024

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org

\* अनूदित पाठ

**TEJ RAJ & PAL**

Chartered Accountants

**एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं' पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित अनुलग्नक-2 \***

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के तहत एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट

हमारे द्वारा की गई कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा सहित हमने 31 मार्च, 2024 तक की भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

**प्रबंधन और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायित्व :**

कंपनी के निदेशक मंडल का यह दायित्व होता है कि भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था तैयार कर इसे बनाए रखें। इन दायित्वों के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने तथा कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा, कंपनी की नीतियों का अनुवर्तन, धोधाधड़ी व त्रुटियों की पहचान कर इनको रोकना, लेखा-बहियों की सटीकता व संपूर्णता के साथ-साथ संव्यवहार के व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

**वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व :**

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" (निर्देश टिप्पणी) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की गई है। इस प्रकार की मानक एवं निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप करें तथा इसकी योजना एवं कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में इसकी प्रभाविता के उचित आश्वासन प्राप्त होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उसकी प्रभाविता संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, वास्तविक कमियाँ होने के जोखिम निर्धारित करना तथा निर्धारित जोखिम



## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण एवं उसके अभिकल्पन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्रकट की जाने वाली लेखापरीक्षा राय के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा-साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं।

### एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा नियम के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए तैयार की गई वित्तीय विवरणिका तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में आश्वासन कायम रखने के लिए बनायी गयी है। कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीति एवं प्रक्रिया शामिल हैं (1) अभिलेखों का अनुरक्षण जो कंपनी की परिसंपत्तियों की लेन-देन एवं प्रकृति का यथार्थ, उचित एवं विश्वसनीय विवरण दर्शाता है; (2) उचित आश्वासन देना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीति के अनुरूप वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक लेन-देन रिकार्ड किए गए हैं तथा कंपनी के आय एवं व्यय प्रबंधन के प्राधिकरण एवं कंपनी के निर्देशानुसार किए गए हैं। (3) वित्तीय विवरणिकाओं को प्रभावित कर सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निपटान का निवारण एवं समय पर जानकारी दे सकने वाले उचित आश्वासन।

### एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाएँ

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाओं के कारण नियंत्रण के संबंध में बेइमानी या प्रबंधन द्वारा अधिकार दुरुपयोग के साथ-साथ धोखाधड़ी या गलती के कारण वास्तविक अकथन हो सकते हैं और पता भी नहीं चलते हैं। भविष्य में एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन दर्शाने से यह जोखिम हो सकता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जाए या नीति एवं पद्धतियों के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

राय




# TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक दृष्टि से कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर दि. 31 मार्च, 2024 तक एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित है।

कृते – तेज राज अण्ड पाल  
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स  
एफ आर एन 304124 ई



19

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30 मई, 2024"

(सी ए बीरका विजय)  
भागीदार  
सदस्यता सं. 214678  
यू डी आई एन : 24214678BKCLQO3278

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org

\* अनूदित पाठ

## TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

### एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को इसी तारीख की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट के 'अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं' पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलप्रक-3 \*

कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश	इन निदेशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लेखापरीक्षकों का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है? यदि है तो, आई टी प्रणाली से इतर लेखा संबंधी लेखन के लेखा की अखण्डता पर प्रभाव और साथ ही वित्तीय खर्च की जानकारी दें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध है। एस ए पी ई आर पी में वित्तीय लेखा (एफ आई), नियंत्रण (सी ओ), बिक्री और वितरण (एस डी), पे-रोल / मानव पूँजी प्रबंधन (एच सी एम), सामग्री प्रबंधन (एम एम), वाणिज्यिक बिलिंग / उद्योग समाधान उपयोगिताओं (ISU) जैसी सभी प्रक्रियाओं के लिए लागू किया गया है। किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, आईटी सिस्टम के बाहर कोई लेखा लेन-देन संसाधित नहीं किया गया है। तदनुसार, खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2.	कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान न किये जाने की स्थिति में क्या कोई मौजूदा उधार / ऋण / ब्याज की पद्धति में परिवर्तन किया गया या ऋणदाता द्वारा अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने आया है? यदि है तो तत्संबंधी वित्तीय प्रभाव स्पष्ट करें।	की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी प्रकार के उधार / ऋण / ब्याज का कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान न किये जाने की स्थिति में ऋणदाता द्वारा इसकी पद्धति में परिवर्तन न किया गया और इसे अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का मामला सामने नहीं आया।
3.	निर्धारित योजनाओं के लिए केंद्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इस्तेमाल / लेखित किया गया? विचलन के मामलों का विवरण दें?	वर्ष 2023-24 के लिए हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा लागू सर्वोत्तम जानकारी और जाँचों के अनुसार केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।



# TEJ RAJ & PAL

Chartered Accountants

हालाँकि पहले के वर्षों में प्राप्त निधियों को इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित / उपयोग किया गया है।

कृते – तेज राज अण्ड पाल  
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स  
एफ आर एन 304124 ई



(सी ए बीरका विजय)

भागीदार

सदस्यता सं. 214678

यू डी आई एन : 24214678BKCLQO3278

101

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30 मई, 2024

Flat No. 301, ACE Classic  
Road No 10A, New Nagole  
Hyderabad - 500 035 [Telangana]

Email:tejrajpal@yahoo.co.in  
Website:www.tejrajpal.org

\* अनूदित पाठ



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

स्पीड पोस्टद्वारा

सेवा मे,  
कमोडोर ए माधवराव (सेवानिवृत्त),  
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक,  
भारत डायनामिक्स लिमिटेड,  
कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट सं. 38-39, टीएसएफसी बिल्डिंग,  
फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, हैदराबाद - 500032.

महोदय,

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक  
एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मैं 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं पर कंपनी  
अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का "शून्य  
टिप्पणी प्रमाण पत्र" अद्योषित करता हूँ।

कृपया सुनिश्चित करें कि टिप्पणियाँ

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये।
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की  
रिपोर्ट के आगे रखा जाये।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत वार्षिक सामान्य बैठक में रखा  
जाये।

संलग्न: यथोपरि

नि-1/बी.डी.एल.लेखा 2023-24/2024-25/167  
सं./No.

प्रधान निदेशक रक्षा-वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय  
बेंगलूरु - 560 001  
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,  
DEFENCE-COMMERCIAL, BENGALURU - 560 001

26 जुलाई 2024

दिनांक/ DATE.

भवदीय,

  
(ऋतुराज सिंह)

उपनिदेशक (रिपोर्ट)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूरु - 560001  
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basweswara Road, Bengaluru - 560 001.



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

By Speed Post  
Confidential

सं./No. Insp-1/BDL Accs 2023-24/2024-25/167

प्रधान निदेशक रक्षा-वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय  
बेंगलूरु - 560 001

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,  
DEFENCE-COMMERCIAL, BENGALURU - 560 001

26.07.2024

दिनांक / DATE.

To  
Cmde A Madhavarao (Retd),  
Chairman and Managing Director,  
Bharat Dynamics Limited,  
Corporate Office, Plot No.38-39,  
TSFC Building, Financial District,  
Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2024.

I forward here with **Nil Comments Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Bharat Dynamics Limited, Hyderabad** for the year ended 31 March 2024.

It may please be ensured that the comments are:

- (i) Printed in toto without any editing;
- (ii) Placed next to the statutory auditors' report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index; and
- (iii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

  
(Hrituraj Singh)  
Dy. Director (Reports)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूरु - 560001  
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basweswara Road, Bengaluru - 560 001.

द्व.भा./Phone : 080-2226 7646 / 2226 1168  
Email : pda.dc.blr@cag.gov.in

फैक्स /Fax : 080-2226 2491

## दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ : \*

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है कि वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय दें। यह उनके द्वारा दि. 30 मई, 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 143 (6) (ए) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई जो प्राथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा-अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम 143 (6) (बी) के अधीन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या पूरक लेखापरीक्षा पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं  
महालेखापरीक्षक की ओर से

*Rajesh Ranjan*

(राजेश रंजन)

लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक (रक्षा-वाणिज्यिक)

स्थान : बंगलूरु

तिथि : 26 जुलाई, 2024

\* अनूदित पाठ

# भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिका - 31 मार्च, 2024

## निगम संबंधी सूचना

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालयाधीन उद्यम भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना सन् 1970 में हैदराबाद में की गई थी। मिसाइल तथा संबद्ध उपकरणों का विनिर्माण उद्यम का कार्य-क्षेत्र है। कंपनी द्वारा अपना अधिकतर माल तथा सेवाएँ भारतीय सशस्त्र-सेनाओं तथा भारत सरकार को दी जाती हैं। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयाँ कंचनबाग (हैदराबाद) तेलंगाना, भानूर (संगारेडु जिला) तेलंगाना और विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश में हैं। बी डी एल, महाराष्ट्र के अमरावती, इब्राहीमपट्टणम, तेलंगाना और झाँसी, उत्तर प्रदेश में अपनी अतिरिक्त सुविधाओं के विनिर्माण की योजना बना रहा है।

## विषय-सूची

भारतीय लेखा मानक विवरणिकाओं में शामिल हैं :

- (ए) तुलन-पत्र
- (बी) लाभ-हानि लेखा
- (सी) ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- (डी) नक़द-प्राप्ति का विवरण
- (ई) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ तथा अन्य विवरणात्मक सूचना के सार-संक्षेप सहित टिप्पणियाँ; और
- (एफ) पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित तुलनात्मक जानकारी;

## रिपोर्टिंग संस्था :

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) भारत में स्थापित व स्थित और शेयर द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध कंपनी है।

## पंजीकृत कार्यालय :

कंचनबाग, हैदराबाद-500058.

## निगम कार्यालय :

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग  
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा  
हैदराबाद-500032.

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकमेव तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>आस्तियाँ</b>			
<b>(1) गैर-चालू आस्तियाँ</b>			
(ए) संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	1	67,235.50	64,628.38
(बी) निर्माणाधीन कार्य-पूँजी	2	7,287.48	7,434.66
(सी) निवेशित संपत्ति	3	0.97	0.97
(डी) आस्तियों के उपयोग का अधिकार	4	5,289.74	5,486.03
(ई) अन्य अमूर्त आस्तियाँ	5	9,835.99	10,738.30
(एफ) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) निवेश	6	-	-
(ii) ऋण	7	170.22	173.86
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	8	10,828.81	10,603.14
(जी) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	29A	7,072.81	5,642.02
(एच) अन्य गैर-चालू आस्तियाँ	9	2,382.50	2,521.52
<b>कुल गैर-चालू आस्तियाँ</b>		<b>110,104.02</b>	<b>107,228.88</b>
<b>(2) चालू आस्तियाँ</b>			
(ए) सामग्री-सूची	10	198,247.31	182,243.75
(बी) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) ट्रेड प्राप्य	11	31,044.72	18,457.27
(ii) नक़द एवं नक़द तुल्य	12	59,384.20	105,288.37
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक में शेष	13	363,464.00	280,598.00
(iv) ऋण	14	199.85	202.16
(v) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	15	106,163.02	132,411.77
(सी) चालू कर आस्तियाँ (निवल)	29B	4,670.80	11,948.87
(डी) अन्य चालू आस्तियाँ	16	160,727.15	28,864.07
<b>कुल चालू आस्तियाँ</b>		<b>923,901.05</b>	<b>760,014.26</b>
<b>कुल आस्तियाँ</b>		<b>1,034,005.07</b>	<b>867,243.14</b>
<b>ईक़्किटी और देयताएँ</b>			
<b>ईक़्किटी और देयताएँ</b>			
(ए) ईक़्किटी शेयर पूँजी	17	18,328.12	18,328.12
(बी) अन्य ईक़्किटी	18	345,354.21	302,821.65
<b>कुल ईक़्किटी देयताएँ</b>		<b>363,682.33</b>	<b>321,149.77</b>
<b>(1) गैर-चालू देयताएँ</b>			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	19	211.50	374.11
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	4,639.66	4,557.47
(बी) प्रावधान	21	40.07	37.00
(सी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	364,855.77	320,528.18
<b>कुल गैर-चालू देयताएँ</b>		<b>369,747.00</b>	<b>325,496.76</b>
<b>(2) चालू देयताएँ</b>			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	23	-	-
(ii) पट्टा देयताएँ	24	162.61	146.64
(iii) ट्रेड अदायगी			
(ए) माइक्रो तथा लघु उद्यमों को बकाया कुल राशि;	25	1,207.05	4,276.06
(बी) माइक्रो तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाता / लेनदार को बकाया राशि	25	78,631.66	42,161.77
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	26	29,040.03	16,761.58
(बी) अन्य चालू देयताएँ	27	151,542.21	122,078.82
(सी) प्रावधान	28	39,992.18	35,171.74
(डी) चालू कर देयताएँ (निवल)	29B	-	-
<b>कुल चालू देयताएँ</b>		<b>300,575.74</b>	<b>220,596.61</b>
<b>कुल देयताएँ</b>		<b>670,322.74</b>	<b>546,093.37</b>
<b>कुल ईक़्किटी एवं देयताएँ</b>		<b>1,034,005.07</b>	<b>867,243.14</b>

106

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप

कृते - तेज राज अण्ड पॉल  
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स  
फर्म पंजीकरण सं. 304124E

  
सी ए बीरका विजय  
भागीदार  
(सदस्यता सं. 214678)  
यू डी आई एन :

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

  
पी वी राजा राम  
निदेशक (उत्पादन)  
तथा अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (तकनीकी)  
डी आई एन : 10271259

  
जी गायत्री प्रसाद  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024

  
कमोडोर ए माधवराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त)  
डी आई एन : 09808949

  
एन नागराज  
कंपनी सचिव  
(सदस्यता सं. A19015)

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>आय</b>			
I परिचालन से प्राप्त आय	30	236,927.51	248,939.25
II अन्य आय	31	36,182.93	15,540.22
<b>III कुल आय (I + II)</b>		<b>273,110.44</b>	<b>264,479.47</b>
<b>IV व्यय</b>			
खपत सामग्री की लागत	32	111,995.92	121,033.46
तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन	33	(22,263.15)	(1,903.72)
कर्मचारी लाभ पर व्यय	34	60,000.76	53,246.43
वित्त लागत	35	310.52	453.64
मूल्यहास तथा परिशोध व्यय	36	6,703.92	7,725.79
अन्य व्यय	37	33,538.95	35,743.52
<b>कुल व्यय (IV)</b>		<b>190,286.92</b>	<b>216,299.12</b>
<b>V असामान्य मदें तथा कर (III-IV) से पूर्व लाभ / (हानि)</b>		<b>82,823.52</b>	<b>48,180.35</b>
VI असामान्य मदें		-	-
<b>VII कर पूर्व लाभ (V + VI)</b>		<b>82,823.52</b>	<b>48,180.35</b>
<b>VIII कर व्यय</b>			
(1) चालू कर	29C	22,874.72	12,775.36
(2) आस्थगित कर	29C	(1,323.26)	187.50
<b>कुल कर व्यय</b>		<b>21,551.46</b>	<b>12,962.86</b>
<b>IX वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (VII - VIII)</b>		<b>61,272.06</b>	<b>35,217.49</b>
<b>X अन्य व्यापक आय</b>			
सामग्री जो बाद में लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी			
(ए) निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्गणना	38(3)	(427.26)	240.20
(बी) लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत न होने वाले मदों से संबंधित आयकर	29C	107.53	(60.45)
<b>कुल अन्य व्यापक आय</b>		<b>(319.73)</b>	<b>179.75</b>
<b>XI वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)</b>		<b>60,952.33</b>	<b>35,397.24</b>
<b>XII प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन</b>			
मूल तथा विलयित ई पी एस (रुपयों में)	38(2)	16.72	9.61

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप

कुते - तेज राज अण्ड पॉल  
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स  
फर्म पंजीकरण सं. 304124E



सी ए बीरका विजय  
भागीदार  
(सदस्यता सं. 214678)  
यू डी आई एन :

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए



पी वी राजा राम  
निदेशक (उत्पादन)  
तथा अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (तकनीकी)  
डी आई एन : 10271259



जी गायत्री प्रसाद  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त)  
डी आई एन : 09808949



एन नागराज  
कंपनी सचिव  
(सदस्यता सं. A19015)

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

### ए. ईक्विटी शेयर केपिटल

(₹ लाख में)

1 अप्रैल, 2023 तक शेष	पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों के चलते ईक्विटी शेयर केपिटल में परिवर्तन	1 अप्रैल, 2023 तक पुनःप्रतिपादित शेष	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर केपिटल में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 तक शेष
18328.12	-	18328.12	-	18328.12
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	पूर्ववर्ती अवधि की त्रुटियों के चलते ईक्विटी शेयर केपिटल में परिवर्तन	1 अप्रैल, 2022 तक पुनःप्रतिपादित शेष	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर केपिटल में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 तक शेष
18328.12	-	18328.12	-	18328.12

### बी. अन्य ईक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि			कुल
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	अन्य व्यापक आय - निर्धारित लाभ योजना की पुनर्गणना	
<b>1 अप्रैल, 2023 को शेष</b>	<b>303,135.54</b>	<b>5,578.96</b>	<b>(5,892.85)</b>	<b>302,821.65</b>
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-
<b>1 अप्रैल, 2023 तक पुनःप्रतिपादित शेष</b>	<b>303,135.54</b>	<b>5,578.96</b>	<b>(5,892.85)</b>	<b>302,821.65</b>
वर्ष के लिए लाभ	-	61,272.06	-	61,272.06
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (निवल)	-	-	(319.73)	(319.73)
अंतिम लाभांश	-	(2,199.38)	-	(2,199.38)
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	40,000.00	-	-	40,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	(40,000.00)	-	(40,000.00)
अंतरिम लाभांश	-	(16,220.39)	-	(16,220.39)
<b>31 मार्च, 2024 को शेष</b>	<b>343,135.54</b>	<b>8,431.25</b>	<b>(6,212.58)</b>	<b>345,354.21</b>

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि			कुल
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	अन्य व्यापक आय - निर्धारित लाभ योजना की पुनर्गणना	
<b>1 अप्रैल, 2022 को शेष</b>	<b>288,135.54</b>	<b>2,664.68</b>	<b>(6,072.60)</b>	<b>284,727.62</b>
लेखा नीति में परिवर्तन	-	(532.98)	-	(532.98)
<b>1 अप्रैल, 2022 तक पुनःप्रतिपादित शेष</b>	<b>288,135.54</b>	<b>2,131.70</b>	<b>(6,072.60)</b>	<b>284,194.64</b>
वर्ष के लिए लाभ	-	35,217.49	-	35,217.49
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (निवल)	-	-	179.75	179.75
अंतिम लाभांश	-	(1,832.81)	-	(1,832.81)
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	15,000.00	-	-	15,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	(15,000.00)	-	(15,000.00)
अंतरिम लाभांश	-	(14,937.42)	-	(14,937.42)
<b>31 मार्च, 2023 को शेष</b>	<b>303,135.54</b>	<b>5,578.96</b>	<b>(5,892.85)</b>	<b>302,821.65</b>

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप

कृते - तेज राज अण्ड पॉल  
चाईर्ड अकाउण्टेंट्स  
फर्म पंजीकरण सं. 304124E

  
सी ए बीरका विजय  
भागीदार  
(सदस्यता सं. 214678)  
यू डी आई एन :

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

  
पी वी राजा राम  
निदेशक (उत्पादन)  
तथा अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (तकनीकी)  
डी आई एन : 10271259

  
जी गायत्री प्रसाद  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024

  
कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त)  
डी आई एन : 09808949

  
एन नागराज  
कंपनी सचिव  
(सदस्यता सं. A19015)

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्रवाह</b>		
असामान्य मदें तथा कर पूर्व लाभ	82,823.52	48,180.35
समायोजन :		
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	6,703.92	7,725.79
वित्त लागत	310.52	453.64
ब्याज से आय	(31,906.37)	(11,176.17)
आस्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों की बिक्री पर लाभ	6.24	(10.06)
ग्राहकों से उपलब्ध आस्तियों पर आस्थगित राजस्व व्यय के लिए प्रावधान	(828.89)	(1,021.06)
दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं / प्रावधानों को बट्टे खाते में डाला गया	2,537.08	2,622.19
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के निवेश पर उचित मूल्य का समायोजन	(10.58)	(959.93)
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री पर लाभ	(125.44)	(130.24)
<b>कार्यगत पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनीय लाभ</b>	<b>59,510.00</b>	<b>45,684.51</b>
कार्यगत पूंजी में परिवर्तन		
परिचालनीय आस्तियों में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन		
प्राप्य ट्रेड	(12,587.45)	11,958.86
ऋण	5.95	11.41
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	39,089.46	(9,586.05)
सामग्री-सूची	(16,315.65)	(17,951.00)
अन्य आस्तियाँ	(131,863.08)	5,332.72
परिचालनीय देयताओं में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन		
देय ट्रेड	33,400.88	(8,809.15)
अन्य वित्तीय देयताएँ	12,371.22	1,736.23
अन्य देयताएँ	74,888.28	207,955.51
प्रावधान	(1,731.10)	(1,495.68)
<b>परिचालनों से प्रजनित नक़द</b>	<b>56,768.51</b>	<b>234,837.36</b>
निवल आयकर प्रदत्त	(15,596.65)	(21,812.18)
असामान्य मदों से पहले निवल नक़द प्रवाह	41,171.86	213,025.18
असामान्य मदें	-	-
<b>परिचालन गतिविधियों में से / (उपभोक्त) निवल नक़द (ए)</b>	<b>41,171.86</b>	<b>213,025.18</b>
<b>बी. निवेश संबंधी गतिविधियों से नक़द प्रवाह</b>		
आस्तियों, संयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त आस्तियों की खरीद	(8,088.97)	(10,825.71)
बैंक जमा	(82,866.00)	(117,149.00)
आस्तियाँ, संयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त आस्तियों की बिक्री से प्राप्ति	17.47	19.36
प्राप्त ब्याज	18,697.02	10,852.42
<b>निवेश संबंधी गतिविधियों में से / (उपभोक्त) निवल नक़द (बी)</b>	<b>(72,240.48)</b>	<b>(117,102.93)</b>
<b>सी. वित्तीय गतिविधियों से नक़द-प्राप्ति</b>		
ईक्रीटी शेयर की जारी से प्राप्ति	-	-
वित्त लागत	(171.50)	(314.63)
पट्टा देयताओं का पुनर्सूगतान	(146.64)	(131.96)
प्रदत्त लाभांश	(14,517.41)	(16,691.66)
<b>वित्तीय गतिविधियों में से / (उपभोक्त) निवल नक़द (सी)</b>	<b>(14,835.55)</b>	<b>(17,138.25)</b>
<b>नक़द एवं नक़द तुल्य में निवल वृद्धि / (अपवृद्धि) (ए+बी+सी)</b>	<b>(45,904.17)</b>	<b>78,784.00</b>
<b>वर्ष के आरंभ में नक़द एवं नक़द तुल्य</b>	<b>105,288.37</b>	<b>26,504.37</b>
<b>वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य (निम्न टिप्पणी (i) का संदर्भ लें।)</b>	<b>59,384.20</b>	<b>105,288.37</b>
<b>टिप्पणी (i):</b>		
नक़द एवं नक़द तुल्य में शामिल हैं :		
चालू खाते में	38,110.17	77,204.89
जमा खाते में	21,269.18	28,076.92
नक़द राशि	4.85	6.56
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
	<b>59,384.20</b>	<b>105,288.37</b>

109

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप

कृते - तेज राज अण्ड पॉल

चाटर्ड अकाउण्टेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. 304124E

सी ए बीरका विजय

भागीदार

(सदस्यता सं. 214678)

यू डी आई एन :

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

पी वी राजा राम

निदेशक (उत्पादन)

तथा अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (तकनीकी)

डी आई एन : 10271259

जी गायत्री प्रसाद

मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 30 मई, 2024

कमोडोर ए माधवराव (से.नि.)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा

अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त)

डी आई एन : 09808949

एन नागराज

कंपनी सचिव

(सदस्यता सं. A19015)

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 30 मई, 2024

# महत्वपूर्ण लेखा नीतियों से संबंधित जानकारी

## 1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

### 1.1 भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन :

वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानकों के सभी वस्तुगत पहलुओं का अनुपालन किया जाता है, जो समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिनियम) [कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015] और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।

### 1.2 लागत की परम्परागत परिपाटी:

वित्तीय विवरण लागत की परम्परागत परिपाटी के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं: उचित मूल्य पर मापित कतिपय वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ (व्युत्पन्नी लिखतों सहित) तथा आकस्मिक प्रतिफल। निर्धारित लाभ योजनाएँ – योजना आस्तियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

### 1.3 प्राक्कलनों का प्रयोग :

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्राक्कलन और आस्ति-देयताओं की सूचित राशियों को प्रभावित करने वाली धारणाओं, वित्तीय विवरण तैयार करने की तारीख को आकस्मिक आस्ति-देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान आय-व्यय की सूचित राशियों के लिए यथावश्यक प्रबन्धन अपेक्षित होता है। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और आधारभूत धारणाओं की समीक्षा अग्रगामी आधार पर की जाती है। लेखा प्राक्कलनों में संशोधनों को मान्यता उसी अवधि के लिए दी जाती है, जिस अवधि में प्राक्कलन का संशोधन किया जाता है।

## 2. विदेशी मुद्रा का मूल्यान्तरण

### 2.1 कामकाजी मुद्रा और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरण में सम्मिलित मदों का मापन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जिसमें कम्पनी का परिचालन किया जाता है ('कामकाजी मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय रुपया भारत डायनामिक्स की कामकाजी मुद्रा है और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा भी।

### 2.2 लेन-देन और शेष राशियाँ

- विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का कामकाजी मुद्रा में मूल्यान्तरण लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। ऐसे लेन-देनों के निपटारे, मौद्रिक आस्तियों के मूल्यान्तरण और वर्ष के अन्त में मौजूद विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गांकित मौद्रिक आस्ति-देयताओं के मूल्यान्तरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की संप्राप्तियों और घाटों को लाभ-हानि की मान्यता दी जाती है।
- विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापित मौद्रिकेतर मदों का मूल्यान्तरण उचित मूल्य-निर्धारण की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य पर हासिल आस्ति-देयताओं सम्बन्धी मूल्यान्तरण के अन्तर को उचित मूल्य की धन-प्राप्ति या घाटे के रूप में सूचित किया जाता है।
- तत्कालीन सोवियत रूस से प्राप्त आपूर्तियों/सेवाओं पर ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों (और भारतीय सेना तथा आयुध निर्माणियों से प्राप्य राशियों) के लिए देयता, ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिसूचित विनिमय दर पर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच नयाचार व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। विनिमय दर में कमोबेशी के कारण सम्भावित अन्तर का लेखा-जोखा राजस्व के हवाले किया जाता है।

## 3. राजस्व की मान्यता

### ए. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

(i) कंपनी द्वारा जब (या जैसे) कार्यनिष्पादन पूरा करने पर राजस्व लिया जाता है।

### (ii) समय के साथ कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि

ए) जहाँ समय के साथ माल या सेवाओं के नियंत्रण का हस्तांतरण होता है, उस कार्यनिष्पादन दायित्व की पूर्णता की तुलना में प्रगति को मापकर निम्न मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर राजस्व को लिया जाता है :

- कंपनी का कार्यनिष्पादन ग्राहक को कंपनी के काम के साथ-साथ लाभ और उपभोग करने का अधिकार देता है।
  - कंपनी का कार्यनिष्पादन कोई आस्ति बनाता है या उसमें वृद्धि करना है जिसे ग्राहक उसे संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।
  - कंपनी का कार्यनिष्पादन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के लिये कोई आस्ति नहीं तैयार करता है और कंपनी को किसी तारीख तक पूर्ण निष्पादन के लिए उचित लाभ सहित भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार होता है।
- बी) एक कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि में हुई प्रगति का आकलन रिपोर्टिंग तिथि तक संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित लागत के मुकाबले किये गये खर्च की वास्तविक लागत के आधार पर किया जाता है। यदि निष्पादन दायित्व के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता है और जहाँ यह संभावना है कि लागतों की वसूली की जाएगी, तो किये गये खर्च को राजस्व के रूप में लिया जाता है।
- सी) ए एम सी अनुबंधों के मामले में, जहाँ खर्च / बीते समय के आधार पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि देखी जाती है वहाँ आउटपुट विधि का उपयोग करके राजस्व लिया जाता है।

### (iii) किसी एक समय में निष्पादन दायित्व की पूर्णता

- ए) उन मामलों में जहाँ नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ नहीं होता है, कंपनी उन मामलों में राजस्व की पहचान निष्पादन दायित्व पूरा होने वाले क्षण करती है।
- बी) ग्राहक द्वारा आस्तियों का नियंत्रण प्राप्त करने पर निष्पादन दायित्व पूरा माना जाता है। नियंत्रण हस्तांतरण में निम्नलिखित सूचक होते हैं :
- कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व को स्थानांतरित कर दिया हो।
  - ग्राहक के पास आस्ति का कानूनी हक हो।
  - ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार कर लिया हो।
  - जब कंपनी के पास आस्ति के भुगतान का वर्तमान में अधिकार हो।
  - ग्राहक के पास आस्ति के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और रिवाइड हों। अनुबंधों में शामिल शर्तों के आधार पर इन महत्वपूर्ण जोखिमों और रिवाइड स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जाता है।

**कार्यस्थलीय संविदा :** कार्यस्थलीय संविदा की स्थिति में आय को मान्यता तब दी जाती है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनियोजन पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि अपेक्षित हो, बिना शर्त कर दिया जाए।

**निःशुल्क रेल संविदा:** निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में बिक्री को मान्यता तब दी जाती है, जब पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि संविदा में शर्त रखी गई हो, ग्राहक को पहुँचाने के लिए वस्तुएँ वाहक को सौंप दी जाएँ। निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में गन्तव्य संविदा आय को मान्यता तब दी जाती है, जब वस्तुएँ लेखावधि के भीतर गन्तव्य पर पहुँच जाएँ।

### बिल और होल्ड बिक्री:

बिल और होल्ड बिक्री को तब मान्यता दी जाती है जब निम्न सभी मानदंड पूरे होते हों :

- बिल और होल्ड बिक्री के काफी आधार मौजूद हों।
- जब उत्पाद को ग्राहक के उत्पाद रूप में अलग से पहचाना जाता हो।
- वर्तमान में जब उत्पाद ग्राहक को भौतिक रूप से हस्तांतरण के लिए तैयार हो।
- कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या इसे किसी अन्य ग्राहक को देने की क्षमता नहीं हो।

### (iv) मापन

ए) राजस्व को उस लेनदेन मूल्य की राशि से पहचाना जाता है जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किया जाता है।

लेन-देन की कीमत उस विचार की राशि है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि और अनुमानित परिसमापन क्षति के निवल को छोड़कर किसी ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

विनिमय दर में अंतर और किसी भी अन्य अतिरिक्त विचार को अनुबंध की शर्तों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

बी) मानक वारंटी शर्तों के तहत खराब / सामान को बदलने या मरम्मत करने के लिए दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है और लेन-देन की कीमत के तहत समायोजित नहीं किया जाता है क्योंकि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से खरीदने का विकल्प नहीं है।

सी) ऐसे मामलों में जहाँ अनुबंधों में कई निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, कंपनी प्रत्येक स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आबंटित करती है।

**पुंज संविदा** - जिस पुंज संविदा में संस्थापना और समादेशन या किसी अन्य पहचानने योग्य घटक के लिए शर्तें न रखी गई हों, उस स्थिति में कम्पनी लेन-देन के अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) के लिए मान्यता के मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

**बहुविध घटक** - जहाँ संस्थापन और समादेशन या अलग से पहचाने जाने वाले किसी अन्य घटक की शर्तें रखी गयी हो तथा उसके मूल्य पर अलग से सहमति बन गई हो, उन मामलों में लेन-देन के अलग पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) पर कंपनी मान्यता का मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग-अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

डी) अगर एकमेव बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है तो कंपनी, एकमेव बिक्री मूल्य का अनुमान लगाती है।

#### (v) महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य अनुबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य अनुबंधों के संबंध में, महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक की समीक्षा प्रत्येक मामले के लिए अलग से की जाती है।

#### (vi) ग्राहक वित्तपोषित आस्तियाँ :

ग्राहक वित्तपोषित आस्तियाँ (सीएफए) वे आस्तियाँ होती हैं जिनकी लागत पूरी तरह या आंशिक रूप से ग्राहक द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं। ग्राहक सीएफए पर नियंत्रण प्राप्त कर भी सकता है और नहीं भी। ग्राहक द्वारा वित्त पोषण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने के अनुरूप राजस्व सिंक्रनाइजेशन के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी द्वारा किये गये व्यय की पहचान जी ए ए पी के अनुसार की जाती है।

**ए. जहाँ कंपनी ने ग्राहक द्वारा वित्तपोषित आस्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है :**

ग्राहक द्वारा वित्तपोषित आस्तियों आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। किसी अनुबंध के संबंध में संबंधित राजस्व को मौजूदा कार्य-आदेश मात्रा और अतिरिक्त मात्रा, यदि कोई हो, के अनुपात में निष्पादित मात्रा की सीमा तक पहचाना जाता है, जिसके लिए ग्राहक से अनुबंध की प्राप्ति की तारीख के अनुसार कार्य-आदेश अपेक्षित होते हैं।

**बी. जहाँ कंपनी ने ग्राहक द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है :**

ग्राहक द्वारा वित्तपोषित आस्तियों के संबंध में किए गए व्यय को प्रारंभ में सामग्री-सूची के रूप में मान्यता दी जाती है और आस्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है।

#### बी. अन्य आय

अन्य आय की मान्यता इस प्रकार की जाती है :

##### i) व्याज की आमदनी :

किसी भी वित्तीय आस्ति से व्याज की आमदनी को मान्यता तब दी जाती है, जब यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी का रख करेंगे और आमदनी की रकम का विश्वसनीय मापन किया जा सके। व्याज की आमदनी अवधि के आधार पर वकाया मूलधन के सन्दर्भ में और लागू होने वाले व्याज की प्रभावी दर से उपार्जित होती है। यह वह दर है, जो प्राकृतिक भावी नक़द प्राप्तियों में वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित जीवन-काल से लेकर उस आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता पर हासिल निवल राशि तक सटीक कटौती कर देती है।

##### ii) लाभांश :

लाभांश की आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

#### 4. सरकारी अनुदान :

- 4.1 सरकारी अनुदानों को मान्यता उनके उचित मूल्य पर वहाँ दी जाती है, जहाँ युक्तिसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा और कम्पनी लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन करेगी।
- 4.2 आमदनी से सम्बन्धित सरकारी अनुदान आस्थगित रखे जाते हैं। उन अनुदानों से जिन लागतों की क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है, उनसे मेल के लिए आवश्यक अवधि के बाद ही लाभ-हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आमदनी में प्रस्तुत किया जाता है।
- 4.3 हासमान इतर आस्तियों से सम्बन्धित अनुदानों के लिए भी कतिपय बाध्यताएँ पूरी करनी अपेक्षित हो सकती हैं। उन्हें उस पूरी अवधि के बाद लाभ-हानि में मान्यता तभी दी जाएगी, जो उन्हें पूरा करने की लागत वहन करती है।
- 4.4 सरकार से प्राप्त सब्सिडी या अन्य मूल्यहासित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण लिए प्राप्त अनुदान आस्थगित आय मानी जाती है। यदि अनुदान / सब्सिडी पूर्ण हो, तो मूल्यहास से संबंधित राशि, संपत्ति के जीवन-काल पर आय के रूप में मानी जाती है। अनुदान / सब्सिडी यदि पुनर्भुगतान जैसी किसी शर्त के साथ हो तो आय अनुदान / सब्सिडी की शर्तों के अनुसार मानी जाती है।

#### 5. आय कर

- 5.1 आय कर का खर्च या किसी अवधि के लिए जमा, चालू अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है। वह जमा-खर्च आय कर की लागू दरों पर आधारित होता है और आस्थगित कर आस्ति-देयताओं में परिवर्तनों से समायोजित हो जाता है। इन आस्ति-देयताओं के लिए अस्थायी अन्तरो और अप्रयुक्त कर के घाटों को जिम्मेदार माना जाता है।

#### 5.2 चालू कर :

जिन देशों में कम्पनी का परिचालन किया जा रहा है और कर योग्य आमदनी कमायी जा रही है, चालू आय कर के प्रभार का हिसाब-किताब वहाँ बने-बनाए कर के कानूनों पर या रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वास्तव में बनाए जाने वाले कानूनों पर आधारित होता है। जिन परिस्थितियों के बीच लागू होने वाले कर विनियमन का निर्वाचन किया जाना होता है, प्रबन्धन उनमें कर विवरणियों में अपनाए गए दृष्टिकोण का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करता है।

#### 5.3 आस्थगित कर :

- i) प्रावधान आस्थगित आय कर की सम्पूर्ण राशि के लिए किया जाता है। इसके लिए आस्ति-देयताओं और उन पर हासिल राशियों के बीच उत्पन्न अस्थायी अन्तरो पर वित्तीय विवरणों में देयता विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कर की आस्थगित देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती, यदि वे सुनाम की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हों। आस्थगित आय कर भी हिसाब में नहीं लिया जाता, यदि वह किसी लेन-देन में आस्ति-देयता की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हो। इसमें व्यापार का वह संयोजन सम्मिलित नहीं है, जो लेन-देन के समय न तो लेखागत लाभ को प्रभावित करे और न कर योग्य लाभ (कर-हानि) को। आस्थगित आय कर का निर्धारण कर की तय दर या रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में वास्तव में तय की जाने वाली दर और उन दरों (और कानूनों) की सहायता से किया जाता है, जिनका लागू किया जाना सम्बन्धित आय कर से जुड़ी आस्तियाँ उगाहते समय या आस्थगित आय कर देयता के निपटारे के समय प्रत्याशित हो।
- ii) सभी घटाने योग्य अस्थायी अन्तरो और अप्रयुक्त घाटों पर आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता तभी दी जाती है, यदि यह सम्भावना हो कि उन अस्थायी अन्तरो और घाटों का उपयोग करने के लिए कर योग्य भावी राशियाँ उपलब्ध होंगी। करानुदान के प्रयोजन के लिए आस्थगित कर आस्ति को मान्यता उपलब्ध भूमि पर भी दी जाती है, क्योंकि इससे अस्थायी अन्तर उत्पन्न होता है।
- iii) आस्थगित आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब चालू आस्ति-देयताओं को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित कर की राशि एक ही कर प्राधिकारी से सम्बन्धित हो। चालू कर आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब वस्तु को उन्हें बराबर करने का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और उसका अभिप्राय या तो निवल आधार पर निपटारे का हो या देयता को साथ-साथ उगाह लेने का।
- iv) अन्य व्यापक आमदनी या सीधे सम्पत्ति मूल्य में मान्यता प्राप्त मदों से सम्बन्धित कर की सीमा तक को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इस स्थिति में कर को मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आमदनी या सीधे ईक्यूटी मूल्य में भी दी जाती है।

#### 6. पट्टे

##### 6.1 कंपनी एक पट्टेदाता के रूप में :

तीसरी पार्टी के साथ अनुबंध, जो कंपनी को एक आस्ति के संबंध में उपयोग का अधिकार देता है, को भारतीय लेखा मानक – 116 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब दिया जाता है बशर्ते कि पट्टे मानदंड मानक में निर्दिष्ट के अनुसार मिलते हैं।

अल्पावधि पट्टे (बारह महीने या उससे कम की अवधि) और कम मूल्य की आस्तियों के संबंध में पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि या अन्य व्यवस्थित आधार पर सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में लागू किया जाता है।

आरंभ तिथि पर, "उपयोग के अधिकार" का मूल्य बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अनुमानित लागत, यदि कोई हो, को नष्ट करने और अंतर्निहित आस्ति को हटाने के लिए रखा जाता है।

पट्टे के लिए देयता बकाया पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि के लिए बनाई गई है। बाद के माप, यदि कोई हो, लागत मॉडल का उपयोग करके बनाया गया है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान देयता और वित्त लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त लागत पट्टा अवधि पर लाभ और हानि के बयान के लिए प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

आस्ति के उपयोग का अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक है।

पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि वह दर निर्धारित की जा सकती है, या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधन, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

## 6.2 एक पट्टाधारक के रूप में कंपनी :

भारतीय लेखा मानक 116 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड के आधार पर पट्टे को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) वित्त पट्टा :

आरंभ तिथि में, "पट्टे में शुद्ध निवेश" के बराबर राशि प्राप्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। "पट्टे में शुद्ध निवेश" के मूल्य को मापने के लिए निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान प्राप्त किए गए और वित्त आय के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त अवधि को पट्टा अवधि में लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है ताकि पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय उपकरण के अनुसार आस्ति का परीक्षण वि-मान्यता और हानि की आवश्यकताओं के लिए किया गया है।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधनों, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

बी) परिचालन पट्टे :

यदि आवश्यक हो, तो कंपनी परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर या अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में पहचानती है।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधनों, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

किसी पट्टे को आरंभ की तिथि पर ही वित्त पट्टा या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

## 7. सामग्री-सूची

- 7.1 माल-सूचियों का मूल्यांकन लागत से नीचे और निवल उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है। कच्चे माल, पुरजों और भण्डारों की लागत वास्तविक भारित औसत लागत सूत्र की सहायता से निर्धारित की जाती है तथा पारगमन में कच्चे माल, पुरजों और भण्डारों की जब की तब। विक्रेय स्टॉक और चालू काम के मामले में लागत में सम्मिलित होते हैं सामग्री, श्रम और उत्पादन सम्बन्धी ऊपरी खर्च।
- 7.2 लेखन सामग्री, वर्दियाँ, कल्याणकारी कार्यों में खपने योग्य सामान, चिकित्सा और कैण्टीन भण्डार के खर्च उनकी प्राप्ति के समय ही आय में से घटा दिए जाते हैं।
- 7.3 बेशी/मरम्मत अयोग्य/बेकार घोषित कच्चा माल, पुरजे, निर्माण सामग्री, खुले औजार और भण्डार तथा फ़ालतू पुरजे आय में प्रभारित किए जाते हैं।
- 7.4 कच्चे माल, पुरजों और पाँच वर्ष से अधिक से पड़ी हुई निर्माण सामग्री की अन्तिम सूची के बारे में निरर्थकता के लिए प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्पन्न/विशिष्ट परियोजनाओं और अन्य बेशी/उबार भण्डार में स्थानान्तरण की प्रतीक्षा में पड़ी बेकार सामग्री के बारे में ऐसी सूची की निरर्थकता के लिए, जहाँ आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

## 8. वित्तीय लिखतें

### 8.1 वित्तीय आस्तियाँ :

सभी वित्तीय आस्तियों को व्यापार की तारीख को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी वित्तीय आस्ति की खरीद ऐसी संविदा के अधीन हो जिसकी शर्तों के अनुसार वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी सम्बन्धित बाज़ार से तय समय-सीमा के भीतर की जानी हो। वित्तीय आस्तियों का मापन प्रारम्भ में लेन-देन की लागत जोड़कर उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से प्रारम्भ ही में 'उचित मूल्य पर' रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियाँ इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों का मापन बाद में उनकी समग्रता में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर किया जाता है।

#### i) वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण

कम्पनी अपनी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित मापन कोटियों में करती है:

- o जिनका मापन बाद में उचित मूल्य पर किया जाता है (अन्य व्यापक आमदनी या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- o जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए संस्था के कारोबारी मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदागत शर्तों पर निर्भर है।

उचित मूल्य पर मापित आस्तियों के लिए नफ़ा-नुकसान, लाभ या हानि में दर्ज किए जाएँगे या अन्य व्यापक आमदनी में। ऋण लिखतों में निवेश के लिए यह उस कारोबारी मॉडल पर निर्भर होगा, जिसमें निवेश धरा है। शेयर लिखतों में निवेश इस बात पर निर्भर होगा कि क्या कम्पनी ने अन्य व्यापक आमदनी के माध्यम से शेयरों में निवेश के लिए प्रारम्भिक मान्यता के समय निर्विकल्पी संवरण कर लिया है। कम्पनी ऋण निवेश का वर्गीकरण केवल तब और तभी करती है, जब उन आस्तियों के प्रबन्धन के लिए उसका कारोबारी मॉडल बदलता है।

#### ii) मापन

प्रारम्भिक मान्यता के समय कम्पनी किसी भी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर उस वित्तीय आस्ति पर सीधे आरोप्य लेन-देन की लागत जोड़कर करती है। जो वित्तीय आस्ति उचित मूल्य पर न हो, उसका मापन लाभ या हानि के माध्यम से करती है। उचित मूल्य पर हासिल वित्तीय आस्ति की लेन-देन की लागतें लाभ या हानि के माध्यम से लाभ या हानि में डाली जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों सहित अंतःस्थापित व्युत्पन्नियों को उनकी सर्वांगीणता में देखते समय यह देखा जाता है कि क्या उनका नक़द-प्रवाह मूलधन और ब्याज का एकल भुगतान है या नहीं।

#### ए) ऋण लिखतें

ऋण लिखतों का बाद में मापन आस्ति के प्रबन्ध और आस्ति के नक़द प्रवाह के अभिलक्षणों के लिए कम्पनी के कारोबारी मॉडल पर निर्भर है। कम्पनी अपनी ऋण लिखतों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है :

(ए) (i) परिशोधित लागत : संविदागत नक़द प्रवाहों के संग्रहण के लिए धारित आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है, जहाँ वे नक़द प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व करते हों। बाद में परिशोधित लागत पर मापित और पेशबन्दी सम्बन्ध का भाग न बनने वाले ऋण निवेश पर नफ़ा-नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता तब दी जाती है, जब उस आस्ति की मान्यता समाप्त या कम कर दी जाए। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज की आय को ब्याज की प्रभावी दर की विधि की सहायता से वित्त आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ए)(ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी ओ सी आई) :

ऐसी संपत्तियाँ जो संविदात्मक नक़द-प्रवाह के लिए रोक रखी गई हों और वित्तीय संपत्ति की बिक्री की जानी हो, तथा जहाँ संपत्ति नक़द-प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज हो, ऐसी आय को व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। वाहक राशि में चलन को ओ सी आई के माध्यम से लिया जाता है। इसमें क्षति लाभ या नुकसान की राशि, ब्याज राजस्व और विदेशी विनिमय में लाभ-हानि को शामिल नहीं किया जाता। इसे लाभ-हानि में लिया जाता है। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है ('डी-रिकग्नाइज़') तो पूर्व में ओ सी आई में लिया गया संचित लाभ या हानि ईक्यूटी से लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाता है और अन्य लाभ / (हानि) के रूप में इसकी पहचान की जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के प्रयोग से हुए अन्य आय में शामिल किया जाता है।

(ए)(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य :

परिशोधन लागत या एफ वी ओ सी आई मानदंडों को पूरा न करने वाली परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है और बचाव व्यवस्था का हिस्सा न हो, इसकी पहचान लाभ या हानि में की जाती है और जिस कालावधि के दौरान यह आया हो उस अवधि के लिए उसमें अन्य लाभ / (हानि) के साथ लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

बी) ईक्विटी लिखतें :

- (बी) (i) कम्पनी सभी ईक्विटी निवेशों का बाद में उचित मूल्य पर मापन करती है। जहाँ कम्पनी प्रबन्धन ने ईक्विटी निवेशों पर उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान को अन्य व्यापक आमदनी में दर्शाना चुन लिया हो, वहाँ उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान का बाद में लाभ या हानि में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभों को लाभ या हानि में अन्य आमदनी के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।
- (बी) (ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरण में अन्य नफ़ा/(नुकसान) में मान्यता दी जाती है। शेयर निवेशों पर क्षतिजन्य हानियों (और क्षतिजन्य हानियों का निराकरण) का एफ़ वी ओ सी आई पर मापन उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों से अलग सूचित नहीं किया जाता।

(iii) वित्तीय आस्तियों की क्षति

परिशोधित लागत और एफ़ वी ओ सी आई ऋण लिखतों पर हासिल अपनी आस्तियों से जुड़े प्रत्याशित जमा नुकसानों का मूल्यांकन कम्पनी अग्रदूर्धी आधार पर करती है। लागू किया जाने वाला क्षति रीतिविधान इस पर निर्भर है कि क्या जमा जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

व्यापारिक धन-प्राप्तियों के लिए कम्पनी सरलीकृत रुख अपनाती है। यह भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों से अनुमत है। इसमें प्राप्य राशियों की प्रारम्भिक मान्यता से प्रत्याशित आजीवन हानियों को मान्यता देना अपेक्षित है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कम्पनियों से प्राप्य कालातीत देय राशियों को सामान्यतः ऐसी वित्तीय आस्तियों की जमा जोखिम में बढ़ोतरी नहीं माना जाता।

(iv) वित्तीय आस्तियों की मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है,

- जब कम्पनी ने वित्तीय आस्ति से नक़द प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तान्तरित कर दिए हों या
- जब वित्तीय आस्ति के नक़द प्रवाह प्राप्त करने के संविदागत अधिकार अपने हाथ में रखे तो हों, लेकिन नक़द प्रवाह एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को अदा करने की बाध्यता मान ली हो।

जहाँ वस्तु ने किसी आस्ति का हस्तान्तरण कर दिया हो, वहाँ कम्पनी यह आँकती है कि उसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोखिमों और प्रतिफल पूरी तरह हस्तान्तरित कर तो दिए हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

जहाँ वस्तु ने न तो वित्तीय आस्ति हस्तान्तरित की हो न ही वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोखिमों और प्रतिफल पूरी तरह अपने हाथ में रख रखे हों, वहाँ ऐसी वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में न रख छोड़ा हो। जहाँ कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में रख छोड़ा हो, वहाँ आस्ति की मान्यता वित्तीय आस्ति में आगे चलती रहने वाली संबद्धता की सीमा तक जारी रहती है।

v) प्राप्य व्यापारिक धनराशियाँ

व्यापारिक प्राप्तियाँ साधारण कारोबार के दौरान बेची गई वस्तुओं या निष्पादित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशियाँ हैं। यदि इन राशियों की उगाही रिपोर्टिंग की तारीख (या कारोबार के सामान्य परिचालन चक्र में, यदि अवधि लम्बी हो) से बारह मास या उससे कम में प्रत्याशित हो, तो उनका वर्गीकरण चालू आस्तियों के रूप में किया जाता है, अन्यथा चालू आस्तियों से इतर आस्तियों के रूप में।

प्राप्य व्यापारिक धनराशियों का मापन उनके लेन-देन के मूल्य पर किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 115 (या जब संस्था व्यावहारिक उपाय अपनाए) के अनुसार उसमें उल्लेखनीय वित्तीय घटक न हो या संविदा में मूल्य-समायोजन अन्तःस्थापित न हो।

प्रत्याशित जीवन-काल में जमा में हानि के लिए हानि में छूट को प्रारम्भिक मान्यता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

## 8.2 कम्पनी से जारी वित्तीय देयताएँ और ईक्विटी लिखतें

### वर्गीकरण

ऋण और ईक्विटी लिखतों का वर्गीकरण संविदागत व्यवस्था की विषयवस्तु के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है या फिर ईक्विटी के रूप में।

i) ईक्विटी लिखतें

ईक्विटी लिखत ऐसी संविदा है, जो किसी संस्था की समस्त देयताएँ घटाने के बाद उसकी आस्तियों में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य दे। कम्पनी से जारी ईक्विटी लिखतों को प्राप्त आय-राशियों के आधार पर निर्गम की सीधी लागतें घटाकर मान्यता दी जाती है।

## ii) वित्तीय देयताएँ

उधारियों सहित वित्तीय देयताओं का मापन प्रारम्भ में उचित मूल्य पर लेन-देन की लागतें घटाकर किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का मापन बाद में प्रभावी ब्याज की विधि की सहायता से ब्याज के व्यय को प्रभावी लब्धि के आधार पर मान्यता देकर परिशोधित लागत पर किया जाता है।

प्रभावी ब्याज की विधि वित्तीय देयता की परिशोधित लागत की गणना और सम्पूर्ण सम्बन्धित अवधि पर ब्याज-व्यय के आवंटन की विधि है। ब्याज की प्रभावी दर वह है, जो प्रारम्भिक मान्यता पर निवल हासिल राशि में से वित्तीय देयता के प्रत्याशित जीवन-काल के माध्यम से प्राक्कलित भावी नक़द भुगतानों की सटीक कटौती करे, या (जहाँ उपयुक्त हो) कमतर अवधि के लिए ऐसा करे।

## iii) व्यापार और अन्य देय राशियाँ

ये राशियाँ कम्पनी को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं सम्बन्धी देयताओं की सूचक हैं। व्यापार और अन्य देय चालू देयताओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, यदि भुगतान रिपोर्टिंग-अवधि के बारह मास के भीतर देय हो, अन्यथा चालू देयताओं से इतर रूप में दर्शायी जाती हैं। उन्हें प्रारम्भ में उनके अपने उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में उनका मापन परिशोधित लागत पर ब्याज की प्रभावी दर की विधि के आधार पर किया जाता है।

## iv) व्युत्पन्नियाँ

जिस तारीख को व्युत्पन्नी संविदा की जाती है, व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य पर मान्यता उसी दिन दी जाती है। उनका पुनर्मापन बाद में उनके अपने उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में किया जाता है। जिन व्युत्पन्नियों को पेशबन्दी के रूप में अभिहित नहीं किया गया है, उनका हिसाब लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया और उन्हें अन्य नफ़ों / (नुकसानों) में सम्मिलित किया जाता है।

## ए) अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ

किसी परपोषी संविदा में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आस्ति हैं। उन्हें अलग नहीं किया जाता। यह निश्चय करते समय कि उनके नक़द प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज की अदायगियाँ ही हैं, अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों युक्त वित्तीय आस्तियों पर उनकी समग्रता में विचार किया जाता है।

अन्य सभी परपोषी संविदाओं में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों को अलग किया जाता है, यदि आर्थिक अभिलक्षण और अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों की जोखिमों आर्थिक अभिलक्षणों और परपोषी संविदा की जोखिमों से घनिष्ठता से सम्बद्ध न हों। उनका मापन लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। परपोषी संविदा से घनिष्ठता से जुड़ी व्युत्पन्नियों को अलगाया नहीं जाता।

## बी) अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियाँ

अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों को परपोषी संविदा से अलगाया नहीं जाता, यदि उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ हो। यदि परपोषी संविदा को लाभ न पहुँचे, तो ऐसी अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों परपोषी संविदा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। इनमें कोई विकल्प-विशेषता नहीं होती और निम्नलिखित में से किसी मुद्रा में भुगतान अपेक्षित होता है :

- संविदा से सम्बद्ध किसी पार्टी की कामकाजी मुद्रा
- जिस मुद्रा में अधिग्रहीत वस्तु या प्रदत्त सेवा का मूल्य दुनिया भर में वाणिज्य लेन-देन में नेमी तौर पर तय हो।
- जिस आर्थिक वातावरण में लेन-देन होता हो (अर्थात् अपेक्षाकृत द्रव और स्थिर मुद्रा), उसमें वित्तीय से इतर मदों की खरीद-बिक्री के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त मुद्रा।

उपर्युक्त मानक पर खरा न उतरने वाली विदेशी मुद्रा अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ अलगा दी जाती हैं और लाभ-हानि के माध्यम से व्युत्पन्नी का हिसाब उचित मूल्य पर कर दिया जाता है।

## 8.3 वित्तीय लिखतों को बराबर करना

वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ बराबर कर दी जाती हैं और निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शायी जाती है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और निवल आधार पर निपटाने या आस्ति को उगाहकर देयता को साथ-साथ निपटाने का इरादा हो। विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भावी घटनाओं पर आकस्मिक न हो और कारोबार के सामान्य दौर में चूक, कम्पनी के दिवालियापन या प्रतिस्थानी होने की स्थिति में प्रवर्तनीय हो।

## 9. नक़द और नक़द सममूल्य:

नक़द प्रवाह विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन से नक़द और नक़द सममूल्यों में सम्मिलित होते हैं हाथ में नक़दी, वित्तीय संस्थाओं में माँग पर धरी जमाराशियाँ, मूल रूप से तीन मास या उससे कम परिपक्वता अवधि के अन्य अल्पावधि एवं अत्यधिक द्रव निवेश, जो ज्ञात नक़द राशियों में सुलभ संपरिवर्तनीय हों और जिन पर मूल्य-परिवर्तन की जोखिम न के समान हो तथा बैंक ओवरड्राफ़्ट।

तुलन-पत्र में बैंक ओवरड्राफ़्ट चालू देयताओं में उधारियों के भीतर दर्शाए जाते हैं।

## 10. उचित मूल्य पर मापन

- 10.1 कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में कतिपय वित्तीय लिखतों, जैसे व्युत्पन्नियाँ और अन्य मदें, का मापन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर करती है।
- 10.2 जिन समस्त आस्ति-देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया हो या जिन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो, उनका वर्गीकरण उचित मूल्य क्रमपरम्परा के भीतर निम्नतम स्तर के निवेश के आधार पर किया जाता है। ऐसा वर्गीकरण समग्रतः उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण होता है:
- स्तर-1 — सक्रिय बाजारों में समरूपी आस्ति-देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित)।
- स्तर-2 — स्तर-1 के भीतर सम्मिलित कथित मूल्यों से अन्य निवेश, जो प्रत्यक्षतः (अर्थात् मूल्य रूप में) या परोक्षतः (अर्थात् मूल्यों से निकाले हुए) आस्ति या देयता के लिए संप्रेक्षणीय हों।
- स्तर-3 — आस्ति-देयताओं के लिए निवेश, जो बाजार के संप्रेक्षणीय डाटा पर आधारित न हों (असंप्रेक्षणीय निवेश)।
- 10.3 उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी ने प्रकृति, अभिलक्षण, आस्ति की जोखिमों और उचित मूल्य क्रमपरम्परा के स्तर पर आस्ति-देयताओं के वर्ग निश्चित कर दिए हैं।

## 11. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर

### 11.1 मापन

- भूमि को कम्पनी के खर्च पर पूँजी में परिणत किया जाता है। समतल बनाने, साफ करने और श्रेणीकरण जैसे भूमि के विकास-कार्यों को भवन-निर्माण की लागत के साथ-साथ भवन-निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि के अनुपात में पूँजी में परिणत किया जाता है और विकास के शेष खर्च को पूँजी में भूमि की लागत के साथ-साथ परिणत किया जाता है। भू-दृश्य के प्रयोजन या निर्माण-कार्य से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए किए गए विकास-खर्च को भूमि की लागत माना जाता है।
- सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर की अन्य सभी मदें परम्परागत लागत में दिखाई जाती हैं। इनमें से हास घटा दिया जाता है। परम्परागत लागत में सम्मिलित होते हैं मदों के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य खर्च।
- बाद की सभी लागतें आस्ति की हासिल रकम में सम्मिलित की जाती हैं और उसे अलग आस्ति के रूप में यथा उपयुक्त मान्यता केवल तभी दी जाती है, जब यह सम्भव हो कि मद से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। अलग आस्ति के रूप में हिसाब में ली गई घटक की हासिल रकम की मान्यता उसकी स्थानापन्नता की स्थिति में समाप्त कर दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मरम्मत और रख-रखाव पर किए गए अन्य सभी खर्च लाभ-हानि के हवाले किए जाते हैं।
- जहाँ आस्ति के किसी भाग की लागत आस्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण हो और उस भाग का उपयोगी जीवन-काल शेष आस्ति की जीवन-अवधि से भिन्न हो, उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन-काल अलग से निश्चित किया जाता है और उस महत्वपूर्ण भाग के प्राक्कलित सम्पूर्ण उपयोगी जीवन-काल पर हास सरल रेखा विधि से काटा जाता है।

### 11.2 हास की विधि, प्राक्कलित उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्य

- अवशिष्ट मूल्य घटाकर लागत के आवंटन के लिए सम्पूर्ण प्राक्कलित जीवन-काल पर हास की गणना सरल रेखा विधि से की जाती है।
- निश्चित किए गए जीवन-काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-॥ में निर्दिष्ट जीवन-कालों के समान हों।
- आस्ति के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा की जाती है। उन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में समायोजित किया जाता है, यदि उपयुक्त हो।

### 11.3 निपटान

निपटान पर नफ़ा-नुकसानों का निश्चय निवल विक्रय आगम राशियों की तुलना हासिल राशि से करके किया जाता है। इन्हें लाभ-हानि में सम्मिलित किया जाता है।

## 12. अमूर्त आस्तियाँ

### 12.1 लाइसेंस

अलग से लिये गये लाइसेंस परंपरागत लागत पर दिखाये जाते हैं। इनकी उपयोगिता अवधि सीमित होती है। बाद में संचित परिशोधन और क्षतिजनित नुकसान घटा कर इन्हें लागत पर हासिल किया जाता है।

### 12.2 कंप्यूटर साफ्टवेयर

- ए) आंतरिक प्रयोग के लिए लिये गये और भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक परिणामदायी साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा न हो) की लागत को लेखा-बही में अमूर्त हिस्से में माना जाता है, जब वह प्रयोग के लिए तैयार हो। जो अमूर्त आस्तियाँ तुलन-पत्र की तारीख को अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार न हों, उनका वर्गीकरण 'विकासधीन अमूर्त आस्तियाँ' के रूप में किया जाता है।

- बी) साफ्टवेयर प्रोग्रामों के रखरखाव पर आने वाले खर्च को किया गया व्यय माना जाता है।
- सी) कंपनी के नियंत्रणाधीन पहचाने जाने योग्य अनन्य साफ्टवेयर उत्पाद के अभिकल्प और परीक्षण पर सीधे आरोप्य विकास की लागतों को निम्नलिखित मानकों पर खरा उतरने पर अमूर्त आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है :
- o साफ्टवेयर को पूरा करना तकनीकी रूप से संभाव्य हो, जिससे वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।
  - o प्रबंधन साफ्टवेयर को पूरा करके प्रयोग करना या बेचना चाहता हो।
  - o साफ्टवेयर के प्रयोग और बेचने की योग्यता हो।
  - o यह दिखाया जा सके कि साफ्टवेयर भविष्य में आर्थिक रूप से लाभदायक कैसे हो सकता है।
  - o साफ्टवेयर का पूरी तरह विकास करने, प्रयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हों, और
  - o साफ्टवेयर के विकास-काल में उस पर आने वाले खर्च का विश्वसनीय मापन किया जा सके।
- डी) साफ्टवेयर के भाग के रूप में पूँजी के तौर पर परिणत सीधे आरोप्य लागतों में कर्मचारियों पर लागत और संबंधित ऊपरी खर्च का उपयुक्त भाग भी सम्मिलित है।
- ई) पूँजी के रूप में परिणत विकासगत लागतों को अमूर्त आस्तियों के तौर पर दर्ज किया जाता है और आस्ति का परिशोधन उस बिंदु से किया जाता है, जिस पर वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।

### 12.3 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान खर्च और विकास खर्च को किये गये खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उक्त 12.2 (ग) के मानकों पर खरे नहीं उतरते। पहले खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागत को परवर्ती अवधि में आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

कंपनी से वित्तपोषित परियोजना(ओं) के असमय समापन/ परित्याग की स्थिति में, असमय समापन / परित्याग के चरण तक किए गए खर्च को असमय समापन / परित्याग के वर्ष की आय में से प्रभारित किया जाता है।

### 12.4 परिशोधन की विधि और अवधियाँ

सीमित जीवन-काल युक्त अमूर्त आस्तियों का परिशोधन कंपनी सरल रेखा विधि से निम्नलिखित पूरी अवधियों के लिए करती है :

अनुज्ञप्त	उपयोगी काल
कंप्यूटर के साफ्टवेयर का उत्पादन	3 वर्ष

## 13. संपत्ति निवेश :

जो संपत्ति दीर्घावधि तक किराया देने के लिए या पूँजीगत वृद्धि या दोनों दृष्टियों से रखी गई हो और कंपनी जिस पर काबिज़ न हो, ऐसी संपत्ति का वर्गीकरण संपत्ति में निवेश माना जाएगा। संपत्ति में निवेश का प्रारंभिक मापन उसकी लागत पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन की लागत और उधारी की लागत, जहाँ लागू हो, सम्मिलित है। आस्ति पर हासिल राशि पर परवर्ती खर्च पूँजी के रूप में तभी परिणत किया जाता है, जब संभावना यह हो कि खर्च से संबंधित भावी आर्थिक लाभ समूह का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। सभी प्रकार की मरम्मत और रखरखाव की लागत आने पर खर्च में दिखायी जाती है। जब संपत्ति में निवेश के किसी भाग का प्रतिस्थापन किया जाए, तो प्रतिस्थापित भाग पर हासिल राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

## 14. बिक्री के लिए रखी और परिचालन रोकी गई चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ (या निपटान समूह):

14.1 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों (या निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों के रूप में किया जाता है, यदि उन पर हासिल मूल्य प्रमुखतः बिक्री के लेन-देन से उगाहा जाए, न कि सतत उपयोग से और बिक्री की प्रबल संभावना दिखाई दे। इनका मापन इन पर हासिल मूल्य और उचित मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों, कर्मचारियों के लाभों से बनने वाली आस्तियों, वित्तीय आस्तियों और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदागत अधिकारों जैसी जिन आस्तियों को उस अपेक्षा से विशिष्ट छूट प्राप्त है, उन्हें छोड़कर इसमें से बिक्री पर आई लागत घटा दी जाती है।

14.2 किसी आस्ति (या निपटान समूह) के लिए प्रारंभिक या परवर्ती बही मूल्य, उचित मूल्य से कम हो जाने पर बिक्री की लागत घटकर क्षतिजन्य हानि की मान्यता दी जाती है। किसी आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री पर लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में किसी भी परवर्ती बढोतरी को नफ़े की मान्यता दी जाती है, लेकिन पीछे मान्य किसी संचयी क्षतिजन्य घाटे से ऊपर नहीं। चालू आस्ति से इतर आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख तक पीछे अमान्य नफ़ा नुकसान को मान्यता समाप्त करने की तारीख को मान्यता दी जाती है।

- 14.3 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों पर (इनमें निपटान समूह की भाग रूप आस्तियाँ भी सम्मिलित हैं) ह्रास नहीं काटा जाता या उनका परिशोधन नहीं किया जाता, जबकि उनका वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी आस्तियों के रूप में किया जाए। बिक्री के लिए रखे रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं पर आरोप्य ब्याज और अन्य खर्च मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।
- 14.4 विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ और विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की आस्तियाँ तुलन-पत्र में अन्य आस्तियों से अलग दर्शायी जाती हैं। विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताएँ तुलन-पत्र में अन्य देयताओं से अलग दर्शायी जाती हैं।
- 14.5 बंद परिचालन किसी बिक्री हुई या विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत वस्तु का घटक होता है और जो किसी अलग प्रमुख कारोबार या परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। वह ऐसे कारोबार या परिचालन-क्षेत्र के निपटारे के लिए एकमात्र समन्वित योजना का भाग होता है या अनन्यतः फिर से बेचने की दृष्टि से ली गई समानुपंगी। बंद परिचालन के परिणाम लाभ-हानि विवरण में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

## 15 आस्तियों की क्षति :

- 15.1 अमूर्त आस्तियाँ जिनके उपयोग की अवधि अनिश्चित होती है उनका परिशोधन नहीं किया जाता बल्कि इनका क्षति की दृष्टि से सालाना परीक्षण किया जाता है या क्षति की संभावना अथवा परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए साल में एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। अन्य आस्तियों का क्षति की दृष्टि से परीक्षण, परिस्थितियों में ऐसे बदलाव के संकेत या घटनाक्रम पर किया जाता है जब आस्ति का वहन मूल्य वसूल नहीं हो सकता हो। ऐसी आस्ति का वाहित मूल्य वसूली जाने वाली राशि से अधिक होने पर क्षति से हानि माना जाता है।
- 15.2 किसी आस्ति का वसूल किया जा सकने वाला मूल्य निपटान की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और उपयोगगत मूल्य से अधिक होता है। क्षति के मूल्यांकन के लिए आस्तियों को न्यूनतम स्तर पर समूहित किया जाता है जिनकी नकदी आगत को पहचाना जा सके और जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह (नक़द उत्पन्न इकाइयों) से आने वाली नकदी आगत से बहुत हद तक अलग होता है। ख्याति को छोड़कर क्षति हुई गैर-वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक रिपोर्टावधि के अंत में क्षति से संभावित व्युत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती है।

## 16. प्रावधान, आकस्मिक आस्तियाँ और आकस्मिक देयताएँ

- 16.1 कंपनी पर वर्तमान में कानूनी अथवा पूर्व घटनाओं के परिणाम के तौर पर निर्माणकारी बाध्यता होने पर तथा ऐसी बाध्यता निपटान में संसाधनों के खर्च होने पर, ऐसी राशि के वास्तविकतः आकलन किये जा सकने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। भविष्य में प्रचालन से होने वाली हानि के लिए प्रावधान मान्य नहीं किये जाते हैं।
- 16.2 जहाँ समान प्रकार की एकाधिक बाध्यताएँ हों वहाँ भी संभावित होता है कि इनके निपटान में बहिर्वाह होगा। इस तरह की बाध्यताओं की पहचान उनकी श्रेणी अनुसार कर समायोजन एक साथ किया जाता है। इसी श्रेणी में किसी एक मद के शामिल होने, भले ही वह छोटा क्यों न हो, यदि बहिर्वाह की संभावना हो तो इसका भी प्रावधान किया जाता है।
- 16.3 वर्तमान बाध्याताओं के समायोजन के लिए प्रावधानों का मापन रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलन और वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने जिस छूट की दर पर लिया जाता है वह कर-पूर्व दर होती है जो समय के महत्वानुसार पैसे और देयता संबंधी विशिष्ट देयता के बाजारी मूल्यांकन को दर्शाता है। समय बीतने की वजह से प्रावधानों में हुई वृद्धि को ब्याज खर्च के रूप में लिया जाता है।
- 16.4 वारंटी : जहाँ भी लागू हो बेचे गए सामान पर वारंटी बिक्री पूरी होने और तदनु रूप वारंटी का प्रावधान किये जाने पर लागू होती है। वारंटी की अवधि, शर्तें संबंधित संविदा में ऐसी बिक्री के प्रावधान करते समय तय किये जाते हैं।
- 16.5 दुर्वह संविदा : जब किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ संविदा को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम लागत से भी कम हो तो ऐसी स्थिति में दुर्वह संविदाओं को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को संविदा को छोड़ देने के अनुमानित न्यूनतम लागत और संविदा को जारी करने के संभावित निवल लागत के आधार पर मापा जाता है। किसी भी प्रकार प्रावधान बनाने से पूर्व कंपनी, उस संविदा से संबद्ध आस्तियों के परिसमापन क्षति की पहचान करती है।

## 17. कर्मचारी लाभ

### 17.1 अल्प-कालीन बाध्यताएँ

कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली संबंधित सेवाओं की मजदूरी और वेतन सहित अन्य मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक देयताएँ जिन्हें इनके द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि के बाद के 12 महीनों में पूर्णतः समायोजित किया जाना अपेक्षित हो, रिपोर्टाधीन अवधि तक कर्मचारियों की सेवाओं के अंतर्गत ली जाती हैं और जिनका मापन देयताओं के समायोजन पर अपेक्षित देय राशि पर किया जाता है। ये देयताएँ तुलन-पत्र में चालू कर्मचारी लाभ देयता के रूप में दर्शाये जाते हैं।

### 17.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ देयताएँ

अर्जित अवकाश संबंधी देयता कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजित नहीं हो पाती है। अतः इसका मापन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति अपेक्षित भविष्य के भुगतान को वर्तमान दर पर मानकर परियोजित इकाई क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। लाभ का बट्टा रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर बाजार आधारित उपज पर किया जाता है जिसकी शर्तें संबंधित बाध्यता की शर्तों के लगभग समान होती हैं।

इन देयताओं को तुलन-पत्र में चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है यदि संगठन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजन आस्थगन करने का बिना शर्त अधिकार न रखता हो, चाहे वास्तविक समायोजन जब भी होना अपेक्षित हो।

### 17.3 रोजगार-उपरान्त बाध्यताएँ :

कंपनी द्वारा निम्न रोजगार-उपरान्त बाध्यताएँ चलायी जाती हैं :

(ए) परिभाषित लाभ योजना जैसे उपदान और भविष्य निधि अधिनियम के तहत भविष्य निधि अंशदान।

(बी) परिभाषित योजना जैसे सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना (ए)।

ए) परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित योजनाएँ संबंधी देयता अथवा आस्ति की तुलन-पत्र में पहचान योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम रिपोर्टाधीन अवधि पर की जाती है। ऐसी परिभाषित लाभ बाध्यताएँ बीमांकिक तरीके से परियोजित इकाई उधार पद्धति का प्रयोग कर की जाती हैं।

परिभाषित लाभ की बाध्यता का वर्तमान मूल्य भारतीय रुपय के मूल्य वर्ग में किया जाता है जिसका निर्धारण रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर सरकारी बॉण्ड पर संबंधित बाध्यता की लगभग समान शर्तों पर मिलने वाले बाजार से उपज के मुताबिक प्राक्कलित भविष्य नक़द बहिर्भाव को भुनाकर किया जाता है।

निवल ब्याज की लागत की गणना परिभाषित लाभ बाध्यता और योजना आस्तियों के वास्तविक मूल्य के निवल शेष पर बट्टा-दर लागू कर की जाती है। यह लागत लाभ-हानि विवरणिका के अंतर्गत कर्मचारी लाभ खर्च में मिली होती है।

अनुभवी समायोजन और बीमांकिक की धारणाओं में बदलाव से प्राप्त अभिलाभ और हानि का पुनःमापन ऐसा होने की अवधि में, सीधे अन्य व्यापक आय में किया जाता है।

योजना में संशोधन अथवा कटौती से जन्य परिभाषित लाभ देयता के बदलावों को तुरंत पूर्व सेवा लागत के तौर पर लाभ-हानि में लिया जाता है।

बी) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

कंपनी स्थानीय विनियम द्वारा स्थापित ट्रस्ट और स्थानीय विनियमों के तहत सार्वजनिक रूप से शासित फण्ड में अंशदान देती है। यह अंशदान दे दिये जाने के बाद कंपनी की और कोई अदायगी की बाध्यता नहीं बनती। ये अंशदान परिभाषित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब ये देना शेष रहते हैं तो कर्मचारी लाभ खर्च के रूप में लिये जाते हैं। पूर्वअदा अंशदान के उतने भाग को आस्ति माना जाता है जितने पर नक़द वापसी या जितनी भविष्य में देय राशि कम की जाती है।

कंपनी द्वारा दिया गया अंशदान / कंपनी द्वारा सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना के लिए देय अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

### 17.4 सेवा-समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभ किसी कर्मचारी को सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले कंपनी द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर देने पर या ऐसे मिलने वाले लाभ के बदले कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से अतिरेक पर दिया जाता है। सेवा-समापन लाभ को कंपनी निम्न तिथियों के पहले लेती है : (ए) जब कंपनी ऐसे लाभ के प्रस्ताव को और अधिक वापस नहीं ले सकती; और (बी) जब संस्था ऐसी लागत को पुनर्निर्माण के लिए मानती हो और जो भारतीय लेखा मानक 37 के दायरे में आती हो तथा जिसमें सेवा-समाप्ति लाभ शामिल रहते हों। स्वेच्छा अतिरेक को बढ़ावा दिये जाने के प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में सेवा-समाप्ति लाभ कर्मचारियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली अपेक्षित संख्या के आधार पर मापा जाता है। सेवा-समाप्ति लाभ के रिपोर्टाधीन समाप्ति की अवधि से 12 महीनों से अधिक बकाया रहने पर वर्तमान मूल्य पर बट्टागत किये जाते हैं।

स्वेच्छा सेवा-निवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों को की गई प्रतिपूर्ति को उनके सेवा-निवृत्ति साल में लाभ-हानि विवरणिका में प्रभारित किया जाता है।

## 18 दी गई ईक्विटी

ईक्विटी शेयर को ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नये शेयर जारी करने की वजह से या विकल्प से हो सकने वाली वृद्धिशील लागत को ईक्विटी में घटाव के रूप में, आगम पर कर के निवल के रूप में दिखाया जाता है।

## 19. लाभांश

समुचित रूप से प्राधिकृत, न कि संस्था के विवेकाधिकार से की जाने वाली किसी लाभांश राशि की घोषणा का रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में परन्तु रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद न दिये जाने पर प्रावधान किया जाता है।

## 20. प्रति शेयर अर्जन

### 20.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना भाग कर की जाती है:

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के मालिकों को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से लाभांश को विभाजित करके की जाती है, वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों में बोनस तत्वों के लिए समायोजित किया जाता है और ट्रेजरी शेयरों को छोड़कर।

### 20.2 कम किया गया प्रति शेयर अर्जन

कम किया गया प्रति शेयर अर्जन, प्रति शेयर मूल अर्जन निर्धारित करने में प्रयुक्त आँकड़ों को निम्न का समायोजित खाते में लेने के लिए प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में प्रयुक्त आँकड़े निम्न को हिसाब में लेने समायोजित करता है :

- o ब्याज पर पड़ने वाला आयकर प्रभाव और कम किये जाने वाले संभावित ईक्विटी शेयरों से जुड़ी अन्य वित्तपोषण लागत, और
- o भारत औसत संख्या के अतिरिक्त ईक्विटी शेयरों जिनके कम किये जाने वाले सभी संभावित ईक्विटी शेयरों के परिवर्तन से बकाया है मान लिये जाने पर।

टिप्पणी संख्या 1 से 38 और महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ, लेखाओं के अंगभूत भाग हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते – तेज राज अण्ड पॉल

चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या : 30412E



सी ए बीरका विजय  
भागीदार  
(सदस्यता सं. 214678)

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024



पी वी राजा राम  
निदेशक (उत्पादन) तथा  
अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (तकनीकी)  
डी आई एन 10271259

  
जी गायत्री प्रसाद  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
तथा अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त)  
डी आई एन : 09808949

  
एन नागराज  
कंपनी सचिव  
(सदस्यता सं. A19015)

## वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

## टिप्पणी 1 : संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोध				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल, 2023 की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2023 तक संचित मूल्य-हास	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परिसमापन	31 मार्च, 2024 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,800.66	-	-	8,800.66	-	-	-	-	-	8,800.66
भवन	31,131.01	2,668.20	-	33,799.21	7,615.32	1,126.37	-	-	8,741.69	25,057.52
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,416.75	-	-	1,416.75	1,276.12	57.56	-	-	1,333.68	83.07
सड़क तथा नालियाँ	1,690.40	32.42	-	1,722.82	1,194.74	117.27	-	-	1,312.01	410.81
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	188.50	28.00	-	216.50	52.61	8.92	-	-	61.53	154.97
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	49,927.58	4,155.26	(210.80)	53,872.04	20,698.70	3,674.17	(84.70)	-	24,288.17	29,583.87
फर्नीचर तथा उपकरण	5,466.79	199.25	(7.40)	5,658.64	4,091.60	467.90	(5.65)	-	4,553.85	1,104.79
परिवहन वाहन	764.89	10.14	(39.16)	735.87	461.74	64.08	(37.61)	-	488.21	247.66
विशेष औज़ार एवं उपकरण	5,837.30	1,229.21	-	7,066.51	5,204.67	69.69	-	-	5,274.36	1,792.15
कुल	105,223.88	8,322.48	(257.36)	113,289.00	40,595.50	5,585.96	(127.96)	-	46,053.50	67,235.50

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोध				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 तक संचित मूल्य-हास	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परिसमापन	31 मार्च, 2023 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,800.66	-	-	8,800.66	-	-	-	-	-	8,800.66
भवन	32,081.74	1,154.45	(2,105.18)	31,131.01	7,050.93	1,055.75	(491.36)	-	7,615.32	23,515.69
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,408.15	8.60	-	1,416.75	1,215.00	61.12	-	-	1,276.12	140.63
सड़क तथा नालियाँ	1,690.40	-	-	1,690.40	1,067.93	126.81	-	-	1,194.74	495.66
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	188.50	-	-	188.50	44.18	8.43	-	-	52.61	135.89
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	54,726.39	4,409.62	(9,208.43)	49,927.58	21,438.81	3,350.55	(4,090.66)	-	20,698.70	29,228.88
फर्नीचर तथा उपकरण	4,926.53	607.94	(67.68)	5,466.79	3,482.94	641.36	(32.70)	-	4,091.60	1,375.19
परिवहन वाहन	748.29	149.83	(133.23)	764.89	505.99	70.77	(115.02)	-	461.74	303.15
विशेष औज़ार एवं उपकरण	5,416.84	475.91	(55.45)	5,837.30	4,755.28	454.71	(5.32)	-	5,204.67	632.63
कुल	109,987.50	6,806.35	(11,569.97)	105,223.88	39,561.06	5,769.50	(4,735.06)	-	40,595.50	64,628.38

123

## टिप्पणियाँ :

## पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि :

(ए) पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि में शामिल है :

- कंचनबाग स्थित 2 एकड़ 08 गुण्टा ज़मीन (31 मार्च, 2023 को 2 एकड़ 08 गुण्टा ज़मीन) है जो भारत सरकार के संगठन को अनुमत अधिग्रहण आधार पर दी हुई है जिस पर उनका स्वामित्व है।
  - कंचनबाग स्थित 146 एकड़ 32 गुण्टा की ज़मीन राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई (31 मार्च, 2022 तक 146 एकड़ 32 गुण्टा, मूल्य 28.42 लाख) जिसका मूल्य 28.42 लाख है। इस भूमि पर हकनामा / स्वामित्व प्राप्त होना अभी शेष है।
- (बी) कंपनी के लिए राज्य सरकार से अधिगृहीत करमनघाट स्थित 82 एकड़ 31 गुण्टा ज़मीन जिसके लिए कंपनी द्वारा 21.66 लाख का (31 मार्च, 2023 तक 21.66 लाख) भुगतान किया गया है और इस राशि का पूँजीकरण किया गया है।

(सी) इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी स्थित स्वामित्व में ली जा चुकी 632 एकड़ 16.50 गुण्टा ज़मीन के लिए रु. 6136.90 लाख (31 मार्च, 2023 तक 6136.90 लाख) अनंतिम दर निर्धारण के आधार पर भुगतान कर करार कर लिया गया है। पर्यावरण शुल्क तथा विकास प्रभार सहित सकल वहन मूल्य रु. 7965.16 लाख (31 मार्च, 2023 तक रु. 7965.16 लाख)

#### भवन

- (ए) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की माल्कियत से संबंध नहीं रखने वाली भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्य 111.01 लाख (31 मार्च, 2023 को रु. 111.01 लाख)।
- (i) विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार) की अनुमोदित प्रयोक्ता-अवधि इस प्रकार है :

संपत्ति	प्रयोक्ता अवधि (वर्षों में)
भवन	30 / 60
फेंसिंग और चहारदीवारी	5
सड़कें तथा नालियाँ	10
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	30
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	10/ 12/ 15
फर्नीचर तथा उपकरण	3 / 5 / 10
परिवहन वाहन	8 / 10

- (ii) मूल्यहास की गणना-पद्धति के लिए लेखा-नीति 11 : संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण
- (iii) नुकसान का ज़ायजा लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन पर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।
- (iv) अल्पावधि में बंद परियोजनाओं के विवरण के लिए टिप्पणी सु. 38 (1) का संदर्भ लें।
- (v) कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं की गई अचल संपत्ति के हलफनामा / स्वामित्व के लिए टिप्पणी सं. 38 (21) ए का संदर्भ लें।
- (vi) संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण में वह आस्तियाँ शामिल हैं जिसे ग्राहक ने निधिबद्ध किया है जिसके प्रति कंपनी ने आस्थगित राजस्व को पहचानना है क्योंकि कंपनी इन आस्तियों पर नियंत्रण रखती है।

विवरण	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	सकल वहन राशि	संचित मूल्यहास	निवल वहन राशि	सकल वहन राशि	संचित मूल्यहास	निवल वहन राशि
ग्राहक निवेशित आस्तियाँ	2,369.40	625.85	1,743.54	2,369.40	523.44	1,845.95

- (vii) संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण में वह आस्तियाँ शामिल हैं जिसे ग्राहक ने अपनी संविदाओं में प्रयुक्ति के लिए निधिबद्ध किया है, ल किन कंपनी के नाम पंजीकृत हैं।

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेष	12,957.70	10,725.87
जोड़	1,018.12	2,231.84
घटाव	-	-
वर्ष के अंत में शेष	13,975.82	12,957.70

## टिप्पणी 2 : पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
सिविल	6,861.05	4,972.84
सयंत्र एवं मशीनरी	411.88	2,426.87
अन्य	14.55	34.95
<b>कुल</b>	<b>7,287.48</b>	<b>7,434.66</b>

## टिप्पणियाँ

- (i) पूँजीगत प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी सं. 38 (6) का संदर्भ लें।  
(ii) समय तथा पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य की पूर्ति के लिए टिप्पणी सं. 38 (21) का संदर्भ लें।

## टिप्पणी 3 : निवेश संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2023 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2023 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परिसमापन	31 मार्च, 2024 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	-	0.97

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परिसमापन	31 मार्च, 2023 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	-	0.97

## (i) निवेशित संपत्तियों पर लाभ या हानि मानी गई राशि

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
किराये से प्राप्त आय	-	-
मूल्यहास से पूर्व निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-
मूल्यहास	-	-
निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-

## (ii) संविदागत बाध्यताएँ

कंपनी को संपत्ति में निवेश, निर्माण या बेचने या इसकी किसी मरम्मत की संविदात्मक बाध्यता प्राप्त नहीं है।

## (iii) पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था

पट्टे की व्यवस्था दीर्घावधि तक चलने वाले पट्टे के अंतर्गत कंचनबाग में 5 एकड़ 1 गुण्टा भूमि सालाना किराये पर भारत सरकार को दी गई है। इस तरह के पट्टे पर किराया सालाना रु.1 प्रति एकड़ है। पट्टे की यह व्यवस्था 31 मार्च, 2024 तथा 31 मार्च, 2023 में भी यही रही।

(iv) उचित मूल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
निवेशित आस्तियाँ	2967.16	2967.16

उचित निर्णय :

जैसे कि भूमि भारतीय नौसेना को दी गई है और यह भारत सरकार का संगठन कंपनी परिसर में है और कंपनी के लिए किसी अन्य को भूमि देना संभव नहीं होगा, पंजीकरण विभाग ने इस भूमि के मूल्य को उचित मूल्य माना है। इस विभाग के अनुसार इस भूमि का उचित मूल्य रु. 0.122 लाख (31 मार्च, 2023 को 0.122 लाख) प्रति वर्ग गज है।

- (v) नुकसान का जायज़ा भारतीय लेखनीति-15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।
- (vi) कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं की गई अचल संपत्ति के हलकनामा / स्वामित्व के लिए टिप्पणी सं. 38 (21)ए का संदर्भ लें।
- (vii) कंपनी नियमावली (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता तथा मूल्यांकन), 2017 में निर्धारित अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन से संबंधित प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणी सं. 38 (21)बी का संदर्भ लें।

टिप्पणी 4 : आस्तियों के उपयोग का अधिकार

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2023 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2023 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परि-समापन	31 मार्च, 2024 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति
पट्टे पर प्राप्त भूमि	8,599.75	-	-	8,599.75	3,555.15	56.92	-	-	3,612.07	4,987.68
पट्टे पर प्राप्त भवन	998.91	-	-	998.91	557.48	139.37	-	-	696.85	302.06
कुल	9,598.66	-	-	9,598.66	4,112.63	196.29	-	-	4,308.92	5,289.74

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परि-समापन	31 मार्च, 2023 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
पट्टे पर प्राप्त भूमि	8,599.75	-	-	8,599.75	3,498.23	56.92	-	-	3,555.15	5,044.60
पट्टे पर प्राप्त भवन	998.91	-	-	998.91	418.11	139.37	-	-	557.48	441.43
कुल	9,598.66	-	-	9,598.66	3,916.34	196.29	-	-	4,112.63	5,486.03

पट्टे पर प्राप्त भूमि :

- (ए) विशाखापट्टणम में 3 एकड़ 25 गुण्टा (31 मार्च, 2023 को 3 एकड़ 25 गुण्टा) की ज़मीन भारत सरकार से प्रति एकड़ रु. 1 किराये से पट्टे पर ली गई थी।
- (बी) अमरावती में 553 एकड़ 34 गुण्टा की ज़मीन (31 मार्च, 2023 को 553 एकड़ 34 गुण्टा) दि. 7.2.2014 को संलग्न शर्तों सहित पट्टे पर ली गई थी जिसके लिए प्रीमियम के रूप में रु. 3922.37 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। इनमें से प्रमुख शर्त है कि आबंटन की तारीख से 60 माह के भीतर भवन एवं निर्माण पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो पट्टे की अवधि नहीं बढ़ाये जाने पर यह पट्टा निरस्त किया जा सकता है और कंपनी को मुआवज़े में बिना कोई राशि दिये सभी निर्माण सहित पट्टाधारित भूमि को अपना सकता है। वर्तमान में निवेश की यह अवधि 5.4.2019 तक बढ़ा दी गई है। जिस परियोजना के लिए इस भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वह फिलहाल रक्षा मंत्रालय के साथ अंतिम चरण पर है। कंपनी, निवेश की कालावधि बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कालावधि विस्तार की लंबित रसीद के लिए 2021-22 के दौरान 3217.83 लाख की राशि की क्षति दर्शायी गई।

(सी) डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडार, झाँसी जिले में 183 हेक्टीयर की भूमि यू पी ई आई डी ए से पट्टे पर ली गई। इसके लिए पंजीकरण शुल्क सहित रु. 5071.84 लाख की राशि का पंजीकरण किया गया था। पट्टे की अवधि 30 वर्ष है जिसे 30-30 वर्ष के आधार पर दो बार नवीकृत किया जा सकता है। प्रति वर्ष रु. 1 की दर से पट्टे की कुल अवधि 90 वर्ष है।

#### पट्टे पर भवन :

53,284 वर्ग फुट का निगम कार्यालय भवन ए पी एस एफ सी का 01.06.2016 से 10 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया है। कंपनी ने इस भवन को रु. 998.91 लाख की राशि पर 'आस्ति के उपयोग अधिकार' के तहत दर्शाया है जिसमें पट्टे की देयता के रु. 9720.01 लाख तथा 26.90 लाख रुपये का भारतीय लेखा मानक 116 के तहत दि. 01.04.2019 तक आस्ति निवृत्ति बाध्यता के लिए प्रावधान शामिल है। पट्टे की देयता को 8% की वृद्धिशील उधार दर पर पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर लिया गया है।

- नुकसान का ज़ायजा लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन पर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।
- कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं की गई अचल संपत्ति के हलक्रनामा / स्वामित्व के लिए टिप्पणी सं. 38 (21)ए का संदर्भ लें।

#### टिप्पणी 5 : अन्य अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2023 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2023 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परि-समापन	31 मार्च, 2024 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.10	-	-	3,324.10	3,324.10	-	-	-	3,324.10	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,286.10	7.89	-	2,293.99	2,216.59	37.16	-	-	2,253.75	40.24
अनुज्ञति शुल्क	21,134.62	11.47	-	21,146.09	10,465.83	884.51	-	-	11,350.34	9,795.75
<b>कुल</b>	<b>26,744.82</b>	<b>19.36</b>	<b>-</b>	<b>26,764.18</b>	<b>16,006.52</b>	<b>921.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,928.19</b>	<b>9,835.99</b>

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यहास / परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के दौरान परि-समापन	31 मार्च, 2023 तक संचित मूल्यहास / परिशोधन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.10	-	-	3,324.10	3,324.10	-	-	-	3,324.10	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,282.63	3.47	-	2,286.10	2,164.24	52.35	-	-	2,216.59	69.51
अनुज्ञति शुल्क	19,914.69	1,219.93	-	21,134.62	8,758.18	1,707.65	-	-	10,465.83	10,668.79
<b>कुल</b>	<b>25,521.42</b>	<b>1,223.40</b>	<b>-</b>	<b>26,744.82</b>	<b>14,246.52</b>	<b>1,760.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,006.52</b>	<b>10,738.30</b>

टिप्पणी : संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण में वह आस्तियाँ शामिल हैं जिसे ग्राहक ने निधिवद्ध किया है जिसके प्रति कंपनी ने आस्थगित राजस्व को पहचाना है क्योंकि कंपनी इन आस्तियों पर नियंत्रण रखती है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	सकल वहन राशि	संचित मूल्यहास	निवल वहन राशि	सकल वहन राशि	संचित मूल्यहास	निवल वहन राशि
ग्राहक वित्तपोषित आस्तियाँ	4,367.59	4,367.59	-	4,367.59	4,359.41	8.18

### उल्लेखनीय निर्णय

कंपनी की तकनीकी दृष्टि से अप्रयुक्तता को देखते हुए मानना है कि सॉफ्टवेयर की कार्यावधि / प्रयोगावधि 3 साल होती है। यद्यपि, तकनीकी नवोन्मेष को देखते हुए यह अवधि 3 साल से कम या अधिक भी हो सकती है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
<b>6 गैर-चालू निवेश</b>		
लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर किया गया निवेश	-	-
(i) ए पी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 9,21,920 (31 मार्च, 2023 तक 9,21,920) (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर (अनकोटेड)	-	-
- टिप्पणी 38(15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन		
<b>उल्लेखनीय निर्णय :</b>		
ए पी गैस पावर कॉर्पोरेशन में किया गया निवेश लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित किया गया है। उचित मूल्य निवेशी की निवल मालियत पर आधारित होती है क्योंकि शेयर अनकोटेड हैं और कंपनी का इस निवेशी पर कोई खास दखल नहीं चलता है। यद्यपि वर्ष 2021-22 के दौरान ए पी जी पी सी ए ने एडवर्स आर्विट्रेशन अवार्ड प्राप्त किया है जिसके लागू कर देने से ए पी जी पी सी एल के निवल मालियत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तदनुसार, निवेश का उचित मूल्य 'शून्य' मान लिया जाएगा।		
<b>7 गैर-चालू ऋण</b>		
कर्मचारियों को दिये गये ऋण		
सुरक्षित, शोध्य माल	-	-
असुरक्षित, शोध्य माल	170.22	173.86
	<b>170.22</b>	<b>173.86</b>
टिप्पणी सं. 38(15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन		

(₹ लाख में)

<b>8 अन्य गैर-चालू वित्तीय आस्तियाँ</b>		
प्राप्य दावे / वापसियाँ	6,317.30	6,171.55
आस्थगित ऋण	4,511.51	4,431.59
	<b>10,828.81</b>	<b>10,603.14</b>

टिप्पणी सं. 38(15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन

### उल्लेखनीय निर्णय :

#### आस्थगित ऋण :

आस्थगित ऋण भारतीय थल सेना और आर्मर्ड वेहिकल निगम लिमिटेड (पूर्व में आयुध निर्माणी) से प्राप्त होने हैं। यह प्राप्ति भारतीय रुपयों में दि. 01.04.1992 से आरंभ कर समान किशतों में 45 साल में प्राप्त होनी है। अनुबंध अनुसार, इन प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) के आधार पर समायोजित किया जाता है। ये प्राप्तियाँ इस मानक अनुसरण पूर्णतः मूल भुगतान और ब्याज के मानदण्ड (एस पी पी आई) के अनुरूप नहीं हैं। अतः प्राप्तियों को लाभ-हानि के जरिये उचित मूल्य पर लिया जाता है। आरंभिक पहचान कर आस्थगित ऋण को उचित मूल्य पर लाने के लिए 8% की छूट दी जाती है तथा ऐसे उचित मूल्य और आस्थगित ऋण के अंतर को आस्थगित खर्च माना जाता है। बाद में इसे लाभ-हानि के जरिये उचित मूल्य पर लिया जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
<b>9 अन्य गैर-चालू आस्तियाँ</b>		
पूँजीगत अग्रिम	714.30	714.30
आस्थगित व्यय *	1,668.20	1,807.22
	<b>2,382.50</b>	<b>2,521.52</b>
* आस्थगित ऋण पर टिप्पणी सं. 8 में उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
<b>10 सामग्री-सूची *</b>		
कच्चा माल तथा घटक	127,814.42	134,210.93
घटाव : प्रावधान	(6,719.24)	(6,105.60)
मार्गस्थ कच्चा माल तथा घटक	40.11	269.09
	<b>121,135.29</b>	<b>128,374.42</b>
निर्माणाधीन कार्य #	53,182.67	51,078.76
घटाव : प्रावधान	(759.72)	(1,119.98)
	<b>52,422.95</b>	<b>49,958.78</b>
तैयार माल	20,655.10	495.86
घटाव : प्रावधान	(150.19)	(150.19)
मार्गस्थ तैयार माल	-	314.49
	<b>20,504.91</b>	<b>660.16</b>
भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे	3,845.49	2,867.94
घटाव : प्रावधान	(278.85)	(279.25)
मार्गस्थ भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे	-	-
	<b>3,566.64</b>	<b>2,588.69</b>
शिथिल औज़ार	995.72	1,006.25
घटाव : प्रावधान	(378.40)	(344.75)
मार्गस्थ शिथिल औज़ार	-	-
	<b>617.32</b>	<b>661.50</b>
निर्माण सामग्री	-	-
भण्डार तथा उपस्कर - कल्याण	315.86	312.63
घटाव : परिशोधन	(315.86)	(312.63)
	-	-
विविध भण्डार	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
	<b>198,247.31</b>	<b>182,243.75</b>
# ग्राहकों के पास उपलब्ध सामग्री-सूची मिलाकर	-	9.20
* उप ठेकेदारों / अन्यो को जारी की गई सामग्री सहित	9,712.49	11,695.58
- रु. 9,712.49 लाख (31 मार्च, 2023 को रु. 11,695.58 लाख) में से उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु. 9,132.30 लाख (31 मार्च, 2023 को 9,426.66 लाख) की सामग्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और शेष की पुष्टि विक्रेताओं ने की है। उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु. 118.87 (31 मार्च, 2023 को रु. 55.57 लाख) मूल्य की सामग्री के भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गये अंतर को प्राप्य दावे के अंतर्गत दर्शाया गया और सामग्री-सूची में इसे कम कर दिया गया।		
- सामग्री-सूची की मूल्य-गणना कंपनी की लेखा-नीति सं. 7 के तहत की गई है।		
- टिप्पणी 38 (7) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण; 38 (12) प्रभार दर्ज		

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
<b>11 प्राप्य ट्रेड</b>		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित, शोध्य माल	31,044.72	18,457.27
संदिग्ध	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों	-	-
	<b>31,044.72</b>	<b>18,457.27</b>

टिप्पणी 38 (15) : उचित मूल्य का मापन, 38 (12) प्रभार दर्ज।

टिप्पणी 38 (20) (एफ) : ट्रेड प्राप्यों की आवाजाही

### 31 मार्च, 2024 तक प्राप्य ट्रेड के लिए समय-सारणी

विवरण	भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - शोध्य माल	26,513.29	935.27	3,170.04	351.71	74.41	31,044.72
(ii) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - जिनकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है।						
(iii) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - ऋण नुकसान						
(iv) विवादित प्राप्य ट्रेड - शोध्य माल						
(v) विवादित प्राप्य ट्रेड - जिनकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है।						
(vi) विवादित प्राप्य ट्रेड - ऋण नुकसान						
<b>कुल प्राप्य ट्रेड</b>	<b>26,513.29</b>	<b>935.27</b>	<b>3,170.04</b>	<b>351.71</b>	<b>74.41</b>	<b>31,044.72</b>

### 31 मार्च, 2023 तक प्राप्य ट्रेड के लिए समय-सारणी

विवरण	भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - शोध्य माल	12,707.15	2,264.65	2,941.91	348.88	194.68	18,457.27
(ii) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - जिनकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है।						
(iii) गैर-विवादित प्राप्य ट्रेड - ऋण नुकसान						
(iv) विवादित प्राप्य ट्रेड - शोध्य माल						
(v) विवादित प्राप्य ट्रेड - जिनकी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है।						
(vi) विवादित प्राप्य ट्रेड - ऋण नुकसान						
<b>कुल प्राप्य ट्रेड</b>	<b>12,707.15</b>	<b>2,264.65</b>	<b>2,941.91</b>	<b>348.88</b>	<b>194.68</b>	<b>18,457.27</b>

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
<b>12 नक़द एवं नक़द तुल्य</b>		
बैंक में शेष		
- चालू खातों में	38,110.17	77,204.89
- जमा खातों में (3 महीनों से कम)	21,269.18	28,076.92
हाथ नक़दी *	4.85	6.56
मार्गस्थ प्रेषण व्यय	-	-
	<b>59,384.20</b>	<b>105,288.37</b>
रिपोर्टाधीन अवधि और उससे पूर्वावधि के लिए नक़द तथा नक़द तुल्य के संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावर्तन के बंधन नहीं हैं।		
* हाथ नक़दी में अग्रदायी धारकों के पास की नक़दी भी शामिल है।		
टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन		
<b>13 अन्य बैंक शेष</b>		
सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा (परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम)	363,464.00	280,598.00
	<b>363,464.00</b>	<b>280,598.00</b>
- कंपनी ने 1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है जिसके लिए कंपनी ने ₹. 1,800.00 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किये थे। 31 मार्च, 2024 तक उपयोग की गई ओवरड्राफ्ट राशि और बकाया राशि 'शून्य' है। (31 मार्च, 2023 तक 'शून्य')		
- 12 महीने से अधिक के कोई भी परिपक्व होने वाले जमा नहीं हैं।		
<b>नक़द एवं बैंक में शेष का समाधान :</b>		
नक़द एवं नक़द तुल्य (उपर्युक्त अनुसार)	59,384.20	105,288.37
बैंक में शेष (उपर्युक्त अनुसार)	363,464.00	280,598.00
<b>बैंक में शेष तथा कुल नक़द</b>	<b>422,848.20</b>	<b>385,886.37</b>
<b>14 चालू ऋण</b>		
<b>कर्मचारियों को दिये गये ऋण</b>		
- सुरक्षित, शोध्य माल	-	-
- असुरक्षित शोध्य माल	199.85	202.16
<b>कुल चालू ऋण</b>	<b>199.85</b>	<b>202.16</b>
टिप्पणी 38 (15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन		

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
<b>15 अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ</b>		
प्राप्य दावे / वापसी	2,728.02	3,360.78
घटाव : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान (निम्नलिखित टिप्पणी 'ए' का संदर्भ लें।)	(21.47)	(21.47)
आस्थगित ऋण *	421.60	394.74
बिल नहीं किया गया राजस्व #	87,456.12	126,165.35
जमा पर उपचित ब्याज	15,562.34	2,499.47
उपचित ब्याज - अन्य	16.13	12.62
बिक्री के लिए रखी गई अन्य आस्तियाँ	0.28	0.28
<b>कुल अन्य गैर-चालू आस्तियाँ</b>	<b>106,163.02</b>	<b>132,411.77</b>
टिप्पणी 38 (15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन		
# टिप्पणी 38 (20) (सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्तियाँ और ठेका देयताओं की आवाजाही		
* टिप्पणी 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
<b>टिप्पणी :</b>		
(i) ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज सहित रु. 17.14 लाख रुपये की अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने एक आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कंपनी के नाम रु. 48.10 लाख की राशि के लिए जिला न्यायालय द्वारा डिक्री जारी किये जाने पर भी यह राशि प्राप्य दावे / आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से आपूर्तिकर्ता को डिक्री के प्रचालन पर 'स्टे' प्राप्त हुई है और आज तक यह मामला विचाराधीन है।		
(ii) एक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में कंपनी ने ब्याज सहित 4.33 लाख की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह राशि सामग्री खरीद के लिए भुगतान की गई, तदुपरांत अस्वीकृत होने से आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली और सही सामग्री की आपूर्ति में विफल हो गया। यह मामला सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में लंबित है और यह फिलहाल कोर्ट के विचाराधीन है।		
<b>16 अन्य चालू आस्तियाँ</b>		
पूँजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम विक्रेताओं को दिये गए अग्रिम		
- सुरक्षित, शोध्य माल	13,008.57	413.40
- असुरक्षित, शोध्य माल	141,508.09	24,167.39
- असुरक्षित, शोध्य संदिग्ध	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प्रोद्भूत व्यय	298.44	309.77
जमा@	1,610.26	3,547.69
आस्थगित व्यय *	139.02	139.02
भुगतान न किये गये लाभांश के लिए बैंक में उद्दिष्ट शेष	4,081.98	179.62
सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध सी एस आर व्यय #	80.79	107.18
<b>कुल चालू आस्तियाँ</b>	<b>160,727.15</b>	<b>28,864.07</b>
टिप्पणी 38 (7) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण		
* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
# सी एस आर प्रावधान में आवाजाही के लिए टिप्पणी 28 का संदर्भ लें।		
@ अपील भरने के लिए रु. 693.85 लाख (31 मार्च, 2023 को 698.85 लाख) केंद्रीय बिक्री कर तथा रु. 128.43 लाख (31 मार्च, 2023 को 128.43 लाख) सेवाकर का प्रोद्भूत जमा इसमें शामिल है।		

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>17</b> <b>ईक्विटी शेयर पूँजी</b>		
<b>प्राधिकृत</b>		
प्रति शेयर रु. 10/- मूल्य के 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
<b>जारी, खरीदी गई और प्रदत्त</b>		
प्रति शेयर रु. 10/- मूल्य के 18,32,81,250 ईक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	18,328.12	18,328.12
	<b>18,328.12</b>	<b>18,328.12</b>

**टिप्पणियाँ**

ईक्विटी शेयरधारक को लाभांश का प्रतिभागी बनाता है और शेयर पर खर्च रुपये और इसकी संख्या के अनुपात में कंपनी को बंद करने का हकदार बनाता है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने दि. 21 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के उपरांत एसोसिएशन के ज्ञापन (एमओए) के पूँजी खंड में परिवर्तन करके प्रत्येक 10/- रुपये के अंकित मूल्य वाले एक पूरी तरह से भुगतान किए गए ईक्विटी शेयर के 2 पूरी तरह से भुगतान किए गए ईक्विटी शेयरों में उप-विभाजन/विभाजन की सिफारिश की, जिसका अंकित मूल्य 5/- रुपये है। कंपनी के सदस्यों ने अपेक्षित बहुमत के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से प्रत्येक 10/- रुपये के एक पूर्ण चुकता ईक्विटी शेयर को 5/- रुपये के दो पूर्ण चुकता ईक्विटी शेयर में विभाजित करने को मंजूरी दी और मतदान परिणाम 29 अप्रैल, 2024 को घोषित किए गए।

इसके अलावा, ईक्विटी शेयरों के विभाजित/उप-विभाजन की रिकॉर्ड तिथि 24 नवंबर, 2024 है। इसके परिणामस्वरूप, प्राधिकृत शेयर पूँजी में रु. 5/- के अंकित मूल्य के रु. 20,000.00 लाख के 40,00,00,000 ईक्विटी शेयर शामिल हैं और प्रदत्त शेयर पूँजी में 36,65,62,500 ईक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनका अंकित मूल्य रु. 5/- है, जो कुल रु. 18,328.12 लाख है।

133

**(ए) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान**

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
<b>31 मार्च, 2022 तक शेष</b>	<b>183,281,250</b>	<b>18,328.12</b>
वर्ष के दौरान वापस-खरीद	-	-
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष</b>	<b>183,281,250</b>	<b>18,328.12</b>
वर्ष के दौरान वापस-खरीद	-	-
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
<b>31 मार्च, 2024 तक शेष</b>	<b>183,281,250</b>	<b>18,328.12</b>

**(बी) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रति शेयरधारक के शेयरों का विवरण**

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति	
		रखे गये शेयरों की संख्या	रखे हुए ईक्विटी शेयर का %	रखे गये शेयरों की संख्या	रखे हुए ईक्विटी शेयर का %
	पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर				
1	भारत सरकार	137,325,527	74.93%	137,325,527	74.93%
2	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	5,514,405	3.01%	12,883,927	7.03%

**(सी) चालू वर्ष के तत्काल पूर्व पिछले पाँच वर्षों के लिए वापस-खरीद का विवरण**

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वापस खरीदे गये शेयरों की संख्या (संख्या)						

(₹ लाख में)

(डी) चालू वर्ष के तत्काल पूर्व पिछले पाँच वर्षों के लिए जारी बोनस शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
जारी बोनस शेयरों की संख्या (संख्या)	-	-	-	-	-	-
जारी किये गये बोनस शेयरों का मूल्य (₹. लाख में)	-	-	-	-	-	-

(ई) प्रचारकों की शेयरधारिता के विवरण

क्र. सं.	प्रचारकों के द्वारा रखे गये शेयर	31 मार्च 2024 तक की स्थिति		2023-24 के दौरान परिवर्तन का %	31 मार्च 2023 तक की स्थिति		2022-23 के दौरान परिवर्तन का %
		कुल शेयर	कुल शेयर का %		कुल शेयर	कुल शेयर का %	

पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयर

1	भारत सरकार	137,325,527	74.93%	-	137,325,527	74.93%	-
---	------------	-------------	--------	---	-------------	--------	---

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
-------	-----------------------------	-----------------------------

18 अन्य ईक्विटी

सामान्य प्रारक्षण	343,135.54	303,135.54
सामान्य शोधन प्रारक्षण	8,431.25	5,578.96
अन्य व्यापक आय - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(6,212.58)	(5,892.85)
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>345,354.21</b>	<b>302,821.65</b>

ए. सामान्य प्रारक्षण

वर्ष के आरंभ में शेष	303,135.54	288,135.54
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-
वापस खरीदे गये प्रीमियम बट्टे खाते में डाले गये	-	-
लाभ-हानि लेखा में अंतरण	40,000.00	15,000.00
जारी किये गये बोनस शेयर	-	-
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>343,135.54</b>	<b>303,135.54</b>

सामान्य प्रारक्षण का उपयोग समय-समय पर प्रतिधारित अर्जनों के विनियोजन के उद्देश्य से अंतरित करने के लिए किया जाता है। चूँकि सामान्य प्रारक्षण ईक्विटी के एक घटक से दूसरे में अंतरण के लिए बनाया गया है और यह अन्य व्यापक आय का मद नहीं है, अतः सामान्य प्रारक्षण मदों की क्रमशः लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

बी. प्रतिधारित अर्जन

वर्ष के आरंभ में शेष	5,578.96	2,664.68
वर्ष के लिए लाभ	61,272.06	35,217.49
अंतिम लाभांश	(2,199.38)	(1,832.81)
अंतरिम लाभांश	(16,220.39)	(14,937.42)
लेखानीति में परिवर्तन की वजह से समायोजन	-	(532.98)
सामान्य प्रारक्षण में अंतरण	(40,000.00)	(15,000.00)
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>8,431.25</b>	<b>5,578.96</b>

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>सी. अन्य व्यापक आय - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनःमापन</b>		
वर्ष के आरंभ में शेष	(5,892.85)	(6,072.60)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	(319.73)	179.75
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>(6,212.58)</b>	<b>(5,892.85)</b>
<b>19 गैर-चालू पट्टा देयताएँ</b>		
पट्टा देयताएँ	211.50	374.11
	<b>211.50</b>	<b>374.11</b>
<b>20 अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ</b>		
आस्थगित ऋण	1,545.94	1,612.53
अंतर्निहित उत्पन्न देयताएँ (आस्थगित देयता)	3,093.72	2,944.94
	<b>4,639.66</b>	<b>4,557.47</b>
टिप्पणी 38 (5) का संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन।		
<b>उल्लेखनीय निर्णय :</b>		
1) आस्थगित ऋण : आस्थगित ऋण राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 45 वर्ष (01.04.1992 से आरंभ) के आस्थगित ऋण से मूल ऋण भाग (आधार दर पर) को दर्शाया है। आस्थगित ऋण एक वित्तीय देयता है, अतः इसे उचित मूल्य 8% की दर से अभिनिश्चित किया जाता है। कंपनी इसे 8% पूँजी लागत के रूप में मानती है।		
2) अंतर्निहित व्युत्पन्न : एस डी आर में उतार-चढ़ाव के कारण देयताओं में हुई वृद्धि को अंतर्निहित व्युत्पन्न के रूप में लिया जाता है। अंतर्निहित व्युत्पन्न का लेखा-जोखा, लाभ और हानि के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के मूल्य पर किया जाता है। ऐसे उचित मूल्य के करार के अनुसार रिपोर्टिंग तारीख पर एस डी आर यूनिट का समायोजन रूपय मूल्य माना जाता है।		
<b>21 गैर-चालू प्रावधान</b>		
परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति बाध्यता	40.07	37.00
कर्मचारी लाभ		
प्रोद्भूत छुट्टी	-	-
उपदान	-	-
भविष्य निधि	-	-
	<b>40.07</b>	<b>37.00</b>
- टिप्पणी 38 (3) का संदर्भ लें : कर्मचारी लाभ बाध्यता		
<b>22 अन्य गैर-चालू देयताएँ</b>		
ग्राहकों से अग्रिम-\$		
रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी)	265,688.26	270,624.95
अन्य	94,744.34	45,275.25
आस्थगित आय *	1,715.58	1,858.55
आस्थगित राजस्व #	2,707.59	2,769.43
	<b>364,855.77</b>	<b>320,528.18</b>
* टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
# सोलार सयंत्र के लिए अनुदान शामिल है। टिप्पणी 38 (19) का संदर्भ लें।		
\$ टिप्पणी 38 (20) (सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्ति एवं देयताओं की आवाजाही लेखा-नीति सं. 3 ए (vi) और 4.4 का भी संदर्भ लें।		

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>23 उधार</b>		
(ए) माँग पर पुनर्भुगतान किये जाने वाले ऋण		
(i) बैंक से		
- सुरक्षित बैंक ओवरड्रॉफ्ट	-	-
- असुरक्षित	-	-
	-	-
कंपनी को ₹. 1,500.00 लाख की ओवरड्रॉफ्ट सुविधा मंजूर की गई है जिसके लिए कंपनी ने ₹. 1,800.00 लाख के जमा सुरक्षा के लिए किये हैं।		
<b>24 चालू पट्टा देयताएँ</b>		
पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	162.61	146.64
	<b>162.61</b>	<b>146.64</b>
<b>25 देय ट्रेड</b>		
देय ट्रेड - चालू :		
माइक्रो एवं लघु उद्यमों को बकाया राशि	1,207.05	4,276.06
माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़ कर अन्य ऋणदाताओं को बकाया राशि	78,631.66	42,161.77
	<b>79,838.71</b>	<b>46,437.83</b>
<b>माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटन की आवश्यकता है।</b>		
(i) लेखांकन वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूल धन एवं उस पर ब्याज		
- मूल धन	1,207.05	4,276.06
- ब्याज	-	-
(ii) निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को दी गई राशि के साथ दिया गया ब्याज		
(iii) वर्ष के लिए देय ब्याज और शेष	-	-
(iv) लेखांकित वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और देना शेष	-	-
(v) ऊपर की तिथि पर दिये गये ब्याज के बाद आने वाले वर्ष के लिए देय ब्याज राशि	-	-
माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए शेष देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा इस तरह की पार्टियों की पहचान की प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। लेखापरीक्षकों ने इस पर भरोसा दर्शाया है।		

(₹ लाख में)

## 31 मार्च, 2024 तक देय ट्रेड के लिए समय-सारणी

विवरण	भुगतान की अंतिम तिथि से निम्नलिखित अवधि तक बकाया					कुल
	बकाया नहीं	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एम एस एम ई	1,207.05					1,207.05
(ii) अन्य	27,921.21	39,557.12	3,597.45	399.80	7,156.08	78,631.66
(iii) विवादित बकाया - एम एस एम ई						
(iv) विवादित बकाया - अन्य						
<b>कुल देय ट्रेड</b>	<b>29,128.26</b>	<b>39,557.12</b>	<b>3,597.45</b>	<b>399.80</b>	<b>7,156.08</b>	<b>79,838.71</b>

## 31 मार्च, 2023 तक देय ट्रेड के लिए समय-सारणी

विवरण	भुगतान की अंतिम तिथि से निम्नलिखित अवधि तक बकाया					कुल
	बकाया नहीं	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एम एस एम ई	1,361.75	523.36	1,580.35	452.79	357.81	4,276.06
(ii) अन्य	9,352.66	22,999.13	962.50	1,500.60	7,346.88	42,161.77
(iii) विवादित बकाया - एम एस एम ई						
(iv) विवादित बकाया - अन्य						
<b>कुल देय ट्रेड</b>	<b>10,714.41</b>	<b>23,522.49</b>	<b>2,542.85</b>	<b>1,953.39</b>	<b>7,704.69</b>	<b>46,437.83</b>

PARTICULARS	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
<b>26 अन्य चालू वित्तीय देयताएँ</b>		
आस्थगित जमा की चालू परिपक्वता *	433.57	405.95
जमा	1,433.12	1,274.48
व्यय के लिए ऋणदाता	20,136.35	7,716.12
देय कर्मचारी लाभ	6,208.58	6,835.04
पूँजीगत कार्य	681.79	255.87
अन्य	146.62	274.12
	<b>29,040.03</b>	<b>16,761.58</b>

टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य का मापन

\* टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।

<b>27 अन्य चालू देयताएँ</b>		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम : #		
- रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी)	66,460.66	86,957.45
- अन्य	72,435.64	22,812.78
आस्थगित आय *	142.97	142.97
आस्थगित राजस्व	-	828.89
सांविधिक प्रेषण	12,502.94	11,336.73
	<b>151,542.21</b>	<b>122,078.82</b>

टिप्पणी 38 (7) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाएँ।

# टिप्पणी 38 (20) (सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्ति एवं देयताओं की आवाजाही

\* टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>28 चालू प्रावधान</b>		
कर्मचारी लाभ		
- उपदान	1,066.43	521.37
- प्रोद्भूत छुट्टी	925.20	917.23
- भविष्य निधि	1,290.02	2,306.97
वारंटी	13,115.12	11,230.05
दुर्वह ठेके	-	785.03
भविष्य प्रभार	1,870.84	1,870.84
अन्य	21,724.57	17,540.25
	<b>39,992.18</b>	<b>35,171.74</b>

प्रावधानों में गति				
प्रावधान	वारंटी	दुर्वह ठेके	भविष्य प्रभार	अन्य
<b>31 मार्च, 2023 तक शेष</b>	<b>11,230.05</b>	<b>785.03</b>	<b>1,870.84</b>	<b>17,540.25</b>
पहचाने गये अतिरिक्त प्रावधान	3,820.39	-	-	4,419.50
वर्ष के दौरान उपयोजन	(84.58)	(785.03)	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(1,850.74)	-	-	(235.18)
<b>31 मार्च, 2024 तक शेष</b>	<b>13,115.12</b>	<b>-</b>	<b>1,870.84</b>	<b>21,724.57</b>

**वारंटी :**

वारंटी दावे की प्रकृति, बारंबारिता और अवसतन लागत की इतिवृत्तात्मक सूचना तथा उत्पाद असफलता पर सामान्यतः आपूर्ति की जारीख से 1 से 2 वर्षों के भीतर ग्राहकों को दी जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी सेवा से होने वाले आगामी परिणाम के आधार पर वारंटी का प्राक्कलन तैयार किया जाता है।

**दुर्वह ठेके :**

दुर्वह ठेके का प्रावधान, अपने निष्पाद्य विक्रय संविदा पर कंपनी द्वारा प्राक्कलित हानि को सूचित करता है। ऐसे ठेके को कार्यान्वित / प्रारंभ करते समय कंपनी द्वारा जब कभी भी मूल्यांकन किया जाता है ऐसी हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। इस प्रावधान की आवधिक समीक्षा की जाती है।

**भविष्य प्रभार :**

भविष्य प्रभार प्रावधान, पूर्व में कार्यान्वित विक्रय संबंधी संविदा शर्तों में मूलतः निर्धारित अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के बदले सुपुर्दगी के लिए स्वीकृत संशोधित अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के आधार पर तथा आपातकाल की स्थिति में ब्रेकडाउन से बचने के लिए प्रयोक्ता द्वारा उपयोज्यता के लिए किए गए अनुरोध पर भेजे गये पुर्जों के मूल्य के आधार पर प्राक्कलित देयता को सूचित करता है।

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>29 आयकर</b>		
<b>29ए आस्थगित कर शेष</b>		
आस्थगित कर आस्तियाँ	12,804.13	11,082.07
आस्थगित कर देयताएँ	5,731.32	5,440.05
<b>कुल</b>	<b>7,072.81</b>	<b>5,642.02</b>
<b>आस्थगित कर शेष का ब्यौरा</b>		
आस्थगित कर आस्तियाँ		
पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	-	-
पट्टा देयताएँ	94.16	131.06

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
प्रावधान	12,135.80	10,427.73
आस्थगित जमा में उचित मूल्य का समायोजन	574.17	492.47
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	30.81
<b>उप कुल</b>	<b>12,804.13</b>	<b>11,082.07</b>
<b>आस्थगित कर देयताएँ</b>		
संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	3,695.71	3,474.09
आस्तियों के उपयोग का अधिकार	76.02	111.09
अमूर्त आस्तियाँ	1,401.28	1,376.00
निवेश का उचित मूल्य		
- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	-	-
- म्युचुअल फण्ड	-	-
आस्थगित जमा में उचित मूल्य का समायोजन	558.31	478.87
अन्य	-	-
<b>उप कुल</b>	<b>5,731.32</b>	<b>5,440.05</b>
<b>निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयता)</b>	<b>7,072.81</b>	<b>5,642.02</b>

**वर्ष 2023-24 के लिए  
आस्थगित कर शेष का समाधान**

विवरण	अथ शेष	आरंभिक आरक्षित में पहचाने गये	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अन्य व्यापक आय में पहचाने गये	इति शेष
<b>आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :</b>					
पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	-				-
पट्टा देयताएँ	131.06		(36.90)		94.16
प्रावधान	10,427.73		1,600.54	107.53	12,135.80
आस्थगित जमा में उचित मूल्य का समायोजन	492.47		81.70		574.17
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	30.81		(30.81)		-
<b>उप कुल</b>	<b>11,082.07</b>	<b>-</b>	<b>1,614.53</b>	<b>107.53</b>	<b>12,804.13</b>
<b>आस्थगित कर देयताओं से संबंधित :</b>					
संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	3,474.09		221.62		3,695.71
आस्तियों के उपयोग का अधिकार	111.09		(35.07)		76.02
अमूर्त आस्तियाँ	1,376.00		25.28		1,401.28
निवेश का उचित मूल्य					
- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	-		-		-
- म्युचुअल फण्ड	-		-		-
आस्थगित ऋण में उचित मूल्य का समायोजन	478.87		79.44		558.31
अन्य	-		-		-
<b>उप कुल</b>	<b>5,440.05</b>	<b>-</b>	<b>291.27</b>	<b>-</b>	<b>5,731.32</b>
<b>कुल</b>	<b>5,642.02</b>	<b>-</b>	<b>1,323.26</b>	<b>107.53</b>	<b>7,072.81</b>

139

(₹ लाख में)

वर्ष 2022-23 के लिए  
आस्थगित कर शेष का समाधान

विवरण	अथ शेष	आरंभिक आरक्षित में पहचाने गये	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अन्य व्यापक आय में पहचाने गये	इति शेष
<b>आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :</b>					
पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि	-				-
पट्टा देयताएँ	164.27		(33.21)		131.06
प्रावधान	10,270.49		217.69	(60.45)	10,427.73
आस्थगित जमा में उचित मूल्य का समायोजन	312.70		179.77		492.47
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-		30.81		30.81
<b>उप कुल</b>	<b>10,747.46</b>	<b>-</b>	<b>395.06</b>	<b>(60.45)</b>	<b>11,082.07</b>
<b>आस्थगित कर देयताओं से संबंधित :</b>					
संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	3,108.28	(179.26)	545.07	-	3,474.09
आस्तियों के उपयोग का अधिकार	146.17		(35.08)	-	111.09
अमूर्त आस्तियाँ	1,478.23		(102.23)	-	1,376.00
निवेश का उचित मूल्य					
- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	-				-
- म्युचुअल फण्ड	-				-
आस्थगित ऋण में उचित मूल्य का समायोजन	304.07		174.80	-	478.87
अन्य	-			-	-
<b>उप कुल</b>	<b>5,036.75</b>	<b>(179.26)</b>	<b>582.56</b>	<b>-</b>	<b>5,440.05</b>
<b>कुल</b>	<b>5,710.71</b>	<b>179.26</b>	<b>(187.50)</b>	<b>(60.45)</b>	<b>5,642.02</b>

140

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>29बी चालू कर आस्तियाँ एवं देयताएँ</b>		
चालू कर आस्तियाँ	4,670.80	11,948.87
<b>कुल चालू कर आस्तियाँ</b>	<b>4,670.80</b>	<b>11,948.87</b>
चालू कर देयताएँ	-	-
<b>कुल चालू कर देयताएँ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>29सी कर व्यय</b>		
<b>i) लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये</b>		
<b>चालू कर</b>		
चालू वर्ष से संबंधित	22,874.72	12,236.66
पूर्व वर्षों से संबंधित	-	538.70
<b>कुल</b>	<b>22,874.72</b>	<b>12,775.36</b>
<b>आस्थगित कर</b>		
चालू वर्ष से संबंधित	(1,323.26)	187.50
<b>कुल</b>	<b>(1,323.26)</b>	<b>187.50</b>
<b>ii) अन्य व्यापक आय में पहचाने गये</b>		
<b>कर व्यय</b>		
चालू वर्ष से संबंधित	107.53	(60.45)
<b>कुल</b>	<b>107.53</b>	<b>(60.45)</b>



(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
सौर ऊर्जा	723.78	874.01
दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं, ऐसी देयताओं को बट्टे खाते में डाला गया	-	-
अन्य दावे	61.83	61.84
ग्राहकों द्वारा वापस की गई (उगाही गयी) परिसमापन क्षति	-	-
	<b>1,869.90</b>	<b>2,036.38</b>
<b>कुल</b>	<b>236,927.51</b>	<b>248,939.25</b>

- टिप्पणी 38 (4) का संदर्भ लें : निर्माण अनुबंध

- टिप्पणी 38 (11) : बिक्री पर प्रतिधारण

- टिप्पणी 38 (20) : भारतीय लेखा मानक 115 के तहत प्रकटीकरण

- एल डी का अर्थ है - परिसमापन क्षतियाँ

**\*उल्लेखनीय निर्णय :**

राजस्व :

- कंपनी द्वारा कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता पद्धति के आधार पर सेवा राजस्व की पहचान की जाती है जहाँ समानांतर रूप से ग्राहक भी सेवाओं से लाभान्वित होता है।

- कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता का निर्धारण, कुल अनुमानित लागत के मुकाबले रिपोर्टिंग तिथि तक संपन्न कार्य पर आये खर्च के अनुपात में किया जाता है।

- कुल लागत के कुल राजस्व से अधिक होने की अनुमानित नष्ट की पहचान तुरंत की जाती है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>31 अन्य आय</b>		
<b>परिशोधन लागत पर गणना की गई वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय</b>		
बैंक जमा	30,573.45	9,758.26
अन्य	1,332.92	1,417.91
	<b>31,906.37</b>	<b>11,176.17</b>
<b>अन्य गैर-परिचालित आय</b>		
दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं, ऐसी देयताओं को बट्टे खाते में डाला गया	10.58	959.93
आपूर्तिकर्ताओं से वसूली गई परिसमापन क्षतियाँ	2,626.18	4,306.21
विविध आय (निवल)	458.02	435.18
	<b>3,094.78</b>	<b>5,701.32</b>
<b>अन्य लब्धि एवं क्षतियाँ</b>		
निवल विदेशी मुद्रा लब्धि / (हानि)	1,062.58	(1,477.57)
लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर मालित वित्तीय आस्तियों पर अंकित मूल्य लब्धि / (हानि)	125.44	130.24
संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर लब्धि	(6.24)	10.06
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री से लब्धि / प्राप्ति	-	-
	<b>1,181.78</b>	<b>(1,337.27)</b>
<b>कुल</b>	<b>36,182.93</b>	<b>15,540.22</b>

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>32 खपत सामग्री की लागत</b>		
खपत सामग्री की लागत	110,840.93	120,608.69
प्रत्यक्ष व्यय	1,154.99	424.77
	<b>111,995.92</b>	<b>121,033.46</b>
- ₹ 16491.29 लाख की राशि को ग्राहक से वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त धनवापसी के कारण उपभोग की गई सामग्री की लागत में समायोजित किया गया है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा खरीदी गई सामग्री/स्टोर पर इससे पहले किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के तहत परिणामी देयता को वापस किया गया है।		
<b>33 तैयार माल एवं निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन</b>		
<b>अथ स्टॉक :</b>		
तैयार माल	495.86	2,904.80
निर्माणाधीन कार्य	51,078.76	46,766.10
	<b>51,574.62</b>	<b>49,670.90</b>
<b>इति स्टॉक :</b>		
तैयार माल	20,655.10	495.86
निर्माणाधीन कार्य	53,182.67	51,078.76
	<b>73,837.77</b>	<b>51,574.62</b>
<b>निवल (वृद्धि) / अपवृद्धि</b>	<b>(22,263.15)</b>	<b>(1,903.72)</b>
<b>34 कर्मचारी लाभ व्यय</b>		
बोनस सहित वेतन तथा मज़दूरी	44,590.37	43,967.78
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	12,980.22	7,325.31
स्टॉफ कल्याण व्यय	2,430.17	1,953.34
<b>कुल</b>	<b>60,000.76</b>	<b>53,246.43</b>
टिप्पण 38 (3) का संदर्भ लें : कर्मचारी लाभ दायित्व और 38(8): संबंधित पार्टी लेन-देन - निदेशक मंडल ने दि. 03 नवंबर 2023 को संपन्न अपनी बैठक में 01 जनवरी 2017 से कर्मचारियों के मूल वेतन + महुँगाई भत्ता के @3% पेंशन फंड में अतिरिक्त नियोक्ता योगदान पर सहमति व्यक्त की। अतिरिक्त योगदान को ध्यान में रखते हुए, 01 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ₹ 5401.91 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ₹ 802.49 लाख 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए है।		
<b>35 वित्त लागत</b>		
ब्याज व्यय	171.50	314.62
अन्य वित्त लागत	139.02	139.02
<b>कुल</b>	<b>310.52</b>	<b>453.64</b>
<b>36 मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय</b>		
संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास	5,585.96	5,769.50
आस्तियों के उपयोग के अधिकार का परिशोधन	196.29	196.29
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	921.67	1,760.00
<b>कुल</b>	<b>6,703.92</b>	<b>7,725.79</b>

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>37 अन्य व्यय</b>		
शॉप आपूर्तियाँ	168.88	466.22
बिजली तथा ईंधन	2,327.47	2,051.50
पानी का प्रभार	417.96	397.10
यात्राएँ #	1,738.70	1,569.23
मरम्मत :		
भवन	1,812.18	1,274.89
सयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर	2,159.25	1,533.60
फर्नीचर तथा उपस्कर	147.90	132.72
वाहन	20.55	18.88
अन्य	27.47	31.99
वाहन व्यय - पेट्रोल तथा डीजल	113.82	66.06
शिथिल औज़ार तथा उपस्कर	75.29	84.57
बीमा	705.01	553.76
दरें तथा कर	181.03	167.48
डाक, तार, टेलेक्स तथा टेलीफोन	134.61	135.05
मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	129.02	63.63
प्रचार-प्रसार	652.59	1,008.39
विज्ञापन	174.45	133.38
बैंक प्रभार	49.97	101.52
विधि संबंधी व्यय	6.81	14.88
दान	1.50	1.00
बट्टा खाता - अन्य	-	-
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (निम्न टिप्पणी (i) का संदर्भ लें)	17.53	21.80
सुरक्षा व्यवस्थाएँ	5,202.93	5,246.11
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा विकास	-	2.63
मनोरंजन	1.22	36.21
सौजन्य	-	-
निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क	20.45	15.80
स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों का प्रतिभागिता शुल्क	6.50	6.00
सी एस आर तथा सतत् विकास व्यय	1,044.12	1,217.89
प्रतिस्थापन, वारंटी तथा बैच अस्वीकृतियों का प्रावधान	1,969.64	1,264.84
निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	312.09	1,152.38
दुर्बह ठेके के लिए प्रावधान	-	-
अन्य प्रावधान	255.35	204.97
विविध परिचालन व्यय		
सामग्री का परीक्षण	3,057.37	3,219.15
पूफ फायरिंग व्यय	8.16	12.25
मानव-शक्ति के नियोजन संबंधी प्रभार	1,209.74	1,020.68
सामग्री वहन प्रभार	998.82	979.63
किराये पर लिये गये वाहनों का प्रभार	734.20	921.30
डी अण्ड डी व्यय	2,628.18	7,364.11
अन्य	5,028.19	3,251.92
<b>कुल</b>	<b>33,538.95</b>	<b>35,743.52</b>
# निदेशकों के यात्रा व्यय सहित	108.84	151.28

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>टिप्पणियाँ</b>		
<b>i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं :</b>		
<b>विवरण</b>		
सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए *	12.50	15.00
कर लेखापरीक्षा के लिए	1.25	1.25
अन्य सेवाओं के लिए	3.50	5.05
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.28	0.50
<b>लेखापरीक्षकों का कुल पारिश्रमिक</b>	<b>17.53</b>	<b>21.80</b>
* 2022-23 शुल्क में वित्तीय वर्ष 2021-22 के ₹. 2.50 लाख की राशि शामिल है।		
ii) टिप्पणी 28 का संदर्भ लें : चालू प्रावधान		
iii) टिप्पणी 38 (5) का संदर्भ लें : अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय		
iv) टिप्पणी 38 (3) का संदर्भ लें : संबंधित पार्टी लेन-देन		

**टिप्पणी 38 : सामान्य टिप्पणियाँ****अनुपालन की विवरणिका :**

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक कंपनी नियमावली (भारतीय लेखा मानक) 2015 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में अधिसूचित अनुसार) एवं अधिनियम के अन्य संबद्ध प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

**38(1) अभिनव लेखा निर्णय**

निगम मामले मंत्रालय ("एम सी ए"), समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, निगम मामले मंत्रालय ने कंपनी पर लागू मौजूदा मानकों में कोई नया मानक या संशोधन अधिसूचित नहीं किया है।

निगम मामले मंत्रालय ने ने इंडस्ट्रीज़ लेखा-मानक 1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति), इंडस्ट्रीज़ लेखा-मानक 8 (लेखा नीतियां, लेखा अनुमानों और वृत्तियों में परिवर्तन) और इंडस्ट्रीज़ लेखा-मानक 12 (आयकर) में संशोधन करने के लिए 31 मार्च 2023 दिनांकित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया है जो 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं। इन परिवर्तनों को वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, लेकिन वित्तीय विवरणों में किसी भी मद के माप, मान्यता या प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

**38(2) प्रति शेयर अर्जन****(i) निरंतर परिचालनों के लिए :**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर के बाद लाभ	61,272.06	35,217.49
<b>मूल :</b>		
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	366,562,500	366,562,500
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	366,562,500	366,562,500
₹. 5/- मूल्य के प्रति ईक्विटी शेयर पर अर्जन (भारतीय रुपय)	16.72	9.61
<b>विलयित</b>		
कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के बकाया संभाव्य ईक्विटी शेयरों पर प्रभाव	-	-
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	366,562,500	366,562,500
₹. 5/- मूल्य के प्रति ईक्विटी शेयर पर अर्जन (भारतीय रुपय)	16.72	9.61

टिप्पणियाँ

- ई पी एस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की जाती है।

वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या को ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 1 पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर के उप-विभाजन के प्रभाव के लिए 2 पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयरों में समायोजित किया जाता है जिनका अंकित मूल्य ₹ 5 प्रत्येक है। मार्च 31, 2024 और मार्च 31, 2023 को ईक्विटी शेयरों की इस संख्या के परिणामस्वरूप इंडस्ट्रीज़ एएस 33 के अनुसार मूल और विलयित ईपीएस की गणना के उद्देश्य से 2 गुना बढ़ गया।

**(ii) परिचालनों को जारी न रखने के लिए :**

परिचालनों में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं है।

**(iii) परिचालनों को जारी रखने एवं रोकने के लिए :**

तालिका (i) संदर्भ लें।

### 38(3) रोज़गार लाभ दायित्व

#### (i) रोज़गार उपरांत दायित्व - उपदान

कंपनी द्वारा भारत के कर्मचारियों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान उपलब्ध कराया जाता है। लगातार 5 वर्ष तक सेवाएँ देने वाले कर्मचारी उपदान के लिए अर्ह्य होंगे। सेवानिवृत्त / पदच्युत कर्मचारी को देय उपदान की गणना, उनके प्रति माह के मूल वेतन के 15 दिन के समानुपातिक आधार पर उ सके कुल सेवा वर्षों को गुणित कर की जाती है। यह उपदान योजना एक निधिक योजना है और कंपनी द्वारा भारत में मान्यताप्राप्त निधियों में अंशदान दिया जाता है। कंपनी के पास पूर्णतः निधिधारित देयता का प्रावधान नहीं है और अपेक्षित उपदान भुगतान के अनुमान के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए अनुरक्षित किये जाने योग्य निधि लक्ष्य का अनुरक्षण किया जाता है।

#### उपदान

#### बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
<b>वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य</b>	<b>21,767.31</b>	<b>22,212.50</b>
चालू सेवा लागत	555.10	548.33
ब्याज व्यय या लागत	1,500.31	1,489.23
<b>पुनर्मापन</b>		
जनांकिक अनुमान में परिवर्तन से (लब्धि) / हानि	133.24	181.98
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से (लब्धि) / हानि	194.11	(293.66)
अनुभव (लब्धि) / हानि	200.39	221.69
लाभ भुगतान	(3,311.83)	(2,592.76)
<b>वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य</b>	<b>21,038.63</b>	<b>21,767.31</b>

#### योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
<b>वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य</b>	<b>21,701.72</b>	<b>22,591.12</b>
ब्याज आय	1,497.87	1,516.18
नियोक्ता अंशदान	65.59	-
लाभ भुगतान	(3,311.83)	(2,592.76)
पुनःमापन - आस्तियों पर प्रतिलाभ (ब्याज आय छोड़कर)	18.85	187.18
<b>वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य</b>	<b>19,972.20</b>	<b>21,701.72</b>

#### अवधि के दौरान पहचाने गये कुल व्यय

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
लाभ-हानि विवरणिका में	557.54	521.38
अन्य व्यापक आय में	508.89	(77.17)
<b>कुल</b>	<b>1,066.43</b>	<b>444.21</b>

उक्त प्रकटित कुल देयता निधिक और गैर-निधिक योजना संबंधी है जो निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,038.63	21,767.31
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19,972.20	21,701.72
<b>निधिक योजनाओं का घाटा</b>	<b>1,066.43</b>	<b>65.59</b>

उल्लेखनीय वास्तविक अनुमान निम्न प्रकार रहे :

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
छूट दर	7.21%	7.46%
वेतन में वृद्धि	6.00%	6.00%
संघर्षण दर	6.72%	5.52%

## संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
निर्धारित लाभ दायित्व	21,038.63	21,767.31
छूट दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	20,287.51	20,954.47
अपवृद्धि : -1%	21,861.31	22,658.51
वेतन वृद्धि दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	21,451.28	22,201.15
अपवृद्धि : -1%	20,620.62	21,320.06
संघर्षण दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	21,140.48	21,891.44
अपवृद्धि : -1%	20,928.50	21,633.34

उपर्युक्त संवेदनशील विश्लेषण, अन्य सभी प्राक्कलनों को स्थिर रखते हुए प्राक्कलन में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है। व्यावहारिक तौर पर, यह संभव नहीं होता है और कुछ प्राक्कलनों में परिवर्तन सहसंबंधित हैं। प्रमुख वास्तविक प्राक्कलनों के लिए निर्धारित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय (निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग समय की समाप्ति पर दर्शायी गयी इकाई ऋण पद्धति के साथ की जाती है) भी वही पद्धति अपनायी जाती है जो तुलन-पत्र में ली गई निर्धारित लाभ दायित्व की गणना के समय अपनायी जाती हो। पूर्व अवधि की तुलना में संवेदनशील विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त पद्धतियों और प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं होता।

## योजना आस्तियों की मुख्य श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं :

(₹ लाख में)

केंद्र सरकार प्रतिभूति	4,907.82	5,332.82
राज्य सरकार प्रतिभूति	8,481.92	9,216.42
एन सी डी / बाण्ड्स	4,445.49	4,830.45
ईक्विटी	1,286.08	1,397.45
मियादी जमा	67.57	73.42
सी बी एल ओ	572.04	621.58
ऋण	2.82	3.06
अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	208.47	226.52
	<b>19,972.20</b>	<b>21,701.72</b>

## निर्धारित आस्थगित लाभ देयताएँ एवं कर्मचारी अंशदान

कंपनी ने कर्मचारियों के उपदान भुगतान के लिए बीमा पॉलसी खरीदी है। प्रति वर्ष कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये डॉटा के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा निधि का मूल्य निर्धारण किया जाता है। उस प्रकार के मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप आस्तियों में आने वाली किसी भी प्रकार के घाटे का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी का मानना है कि स्वीकृत अवधि के लिए घाटा न हो, इसके लिए पिछली मूल्य निर्धारण तिथि पर निर्धारित अंशदान दर पर्याप्त है और सेवा लागत पर आधारित नियमित अंशदान में भी विशेष वृद्धि नहीं होगी।

अगले वर्षों के लिए संभाव्य नक़द प्राप्ति निम्न प्रकार है :

विवरण	1 वर्ष से कम	2 से 3 वर्षों के बीच	4 से 5 वर्षों के बीच	कुल
<b>31 मार्च, 2024</b>				
निर्धारित लाभ दायित्व - उपदान	4,270.16	8,064.53	5,021.15	17,355.85

## जोखिम का सामना

अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी ने कई जोखिमों का सामना किया है। इनमें से प्रमुख जोखिम का विवरण इस प्रकार है :

व्याज दर का जोखिम : गणित निर्धारित लाभ बाध्यताओं में सरकारी बाण्ड के आधार पर रियायती दर का उपयोग किया जाता है। यदि बाण्ड लब्धियों में क्षति होती है तो निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

(₹ लाख में)

वेतन-वृद्धि जोखिम : वेतन में अनुमानित से अधिक वृद्धि से निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

डेमोग्राफिक जोखिम : यह जोखिम घाटा (नुकसान) की गैर-योजनाबद्ध प्रकृति के कारण परिणामों में आने वाले परिवर्तन की वजह से है जिनमें मृत्यु दर, आहरण, अपंगता तथा सेवानिवृत्तियों शामिल हैं। निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर इन घाटों का सीधा प्रभाव नहीं रहता है और वेतन में वृद्धि रियायती दर तथा निहित मानदण्ड के योग पर निर्भर करता है। आहरण को अधिक महत्व देना होता है क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में कम समय-सेवा वाले कर्मचारियों की तुलना में दीर्घकालीन सेवा देने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ अधिक होते हैं।

### (ii) भविष्य निधि

कंपनी के भविष्य निधि न्यास को भविष्य निधि पर संगठन द्वारा घोषित ब्याज दर से अधिक ब्याज घोषित करना होता है। यदि न्यास द्वारा ब्याज की देयता में कोई कमी रहती है तो कंपनी को यह कमी दूर करनी होगी। यह एक निर्धारित लाभ योजना है और कंपनी ने यह प्रोद्भूत मूल्य प्राप्त किया है। कंपनी ने भविष्य-निधि न्यास की ओर से ब्याज कमी के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में 'शून्य' (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 'शून्य') रुपये की राशि उपलब्ध करायी है जो लाभ-हानि लेखा में दर्शायी गयी।

कुछ लिखतों की वसूली योग्यता के संबंध में भविष्य निधि न्यास की कुछ अनिश्चितताओं को देखते हुए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन के कारण परिवर्तन के लिए रु. 81.63 लाख (वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 163.03 लाख) की राशि उपलब्ध करायी है।

वास्तविक प्रतिधारणा	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	(निधि प्राप्त)	(निधि प्राप्त)
छूट दर	7.21%	7.46%
वेतन में वृद्धि दर	6.00%	6.00%
भविष्य निधि पर प्रत्याभूत ब्याज दर	*	8.15%
बी डी एल भविष्य निधि न्यास द्वारा घोषित ब्याज दर	*	8.15%

\* घोषित किया जाना शेष

### (iii) अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति

अवकाश देयताएँ, अर्जित छुट्टियों के लिए कंपनी की देयता को कवर करती हैं।

कंपनी, क्षतिपूरक अनुपस्थिति के लिए निधिक योजना का अनुरक्षण करती है। कंपनी, वास्तविक मूल्य-निर्धारण के अनुसार योजित आस्तियों से निवल बाध्यताओं को पहचानती है। कर्मचारी लाभ बाध्यताएँ और योजित आस्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थिति की वास्तविक देयताएँ	13880.71	14004.97
घटाव : योजना आस्तियाँ	12955.51	13087.74
निवल देयता / (आस्ति)	925.20	917.23
<b>उल्लेखनीय धारणाएँ :</b>		
छूट दर	7.21% P.A.	7.46% P.A.
वेतन में वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 YEARS	60 YEARS

### (iv) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ए) दि. 01 जनवरी, 2007 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना के लिए किये गये अंशदान - पी एस एम बी - I	1,061.94	839.40
बी) दि. 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना के लिए किये गये अंशदान - पी एस एम बी - II	338.99	342.11
सी) दि. 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना के लिए किये गये अंशदान - पी एस एम बी - III	463.31	460.46

(₹ लाख में)

**38(4) विनिर्माण ठेके**

निर्माण ठेकों के राजस्व मान्यता के संबंध में निम्न प्रकटन किया जाता है।

**ठेका राजस्व की पहचान पद्धति :**

अवधि के दौरान ठेका राजस्व निर्धारित करने के लिए पूर्णता पद्धति की प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है।

**ठेका पूर्णता की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति :**

ठेका पूर्णता के स्तर का निर्धारण कुल अनुमानित लागत के अनुपात में पूर्ण किये गये कार्य पर आयी लागत के आधार पर किया जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के दौरान राजस्व की पहचान	-	-
लागत खर्च की कुल जोड़ राशि	-	-
पहचाना गया लाभ	-	-
बकाया प्रतिधारण धन की राशि	-	-
प्राप्त एवं बकाये की अग्रिम राशि	19,864.27	19,864.27

**38(5) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय :**

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय सामान्य लेखा शीर्ष में लेखांकित जिसमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित उत्पाद विकास शामिल है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
राजस्व व्यय में सम्मिलित होने के कारण	7,536.93	12,517.50
पूँजीगत व्यय में सम्मिलित होने के कारण (पूँजीगत आस्तियाँ)	1,541.62	2,685.37

- अनुसंधान एवं व्यय संबंधी उक्त व्यय कंपनी की निवल लागत में लेखांकित किया गया।

**38(6) आकस्मिक देयताएँ एवं ठेके में शामिल प्रतिबद्धता :**

(₹ लाख में)

प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक देयताएँ	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
जमा एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित पत्र :		
(i) साख पत्र	25.74	239.81
(ii) प्रत्याभूतियाँ एवं प्रति प्रत्याभूतियाँ	5,964.30	9,643.19
<b>कुल</b>	<b>5,990.04</b>	<b>9,883.00</b>
दावे / मॉग जिनके प्रति ऋण मान कर कंपनी ने पावती नहीं दी :		
(i) सार्वजनिक उपक्रम	-	-
(ii) बिक्री कर	21,310.03	21,310.03
(iii) सेवा कर	1,883.80	1,883.80
(iv) आय कर	4,752.26	1,737.48
(v) उत्पाद शुल्क	5,306.33	5,306.33
(vi) अन्य	1,659.42	1,353.32
<b>कुल</b>	<b>34,911.84</b>	<b>31,590.96</b>
<b>ठेके में शामिल प्रतिबद्धताएँ</b>		
(ए) निवेश पूँजी पपर कार्यनिष्पादन के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि और उपलब्ध नहीं करायी गयी हो		
(i) संपत्ति, सयंत्र एवं उपस्कर	20,888.49	4,200.02
(ii) संपत्ति निवेश	-	-
(iii) अमूर्त आस्तियाँ	-	-
(बी) वर्ष के अंत में सुपुर्दगी के लिए शेष सामग्री की परिसमापन क्षतियों के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता का हिसाब तब किया जाएगा जब संबंधित राजस्व लिया जाता है।	7,961.93	15,060.96
<b>कुल</b>	<b>28,850.42</b>	<b>19,260.98</b>

### 38(7) अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाएँ

कंपनी ने ग्राहक से समय पूर्व समाप्त पाँच संविदाओं / माँग पत्र तथा एक एल ओ आई के लिए प्राप्त रु. 36234.42 लाख (31 मार्च, 2023 को रु. 36234.42 लाख) की अग्रिम राशि में से विशेष औज़ार एवं उपकरण तथा सामग्री की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया है। इन भुगतानों में आपूर्तिकर्ताओं के खाते में से विशेष औज़ार एवं उपकरण (टिप्पणी-1) के लिए रु. 114.05 लाख (31 मार्च, 2023 तक 114.05 लाख), चालू आस्तियों (टिप्पणी 10-16) के लिए रु. 11041.65 लाख (31 मार्च, 2023 तक रु. 11041.65 लाख), जिसमें पिछले वर्ष के दौरान विक्रेताओं को दिये गये सामग्री खाते में रु. 8338.85 लाख (31 मार्च, 2023 को रु. 8350.75 लाख) जो कुल मिलाकर 19489.55 लाख (31 मार्च, 2023 को 19506.45 लाख) है। इन आस्तियों की प्राप्ति / किया गया खर्च कंपनी ने पुख्ता / एल ओ आई के आधार पर किया तथा ग्राहक द्वारा दी गई ऐसी निधि में से कंपनी को दीर्घावधि शेष अग्रिम और रुके पड़े विशेष औज़ार तथा सामग्री से किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है। अतः किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गयी। आगे, इन समयपूर्व समाप्त माँग-पत्र / संविदाओं / एल ओ आई के संबंध में कंपनी ने प्राप्त अग्रिम का समायोजन कर रु. 1593.88 लाख (31 मार्च, 2023 तक तक रु. 1908.11 लाख) के निवल व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहक से संपर्क किया। चूँकि सरकार / ग्राहक से इस राशि का निश्चित होना शेष है, कंपनी की लेखा-बही में किसी प्रकार का लाभ लेखांकित नहीं किया गया है।

### 38(8) संबंधित पार्टी लेन-देन

#### प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) सी एम डी (दि. 31 मार्च, 2023 तक)	श्री पी राधा कृष्ण, निदेशक (उत्पादन) तथा अतिरिक्त प्रभार - सी एम डी (दि. 30 जून, 2023 तक)
कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.) सी एम डी (दि. 19 जुलाई, 2023 से) तथा अतिरिक्त प्रभार - निदेशक (वित्त) (दि. 08 फरवरी, 2024 से)	श्री एन श्रीनिवासूलू, निदेशक (वित्त) तथा सी एफ ओ (दि. 31 जनवरी, 2024 तक)
श्री पी वी राजा राम, निदेशक (उत्पादन) (दि. 30 अगस्त, 2024 से तथा अतिरिक्त प्रभार - निदेशक (तकनीकी) (दि. 08 फरवरी, 2024 से)	श्री एन पी दिवाकर, निदेशक (तकनीकी) (दि. 31 अगस्त, 2022 तक)
श्री जी गायत्री प्रसाद, सी एफ ओ (दि. 21 मार्च, 2024 से)	श्री सुनील चिंतामन मोने, स्वतंत्र निदेशक
श्री नंदकुमार सुब्बुरामन, स्वतंत्र निदेशक	प्रो. (डॉ.) संघमित्रा मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक
श्री राजेंद्र सिंह शेखावत, स्वतंत्र निदेशक	डॉ. पवन स्थापक, स्वतंत्र निदेशक
श्री जशवंत लाल, स्वतंत्र निदेशक (दि. 24 फरवरी, 2023 से)	श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव

(₹ लाख में)

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की प्रतिपूर्ति	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	234.83	226.02
रोज़गार उपरांत लाभ	41.42	46.97
दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	-	-
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आसीन शुल्क	20.45	15.80
<b>कुल प्रतिपूर्ति</b>	<b>296.70</b>	<b>288.79</b>

### 38(9) पूँजीगत प्रबंधन

#### ए) जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास ईक्विटी पूँजी तथा अन्य प्रारक्षण निधियाँ हैं जो पूँजी के एकमात्र स्रोत के रूप में शेयरधारकों से जुड़ी हैं और कंपनी पर कोई उधारी या ऋण नहीं है।

#### बी) लाभांश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(i) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त शेयर पर अंतरिम लाभांश रु. 8.85 है। (31 मार्च, 2023 रु. 8.15)	16,220.39	14,937.42
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपेक्षणीय लाभांश : निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 तक रु. 5 मूल्य के प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रु. 0.85 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। (31 मार्च, 2023 को रु. 10/- मूल्य के प्रत्येक शेयर पर रु. 1.20) प्रस्तावित लाभांश का निर्णय आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होता है।	3,115.78	2,199.38

(₹ लाख में)

**रिपोर्टिंग अवधि के बाद सूचित की गई घटनाएँ :**

निदेशकगण द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए उपर्युक्त टिप्पणी का संदर्भ लें जो आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अधीन है।

**38(10) शेष की सुनिश्चितता :**

देनदार / लेनदार प्राप्य दावा, ठेकेदार / उप-ठेकेदार के साथ सामग्री, अग्रिम, जमा व अन्य के संबंध में शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। यथाप्राप्त उत्तर के आधार पर आवश्यकतानुसार समाधान / प्रावधान समायोजन किये जाते हैं।

**38(11) प्रतिधारण बिक्री :**

वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर में शामिल प्रतिधारित बिक्री का मूल्य (ग्राहक के अनुरोध और उनकी जोखिम पर रखा गया माल) ₹. 42,809.15 लाख (वर्ष 2022-23 के दौरान ₹. 90,485.78 लाख) है। इनमें से 'शून्य' राशि (वर्ष 2022-23 के दौरान ₹. 57,547.97 लाख) एफ ओ आर डेस्टिनेशन आधारित ठेकों से संबंधित है। इस ठेके में उल्लिखित कुछ स्थितियों में माल वापस किया जाता है। 41,809.15 लाख की राशि (वर्ष 2022-23 के दौरान ₹. 32,937.83 लाख) के संबंध में ठेका एफ ओ आर डेस्टिनेशन आधारित होने पर भी, ग्राहक ने कंपनी को बिक्री की पहचान कर सामग्री रखने दी।

**38(12) पंजीकृत प्रभार :**

कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ चालू आस्तियों पर ₹. 61,500.00 लाख (31 मार्च, 2023 को ₹. 60,000.00 लाख) के फ्लोटिंग का पंजीकरण किया है।

**38(13) परिचालन चक्र :**

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार यथाप्रयोज्य उत्पाद के स्तर पर परिचालनीय चक्र का निर्धारण किया जाता है।

**38(14) आकस्मिक आस्तियाँ :**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
आकस्मिक आस्तियाँ	-	-

**38(15) उचित मूल्य माप**

(₹ लाख में)

विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम स्तर	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति			31 मार्च, 2023 तक की स्थिति		
			लागत	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	लागत	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल
<b>ए. वित्तीय आस्तियाँ</b>								
<b>ए) परिशोधित लागत पर माप</b>								
i)	नक़द एवं नक़द तुल्य	3	12	59,384.20	59,384.20	-	105,288.37	105,288.37
ii)	अन्य बैंकों में शेष	3	13	363,464.00	363,464.00	-	280,598.00	280,598.00
iii)	ऋण	3	7, 14	370.07	370.07	-	376.02	376.02
iv)	अन्य वित्तीय आस्तियाँ	3	8, 15	112,058.72	112,058.72	-	138,188.58	138,188.58
v)	प्राप्त ट्रेड	3	11	31,044.72	31,044.72	-	18,457.27	18,457.27
<b>उप-कुल</b>				<b>566,321.71</b>	<b>566,321.71</b>	<b>-</b>	<b>542,908.24</b>	<b>542,908.24</b>
<b>बी) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित</b>								
i)	अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के ज़रिये किया गया निवेश	3	6	53.60	-	-	53.60	-
ii)	आस्थगित प्राप्य	3	8, 15	2472.51	-	4,933.11	2,662.70	4,826.33
<b>उप-कुल</b>				<b>2,526.11</b>	<b>-</b>	<b>4,933.11</b>	<b>2,716.30</b>	<b>-</b>
<b>कुल वित्तीय आस्तियाँ</b>				<b>568,847.82</b>	<b>566,321.71</b>	<b>4,933.11</b>	<b>545,624.54</b>	<b>542,908.24</b>

(₹ लाख में)

विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम स्तर	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति			31 मार्च, 2023 तक की स्थिति		
			लागत	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	लागत	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल
<b>बी. वित्तीय देयताएँ</b>								
<b>ए) परिशोधित लागत पर माप</b>								
i) पट्टा देयताएँ	3	19, 24	374.11	374.11	-	520.75	520.75	-
ii) देय ट्रेड	3	25	79,838.71	79,838.71	-	46,437.83	46,437.83	-
iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3	20, 26	30,152.40	30,152.40	-	17,968.16	17,968.16	-
<b>उप-कुल</b>			<b>110,365.22</b>	<b>110,365.22</b>	<b>-</b>	<b>64,926.74</b>	<b>64,926.74</b>	<b>-</b>
<b>बी) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित</b>								
i) एंबडेड डेरिवेटिव वित्तीय देयता	3	20,26	-	-	3,527.29	-	-	3,350.89
<b>उप-कुल</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,527.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,350.89</b>
<b>कुल वित्तीय देयताएँ</b>			<b>110,365.22</b>	<b>110,365.22</b>	<b>3,527.29</b>	<b>64,926.74</b>	<b>64,926.74</b>	<b>3,350.89</b>

#### उचित मूल्य का पदानुक्रम

निम्नलिखित तालिका आस्तियों और देयताओं के उचित मूल्य के पदानुक्रम को दर्शाता है :

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
<b>वित्तीय आस्तियाँ</b>			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित			
i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के ज़रिये किया गया निवेश	3	-	-
ii) आस्थगित प्राप्य	3	4,933.11	4,826.33
<b>वित्तीय देयताएँ :</b>			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित			
i) एंबडेड डेरिवेटिव वित्तीय देयता	3	3,527.29	3,350.89

#### उचित मूल्य का पदक्रम :

वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन स्तरों के आधार पर विभिन्न उचित मूल्य क्रम में किया जाता है।

स्तर 1 : समरूप आस्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई दर (असमायोजित)

स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल कोट की गई दर के अतिरिक्त इनपुट, या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् दर के रूप में) या अप्रत्यक्ष (अर्थात् दर से प्राप्त) रूप से आस्तियाँ देयताओं में दर्शाये जाते हैं। सक्रिय बाजार में ट्रेड न किये गये वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण प्रेक्षणीय बाजार डॉटा के प्रयोग को बढ़ाने वाला औरव स्तु-निर्दिष्ट अनुमान पर कम से कम दर्शाते हुए मूल्य-निर्धारण तकनीक के आधार पर किया जाता है। यदि उचित मूल्य के लिए प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है तो एक उपकरण की पहचान की जाती है जो स्तर-2 में शामिल है।

स्तर 3 : आस्तियाँ देयताओं के लिए आवश्यक इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा (गैर-प्रेक्षणीय इनपुट) के आधार पर नहीं है। यदि एक या अधिक प्रमुख इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा के आधार पर नहीं है तो उसे स्तर-3 में शामिल किया जाता है। ऐसा सूचित लिखत के मामलों में होता है जहाँ बाजार असूचित लिखत के लिए चल नहीं होता।

उचित मूल्य के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त तकनीक :

वित्तीय लिखत के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण तकनीक में शामिल हैं :

- कोट नहीं किये गये ईक्विटी लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण कंपनी की निवल मालियत के आधार पर किया जाता है।

- वर्ष 2021-22 के दौरान ए पी जी पी सी एल अर्थात् बी डी एल ने जिस कंपनी में निवेश किया है, एडवर्स आर्बिट्रेशन अर्वाइड प्राप्त किया। इसके लागू किये जाने से ए पी जी पी सी एल की निवल मालियत में नुकसान होने की संभावना है। तदनुसार, निवेश का उचित मूल्य 'शून्य' माना जाता है।

- 45 वर्ष आस्थगित ऋण तथा प्राप्य के उचित मूल्य का निर्धारण ठेके के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

(₹ लाख में)

प्राप्त उचित मूल्य अनुमान स्तर-3 में शामिल किये जाते हैं।

प्रमुख अपेक्षणीय इनपुट (स्तर-3) का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्तर-3 के मदों में परिवर्तन को दर्शाती है।

विवरण	असूचित ईक्विटी शेयर	आस्थगित प्राप्य	एंबेडेड डेरिवेटिव देयता
<b>31 मार्च, 2023 तक की स्थिति</b>	-	4,826.33	3,350.89
लाभ-हॉइ में पहचानी गई लब्धि/हानि	-	528.38	414.39
वित्तीय लिखत की चालू परिपक्वता		(421.60)	(237.99)
<b>31 मार्च, 2024 तक की स्थिति</b>	-	4,933.11	3,527.29

मूल्य-निर्धारण इनपुट और उचित मूल्य के साथ इसका संबंध

निम्नलिखित तालिका में स्तर-3 उचित मूल्य मापन में प्रयुक्त प्रमुख अपेक्षणीय इनपुट से संबंधित मात्रात्मक सूचना का सार प्रस्तुत है :

विवरण	उचित मूल्य की स्थिति		उल्लेखनीय अपेक्षणीय इनपुट	संवेदनशीलता
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023		
कोट न किये गये ईक्विटी शेयर	-	-	कंपनी का उचित मूल्य	कंपनी के उचित मूल्य के 1% की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से गैर-चालू निवेश में 'शून्य' की वृद्धि होगी। इसी तरह कंपनी के उचित मूल्य की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर और प्रभाव से गैर-चालू निवेश में 'शून्य' की अपवृद्धि होगी।
आस्थगित प्राप्य	4,933.11	4,826.33	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर यूनिट)	एस डी आर दर में एक रु. की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु. 299.57 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु. 1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में रु. 299.57 लाख की अपवृद्धि होगी।
एंबेडेड डेरिवेटिव देयता	3,527.29	3,350.89	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर यूनिट)	एस डी आर दर में एक रु. की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु. 308.08 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु. 1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में रु. 308.08 लाख की अपवृद्धि होगी।

153

### 38(16) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियों से बाजार जोखिम, परिसमापन जोखिम और ऋण जोखिम से जुड़े हैं। प्रत्येक जोखिम का विश्लेषण इस प्रकार है :

#### ए) जमा जोखिम

ऋण जोखिम, नक़द एवं नक़द-तुल्य, परिसमापन जोखिम और ऋण जोखिम से जुड़े हैं। प्रत्येक जोखिम का विश्लेषण इस प्रकार है :

#### (i) साख़ जोखिम प्रबंधन

ए. नक़द एवं नक़द-तुल्य पर ऋण जोखिम सीमित होता है क्योंकि सामान्यतः कंपनी अपना निवेश बैंकों में ही करती है जिन्हें बाह्य एजेंसियों द्वारा उच्च ऋण दर प्राप्त होती है।

बी. दावे / पुनःप्राप्य, ट्रेड प्राप्य तथा बिल न किये गये राजस्व पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है :

(i) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए :

(₹ लाख में)

(ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य रूप लागू होता है:

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डिफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी	प्राप्य दावे / वापसी	9045.32	0.24%	(21.47)	9,023.85
- 12 महीने पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	370.07	-	-	370.07

(बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीने या इसके बराबर	6 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	113969.41	4531.43	118500.84
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	113969.41	4531.43	118500.84

(ii) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए :

(ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य रूप लागू होता है:

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डिफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी	प्राप्य दावे / वापसी	9532.33	0.23%	(21.47)	9,510.86
- 12 महीने पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	376.02	-	-	376.02

(बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीने या इसके बराबर	6 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	138872.51	5750.11	144622.62
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	138872.51	5750.11	144622.62

(iii) हानि भत्ते का समाधान :

(₹ लाख में)

विवरण	ट्रेड प्राप्य एवं बिल नहीं किया गया राजस्व	प्राप्य दावे / वापसी
31 मार्च, 2023 तक हानि भत्ता जोड़ / कमी		(21.47)
31 मार्च, 2023 तक हानि भत्ता		(21.47)

(₹ लाख में)

**(iv) उल्लेखनीय अनुमान तथा निर्णय :**

वित्तीय आस्तियों का नुकसान :

ऊपर प्रकटित वित्तीय आस्तियों के लिए नुकसान प्रावधान, डीफाल्ट तथा अनुमानित नुकसान दर जोखिम संबंधी प्राक्कलनों पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को और नुकसान की गणना तय करने में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाजार की स्थिति और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर अनुमानों की भावी दृष्टि को आधार बनाती है।

**बी) क्षति संबंधी जोखिम**

विवेकपूर्ण परिसमापन जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है बकाये की स्थिति में बाध्यताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नकद निधियों का होना। कंपनी खजाना द्वारा बैंकों में जमा की उपलब्धता बनाये रखते हुए निधियों में लचीलापन रखा जाता है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित नकद-प्राप्ति के आधार पर नकद-तुल्य का अनुवीक्षण किया जाता है।

**(i) वित्तीय व्यवस्था**

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कंपनी के पास उपलब्ध अनाहरित ऋण सुविधा का विवरण इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवरड्राफ्ट व अन्य सुविधाएँ)	1500.00	1500.00

**(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता**

31 मार्च, 2024 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीने से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
<b>नॉन-डेरिवेटिव</b>					
पट्टा देयताएँ	162.61	179.98	31.52	-	374.11
45 वर्षों के घटक की देयता जमा	195.60	181.10	466.73	702.51	1545.93
निक्षेप	1,433.12	-	-	-	1433.12
व्यय के लिए ऋणदाता	20,136.35	-	-	-	20136.35
देय कर्मचारी लाभ	6,208.58	-	-	-	6208.58
पूँजीगत कार्य	681.79	-	-	-	681.79
अन्य	146.62	-	-	-	146.62
<b>डेरिवेटिव</b>					
एंवेडेड डेरिवेटिव देयता (आस्थगित देयता)	433.57	237.98	713.94	2141.80	3527.29
<b>31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ</b>					
<b>नॉन-डेरिवेटिव</b>					
पट्टा देयताएँ	146.64	162.61	211.50	-	520.75
45 वर्षों के घटक की देयता जमा	195.60	181.10	466.73	769.10	1,612.53
निक्षेप	1,274.48	-	-	-	1,274.48
व्यय के लिए ऋणदाता	7,716.12	-	-	-	7,716.12
देय कर्मचारी लाभ	6,835.04	-	-	-	6,835.04
पूँजीगत कार्य	255.87	-	-	-	255.87
अन्य	274.12	-	-	-	274.12
<b>डेरिवेटिव</b>					
एंवेडेड डेरिवेटिव देयता (आस्थगित देयता)	405.95	210.36	631.08	2,103.50	3,350.89

(₹ लाख में)

**सी) बाजार जोखिम**

**(i) विदेशी मुद्रा जोखिम**

कंपनी एक ऐसे संव्यवहार क्षेत्र से परिचालित करती है जहाँ विदेशी मुद्रा लेन-देन से प्रमुखतः यू एस डी, यूरो, जीबीपी, सीएचएफ तथा एस ई के संदर्भ में विदेशी मुद्रा जोखिम होती है। भावी वाणिज्यिक लेन-देन तथा मानित देयताओं से जनित विदेशी विनिमय जोखिम को कंपनी की कामकाजी मुद्रा (भारतीय रुपय) से इतर मुद्रा मूल्य में दर्शाया जाता है। इस जोखिम का माप (गणना), उच्चतम संभावित विदेशी मुद्रा नक़द-प्राप्ति की भविष्य-दृष्टि के माध्यम से किया जाता है। अधिकतर बिक्री ठेके के लिए कंपनी, विदेशी विनिमय देयताओं के निपटान पर विनिमय दर परिवर्तन के लिए अर्ह्य है।

(विदेशी मुद्रा लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2024				
	यू एस डी	यूरो	जी बी पी	सी एच एफ	एस ई के
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
देयताएँ	184.55	6.34	-	-	-
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ					
प्राप्यताएँ	132.41	-	-	-	-
बैंकों में उपलब्ध विदेशी मुद्रा शेष	336.34	-	-	-	-
<b>निवल प्रभाव</b>	<b>(284.20)</b>	<b>6.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

विवरण	31 मार्च, 2023				
	यू एस डी	यूरो	जी बी पी	सी एच एफ	एस ई के
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
देयताएँ	50.75	10.80	-	-	-
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ					
प्राप्यताएँ	74.81	-	-	-	-
बैंकों में उपलब्ध विदेशी मुद्रा शेष	50.40	-	-	-	-
<b>निवल प्रभाव</b>	<b>(74.46)</b>	<b>10.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(₹ लाख में)

**(ii) संवेदनशीलता**

लाभ या हानि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता प्रमुखतः विदेशी मुद्रा अंकित वित्तीय लिखत तथा विदेशी अग्रपण विनिमय ठेकाओं से होती है।

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
<b>संवेदनशीलता</b>		
आई एन आर / यू एस डी - 1% की बढ़ोत्तरी	(234.80)	(61.00)
आई एन आर / यू एस डी - 1% की कमी	234.80	61.00
आई एन आर / यूरो - 1% की बढ़ोत्तरी	5.76	9.74
आई एन आर / यूरो - 1% की कमी	(5.76)	(9.74)
आई एन आर / जी बी पी - 1% की बढ़ोत्तरी	-	-
आई एन आर / जी बी पी - 1% की कमी	-	-
आई एन आर / सी एच एफ - 1% की बढ़ोत्तरी	-	-
आई एन आर / सी एच एफ - 1% की कमी	-	-
आई एन आर / एस ई के - 1% की बढ़ोत्तरी	-	-
आई एन आर / एस ई के - 1% की कमी	-	-

**38(17) खण्ड सूचना :**

चूंकि कंपनी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में है, अतः निगम मामले मंत्रालय के दि. 23 फरवरी, 2023 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत भारतीय लेखामानक (सेगमेंट रिपोर्टिंग) की अनुप्रयोज्यता से कंपनी को छूट प्राप्त है।

**38(18) विदेशी मुद्रा का प्रभाव :**

विदेशी मुद्रा के प्रभाव के प्रकटन की आवश्यकता को देखते हुए आई सी ए आई की घोषणा के अवलोकन में दि. 31 मार्च, 2024 तक (31 मार्च, 2023 के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाये गये) प्रमुख मुद्रावार प्रभाव निम्नवत है।

(₹ लाख में)

मुद्रा	वित्तीय देयता		वित्तीय आस्ति		आकस्मिक देयता	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि
यू एस डी	184.55 (50.75)	15440.39 (4,185.72)	468.76 (125.21)	38,920.76 (10,286.01)	41.21 (68.71)	3448.95 (5,649.73)
यूरो	6.34 (10.80)	576.17 (973.64)	-	-	-	-
जी बी पी	-	-	-	-	-	-
सी एच एफ	-	-	-	-	-	-
एस ई के	-	-	-	-	-	-
<b>कुल (₹)</b>		<b>16,016.56 (5,159.36)</b>		<b>38,920.76 (10,286.01)</b>		<b>3448.95 (5,649.73)</b>

**38(19) सोलार सयंत्र के लिए अनुदान :**

कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल मिशन (जे एन एन एस एम) योजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 मेगावाट के दो सोलार सयंत्र लगाये हैं। यह वी जी एस निधि संविदा के अनुसार परियोजना लागत पर निर्भर होती है। ₹. 1545.89 लाख की राशि वी जी एफ के अंतर्गत दर्शायी गयी और इसे कंपनी लेखा-बही में इसे आस्थगित राजस्व (टिप्पणी-22) के अंतर्गत दर्शाया गया। प्रति वर्ष 4% की दर से आस्थगित राजस्व - सोलार सयंत्र के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है जो ₹. 61.83 लाख है।

**38(20) भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत प्रकटीकरण : ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व**

**ए निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि**

- अधिकतर अनुबंधों के संबंध में निष्पादन बाध्यता एक निश्चित समय पर संतुष्ट की जाती है जो प्राथमिकतः ग्राहक द्वारा आस्ति पर नियंत्रण पाने के समय निर्धारित की जाती है। जटिल प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापन और कमिशनिंग से संबंधित अनुबंधों के संदर्भ में निष्पादन बाध्यता 'कालांतर में' पहचानी जाती है।
- 'बिल अण्ड सोल्ड' व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादन बाध्यता, ग्राहक द्वारा माल को स्वीकार कर अनुबंध के लिए माल के बेशर्त पर विनियोजन पर संतुष्ट की जाती है।
- सामान्यतः कंपनी के अनुबंधों में वित्तीय घटक और कोई प्राप्त अग्रिम और / या ग्राहक द्वारा दी गई राशि शामिल नहीं होती ताकि अनुबंध की दोनों पार्टियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
- परिवर्तनीय प्रतिफल में मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा भिन्नता खण्ड और परिसमाप्त नुकसान के खिलाफ प्राप्य / प्रतिपूर्ति योग्य राशि शामिल होती है। उसीके संबंध में मान्यताप्राप्त राजस्व की राशि अनुबंध में निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। राशि को अनुबंध की शर्तों के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।
- कंपनी के टर्नओवर में प्रमुखतः मिसाइल एवं संबद्ध रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।
- प्रदत्त वारंटी में प्रमुखतः निष्पादन संबंधी वारंटी आती है।
- सामान्यतः कंपनी द्वारा ऐसे अनुबंधों के मामले में राजस्व की पहचान में 'इनपुट पद्धति' का उपयोग किया जाता है जिनकी निष्पादन बाध्यताएँ कालक्रम में संतुष्ट होती हैं। मान्यता प्राप्त करने राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए पूर्णता विधि का प्रतिशत अपनाया जाता है जहाँ राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए अनुबंधित मूल्य पर कुल अनुमानित लागत के प्रतिशत को लागू किया जाता है। कंपनी के अनुबंध (ए एम सी के अतिरिक्त) को समय की अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें आम तौर पर विभिन्न प्रकृति की कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं जैसे भवन-निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना इसके चलते भौतिक रूप से कार्य की मात्रा (अर्थात् आउटपुट) को निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि इनपुट पद्धति में इन विविध गतिविधियों के संबंध में होने वाली लागत का हिसाब किया जा सकता है और पूर्णतः विश्वसनीय के प्रतिशत तक पहुँचने के लिए होने वाली कुल अनुमानित लागत के साथ तुलना की जा सकती है। 'ए एम सी' अनुबंधों के संबंध में राजस्व की मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति अपनायी जाती है जहाँ निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि के लिए कालांतर मानदण्ड होता है।
- निश्चित समय पर निष्पादन बाध्यता संतुष्ट होने के संदर्भ में, ग्राहक ने 'आस्ति पर नियंत्रण' प्राप्त किया कि नहीं - इसका निर्धारण करने निम्नलिखित मानदण्डों का उपयोग किया जाता है -
  - अनुबंध के अनुसार सुपुर्दगी की शर्तें
  - ग्राहक के पास आस्ति संबंधी वैधिक टाइटल हो
  - कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण कर दिया है
  - ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार किया है।
  - कंपनी के पास आस्ति के लिए भुगतान करने का अधिकार है।
- लेन-देन दर का निर्धारण ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर किया जाता है। बहु-बाध्यताओं के संबंध में लेन-देन दर का आबंटन संबंधित एकमेव बिक्री मूल्य पर निर्भर होता है जो हाल ही में बेची गयी इसी प्रकृति की वस्तुओं से संबंधित अनुबंध के आधार पर है।

**बी ग्राहकों के साथ अनुबंध के तहत मान्य राजस्व का ब्रेक-अप**

विवरण	भारत सरकार	निर्यात (चैनल भागीदार सहित)	अन्य	कुल
<b>31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए</b>				
उत्पादों की बिक्री	180,323.81	16,137.55	23,515.27	219,976.63
सेवाओं की बिक्री	9,271.38	-	5,809.60	15,080.98
<b>कुल</b>	<b>189,595.19</b>	<b>16,137.55</b>	<b>29,324.87</b>	<b>235,057.61</b>
<b>31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए</b>				
उत्पादों की बिक्री	156,545.20	9,718.87	69,115.93	235,380.00
सेवाओं की बिक्री	7,014.48	22.24	4,486.15	11,522.87
<b>कुल</b>	<b>163,559.68</b>	<b>9,741.11</b>	<b>73,602.08</b>	<b>246,902.87</b>

(₹ लाख में)

## सी अनुबंध आस्तियों और अनुबंध देयताओं की आवाजाही

विवरण	अनुबंध आस्तियाँ		अनुबंध देयताएँ	
	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति
<b>अथ शेष (ए)</b>	<b>126,165.35</b>	<b>119,119.48</b>	<b>424,998.96</b>	<b>215,396.45</b>
<b>जोड़</b>				
वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त विक्री के तहत	108,254.77	77,040.77		
वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-		173,497.80	361,562.74
वर्ष के दौरान मानी गई लेन-देन दर में परिवर्तन	1,018.50			
अन्य (यदि कोई हो तो)	5,485.46	3,034.65	-	438.23
<b>कुल - (बी)</b>	<b>114,758.73</b>	<b>80,075.42</b>	<b>173,497.80</b>	<b>362,000.97</b>
<b>कटौतियाँ</b>				
वर्ष के दौरान अथ शेष में से मान्यताप्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता			98,038.65	80,822.90
वर्ष के दौरान चालू वर्ष के शेष से मान्यता प्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता			1,586.13	71,571.63
अनुबंध आस्तियों का ट्रेड प्राप्य में बदलाव	152,834.22	73,029.55		
अनुबंध आस्तियों की हानि यदि कोई हो तो *				
अनुबंध देयताओं की हानि यदि कोई हो तो				
वर्ष के दौरान लेन-देन दर में पहचाना गया परिवर्तन				
अन्य (यदि कोई हो तो)	633.74		243.32	3.93
<b>कुल - (सी)</b>	<b>153,467.96</b>	<b>73,029.55</b>	<b>99,868.10</b>	<b>152,398.46</b>
<b>सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी+सी)</b>	<b>87,456.12</b>	<b>126,165.35</b>	<b>498,628.66</b>	<b>424,998.96</b>

\* हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया गया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को अनुबंध देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है और क्रमानुगत रूप से निष्पादन बाध्यता की समाप्ति पर इसका समायोजन किया जाता है। अग्रिम के समायोजन के उपरांत प्राप्त शेष को ट्रेड प्राप्य में वर्गीकृत किया जाता है।

निष्पादन दायित्व की संतुष्टि पर कंपनी को अर्जित मुआवाजा, लेकिन देय नहीं है क्योंकि भुगतान के लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, इसे अनुबंध आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। जब भुगतान के लक्ष्य हासिल हो जाते हैं, तो ऐसे शेष को ट्रेड प्राप्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

## डी शेष निष्पादन बाध्यताओं का मूल्य

ग्राहकों के साथ अनुबंध से मान्यताप्राप्त न किया गया राजस्व जो अंशतः संतुष्ट या असंतुष्ट

(₹ लाख में)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष में	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2024 तक निष्पादित नहीं किये गये आदेशों का मूल्य *	1,943,400.00	367,700.00	450,700.00	507,500.00	617,500.00

\* यह राशि ₹. 7961.93 लाख की परिसमापन क्षति पर आधारित है।

(₹ लाख में)

ई अनुबंध मूल्य सहित लाभ-हानि लेखा में मान्य राजस्व का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>लाभ-हानि लेखा के अनुसार राजस्व</b>		
उत्पादों की बिक्री	219,976.63	235,380.00
सेवाओं की बिक्री	15,080.98	11,522.87
<b>कुल (ए)</b>	<b>235,057.61</b>	<b>246,902.87</b>
<b>अनुबंध मूल्य में जोड़ / घटाव का समायोजन</b>		
एफ ई परिवर्तन का दावा	-	(8.88)
प्राप्त प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस	-	-
आफर किया गया भुनाना, रिबेट	-	-
आफर की गई दर में कटौतियाँ	-	-
ग्राहकों द्वारा उगाही परिसमापन क्षतियाँ	6,300.12	6,098.06
ग्राहकों द्वारा वापस की गई परिसमापन क्षतियाँ	(74.23)	(3,033.29)
अन्य यदि कोई हो तो	-	-
<b>कुल समायोजन (बी)</b>	<b>6,225.89</b>	<b>3,055.89</b>
<b>अनुबंध मूल्य (ए+बी)</b>	<b>241,283.50</b>	<b>249,958.76</b>

एफ वर्ष 2023-24 के लिए ट्रेड प्राप्यताओं की आवाजाही

विवरण	उत्पादन की बिक्री	सेवाओं की बिक्री	कुल
<b>अथ शेष निवल देनदार (ए)</b>	<b>14,334.17</b>	<b>4,123.10</b>	<b>18,457.27</b>
<b>जोड़</b>			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	160,703.44	11,276.93	171,980.37
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में परिवर्तन	141,625.19	11,209.03	152,834.22
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेन-देन दर में परिवर्तन	-	19.18	19.18
अन्य (यदि कोई हो तो)	65.49	-	65.49
<b>कुल - (बी)</b>	<b>302,394.12</b>	<b>22,505.14</b>	<b>324,899.26</b>
<b>कटौतियाँ</b>			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	194,678.50	16,823.60	211,502.10
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	98,392.47	1,232.31	99,624.78
देनदार की हानि (प्रावधान) *	-	-	-
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेन-देन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	1,068.59	116.34	1,184.93
<b>कुल - (बी)</b>	<b>294,139.56</b>	<b>18,172.25</b>	<b>312,311.81</b>
<b>सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी+सी)</b>	<b>22,588.73</b>	<b>8,455.99</b>	<b>31,044.72</b>

(₹ लाख में)

## वर्ष 2022-23 के लिए ट्रेड प्राप्तियों की आवाजाही

विवरण	उत्पादन की बिक्री	सेवाओं की बिक्री	कुल
अथ शेष निवल देनदार (ए)	24,949.06	5,467.07	30,416.13
जोड़			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	235,840.14	5,860.61	241,700.75
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में परिवर्तन	67,231.27	5,798.28	73,029.55
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेन-देन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	23.50	62.61	86.11
<b>कुल - (बी)</b>	<b>303,094.91</b>	<b>11,721.50</b>	<b>314,816.41</b>
कटौतियाँ			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	162,818.49	11,562.25	174,380.74
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	150,891.31	1,503.22	152,394.53
देनदार की हानि (प्रावधान) *	-	-	-
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेन-देन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	-	-	-
<b>कुल - (सी)</b>	<b>313,709.80</b>	<b>13,065.47</b>	<b>326,775.27</b>
<b>सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी+सी)</b>	<b>14,334.17</b>	<b>4,123.10</b>	<b>18,457.27</b>

\* हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया गया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।

जी भुगतान संबंधी ग्राहकों की शर्तें जिसमें अग्रिम और चरणवार भुगतान शामिल है और जो एक ठेके से दूसरे ठेके के लिए अलग-अलग होते हैं।

## 38(21) अतिरिक्त नियामक सूचना :

ए अमूर्त आस्तियों के ऐसे अधिकार विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं :

(₹ लाख में)

तुलन-पत्र में उल्लिखित संबंधित मद	आस्ति का विवरण	निवल वहन मूल्य	निवल वहन मूल्य	क्या अधिकार विलेख के हकदार प्रचारक या निदेशक या प्रचारक / निदेशक के संबंधित / या प्रचारक / निदेशक के कर्मचारी हैं	आस्ति कब से कंपनी के पास है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
निःशुल्क प्राप्त भूमि	इब्राहीमपट्टणम स्थित भूमि (632 एकड़ 16.50 गुण्टा)	7,965.16	टी एस आई आई सी	नहीं	16/2/2017	पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।
निःशुल्क प्राप्त भूमि	कंचनबाग स्थित भूमि (146 एकड़ 32 गुण्टा)	28.42	डी एम आर एल	नहीं	19/10/1972	राजस्व के रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।
निवेश संपत्ति	कंचनबाग स्थित भूमि (5 एकड़ 1 गुण्टा)	0.97	वी डी एल	नहीं	2/3/2011	अधिकार विलेख किया गया लेकिन अभी पंजीकरण होना शेष

बी निवेश संपत्ति का उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित होता है। हालाँकि, इसकी गणना राज्य सरकार के पंजीकरण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार की जा रही है।

सी कंपनी ने चालू रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, सयंत्र और उपकरण या अमूर्त आस्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

डी कंपनी ने अपने किसी भी प्रचारक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(₹ लाख में)

ई पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य (सी डब्ल्यू आई पी)

(ए) सी डब्ल्यू आई पी कालक्रम सारणी

पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य (सी डब्ल्यू आई पी)	अवधि के लिए सी डब्ल्यू आई पी				कुल
	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
<b>31 मार्च, 2024 तक</b>					
(i) विकासाधीन परियोजनाएँ	6,917.50	322.22	21.88	25.88	7,287.48
(ii) आस्थायी रूप से रद्द की गई परियोजनाएँ					
<b>कुल</b>	<b>6,917.50</b>	<b>322.22</b>	<b>21.88</b>	<b>25.88</b>	<b>7,287.48</b>
<b>31 मार्च, 2023 तक</b>					
(i) विकासाधीन परियोजनाएँ	5,280.75	1,483.93	482.89	187.09	7,434.66
(ii) आस्थायी रूप से रद्द की गई परियोजनाएँ					
<b>कुल</b>	<b>5,280.75</b>	<b>1,483.93</b>	<b>482.89</b>	<b>187.09</b>	<b>7,434.66</b>

(बी) सी डब्ल्यू आई पी पूरा करने की सारणी, जिसका पूरा करने का समय समाप्त हो चुका है या इसकी मूल योजना की तुलना में लागत मूल्य अधिक हो गया :

पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य (सी डब्ल्यू आई पी)	पूरा होने की तिथि			
	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
<b>31 मार्च, 2024 तक</b>	114.68	276.81	-	-
<b>31 मार्च, 2023 तक</b>	4,054.44	493.22	1.47	-

\* परियोजनाओं की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए और खंडीय रिपोर्टिंग पर दी गई छूट के कारण, परियोजनावार विवरण का खुलासा नहीं किया जाता है।

एफ प्रमुख वित्तीय अनुपात :

अनुपात	गणक	भाजक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	विचलन का %	विचलन का कारण
(ए) वर्तमान अनुपात (गुणा में)	कुल चालू आस्तियाँ	कुल चालू देयताएँ	3.07	3.45	-11%	-
(बी) ऋण - ईक्विटी अनुपात						-
(सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात		कंपनी पर कोई ऋण न होने के कारण लागू नहीं।				-
(डी) ईक्विटी अनुपात में वापसी (% में)	कराधान बाद निवल लाभ	औसत ईक्विटी	17.89%	11.28%	59%	निम्नलिखित टिप्पणी-ए देखें
(ई) सामग्री-सूची टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	परिचालनों से प्राप्त राजस्व	औसत सामग्री-सूची	1.25	1.43	-13%	-
(एफ) ट्रेड प्राप्यताएँ टर्नओवर अनुपात (गुणा में)	परिचालनों से प्राप्त राजस्व	औसत ट्रेड प्राप्यताएँ	9.57	10.19	-6%	-
(जी) ट्रेड देयताएँ अनुपात (गुणा में)	क्रय	औसत ट्रेड देयताएँ	1.68	2.70	-38%	निम्नलिखित टिप्पणी-बी देखें

(₹ लाख में)

अनुपात	गणक	भाजक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	विचलन का %	विचलन का कारण
(एच) निवल पूँजी टर्नओवर प्रतिशत (गुणा में)	परिचालनों से प्राप्त राजस्व	कार्यगत पूँजी	0.38	0.46	-17%	-
(आई) निवल लाभ अनुपात (% में)	कराधान बाद निवल लाभ	परिचालनों से प्राप्त राजस्व	25.86%	14.00%	85%	निम्नलिखित टिप्पणी-ए देखें
(जे) निवल पूँजी पर वापसी (% में)	ई बी आई टी अर्थात् कर पूर्व लाभ और वित्त लागत	नियोजित पूँजी अर्थात् निवल मालियत + आस्थगित कर देयता (निवल)	23.31%	15.41%	51%	निम्नलिखित टिप्पणी-बी देखें
(के) निवेश पर वापसी (% में)	निवेशक को वापस	समय भारित निवेश	77.40%	81.87%	-5%	-

टिप्पणी ए : वृद्धि के मुख्य कारण हैं (ए) उत्पादों की विविधता में परिवर्तन (बी) वर्ष के दौरान उच्चतर ब्याज आय और ग्राहकों से प्राप्त वापसी राशियाँ।

टिप्पणी बी : अपवृद्धि का मुख्य कारण - 31 मार्च, 2024 तक देयताओं में हुई वृद्धि है जो अभी तक शेष नहीं।

**जी** बेनामी लेद-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

**एच** कंपनी के पास चालू आस्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है। कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित नहीं किया गया है।

**आई** कंपनी का, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।

**जे** कंपनी के पास वैधानिक अवधि के बाद आर ओ सी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

**38(22)** ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

**38(23) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) :**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि	1,044.12	1,217.89
(ii) वर्ष के दौरान किए गए व्यय की राशि		
- किसी आस्ति का निर्माण / अधिग्रहण	295.16	153.24
- उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य	722.57	1,166.08
(iii) वर्ष के अंत में, वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि में से कमी	शून्य	शून्य
(iv) पिछले वर्ष की राशि में कुल कमी	शून्य	शून्य
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) कंपनी द्वारा की गई सी एस आर गतिविधियों की प्रकृति	शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, कौशल विकास	शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, कौशल विकास
(vii) संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण	शून्य	शून्य
(viii) जहाँ एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में आवाजाही को अलग से दिखाया जाएगा।	दि. 31 मार्च, 2023 तक खर्च नहीं की गई / (अतिरिक्त) राशि (107.18)	पहचाने गए अतिरिक्त प्रावधान वर्ष के दौरान उपयोगिता दि. 31 मार्च, 2024 तक खर्च नहीं की गई / (अतिरिक्त) राशि (80.79)
	1044.12	(1,017.73)

(₹ लाख में)

**38(24)** कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

**38(25) युद्ध का प्रभाव :**

रशिया-यूक्रेन युद्ध और मध्य-पूर्व प्रांत के संघर्षों के चलते कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई और इसके कारण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का कार्यनिष्पादन भी प्रभावित हुआ।

**38(26) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 :**

रोज़गार के दौरान और रोज़गार के बाद लाभ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (कोड) को सितंबर, 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, कोड के प्रभावी होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी इस कोड के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और इसकी प्रभावी अवधि के वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव को बतायेगी।

**38(27)** जहाँ कहीं भी चिह्नित किया गया हो, उनको छोड़कर सभी वित्तीय विवरणिकाएँ भारतीय रुपय में दर्शाए गए हैं। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनर्समूहन किया गया है। ऋणात्मक आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

प्रमुख लेखा-नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप

कृते - तेज राज अण्ड पॉल  
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स  
फर्म पंजीकरण सं. 304124E



सी ए बीरका विजय  
भागीदार  
(सदस्यता सं. 214678)  
यू डी आई एन :

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए



पी वी राजा राम  
निदेशक (उत्पादन)  
तथा अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (तकनीकी)  
डी आई एन : 10271259



जी गायत्री प्रसाद  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 30 मई, 2024



कमोडोर ए माधवाराव (से.नि.)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा  
अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त)  
डी आई एन : 09808949



एन नागराजा  
कंपनी सचिव  
(सदस्यता सं. A19015)







कचनबाग इकाई



भानूर इकाई



विशाखापट्टणम इकाई



भारत डायनामिक्स लिमिटेड  
BHARAT DYNAMICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)  
सी आई एन नं. L24292TG1970GOI001353  
निगम कार्यालय : प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग  
आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,  
गञ्जी बाउली, हैदराबाद-500032 तेलंगाना, भारत।  
ई-मेल : [investors@bdl-india.in](mailto:investors@bdl-india.in) वेबसाइट : [www.bdl-india.in](http://www.bdl-india.in)